Drishti IAS

करेंट अफेयर्स

(संग्रह)

मार्च (भाग-2)

2025

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

शासन व्यवस्था 5

- भारत में ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन 5
- भारत में चुनाव सुधार 9
- UNCAT और हिरासत में यातना 12
- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 15
- डिजिटल कंपनियों पर नियंत्रण की चुनौतियाँ 17

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 21

- भारत-न्यूज़ीलैंड संबंध 21
- भारत की अध्यक्षता में IORA का विकास पथ 24

भारतीय अर्थव्यवस्था 27

- भारत में क्विक कॉमर्स का उदय 27
- डी-डॉलराइज़ेशन और भारत 29
- भारत का धन प्रेषण रुझान 2024 33
- भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र 38
- संशोधित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशानिर्देश 41
- विमानन क्षेत्र में भारत की प्रगति 44
- भारत में खाद्य सब्सिडी का पुनर्मूल्यांकन 47

सामाजिक न्याय 50

- कैंसर को अधिसूचित रोग बनाने पर बहस 50
- फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट 53
- भारत में गर्भपात संबंधी जटिलताएँ 57

आंतरिक सुरक्षा 61

- भारत की एकीकृत थिएटर कमान 61
- आधुनिक युद्ध में UAV 63

कृषि 70

- भारत में कृषि संधारणीयता का सुनिश्चय 70

भारतीय इतिहास 73

- आज़ाद हिंद फौज की विरासत 73
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर के दार्शनिक दृष्टिकोण 75
- औरंगज़ेब और मराठा साम्राज्य 78

जैव विविधता और पर्यावरण 82

- भारत में मैंग्रोव 82
- वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 88

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- विकास और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार 89
- प्राकृतिक कृषि 89
- लक्षित प्रजाति-विशिष्ट संरक्षण 90
- सीसा विषाक्तता 93
- SDG प्रगति एवं चुनौतियाँ 97

प्रिलिम्स फैक्ट्स 101

- वैश्विक आसूचना एवं सुरक्षा प्रमुखों का चौथा सम्मेलन 101
- स्वदेश दर्शन योजना 102
- भारत की CAR T-सेल थेरेपी 103
- बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की ISS से वापसी 104
- माइक्रो-लाइटनिंग और जीवन की उत्पत्ति 106
- बोस मेटल 108
- रायसीना डायलॉग 2025 108
- लक्षित प्रजाति-विशिष्ट संरक्षण 109
- मानसून पर क्लाउड बैंड का प्रभाव 110
- विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार 113

रैपिड फायर 116

- समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 116
- जलनाथेश्वर मंदिर 117
- बोंगोसागर 2025 नौसैनिक अभ्यास 117
- पूर्वोत्तर भारत को सैफरन हब में बदलना 118
- अंतरिक्ष डॉकिंग में भारत की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 119
- नागोर्नो-काराबाख संघर्ष का समाधान 120
- उनियाला केरलेंसिस 121
- पाई (π) डे 123
- मेलियोडोसिस 124
- मेनहिर 125
- विकास और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार 126
- यमन और हूती 127
- 23 वाँ अभ्यास वरुण 2025 128
- किलिफिश 128
- ध्वन्यास्त्र 129
- GNSS-आधारित टोल संग्रह 131
- द्विअपवर्तन 132
- विश्व गौरैया दिवस 132
- रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य 133
- फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति का ICC ट्रायल 134
- शहीद दिवस 135
- डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती 137
- म्यूनिसिपल बॉण्ड 137
- मोरान समुदाय के लिये PRC 139
- फोटो-असिस्टेड, स्व-चार्जिंग बैटरी 139
- वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 140
- विश्व क्षय रोग दिवस 2025 141
- WEF अपलिंक वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट 2025 142
- विश्व जल दिवस 2025 142

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

* लाजवर्द 143
* मानव विकास पर नई अंतर्दृष्टि 143
* समकारी लेवी को समाप्त करने का प्रस्ताव 144
* वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2024 146
* समर्थ इन्क्यूबेशन प्रोग्राम 147
* CBDT ने सेफ हार्बर नियमों में किया विस्तार 148
* सहयोग पोर्टल 148
* BHIM 3.0 148
* स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 150
* भद्रा वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिज़र्व 151
* मेघालय की रेल कनेक्टिविटी पर चिंता 152
* SEBI ने दोगुनी की FPI प्रकटीकरण सीमा 153
* आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 153
* अभ्यास प्रचंड प्रहार 154

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

शासन व्यवस्था

भारत में ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन

चर्चा में क्यों?

अनेक विशेषज्ञों ने **ऑनलाइन गेमिंग में अत्यधिक सख्त विनियमन की समस्याओं** की ओर ध्यान आकर्षित कर महँगे करों और अस्पष्ट कानूनी स्थिति की ओर इशारा किया है, तथा सरकार से उन्हें अधिक स्वतंत्रता के साथ कार्य करने की अनुमति देने का आग्रह किया है।

- इसके अतिरिक्त, भारत के **रियल मनी गेमिंग (आरएमजी) उद्योग ने नैतिक और पारदर्शी व्यावसायिक प्रथाओं** को स्थापित करने के लिये सामूहिक रूप से एक **आचार संहिता** पर हस्ताक्षर किये हैं।

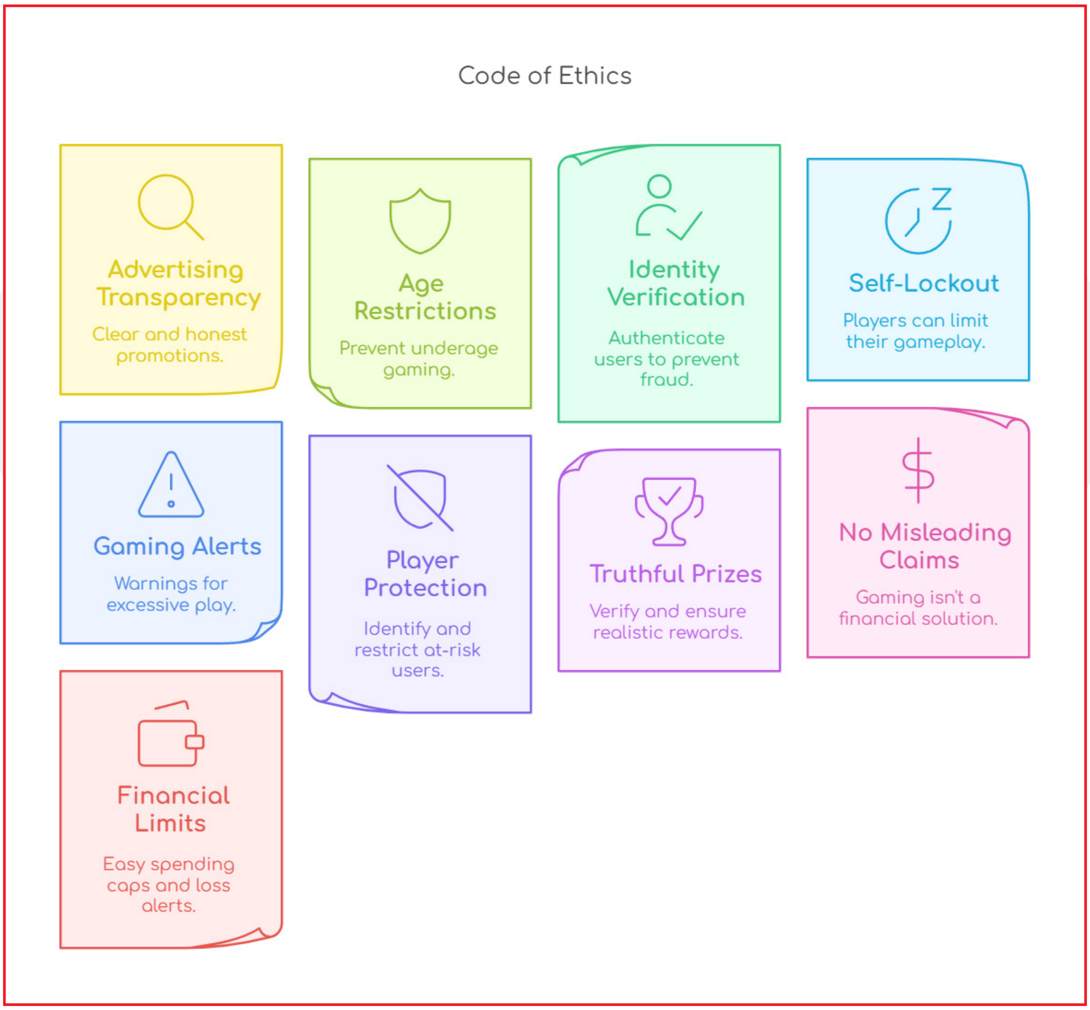

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

RMG उद्योग क्या है?

- **परिचय:** यह **वित्त वर्ष 2023-24 में 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का राजस्व उत्पन्न करता है और इसमें ड्रीम 11 और **पोकरबाजी (PokerBaazi)** जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं जहाँ उपयोगकर्त्ता पैसे जीतने या हारने की संभावना के साथ वास्तविक पैसा लगाते हैं।
- **आचार संहिता की आवश्यकता:**
  - **कानूनी दबाव:** तमिलनाडु जैसे राज्यों द्वारा **आधार सत्यापन** और **गेमप्ले ब्लैकआउट** (आधी रात से सुबह 5 बजे तक) सहित सख्त नियम लागू करने का प्रयास किया गया।
  - **केंद्रीय विनियमन का अभाव:** RMG उद्योग के लिये केंद्र सरकार के प्रस्तावित नियमों को अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिससे फर्मों पर **स्वयं विनियमन का दबाव बढ़ रहा है** ।
  - **उद्योगों की छवि:** स्व-नियमन RMG कंपनियों को ज़िम्मेदारी और वैधता प्रदर्शित करने में मदद करता है।
  - **अपतटीय प्लेटफार्मों से प्रतिस्पर्द्धा:** अंतर्राष्ट्रीय गेमिंग वेबसाइटें, जो **GST और आईडी सत्यापन** आवश्यकताओं को दरकिनार करती हैं, तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिससे घरेलू प्लेटफार्मों के लिये स्वयं को अलग करने के लिये **नैतिक प्रतिबद्धताएँ** महत्त्वपूर्ण हो गई हैं।

ऑनलाइन गेमिंग क्या है?

- ऑनलाइन गेमिंग से तात्पर्य इंटरनेट पर वीडियो गेम खेलने से है, जो खिलाड़ियों को **कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल या स्मार्टफोन के माध्यम से कनेक्ट** करने की अनुमति प्रदान करता है।
  - यह खिलाड़ियों के बीच **वास्तविक समय में वार्तालाप और प्रतिस्पर्द्धा की सुविधा** प्रदान करता है, चाहे वे कहीं भी स्थित हों।
- **वर्गीकरण:**
  - **कौशल-आधारित खेल:** वे **मौके की बजाय कौशल** को प्राथमिकता देते हैं, जो भारत में वैध हैं। उदाहरण के लिये, गेम 24X7, **ड्रीम 11 और मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल)।**
  - **गेम्स ऑफ चैन्स:** इनका परिणाम मुख्य रूप से **कौशल के बजाय भाग्य** पर निर्भर करता है तथा भारत में ये अवैध हैं। उदाहरण के लिये, रूलेट, जो मुख्य रूप से मौद्रिक पुरस्कारों के लिये खिलाड़ियों को आकर्षित करता है।
- **बाज़ार का आकार:** वर्ष 2023 में, भारत **568 मिलियन गेमर्स तथा 9.5 बिलियन ऐप** डाउनलोड के साथ **विश्व का सबसे बड़ा गेमिंग** बाज़ार बन जाएगा।
  - वर्ष 2023 में इस बाज़ार का मूल्य **2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, तथा अनुमान है कि** वर्ष 2028 तक यह 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।
- **विकास के प्रमुख घटक :**
  - **युवा जनसांख्यिकी:** भारत की लगभग आधी जनसंख्या **25 वर्ष** से कम आयु की है, जिससे **गेमिंग के प्रति लोगों की संख्या** बहुत अधिक हो गई है।
  - **स्मार्टफोन का प्रसार:** स्मार्टफोन उपयोगकर्त्ताओं की संख्या वर्ष 2017 में 468 मिलियन से बढ़कर **वर्ष 2025 में 1.2** बिलियन होने की उम्मीद है।
  - **इंटरनेट पहुँच:** भारत में चीन के बाद **दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्त्ता आधार** है, जिसके **वर्ष 2025 तक 900 मिलियन** तक पहुँचने का अनुमान है।
  - **स्थानीयकृत सामग्री:** खेलों को भारतीय प्राथमिकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा रहा है, जिसमें **क्षेत्रीय भाषा विकल्प** (गुजराती, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, आदि) और फेस्टिवल-थीम वाले कार्यक्रम शामिल हैं।
  - **तेज़ी से बढ़ता IT सेक्टर:** वर्ष 2010 में, भारत में केवल 25 ऑनलाइन गेम डेवलपमेंट कंपनियाँ थीं; वर्ष 2019 तक, इनकी संख्या 275 हो गई, जो विश्वव्यापी गेम डेवलपमेंट उद्योग में योगदान दे रही हैं।
  - **डिजिटल भुगतान** : डिजिटल भुगतान प्रणाली के उपयोगकर्त्ता वर्ष 2019 में 10 करोड़ से बढ़कर **वर्ष 2025 में 46.52 करोड़** हो गए, जिससे ऑनलाइन लेनदेन की सुविधा मिली।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **दुष्प्रभाव:**
  - **अविरति (Addiction):** WHO ने आधिकारिक तौर पर '**गेमिंग डिसऑर्डर**' को रोगों के **अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण** के तहत एक **व्यवहारिक अविरति** के रूप में शामिल करने के लिये मतदान किया है।
  - **भावनात्मक लक्षण:** व्यग्रता, उत्तेजनशीलता, **सामाजिक अलगाव।**
  - **शारीरिक लक्षण:** थकान और माइग्रेन, **कार्पल टनल सिंड्रोम** (उंगलियों और हाथों में दर्द)।

  और पढ़ें: गेमिंग क्षेत्र के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के बीच अंतर

पहलू	गेम ऑफ स्किल	गेम ऑफ चांस
परिभाषा	ऐसे खेल जहाँ परिणाम मुख्य रूप से **खिलाड़ी के ज्ञान, रणनीति और कौशल** से निर्धारित होता है।	ऐसे खेल जहाँ परिणाम मुख्य रूप से **यादृच्छिक कारकों और भाग्य** पर आधारित होते हैं।
प्रमुख निर्धारक कारक	खिलाड़ी का कौशल, **निर्णयन की क्षमता** और अभ्यास।	यादृच्छिकता, **संभावना और भाग्य।**
परिणाम पर नियंत्रण	उच्च - खिलाड़ियों के कार्य सीधे परिणाम को प्रभावित करते हैं।	निम्न - खिलाड़ियों का परिणामों पर बहुत कम या **कोई नियंत्रण नहीं** होता।
उदाहरण	शतरंज, पोकर (कौशल-आधारित), **ई-स्पोर्ट्स** (डोटा 2, काउंटर-स्ट्राइक), **फैंटेसी स्पोर्ट्स,** स्पोर्ट्स बेटिंग (ज्ञान-आधारित)।	स्लॉट मशीनें, रूलेट, लॉटरी, **स्क्रैच कार्ड, अधिकांश कैसिनो गेम।**
विधिक स्थिति	प्राय: जुआ कानूनों से छूट प्राप्त या लचीला विनियमन।	शोषण और अविरति (Addiction) की संभावना के कारण सख्ती से विनियमित।

भारत में ऑनलाइन गेमिंग कैसे विनियमित है?

- **विधिक प्रावधान:**
  - भारत के संविधान में **राज्य सूची की प्रविष्टि 34** के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं को **गेमिंग, बेटिंग और गैंबलिंग** पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023:** इसमें **ऑनलाइन गेम,** ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थ, **स्व-नियामक निकाय, ऑनलाइन RMG** और अनुमेय खेलों को परिभाषित किया गया है।
  - **पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1955 पुरस्कार-आधारित** प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है।
  - **सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 (PGA) कौशल-आधारित** खेलों को दंड से छूट देता है।
- **FDI प्रतिबंध:** भारत की FDI नीति लाइसेंसिंग और ब्रांड समझौतों सहित लॉटरी, जुआ और बेटिंग में **विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबंध** लगाती है।
  - **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA)** के तहत **लॉटरी जीत, रेसिंग, घुड़सवारी से होने वाली आय** के लिये धन प्रेषण प्रतिबंधित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **न्यायिक दृष्टिकोण:** ***डॉ. के.आर. लक्ष्मणन मामले, 1996*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने **हॉर्स रेस बेटिंग** को **कौशल का खेल माना** और इसे अधिकांश जुआ प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया।
  - ***गीता रानी मामला, 2019*** में सर्वोच्च न्यायालय को अभी **यह विनिश्चित करना है** कि बेटिंग कौशल का खेल है या नहीं।
- **कराधान: केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम,** 2023 ने ऑनलाइन गेमिंग में प्रवेश राशि के **पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% कर** लागू किया।
  - **आयकर अधिनियम,** 1961 के अंतर्गत , लॉटरी, कार्ड गेम या किसी भी खेल (कौशल-आधारित खेल सहित) से **10,000 रुपए से अधिक की जीत पर 30%** (अधिभार और उपकर को छोड़कर) **कर** लगाया जाता है।

ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में नियमों में छूट की क्या आवश्यकता है?

- **आर्थिक विकास और रोज़गार:** ऑनलाइन गेमिंग उद्योग एक **उभरता हुआ क्षेत्र** है, जिसका अनुमानित बाज़ार आकार **वर्ष 2028 तक 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर** होगा।
  - विनियमन से **निवेश और विस्तार को बढ़ावा** मिलेगा, जिससे **2 से 3 लाख अतिरिक्त रोज़गार** का सृजन होगा।
- **प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ में वृद्धि:** भारत की विशाल बाज़ार क्षमता को ऐसे नियमों के माध्यम से सुदृढ़ बनाया जा सकता है, जो स्टार्टअप्स को कर और विधिक बाधाओं का सामना करने के बजाय **वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा** करने में मदद करेंगे।
- **नियामक स्पष्टता सुनिश्चित करना:** ***ऑनलाइन गेमिंग कंपनियाँ बनाम GST मामले, 2025*** में, **1.12 लाख करोड़ रुपए** की **पूर्वव्यापी GST** मांग पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक **स्पष्ट और स्थिर नीतियों की आवश्यकता** पर प्रकाश डालती है।
  - अस्पष्ट कर संरचनाओं से **अननुमेय व्यावसायिक परिवेश** का निर्माण होता है, जिससे निवेश और विकास बाधित होता है।
- **पूंजी पलायन की रोकथाम:** 28% GST के साथ ऑनलाइन गेमिंग को द्यूत और मद्य की समान श्रेणी में रखा गया है, जिससे व्यवसाय **विदेशी प्लेटफॉर्मों के उपयोग** की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
  - इसके परिणामस्वरूप **कर राजस्व की हानि** होती है तथा अनियमित ऑनलाइन बेटिंग से जोखिम बढ़ता है।
- **नवप्रवर्तन को प्रोत्साहन:** इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स नवप्रवर्तन और विस्तार के स्थान पर **विधिक केसों में अपने संसाधनों का उपयोग करने हेतु विवश होते हैं।**
  - एक स्थिर नियामक ढाँचा से **निवेश आकर्षित किया जा सकता है, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया जा सकता है** और ऑनलाइन गेमिंग में भारत को प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

आगे की राह

- **कराधान को युक्तिसंगत बनाना:** सरकार को निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये खेल वर्गीकरण (कौशल-आधारित बनाम मौका-आधारित) के आधार पर **स्तरीय कराधान** पर विचार करना चाहिये और निवेश स्थिरता के लिये **पूर्वव्यापी GST मांगों** पर पुनर्विचार करना चाहिये।
- **गेमिंग प्लेटफॉर्म का वर्गीकरण:** उपयोगकर्ता आधार के आधार पर गेमिंग प्लेटफॉर्म को वर्गीकृत करने से लक्षित विनियमन के माध्यम से उत्तरदायित्वपूर्ण गेमिंग को बढ़ावा मिल सकता है। उदाहरण के लिये,
  - **बालक एवं किशोर (18 वर्ष से कम):** अभिभावकीय नियंत्रण, समय सीमा।
  - **युवा वयस्क (18-25):** जागरूकता अभियान, व्यय सीमाएँ।
  - **वयस्क (25+):** द्यूत की सीमा, मानसिक स्वास्थ्य सहायता।
- **एकसमान विनियामक ढाँचा:** उद्योग और सरकार को शामिल करने वाले **सह-विनियामक मॉडल** से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है और **उत्तरदायित्वपूर्ण गेमिंग** को बढ़ावा दिया जा सकता है।
  - **राष्ट्रीय गेमिंग नीति** में RMG आचार संहिता से प्राप्त जानकारी को शामिल करने से विनियमन और अधिक सुदृढ़ होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उत्तरदायित्वपूर्ण गेमिंग:** प्लेटफॉर्मों द्वारा **गेमिंग के व्यसन के जोखिम** और **हेल्पलाइन सहायता** के बारे में जागरूकता अभियान आयोजित किया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये, **तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी** उत्तरदायित्वपूर्ण ऑनलाइन गेमिंग सुनिश्चित करती है और विशेष रूप से युवाओं में **इसके व्यसन को रोकती है।**
    - यदि **डेटा संरक्षण नियमों** का सख्ती से प्रवर्तन किया जाए तो उपयोगकर्त्ता डेटा की दुरुपयोग से सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की संवृद्धि के प्रमुख चालकों और इसके अत्यधिक विनियमन से उत्पन्न चुनौतियों की विवेचना कीजिये।

भारत में चुनाव सुधार

चर्चा में क्यों?

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची में हेराफेरी और डुप्लिकेट **मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC)** संख्या के आरोपों के बीच **निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार** करने पर चर्चा करने हेतु राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है।

निर्वाचन के विनियमन संबंधी विधिक प्रावधान क्या हैं?

- **अनुच्छेद 324:** इसके अंतर्गत **निर्वाचन आयोग** को **मतदाता सूची** तैयार करने तथा **संसद और राज्य विधानसभाओं** के चुनावों के संचालन का **पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण** करने का अधिकार प्राप्त है।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950:** इसमें **मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ज़िला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी** जैसे निर्वाचन अधिकारियों के साथ-साथ संसदीय, विधानसभा और परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिये मतदाता सूची के प्रावधान शामिल हैं।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA):** यह **अधिनियम निर्वाचन पूर्व प्रक्रिया**, मुख्य रूप से मतदाता सूची की **तैयारी और अनुरक्षण** से संबंधित है।
- **निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** के अंतर्गत मतदाता सूची से संबंधित प्रावधानों के **कार्यान्वयन** के लिये **विस्तृत प्रक्रियाएँ** निर्धारित की गई हैं।
    - उदाहरणार्थ, मतदाता सूची में नाम **शामिल किये जाने, सुधार करने या हटाने** संबंधी दिशा-निर्देश।
- **परिसीमन अधिनियम, 2002:** इसे नवीनतम जनगणना आँकड़ों के आधार पर **संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने हेतु अधिनियमित किया गया था।**

नोट: मतदान पद्धतियों का क्रमिक विकास:

- **1952 एवं 1957:** प्रत्येक उम्मीदवार के लिये **अलग मतपेटी।**
- **1962:** उम्मीदवारों के **नाम और प्रतीक के साथ मतपत्रों** की शुरूआत।
- **2004: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)** की शुरूआत।
- **2019: EVM सहित** वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल **(VVPAT) पर्चियों का अनिवार्य उपयोग।**

चुनाव प्रक्रिया संबंधी प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

मतदान और मतगणना संबंधी मुद्दे:

- **EVM में हेरफेर किये जाने की चिंता:** कई लोगों ने **EVM** में हेरफेर किये जाने की चिंता का हवाला देते हुए पुन: **पेपर बैलेट** का उपयोग किये जाने की मांग की।
- **पूर्ण VVPAT सत्यापन:** EVM के आलोचक पूर्ण **VVPAT-EVM सुमेलन** की मांग कर रहे हैं, जो वर्तमान में **प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/खंड में पाँच मशीनों** के लिये किया जाता है।
    - इसके स्थान पर, सर्वोच्च न्यायालय ने इंजीनियरों को हेरफेर का संदेह होने की दशा में **5% EVM में माइक्रोकंट्रोलर की बर्न मेमोरी की जाँच** किये जाने को निर्देश दिया।
- **कथित मतदाता सूची में हेराफेरी:** विपक्षी दलों ने दावा किया कि महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले बड़ी संख्या में **फर्जी मतदाताओं** को जोड़ा गया।
    - निर्वाचन आयोग ने दोहराव का कारण **ERONET (इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट सिस्टम)** का अंगीकरण करने से पूर्ण **विकेंद्रीकृत EPIC आवंटन** को बताया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत में चुनाव सुधार

चुनाव सुधार, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये किये गये बदलाव हैं।

वर्ष 1996 से पूर्व में हुए चुनाव सुधार

- **आदर्श आचार संहिता (1969):** राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये चुनाव संबंधी दिशा-निर्देश
- **61वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1988):** मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना
- **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) (1989):** अलग-अलग रंगीन मतपेटियों से मतपत्रों में और बाद में EVM में परिवर्तित
- **बूथ कैप्चरिंग (1989):** ऐसे मामलों में मतदान स्थगित करने या चुनाव रद्द करने का प्रावधान
- **मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) (1993):** मतदाता सूची पंजीकृत मतदाताओं को EPIC जारी करने का आधार है।
- **भारत का निर्वाचन आयोग- एक बहु-सदस्यीय निकाय (1993):** मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आलावा अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

वर्ष 1996 का चुनाव सुधा

- **उप-चुनाव के लिये समय-सीमा:** विधानसभा में किसी भी रिक्ति के 6 माह के अंदर चुनाव को अनिवार्य किया गया
- **उम्मीदवारों के नामों की सूची:** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लिस्टिंग के लिये 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है:
  - मान्यता प्राप्त और पंजीकृत-गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
  - अन्य (स्वतंत्र)
- **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के आधार पर अपमान करने पर अयोग्यता:** 6 वर्ष के लिये चुनाव में अयोग्यता हो सकती है:
  - भारत के राष्ट्रीय ध्वज, संविधान का अपमान करना या राष्ट्रगान गाने से रोकना

वर्ष 1996 के पश्चात् चुनाव सुधार

- **प्रॉक्सी वोटिंग (2003):** सेवा मतदाता सशस्त्र बलों और सेना अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बल चुनाव में प्रॉक्सी वोट डाल सकते हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन (2003):** जनता को संबोधित करने के लिये चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का समान बंटवारा।
- **EVM में ब्रेल संकेत विशेषताओं का परिचय (2004):** दृष्टिबाधित मतदाताओं को बिना किसी परिचारक के अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान करना

वर्ष 2010 के चुनाव सुधार

- विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार (2010)
- मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन (2013)
- नोटा विकल्प का परिचय (2014)
- **मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) (2013):** स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये EVM के साथ VVPAT की शुरूआत
- **EVM और मतपत्रों पर उम्मीदवारों की तस्वीरें (2015):** उन निर्वाचन क्षेत्रों में भ्रम से बचने के लिये जहाँ उम्मीदवारों के नाम एक समान होते हैं
- **चुनाव बॉन्ड की शुरूआत (2017 बज़ट):** राजनीतिक दलों के लिये नकद दान का एक विकल्प
  - SC द्वारा असंवैधानिक घोषित (2024)
- इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) का आरंभ (2021)
- दिव्यांगजनों और 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिये होम वोटिंग (2024)

महत्त्वपूर्ण समितियाँ/आयोग

समितियाँ/आयोग	वर्ष	उद्देश्य
तारकुंडे समिति	1974	जय प्रकाश नारायण (जेपी) द्वारा "संपूर्ण क्रांति" आंदोलन के दौरान।
दिनेश गोस्वामी समिति	1990	चुनाव सुधार
वोहरा समिति	1993	अपराध और राजनीति के बीच गठजोड़ पर
इन्द्रजीत गुप्ता समिति	1998	चुनावों का राज्य वित्त पोषण
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग	2007	शासन में नैतिकता पर रिपोर्ट (वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में)
तन्खा समिति (कोर कमेटी)	2010	निर्वाचन विधि और चुनाव सुधारों के संपूर्ण पहलू पर विचार करना।

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ERONET देश भर में कुशल **मतदाता सूची प्रबंधन** के लिये ECI द्वारा एक **केंद्रीकृत** डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- **डुप्लिकेट EPIC नंबर:** पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में कुछ मतदाताओं के **EPIC नंबर कथित** तौर पर एक जैसे हैं।
  - चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता **अपने निर्धारित मतदान केंद्र** पर ही मतदान कर सकते हैं, चाहे उनका EPIC नंबर कुछ भी हो।

अभियान प्रक्रिया संबंधी मुद्दे:

- **आदर्श आचार संहिता (MCC) का उल्लंघन: स्टार प्रचारक** अक्सर अनुचित भाषा का प्रयोग करते हैं, जाति/सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काते हैं तथा असत्यापित आरोप लगाते हैं।
- **चुनाव व्यय:** जबकि पार्टी का खर्च अप्रतिबंधित है, उम्मीदवार अनुमत राशि से अधिक खर्च करते हैं।
  - राजनीतिक दल **वर्ष 2024** के लोकसभा चुनावों के दौरान लगभग **1,00,000 करोड़ रुपए** खर्च हुए।
- **राजनीति का अपराधीकरण:** वर्ष 2024 में, निर्वाचित सांसदों में से **46% (251) पर आपराधिक मामले दर्ज है,** जिनमें से **31% (170)** पर बलात्कार, हत्या और अपहरण जैसे गंभीर आरोप है।

किन सुधारों की आवश्यकता है?

मतदान और मतगणना सुधार

- **VVPAT:** राज्यों को क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिये, तथा किसी भी **विसंगति के लिये** प्रभावित क्षेत्र में **पूर्ण मैनुअल VVPAT गणना** शुरू की जानी चाहिये।
- दूसरे या तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को संदिग्ध छेड़छाड़ के मामले में **5% EVM** सत्यापन का अनुरोध करना चाहिये।
- **टोटलाइजर मशीनें:** मतदाता की **गोपनीयता बनाए रखने के लिये**, ECI के वर्ष 2016 के प्रस्ताव में उम्मीदवार-वार परिणाम घोषित करने से पहले **14 EVM** के वोटों को संयोजित करने के लिये **'टोटलाइजर' मशीनों** का उपयोग करने की सिफारिश की गई है।
- **फर्जी मतदाताओं से संबंधित चिंताएँ:** फर्जी मतदाताओं और डुप्लिकेट EPIC कार्ड को रोकने के लिये, चर्चा और गोपनीयता आश्वासन के बाद **आधार-EPIC लिंकिंग** पर विचार किया जा सकता है।
- इस बीच, चुनाव आयोग को **डुप्लीकेट मतदाता पहचान-पत्रों** को समाप्त तथा विशिष्ट EPIC संख्या सुनिश्चित करनी चाहिये।

अभियान और चुनाव सुधार:

- **आदर्श आचार संहिता का अधिक सशक्त प्रवर्तन: चुनाव आयोग को आदर्श आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन** के लिये किसी नेता का **'स्टार प्रचारक'** का दर्जा रद्द करने तथा अभियान व्यय में छूट समाप्त करने का अधिकार होना चाहिये।
  - **प्रतीक आदेश, 1968** के तहत, चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता या उसके निर्देशों का पालन न करने पर किसी पार्टी की मान्यता **निलंबित या वापस** भी ले सकता है।
- **चुनाव व्यय का विनियमन: जन प्रतिनिधि कानून, 1951** में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार को **दिया जाने वाला धन निर्धारित चुनाव व्यय सीमा** के अंतर्गत आता है।
  - **राजनीतिक दलों के व्यय** की भी एक सीमा होनी चाहिये।
- **राजनीति का अपराधीकरण:** ***पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ केस, 2018*** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सख्ती से लागू करना , जिसके तहत उम्मीदवारों और पार्टियों को चुनाव से पहले व्यापक रूप से प्रसारित मीडिया में **तीन बार आपराधिक रिकॉर्ड घोषित** करना आवश्यक है।

नोट: उम्मीदवारों के लिये चुनाव व्यय की सीमा बड़े राज्यों में **लोकसभा सीटों के लिये 95 लाख रुपए और विधानसभा सीटों के लिये 40 लाख रुपए तथा छोटे राज्यों में क्रमशः 75 लाख रुपए और 28 लाख रुपए** निर्धारित की गई है।

- वर्तमान में, चुनावों के दौरान **राजनीतिक दलों पर कोई व्यय सीमा** नहीं लगाई जाती है, जिससे उन्हें अप्रतिबंधित व्यय की अनुमति मिलती है।

चुनाव सुधार पर समिति/आयोग की सिफारिशें क्या हैं?

- **वोहरा समिति (वर्ष 1993):** इसने **सख्त पृष्ठभूमि जाँच**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

और अपराधी-राजनेता-नौकरशाह संबंधों के बारे में गुप्त जानकारी एकत्र करने, उसका विश्लेषण करने और उस पर कार्यवाही करने के लिये एक **नोडल एजेंसी** के गठन की सिफारिश की।

- ❖ **काले धन और बाहुबल पर अंकुश लगाने** के लिये चुनावी कानूनों को मज़बूत करना।

- **निर्वाचन आयोग:** निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ किसी **सक्षम न्यायालय** द्वारा ऐसे अपराध के लिये **आरोप** तय किये गए हैं, जिसके लिये **पाँच वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान** है, उन्हें भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
- **विधि आयोग:** **विधि आयोग** की **244 वीं रिपोर्ट (वर्ष 2014)** में सिफारिश की गई:
  - ❖ आरोप तय होने के बाद **राजनेताओं को अयोग्य** घोषित करना।
  - ❖ 1951 **के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम** के तहत मिथ्यापूर्ण शपथ-पत्र देने के लिये **न्यूनतम सजा को बढ़ाकर दो वर्ष** करना, तथा **दोषसिद्धि के आधार पर अपराधी को अयोग्य घोषित** करना।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC): द्वितीय ARC की शासन में नैतिकता संबंधी रिपोर्ट** ने चुनावों में अवैध धन पर अंकुश लगाने के लिये **आंशिक राज्य वित्त पोषण** का समर्थन किया, जैसा कि **चुनावों के राज्य वित्त पोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति (वर्ष 1998)** द्वारा पहले ही सिफारिश की जा चुकी है।

आगे की राह

- **ECI को सुदृढ़ बनाना:** उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड और वित्तीय प्रकटन को सत्यापित करने के लिये ECI को अधिक **विनियामक शक्तियाँ** प्रदान करना।
- **राजनीति में अपराधीकरण को संबोधित करना: भ्रष्टाचार, आतंकवाद और यौन अपराधों** जैसे गंभीर अपराधों के लिये अयोग्यता को **छह वर्ष से आगे बढ़ाना** तथा अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिये **MP/MLA के मुकदमों में तेज़ी लाना।**
- **चुनावी पारदर्शिता:** राजनीतिक वित्तपोषण और व्यय का **वास्तविक समय पर प्रकटन** अनिवार्य करना तथा **भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों** को चुनावी कदाचार की जाँच करने का अधिकार देना।
  - ❖ **लोकतांत्रिक अखंडता** सुनिश्चित करने के लिये राजनीतिक दलों को **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लाना।**
- **मतदाता जागरूकता: चुनावों की निगरानी में मीडिया और नागरिक समाज** को समर्थन प्रदान करना तथा सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये **राजनीतिक नेताओं के लिये नैतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम** लागू करना।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:
प्रश्न. भारत की चुनावी प्रक्रिया में प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और चुनावी पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिये सुधारों का सुझाव दीजिये।।

UNCAT और हिरासत में यातना

चर्चा में क्यों?

हिरासत में यातना के खतरों के संबंध में **तहव्वुर राणा की अमेरिकी अपील और संजय भंडारी को प्रत्यर्पित करने से ब्रिटेन** के उच्च न्यायालय के इनकार ने **यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड (UNCAT) 1984** के खिलाफ **संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन** की पुष्टि करने और यातना विरोधी कानून पारित करने में भारत की विफलता फिर से चर्चा का विषय बन गई है।

UNCAT क्या है?

- **परिचय:** यह विश्व में **यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार** या दंड को रोकने के लिये एक **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है।**
  - ❖ इसे **संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर, 1984** को अपनाया गया तथा **26 जून, 1987** को लागू किया गया ।
- **यातना की परिभाषा:** UNCAT के अनुच्छेद 1 में यातना को, किसी सार्वजनिक अधिकारी की भागीदारी या सहमति से,

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सूचना प्राप्त करने, दंड देने या धमकी देने जैसे उद्देश्यों के लिये **जानबूझकर गंभीर शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुँचाने** के रूप में परिभाषित किया गया है।

- **सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र:** अनुच्छेद 5 राज्यों को यातना के आरोपी **व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने या उन्हें प्रत्यर्पित करने** की आवश्यकता पर बल देता है, चाहे अपराध कहीं भी किया गया हो या अपराधी की राष्ट्रीयता कुछ भी हो।
- **राज्य के दायित्व:** UNCAT के पक्षकार राज्यों के लिये यह आवश्यक है कि वे:
  - **यातना पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएँ** (अनुच्छेद 2), युद्ध या अन्य आपात स्थितियों में भी।
  - व्यक्तियों के **प्रत्यर्पण या निर्वासन** पर रोक लगाना (**गैर-वापसी का अधिकार**) उन देशों में जहाँ उन्हें यातना दिये जाने का खतरा हो (अनुच्छेद 3)
  - घरेलू कानून के तहत **यातना को अपराध घोषित** किया जाएगा (**अनुच्छेद 4**)।
  - **यातना के आरोपों** की शीघ्र एवं निष्पक्ष जाँच करना (अनुच्छेद 12)।
  - **यातना के पीड़ितों को** निवारण और मुआवजा प्रदान करना (अनुच्छेद 14)।
- **यातना (टॉर्चर) के विरुद्ध समिति (CAT.):** CAT (अनुच्छेद 17), **स्वतंत्र विशेषज्ञों** का एक निकाय है जिसे कन्वेंशन के कार्यान्वयन की **निगरानी** का कार्य सौंपा गया है।
- **UNCAT के लिये वैकल्पिक प्रोटोकॉल (OPCAT):** वर्ष 2002 में अपनाया गया यह प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय निकायों द्वारा नियमित रूप से हिरासत में लिये गए लोगों के दौरों के लिये एक **निवारक तंत्र** का निर्माण करता है।
- **भारत और UNCAT:** भारत ने **वर्ष 1997** में UNCAT पर हस्ताक्षर किये थे लेकिन अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है।

हिरासत में यातना क्या है?

भारत को UNCAT का अनुसमर्थन करने की आवश्यकता क्यों है?

- **प्रत्यर्पण का सुदृढ़ीकरण:** इससे **वित्तीय मामलों के भगोड़े व्यक्तियों** को प्रत्यर्पित करने में मदद मिलेगी, जिन्हें अक्सर **ब्रिटेन और अमेरिका** जैसे देशों से **संरक्षण** प्राप्त होता है और साथ ही निष्पक्ष आपराधिक न्याय प्रणाली के लिये भारत की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी।
- **हिरासत में यातना का निवारण:** NHRC के अनुसार भारत में हिरासत में होने वाली स्थिति "**अनियंत्रित**" है, जिसमें केवल वर्ष 2019 में **1,731 हिरासत में मौतें** दर्ज की गई थी।
  - **UNCAT का अनुसमर्थन** करने के लिये भारत को **यातना की रोकथाम करने के उपायों का क्रियान्वन करना होगा।**
- **संवैधानिक दायित्व: भारतीय संविधान** का **अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता** के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें यातना से सुरक्षा भी शामिल है।
  - ***आरडी उपाध्याय केस, 1999 में*** सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि हिरासत में यातना **मूल अधिकारों का उल्लंघन है** और इससे **मानव की गरिमा प्रभावित** होती है तथा न्यायालयों द्वारा **यथार्थवादी विधियों** से इसका निवारण किया जाना चाहिये।
- **जवाबदेही सुनिश्चित करना:** UNCAT के अंतर्गत **यातना की जाँच, अभियोजन** किये जाने और उसे **अपराध** घोषित किये जाने का प्रावधान किया गया है तथा भारत द्वारा इसका अनुसमर्थन करने पर देश की विधिक ढाँचे में इनका कार्यान्वन किया जाएगा।
  - *प्रकाश सिंह केस, 2006* में सर्वोच्च न्यायालय ने **सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** को **पुलिस कदाचार** के खिलाफ स्वतंत्र निगरानी और नागरिक निवारण के लिये **पुलिस शिकायत प्राधिकरण** स्थापित करने का आदेश दिया था।
- **सुभेद्य समुदायों की सुरक्षा: दलितों, अल्पसंख्यकों और शरणार्थियों** सहित उपांतिकीकृत समुदाय हिरासत में हिंसा से असमान रूप से प्रभावित होते हैं।
  - UNCAT का अनुसमर्थन करने से सभी आधारों (**धर्म, जाति, नस्ल और जातीयता) पर यातना को प्रतिबंधित किया जाएगा** तथा युद्ध अथवा आपात स्थितियों में भी **मानवीय गरिमा** को अक्षुण्ण रखा जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

UNCAT का अनुसमर्थन न करने से भारत की वैश्विक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- **प्रत्यर्पण अनुरोधों पर प्रभाव:** विभिन्न मामलों के **भगोड़े व्यक्ति** भारत में **यातना-रोधी कानूनों के अभाव के कारण** प्रत्यर्पण से बच जाते हैं, जिससे भारत की **आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता पर प्रभाव** पड़ रहा है।
  - इस विधिक अभाव के कारण **अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद** की रोकथाम करने की भारत की क्षमता **कमज़ोर** होती है।
- **सॉफ्ट पावर पर प्रभाव:** हिरासत में यातना की समस्या से निपटने में भारत की विफलता से **मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध** एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में इसकी **विश्वसनीयता** प्रभावित होती है।
  - **अमेरिका के ग्वांतानामो बे** उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि राज्य की हिरासत में यातना से किस प्रकार किसी **राष्ट्र की नैतिक सत्ता की अपूरणीय क्षति** होती है।

यातना-रोधी विधि के लिये क्या अनुशंसाएँ की गई हैं?

- **राज्य सभा समिति (2010): यातना निवारण विधेयक, 2010** पर राज्य सभा समिति ने एक व्यापक **यातना-विरोधी विधि** की अनुशंसा की, जिसे व्यापक राजनीतिक और सार्वजनिक समर्थन प्राप्त हुआ।
- **भारतीय विधि आयोग:** अपनी **273वीं रिपोर्ट (2017)** में आयोग ने **UNCAT के अनुसमर्थन** और **UNCAT** का क्रियान्वन किये जाने हेतु एक **विधि निर्माण की अनुशंसा** की, जिसमें **यातना को अपराध घोषित किये जाने की आवश्यकता** पर बल दिया गया।
  - इसमें सरकार के विचारार्थ **यातना निवारण विधेयक का मसौदा** भी प्रस्तुत किया गया।
- **सर्वोच्च न्यायालय:**
  - ***डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामला, 1997:*** इसमें **हिरासत में यातना की रोकथाम** किये जाने तथा गिरफ्तारी और नज़रबंदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये दिशा-निर्देश निर्धारित किये गए।
    - **सर्वोच्च न्यायालय** ने निर्णय किया, **मामले की जाँच** करना और आरोपी से पूछताछ करना पुलिस का अधिकार है, लेकिन जानकारी प्राप्त करने के लिये **थर्ड डिग्री यातना** का उपयोग किये जाने की अनुमति नहीं है।
    - **लोक सेवकों** द्वारा **हिरासत में हिंसा** के मामलों में, राज्य भी उनके कार्यों के लिये **उत्तरदायी** होगा।
  - ***उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर यादव मामला, 1985:*** हिरासत में यातना से संबंधित मामलों में **साक्ष्य का भार पुलिस अधिकारी** पर होता है।
  - **नंबी नारायणन मामला, 2018:** गलत अभियोजन और **हिरासत में दुर्व्यवहार** के कारण होने वाले **मनोवैज्ञानिक आघात** पर प्रकाश डाला गया।
- **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC): NHRC** ने सलाह दी कि **ज़िला मजिस्ट्रेट** और **पुलिस अधीक्षकों** को हिरासत में यातना की घटनाओं की रिपोर्ट **24 घंटे के भीतर अपने सेक्रेटरी जनरल** को देनी चाहिये।
  - ऐसा न करना **घटना को छिपाने का प्रयास** माना जा सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय दायित्व:** संविधान के **अनुच्छेद 51(c)** और **253** में अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करना आवश्यक है।
  - **भारत ने UDHR (वर्ष 1948)** और **नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (वर्ष 1976)** जैसी संधियों का अनुसमर्थन किया है, लेकिन UNCAT का अनुसमर्थन नहीं किया है, जिससे इसके मानवाधिकार ढाँचे में एक महत्त्वपूर्ण अंतर बना हुआ है।

भारत में हिरासत में यातना का समाधान कैसे कर सकता है?

- **कानूनी सुधार: UNCAT मानकों के अनुरूप दंड और पीड़ित को मुआवज़ा देने** के साथ एक सख्त **यातना निवारण कानून बनाना,** तथा यातना समाप्त करने के लिये भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिये **UNCAT का अनुसमर्थन** करना।
- **संस्थागत जवाबदेही:** हिरासत में हिंसा के मामलों में पुलिस के खिलाफ **त्वरित, पारदर्शी कार्यवाही** करना और पुलिस रिमांड की आवश्यकता वाले संवेदनशील मामलों के लिये ज़िला स्तर पर **विशेष टीमों** का गठन करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **क्षमता निर्माण: पुलिस को मानवाधिकारों, नैतिक पूछताछ** और हिरासत में यातना के कानूनी परिणामों के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। **मजिस्ट्रेटों को रिमांड मूल्यांकन** और प्राकृतिक न्याय के बारे में शिक्षित करना।
  - **हितों के टकराव को रोकने** और यातना के मामलों को कम करने के लिये पुलिस में अलग **कानून प्रवर्तन और जाँच शाखा** की स्थापना की जानी चाहिये।
- **न्यायिक निगरानी:** मजिस्ट्रेट को **जाँच की निगरानी** करनी चाहिये, कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये। हिरासत में हिंसा की जाँच के लिये स्वतंत्र निकाय का निर्माण किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

UNCAT का अनुमोदन करने में भारत की विफलता उसके **मानवाधिकार रिकॉर्ड को कमज़ोर करती है, प्रत्यर्पण अनुरोधों को बाधित करती है, और हिरासत में यातना जारी रखने की अनुमति** देती है। **संवैधानिक मूल्यों** को बनाए रखने, कमजोर समुदायों की रक्षा करने तथा मानवाधिकारों और न्याय के लिये प्रतिबद्ध एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में **भारत की वैश्विक विश्वसनीयता** बढ़ाने के लिये यातना-विरोधी कानून बनाना, जवाबदेही और न्यायिक निगरानी को मज़बूत करना आवश्यक है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में हिरासत में हिंसा और उससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिये कानूनी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025

चर्चा में क्यों?

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने **"संधारणीय जीवन शैली के लिये एक उचित बदलाव"** थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया।

- भारत प्रत्येक वर्ष **24 दिसंबर** को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ बनाने हेतु व्यापक प्रावधान किये गए हैं।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

- **15 मार्च 1983 को स्थापित** यह दिन (15 मार्च) **राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी** के **वर्ष** 1962 में **अमेरिकी कॉन्ग्रेस को दिये गये संबोधन के स्मरण में मनाया जाता है,** जिसमें वे **उपभोक्ता अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाले विश्व के पहले नेता** बने थे।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 क्या है?

- **परिचय:** यह एक व्यापक विधान है जिसने **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986** का स्थान लिया है।
  - इसका उद्देश्य **वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी और ई-कॉमर्स** से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करते हुए **भारत में उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ बनाना** है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA):** CCPA की स्थापना व्यापार की अनुचित प्रथाओं, **भ्रामक विज्ञापनों** और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित **मामलों को विनियमित करने** हेतु की गई है।
  - **उपभोक्ता अधिकार:** यह अधिनियम 6 **उपभोक्ता अधिकारों** को सुदृढ़ करता है, जिनमें **सूचित किये जाने का अधिकार, चयन का अधिकार और निवारण पाने का अधिकार** शामिल है।
  - **ई-कॉमर्स विनियमन: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को इसके दायरे में लाया गया है,** जिससे उन्हें उपभोक्ता शिकायतों के लिये जवाबदेह बनाया गया है।
  - **उत्पाद दायित्व: निर्माता, सेवा प्रदाता और विक्रेता** दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं के लिये उत्तरदायी होते हैं।
  - **सरलीकृत विवाद समाधान:** इसमें **मध्यस्थता का प्रावधान** किया गया है, जिससे उपभोक्ता न्यायालयों का बोझ कम होता है।
  - **वर्द्धित शास्तियाँ:** इसके अंतर्गत **मिथ्यापूर्ण या भ्रामक विज्ञापनों** और व्यापार की अनुचित प्रथाओं के लिये कठोर शास्तियों का प्रावधान किया गया है।
  - **त्वरित समाधान:** अधिनियम की धारा 38(7) के अनुसार, उपभोक्ता शिकायतों का समाधान मामले की जटिलता के आधार पर 3 से 5 माह के भीतर किया जाना आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

त्रि-स्तरीय विवाद निवारण तंत्र: अधिनियम में 3-स्तरीय प्रणाली स्थापित की गई है:

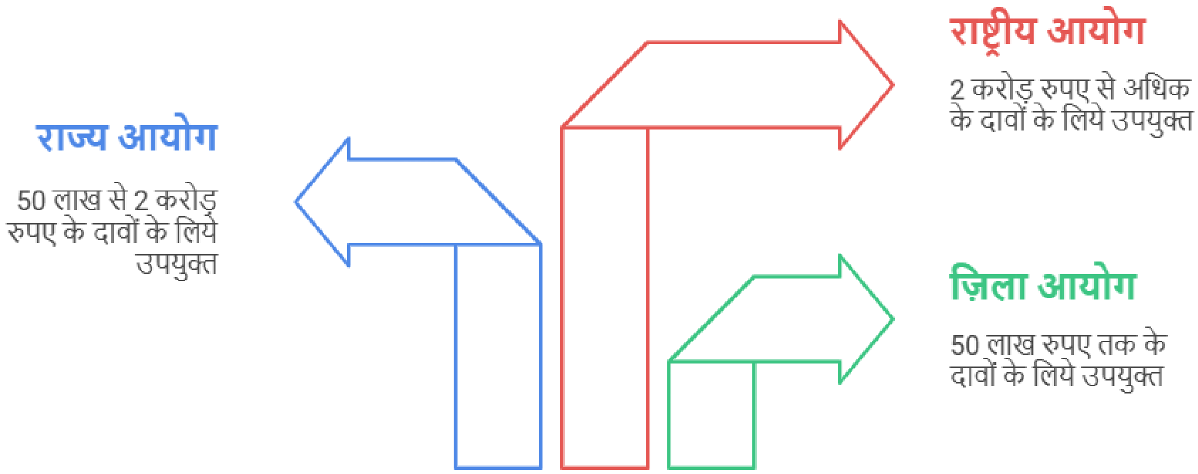

उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रमुख पहलें कौन-सी हैं?

- **ई-दाखिल पोर्टल और ई-जागृति:** ई-दाखिल पोर्टल (वर्ष 2020 में लॉन्च) उपभोक्ताओं को **ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने** में सक्षम बनाता है।
    - ई-जागृति (वर्ष 2024 में शुरू की गई) अधिक सुव्यवस्थित **उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया के लिये डिजिटल हस्तक्षेप का उपयोग करते हुए केस ट्रैकिंग और प्रबंधन को सुदृढ़ बनाती है।**
- **राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) 2.0:** NCH 2.0 में शिकायत निवारण में तेज़ी लाने के लिये **AI-संचालित वाक् पहचान, बहुभाषी चैटबॉट** और **1,000 से अधिक कंपनियों के साथ साझेदारी** को एकीकृत किया गया है। यह **17 भाषाओं** का समर्थन करता है और **व्यापक उपभोक्ता पहुँच** के लिये **व्हाट्सएप, SMS,** उमंग ऐप और अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से सुलभ है।
- **उपभोक्ता कल्याण कोष (CWF):** CWF **उपभोक्ता अधिकारों, वकालत और कानूनी सहायता** को मज़बूत करने के लिये **वित्तीय सहायता** प्रदान करता है।
- ई-कॉमर्स और डिजिटल लेनदेन में उपभोक्ता संरक्षण:
    - **ई-कॉमर्स नियम, 2020:** यह **निष्पक्ष व्यावसायिक प्रथाओं,** लेनदेन में **पारदर्शिता** और शिकायत निवारण तंत्र को अनिवार्य करता है।
    - **डार्क पैटर्न विनियमन, 2023: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)** द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण तात्कालिकता, ज़बरन कृत्यों और प्रच्छन्न लागत जैसी **भ्रामक डिजिटल मार्केटिंग प्रथाओं** को प्रतिबंधित करने के लिये प्रस्तुत किया गया।
- **जागो ग्राहक जागो:** यह **उपभोक्ता जागरूकता अभियान** का एक हिस्सा है जो उपयोगकर्त्ताओं को **धोखाधड़ी वाले URL** के बारे में सचेत करता है, और उन्हें **सूचित ई-कॉमर्स निर्णय** लेने के लिये सशक्त बनाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

भारत में उपभोक्ता संरक्षण में चुनौतियाँ और आगे की राह क्या हैं?

चुनौतियाँ	आगे की राह
जागरूकता: अधिकारों और निवारण तंत्र के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता कम है।	**व्यापक उपभोक्ता शिक्षा** अभियान लागू करना, **उपभोक्ता अधिकार शिक्षा को** स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना।
प्रवर्तन: उपभोक्ता न्यायालयों को **मामले के समाधान में विलंब का सामना** करना पड़ता है, तथा **उत्पाद दायित्व प्रावधानों** का असंगत ढंग से प्रवर्तन किया जाता है, जिससे उपभोक्ता संरक्षण कमज़ोर होता है।	**न्यायालयीन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, उपभोक्ता न्यायालयों का विस्तार करना, वैकल्पिक विवाद समाधान** तंत्र को बढ़ाना, तथा स्पष्ट प्रवर्तन दिशानिर्देशों के साथ **न्यायिक प्रशिक्षण में सुधार** करना।
डिजिटल मार्केटप्लेस मुद्दे: ई-कॉमर्स, डेटा गोपनीयता और ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित चुनौतियाँ।	**ई-कॉमर्स विनियमों को मज़बूत करना, डेटा संरक्षण कानूनों** को लागू करना और ऑनलाइन लेनदेन की **निगरानी** बढ़ाना।
संसाधन की कमी: उपभोक्ता संरक्षण एजेंसियों को आवंटित संसाधन सीमित हैं।	उपभोक्ता संरक्षण एजेंसियों के लिये **वित्त पोषण बढ़ाना**, अधिक कर्मचारी नियुक्त करना तथा **बुनियादी ढाँचे में सुधार करना।**
विनियामक ओवरलैप: विभिन्न विनियामक निकायों और कानूनों के बीच ओवरलैप और टकराव।	विभिन्न नियामक निकायों की **भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट करना,** नियामक ढाँचे को सुव्यवस्थित करना।

निष्कर्ष

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस एक पारदर्शी और निष्पक्ष उपभोक्ता पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। जबकि भारत नीतिगत सुधारों और डिजिटल पहलों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, विलंब से न्याय, डिजिटल धोखाधड़ी और नियामक अंतराल जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। संस्थाओं को मज़बूत करना, जागरूकता बढ़ाना और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना उपभोक्ता सशक्तीकरण और आर्थिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में उपभोक्ता अधिकारों के प्रभावी संरक्षण को सुनिश्चित करने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, और नीतिगत हस्तक्षेपों और संस्थागत सुधारों के माध्यम से इनका समाधान कैसे किया जा सकता है?

डिजिटल कंपनियों पर नियंत्रण की चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) ने **मेटा पर 213 करोड़ रुपए का ज़ुर्माना** लगाया और विज्ञापन उद्देश्यों के लिये व्हाट्सएप पर एकत्र किये गए उपयोगकर्त्ता डेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी अन्य मेटा कंपनियों के साथ **साझा करने पर पाँच वर्ष का प्रतिबंध** लगा दिया।

- हालाँकि, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने इस प्रतिबंध और ज़ुर्माने पर रोक लगा दी।
- यह मामला बिग-टेक कंपनियों को विनियमित करने की चुनौतियों और भारत में एक दूरदर्शी प्रतिस्पर्द्धा कानून ढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मेटा केस का अवलोकन

- **CCI ने पाया कि वॉट्सऐप की 2021 की गोपनीयता नीति** ने मेटा के साथ डेटा साझा करने के लिये उपयोगकर्त्ता की सहमति को मज़बूर किया, जिससे **OTT मैसेजिंग और डिजिटल विज्ञापनों में इसका प्रभुत्त्व बढ़ गया।** मेटा ने लक्षित विज्ञापन के लिये वॉट्सऐप के विशाल उपयोगकर्त्ता आधार का इस्तेमाल किया, जिसे CCI ने अनुचित व्यापार व्यवहार करार दिया, जिससे **गोपनीयता को नुकसान पहुँचा और प्रतिस्पर्द्धा अवरुद्ध हुई** और डेटा साझाकरण पर जुर्माना और 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया।
- **NCLAT ने** कानूनी समीक्षा की आवश्यकता और CCI के निष्कर्षों की गहन जाँच की आवश्यकता का हवाला देते हुए **मेटा पर प्रतिबंध और जुर्माना स्थगित** कर दिया। सशर्त राहत के रूप में, NCLAT ने कानूनी कार्यवाही जारी रहने तक **मेटा को जुर्माने का 50% जमा करने का निर्देश** दिया।

बिग-टेक कंपनियों के विनियमन में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **डिजिटल बाज़ारों में विनियामक अंतराल:** भारत के प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 में डेटा-केंद्रित प्रभुत्त्व (डेटा एकाधिकार) से निपटने के लिये स्पष्ट प्रावधानों का अभाव है।
  - यह कानून **पारंपरिक बाज़ारों** के लिये बनाया गया था, जो **मूल्य और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हैं,** जबकि डिजिटल एकाधिकार नेटवर्क प्रभाव, पारिस्थितिकी तंत्र एकीकरण और डेटा एकत्रीकरण से लाभार्जन करते हैं।
- **विखंडित शासन व्यवस्था:** CCI और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) जैसी नियामक एजेंसियाँ पर्याप्त अंतर-एजेंसी समन्वय के बिना काम करती हैं।
  - इसके अतिरिक्त, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम 2023 के तहत प्रस्तावित **डेटा संरक्षण बोर्ड** अभी तक स्थापित नहीं हुआ है।
- **कानूनी अस्पष्टता:** डिजिटल प्लेटफॉर्म जाँच से बचने के लिये अस्पष्ट कानूनों का लाभ उठाते हैं। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा उत्पन्न सामग्री, एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह और डेटा प्रवाह पर स्पष्टता का अभाव है , जिससे नियामक अस्पष्टता और अप्रभावी कार्यान्वयन के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं।
  - इसका एक प्रमुख उदाहरण **एक्स कॉर्प** (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) द्वारा **भारत सरकार द्वारा** ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने के लिये **IT अधिनियम** की **धारा 79(3)(b) के उपयोग को चुनौती** देना है।
    - ***श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)*** में **सर्वोच्च न्यायालय** ने निर्णय दिया कि कंटेंट को **IT अधिनियम की धारा 69A** के माध्यम से केवल तभी अवरुद्ध किया जा सकता है जब अनुच्छेद 19 (2) के तहत इसे "आवश्यक" समझा जाए , यह भी कहा कि धारा **79 (3) (b)** एक्स जैसे मध्यस्थों को **"सेफ हार्बर"** संरक्षण प्रदान करती है, जो उन्हें उपयोगकर्त्ता सामग्री के लिये उत्तरदायित्व से बचाती है लेकिन न्यायालय या सरकार द्वारा आदेश दिये जाने पर हटाने की आवश्यकता होती है।
    - हालाँकि, MeitY का **"सहयोग" पोर्टल (वर्ष 2024)** अधिकारियों को **न्यायालय या केंद्रीय अनुमोदन** के बिना धारा 79 के तहत सामग्री को ब्लॉक करने की अनुमति देता है, जिसके बारे में **एक्स कॉर्प (X Corp) का दावा है कि यह कानून का उल्लंघन** करता है।
- **बिग-टेक कंपनियों की वैश्विक प्रकृति:** ये कंपनियाँ सीमाओं के पार काम करती हैं, जबकि **राष्ट्रीय कानून क्षेत्रीय बने रहते हैं,** जिससे प्रवर्तन और अनुपालन सीमित हो जाता है।
  - उदाहरण के लिये, मेटा को **अमेरिका, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया** में तारीख संबंधी जाँच का सामना करना पड़ रहा है , जिससे एक **अंतर्राष्ट्रीय चुनौती** का पता चलता है।
- **AI और उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ:** AI-जनरेटेड सामग्री के लिये कोई स्पष्ट जवाबदेही नहीं है, जैसा कि **ग्रोक 3 चैटबॉट** (xAI द्वारा विकसित जनरेटिव AI चैटबॉट), एल्गोरिदम संबंधी निर्णयों या डीपफेक वितरण द्वारा विवादास्पद प्रतिक्रियाओं में देखा गया है।
  - वर्तमान विधि व्यवस्था में स्वायत्त सामग्री मॉडरेशन अथवा स्वचालित डेटा प्रोफाइलिंग विषयों संबंधी प्रावधान नहीं किये गए हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्लेटफॉर्म पावर और गेटकीपिंग:** गूगल जैसी तकनीकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियाँ ऐप स्टोर, विज्ञापन और संचार प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करती हैं, जिससे उनके उत्पादों को अनुचित लाभ मिलता है और प्रतिस्पर्द्धा सीमित हो जाती है।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ बिग-टेक कंपनियों का किस प्रकार विनियमन कर रही हैं?

- **अमेरिका:** अमेरिका ने **बिग-टेक के प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिये प्रतिस्पर्द्धा सुधार की आवश्यकता** पर बल दिया।
  - मेटा को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के अधिग्रहण को लेकर मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गूगल को खोज और विज्ञापन में एकाधिकारवादी प्रथाओं के कारण **शर्मन अधिनियम (2024) का उल्लंघन** करने का दोषी पाया गया।
- **यूरोपीय संघ: डिजिटल मार्केट एक्ट (DMA)** के अंतर्गत प्रतिस्पर्द्धा-रोधी व्यवहार की रोकथाम किये जाने हेतु गूगल और एप्पल जैसे "**गेटकीपर**" (व्यक्ति, समूह अथवा प्रणाली जिसका किसी साधन के अभिगम पर नियंत्रण होता है) पर सख्त नियम कार्यान्वित किया गया है।
  - **सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR)** में डेटा गोपनीयता संबंधी कठोर नियमों का कार्यान्वन किया गया है तथा अननुपालन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

बिग-टेक कंपनियों को विनियमित करने के लिये कौन-से सुधार आवश्यक हैं?

- **डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम: डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा विधि समिति (CDCL), 2023** में बिग टेक कंपनियों को विनियमित करने और CCI का सुदृढ़ीकरण करने के लिये एक **डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम** का प्रस्ताव किया गया, जिसमें डेटा प्रभुत्व, नेटवर्क प्रभाव और प्लेटफॉर्म लॉक-इन जैसे विषय शामिल किये गए थे।
- **त्वरित विवाद समाधान:** निर्धारित समयसीमा के भीतर मामलों का निराकरण करने के उद्देश्य से CCI के भीतर एक **डिजिटल मार्केट और डेटा यूनिट (DMDU)** की स्थापना किया जाना आवश्यक है।
- **निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा:** सहमति प्रोटोकॉल द्वारा समर्थित एक **केंद्रीय डेटा-साझाकरण कोष** स्थापित किया जाना चाहिये, जो सभी तकनीकी फर्मों के लिये सुलभ हो।
  - इससे **गुमनाम डेटा तक निष्पक्ष पहुँच** सुनिश्चित होगी, जिससे लघु कंपनियों को प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्द्धा करने में मदद मिलेगी।
- **बहुविषयक प्रवर्तन:** निजता और प्रतिस्पर्द्धा संबंधी विषयों को एकीकृत करते हुए **यूरोपीय संघ के डिजिटल बाजार अधिनियम (DMA)** के समान एकीकृत ढाँचे का विकास किया जाना चाहिये।
- **पूर्व-विनियमन: वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23)** ने बाज़ार में प्रभुत्व को रोकने के लिये प्रतिस्पर्द्धी व्यवहार के मूल्यांकन को **यथार्थ** (एकाधिकार होने के बाद) से **प्रत्याशित (एकाधिकार होने से पूर्व) में** बदलने की सिफारिश की।
  - CDCL, 2023 में सर्च इंजन, सोशल नेटवर्क और वेब ब्राउज़र जैसी प्रमुख डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने वाले **प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण डिजिटल उद्यमों (SSDE)** के पूर्व-नियमन की सिफारिश की गई, जो बाज़ार में संकेंद्रण के लिये प्रवण हैं।
  - बाज़ार में महत्त्वपूर्ण प्रभाव वाली बड़ी टेक फर्मों की पहचान करने और उनका विनियमन किये जाने के उद्देश्य से **डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा विधेयक,** 2024 के अनुसार SSDE का वर्गीकरण किया जाना आवश्यक है।
- **एल्गोरिदम में पारदर्शिता:** एल्गोरिदम संबंधी निर्णय लेने, AI पूर्वाग्रहों और प्लेटफॉर्म नीतियों का प्रकटीकरण अनिवार्य करने की आवश्यकता है।
  - **डेटा साइलो** का कार्यान्वन करने, उपयोगकर्त्ता की स्पष्ट सहमति के बिना **क्रॉस-प्लेटफॉर्म डेटा साझाकरण को प्रतिबंधित करने,** और डिजिटल क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये लिये **अंतरप्राचलनीयता अधिदेश** लागू किये जाने की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अंतर्राष्ट्रीय ढाँचा:** प्रौद्योगिकी कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को देखते हुए, भारत को **कैलिफोर्निया उपभोक्ता निजता अधिनियम (CCPA)** जैसा एक सुदृढ़ डेटा संरक्षण ढाँचा विकसित करने की आवश्यकता है।
    - CCPA कैलिफोर्नियावासियों से डेटा एकत्र करने वाले व्यवसायों पर कार्यान्वित होता है, जिसमें विदेशी फर्म (जिनके कैलिफोर्निया में ग्राहक हैं) शामिल हैं, और उपयोगकर्त्ताओं को व्यक्तिगत डेटा प्राप्त करने, उसे नियंत्रित करने तथा हटाने, उसकी बिक्री को प्रतिबंधित करने एवं डेटा प्रोसेसिंग में पारदर्शिता की मांग करने के अधिकार प्रदान करता है। बच्चों का डेटा बेचने के लिये माता-पिता की सहमति आवश्यक है।
- **उपभोक्ता डेटा संरक्षण:** प्रमुख फर्मों द्वारा उपयोगकर्त्ता जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिये DPDP अधिनियम 2023 के तहत सख्त डेटा गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. डिजिटल बाज़ार के प्रभुत्व में वृद्धि में नेटवर्क प्रभाव और डेटा एकाधिकार की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इसके संबंध में विनियामकों क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिये?

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-न्यूज़ीलैंड संबंध

चर्चा में क्यों?

भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान, **न्यूज़ीलैंड (NZ)** के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की तथा **भारत-न्यूज़ीलैंड संयुक्त वक्तव्य** जारी किया।

- न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री **10 वें रायसीना डायलॉग** में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और उद्घाटन को संबोधित किया।

भारत-न्यूज़ीलैंड संयुक्त वक्तव्य की मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **आर्थिक सहयोग:** दोनों पक्ष न्यूज़ीलैंड की **"ओपनिंग डोर टू इंडिया" की नीति** के अनुसार एक **संतुलित, महत्त्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते** के लिये वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए।
  - दोनों देशों के मध्य वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिये **ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट (AEO-MRA)** पर हस्ताक्षर किये गए।

- **सुरक्षा सहयोग: सैन्य अभ्यास** और **नौसैनिक अभियानों** जैसे नियमित आयोजनों के लिये रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए और न्यूज़ीलैंड ने **भारत की हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI)** में शामिल होने में रुचि व्यक्त की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **वैश्विक सहयोग:** दोनों देशों ने एक **स्वतंत्र, समावेशी और स्थिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र** को बनाए रखने, **UNCLOS** के तहत नियम-आधारित व्यवस्था और नौवहन स्वतंत्रता का समर्थन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
  - न्यूज़ीलैंड ने पुनर्गठित **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिये भारत की उम्मीदवारी** तथा **परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG)** में उसके प्रवेश का समर्थन किया।
- **जलवायु परिवर्तन:** न्यूज़ीलैंड ने भारत के **ISA** के प्रति समर्थन की पुष्टि की, **CDRI** में शामिल हुआ, तथा **सतत् विकास लक्ष्यों, पेरिस जलवायु समझौते और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंडाई फ्रेमवर्क** पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की।
- **शिक्षा और खेल: वर्ष 2026 में खेल संबंधों के 100 वर्ष पूर्ण होने** का जश्न मनाने की योजना के साथ, शैक्षणिक भागीदारी, छात्र आदान-प्रदान और खेल संबंधों को मज़बूत करने के लिये एक नवीनीकृत **शिक्षा सहयोग व्यवस्था और एक खेल सहयोग समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर किये गए।
- **प्रवासी:** दोनों नेताओं ने संबंधों को मज़बूत करने में भारतीय प्रवासियों (**न्यूज़ीलैंड की जनसंख्या का 6%**) की भूमिका को स्वीकार किया तथा छात्रों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की।
  - भारत ने कुछ अवैध तत्त्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को उजागर करते हुए न्यूज़ीलैंड में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर चिंता जताई।

भारत और न्यूज़ीलैंड एक दूसरे के लिये क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?

न्यूज़ीलैंड के लिये भारत का महत्त्व

- **आर्थिक साझेदारी का विस्तार: 1.4 बिलियन की आबादी, बढ़ता मध्यम वर्ग** और विस्तारित सेवा क्षेत्र के साथ, भारत न्यूज़ीलैंड को **कृषि उत्पादों, डेयरी, मांस, शराब के निर्यात** और डिजिटल सेवाओं में सहयोग के महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।
- **कुशल कार्यबल:** भारत न्यूज़ीलैंड के लिये **कुशल प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत है और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है,** इसके IT, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा के पेशेवर न्यूज़ीलैंड की **कौशल की कमी** को दूर करने में मदद करते हैं।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था: 880 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं** और वैश्विक डेटा खपत में अग्रणी होने के साथ, भारत एक प्रमुख **डिजिटल अर्थव्यवस्था** है, जो न्यूज़ीलैंड की तकनीकी फर्मों को **IT, AI, फिनटेक और डिजिटल वाणिज्य सहयोग** के अवसर प्रदान करता है।
- **सामरिक सहयोग:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत का बढ़ता प्रभाव न्यूज़ीलैंड के **क्षेत्रीय स्थिरता** के लक्ष्य का समर्थन करता है, तथा इसकी सामरिक स्थिति को मज़बूत करता है।

भारत के लिये न्यूज़ीलैंड का महत्त्व

- **उन्नत कृषि पद्धतियाँ: डेयरी और बागवानी** में न्यूज़ीलैंड की विशेषज्ञता भारत के **कृषि आधुनिकीकरण** में सहायता कर सकती है, जबकि खाद्य प्रसंस्करण और रसद में सहयोग से **खाद्य सुरक्षा** का सुदृढ़ीकरण होगा।
- **कौशल विकास:** न्यूज़ीलैंड की उच्च स्तरीय शिक्षा भारतीय छात्रों को आकर्षित करती है, जबकि इसके **व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम** भारत को अपने कौशल अंतराल का निवारण करने और रोज़गार क्षमता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं।
- **स्वच्छ ऊर्जा: जलवायु प्रौद्योगिकी और संधारणीयता** में न्यूज़ीलैंड की विशेषज्ञता भारत के निम्न-कार्बन परिवर्तन में सहायक है, तथा इसकी कंपनियों को HolonIQ के **इंडो-पैसिफिक क्लाइमेट टेक 100** की **मान्यता प्राप्त** है।
  - HolonIQ की इंडो-पैसिफिक क्लाइमेट टेक 100 सूची में प्रतिवर्ष 14 IPEF साझेदार देशों के **शीर्ष जलवायु तकनीक स्टार्टअप** को सम्मानित किया जाता है।
- **आकर्षक बाज़ार:** न्यूज़ीलैंड का विशाल **EEZ** और समुद्री सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उसे चीन के प्रशांत विस्तार के बीच भारत की **निगरानी प्रणालियों, गश्ती नौकाओं** और **रडारों** का संभावित खरीदार बनाती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ❖ न्यूज़ीलैंड की **जैविक, संधारणीय, हस्तनिर्मित वस्तुओं की मांग** भारत के **प्रीमियम रेशम, ऊन और हस्तशिल्प उत्पादों** के अनुरूप है।

न्यूज़ीलैंड की "ओपनिंग डोर टू इंडिया" नीति क्या है?

- न्यूज़ीलैंड की **ओपनिंग डोर टू इंडिया नीति वर्ष** 2011 में भारत के साथ न्यूज़ीलैंड के **आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों का सुदृढ़ीकरण** करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक रणनीतिक पहल है।
- **प्रमुख घटक:**

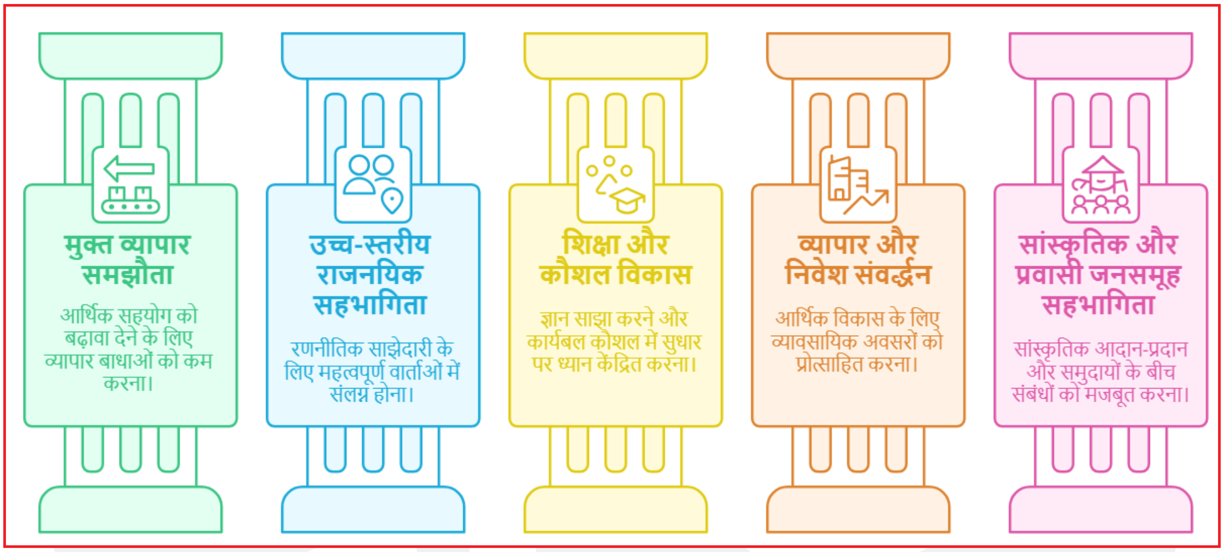

भारत-न्यूज़ीलैंड संबंधों के समक्ष "कौन-सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं?

- **अवरुद्ध FTA वार्ता:** मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता वर्ष 2010 में शुरू हुई थी, लेकिन **वर्ष 2015** में भारत द्वारा न्यूज़ीलैंड के डेयरी और कृषि निर्यात पर अपने स्थानीय उद्योग की रक्षा के लिये उच्च टैरिफ लगाए जाने के कारण यह **अवरुद्ध** हो गई।
- **गैर-टैरिफ बाधाएँ (NTB): अंगूर, भिंडी और आम** जैसे भारतीय निर्यात के समक्ष न्यूज़ीलैंड में **सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS)** संबंधी बाधाएँ हैं, जबकि मानकों और प्रमाणन के लिये पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (MRA) के अभाव से व्यापार और जटिल हो जाता है।
- **व्यापार में कमी:** वर्ष 2023-24 में, भारत के साथ न्यूज़ीलैंड का व्यापार केवल **1.75 बिलियन अमरीकी डॉलर** था, जिसमें 0.84 बिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात और 0.91 बिलियन अमरीकी डॉलर का आयात था।
- **सीमित बाज़ार जागरूकता:** बाज़ार संबंधी **जटिलताओं** से न्यूज़ीलैंड के भारत के साथ व्यापार में बाधा उत्पन्न होती है, जबकि भारत न्यूज़ीलैंड को मुख्य रूप से **पर्यटन स्थल** की दृष्टि से देखता है जिससे नवाचार, प्रौद्योगिकी और संधारणीयता में इसकी क्षमता उपेक्षित रह जाती है।
- **भू-राजनीतिक मतभेद:** न्यूज़ीलैंड की विदेश नीति **ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका** जैसे सहयोगियों द्वारा निर्धारित होती है, जबकि **चीन पर इसकी आर्थिक निर्भरता** से क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार पर भारत के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

आगे की राह

- **FTA वार्ता पर अंतिम निर्धारण: डेयरी और टैरिफ विवादों** को वार्ता के माध्यम से हल करने, **प्रारंभिक फसल समझौते में विस्तार** करने, **तथा बागवानी, फार्मा और तकनीक** में क्षेत्र-विशिष्ट सौदों पर ध्यान केंद्रित करने से व्यापार और FTA प्रगति को बढ़ावा मिल सकता है।
  - तत्समय दोनों देश **भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA** के समान एक **अंतरिम FTA** पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
- **बाजार पहुँच में विस्तार:** मानकों के लिये MRA को तीव्र गति से आगे बढ़ाने, तकनीकी सहयोग के माध्यम से NTB को कम करने, तथा **व्यापार मेलों, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों और कार्यशालाओं** के माध्यम से बाज़ार जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **जलवायु परिवर्तन और संधारणीयता:** भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिये न्यूज़ीलैंड की जलवायु तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा विशेषज्ञता का पूर्ण उपयोग करना चाहिये तथा CDRI के माध्यम से **आपदा तत्परता को सुदृढ़ बनाना** और **सतत् कृषि एवं खाद्य सुरक्षा** पर सहयोग करना चाहिये।
- **रक्षा सहयोग: क्षेत्रीय स्थिरता के लिये IPOI** के अंतर्गत सहयोग में विस्तार करने, संयुक्त अभ्यास और आसूचना जानकारी साझा करने के माध्यम से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा आतंकवाद-रोधी प्रयासों में सहयोग करने की आवश्यकता है।

भारत की अध्यक्षता में IORA का विकास पथ

चर्चा में क्यों?

भारत **नवंबर 2025** में **इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA)** के **अध्यक्ष (वर्तमान में उपाध्यक्ष)** का कार्यभार ग्रहण करेगा। इसका उद्देश्य **संगठन के प्रशासन को और अधिक स्थिति स्थापक बनाना** है।

- भारत आगामी दो वर्षों में IORA के बजट में वृद्धि करने, प्रौद्योगिकी के साथ डेटा प्रबंधन को उन्नत बनाने और समुद्री कार्य करने हेतु संस्थानों के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है।

इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) क्या है?

- **परिचय:** इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) **हिंद महासागर** की सीमा से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग एवं क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है।
  - IORA के सदस्य देश हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में व्यापार, निवेश तथा सतत् विकास से संबंधित विभिन्न पहलों पर कार्य करते हैं।
- **पृष्ठभूमि:** इसकी स्थापना 7 मार्च 1997 को हुई थी। IORA की परिकल्पना वर्ष 1995 में दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान की गई।
  - इस विचार के परिणामस्वरूप वर्ष 1995 में हिंद महासागर रिम पहल (IORI) और वर्ष 1997 में हिंद महासागर रिम क्षेत्रीय सहयोग संघ (IOR-ARC) का गठन हुआ, जिसे वर्तमान में IORA कहते हैं।
- **सदस्यता:** हिंद महासागर क्षेत्र के सभी संप्रभु देश जो चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों का पालन करने के लिये सहमत हैं, वे इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं।
  - वर्तमान में, इसमें 23 सदस्य देश और 10 संवाद साझेदार शामिल हैं तथा IORA हिंद महासागर क्षेत्र के माध्यम से देशों को जोड़ते हुए एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया को कवर करता है।

हिंद महासागर क्षेत्र

- हिंद महासागर क्षेत्र, व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र के भीतर एक अद्वितीय **भू-राजनीतिक और आर्थिक अंचल** है।
- यहाँ विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या का वास है और वैश्विक व्यापार तथा ऊर्जा सुरक्षा में इसकी अहम भूमिका है।
- वैश्विक व्यापार का 75% और दैनिक तेल खपत का 50% व्यापार हिंद महासागर से होता है, जिससे 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है तथा वर्ष 2023 में अंतर-IORA व्यापार 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

IORA में भारत की भूमिका और रणनीतिक योगदान क्या है?

- **SAGAR विज़न के साथ संरेखण: क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास (SAGAR)** का भारत का दृष्टिकोण **IORA के रणनीतिक उद्देश्यों** के साथ निकटता से संबद्ध है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सतत् विकास पर ज़ोर दिया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सागर (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास) विज़न

इस पहल को हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा तथा सतत् विकास को सुनिश्चित करने के क्रम में वर्ष 2015 में शुरु किया गया।

मूल सिद्धांत

- आपसी विश्वास, समुद्री मानदंडों के प्रति सम्मान, क्षेत्रीय संवेदनशीलता, शांतिपूर्ण विवाद समाधान तथा सहयोग को बढ़ावा देना
- भारत की एक्ट ईस्ट नीति एवं पड़ोसी प्रथम नीति को समर्थन देना

भारत के लिये हिंद महासागर क्षेत्र का महत्त्व:

- आर्थिक: मात्रा के अनुसार भारत का 95% व्यापार एवं मूल्य के अनुसार 68% व्यापार हिंद महासागर क्षेत्र से होता है
- सामरिक लाभ: प्रमुख समुद्री अवरोध बिंदुओं (जैसे मलक्का जलडमरूमध्य) पर नियंत्रण मिलने से व्यापार सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है
- रक्षा कवच: समुद्री डकैती और खतरों के खिलाफ नौसेना सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है
- क्षेत्रीय प्रभाव: दक्षिण एशिया एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को मज़बूत करता है

सागर विज़न के अनुरुप भारत की प्रमुख पहल

एकीकृत तटीय निगरानी प्रणाली:
हिंद महासागर के देशों (जैसे, मालदीव) में तटीय रडार प्रणाली

नौसेना साझेदारी:
श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स के साथ
└ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत-इंडोनेशिया समुद्री सहयोग का साझा दृष्टिकोण

बंदरगाह एवं अवसंरचना परियोजनाएँ:
मालदीव जैसे पड़ोसी देशों में बंदरगाह सुविधाओं का विकास करना

आपदा प्रतिक्रिया और मानवीय सहायता
मिशन सागर (2020): मालदीव, मॉरीशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स सहित हिंद महासागर के तटीय राज्यों को COVID-19 सहायता

ऑपरेशन नीर: भारत द्वारा मालदीव को पेयजल उपलब्ध कराया गया

MV वाकाशियो तेल रिसाव (2020): मॉरीशस को 30 टन तकनीकी उपकरण की आपूर्ति की गई

MT न्यू डायमंड अग्नि घटना (2020): भारतीय तटरक्षक बल ने अग्निशमन में श्रीलंका की सहायता की

सूचना समन्वय केंद्र-IOR
यह समुद्री यातायात एवं खतरों पर निगरानी रखने के साथ वास्तविक समय में जानकारी साझा करने पर केंद्रित है

परियोजना 'मौसम'
यह हिंद महासागर पर मानसूनी हवाओं के प्रभाव का पता लगाने के साथ समुद्री मार्गों के संबंध में ज्ञान, परंपराओं, प्रौद्योगिकियों एवं विचारों का प्रसार करने पर केंद्रित है।

सहयोगात्मक तंत्र:
हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) जैसे मंचों के माध्यम से समुद्री सहयोग

बंदरगाह एवं अवसंरचना परियोजनाएँ:
श्रीलंका, मॉरीशस, सेशेल्स और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में बंदरगाह सुविधाओं का विकास करना

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **राजनयिक और आर्थिक संबंधों का पूर्णतम उपयोग:** भारत को क्षेत्रीय चुनौतियों के लिये दीर्घकालिक, सतत् और सहयोगात्मक समाधान को बढ़ावा देने के लिये IORA सदस्य देशों के साथ अपने सुदृढ़ राजनयिक और आर्थिक संबंधों का पूर्णतम उपयोग करना चाहिये।
- **IORA के बजट में वृद्धि:** भारत आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिये शिपिंग, तेल, गैस और पर्यटन जैसे समुद्री क्षेत्रों का लाभ उठाते हुए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से IORA के लिये स्थायी वित्तपोषण प्राप्त करने की योजना बना रहा है।
- **प्रौद्योगिकी का एकीकरण:** भारत का लक्ष्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से डेटा प्रशासन और नीति विश्लेषण को बढ़ाना है, ताकि पारदर्शिता, दक्षता और तेज़ी से निर्णय लेना सुनिश्चित हो सके।
- **समुद्री क्षमता निर्माण:** भारत समुद्री-केंद्रित पाठ्यक्रम शुरू करने के लिये शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी करेगा, तथा नीली अर्थव्यवस्था में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिये कुशल कार्यबल का निर्माण करेगा।

हिंद महासागर क्षेत्र में IORA की भूमिका क्या है?

- **क्षेत्रीय सहयोग में भूमिका:** IORA को सबसे **दीर्घकालिक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठनों** में से एक माना जाता है, तथा यह अपने सदस्य देशों के बीच **बहुमुखी सहयोग** को बढ़ावा देने में **महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाता है।
- संवाद की सुविधा: IORA सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान, आपदा जोखिम प्रबंधन और समुद्री सुरक्षा पर संरचित संवाद को सक्रिय रूप से सुविधाजनक बनाता है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय लचीलापन को मज़बूत करना और सतत् विकास को बढ़ावा देना है।
- मध्यम और छोटी शक्तियों का प्रभाव: जबकि अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ जैसी वैश्विक शक्तियाँ संवाद भागीदार (Dialogue Partners) के रूप में संलग्न हैं, IORA मुख्य रूप से मध्यम और छोटी शक्तियों द्वारा संचालित है जो इसके एजेंडे और निर्णयों को आकार देते हैं।

IORA के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- **वित्तीय बाधाएँ:** IORA को **महत्वपूर्ण वित्तीय बाधाओं (वर्ष 2020-2025 के लिये 1.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का बजट)** का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका **वार्षिक बजट सदस्य-राज्य के योगदान पर बहुत अधिक निर्भर** रहता है, जो इसके **संचालन का विस्तार करने और व्यापक पैमाने पर पहल को लागू करने** की क्षमता को सीमित करता है।
- सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और फ्राँस को छोड़कर अधिकांश IORA सदस्य, सीमित बजट वाली विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जिससे संगठन की वित्तीय स्थिरता कमज़ोर हो रही है।
- संसाधन-गहन सहभागिता क्षेत्र: समुद्री सुरक्षा, मत्स्य प्रबंधन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, नीली अर्थव्यवस्था जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में IORA का विस्तारित अधिदेश, निरंतर वित्तीय और संस्थागत संसाधनों की मांग करता है, जो इसके प्रभावी कार्यान्वयन और दीर्घकालिक प्रभाव के लिये चुनौती प्रस्तुत करता है।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी: IORA को शिपिंग, तेल एवं गैस, तथा पर्यटन जैसे प्रमुख समुद्री उद्योगों से निजी क्षेत्र की भागीदारी आकर्षित करने में कठिनाई हो रही है।
- **मज़बूत साझेदारी** के बिना, वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोतों, **बेहतर परिचालन दक्षता** और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता से वंचित होने का जोखिम है।
- **सीमित संस्थागत क्षमता: मॉरीशस में IORA का सचिवालय** एक **छोटे कार्यबल और सीमित संसाधनों** के साथ काम करता है, जो **प्रशासनिक और रणनीतिक कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने** की इसकी क्षमता को सीमित करता है।
- डेटा प्रबंधन में चुनौतियाँ: उन्नत डेटा प्रबंधन प्रणालियों की कमी के कारण रिकॉर्ड रखने में अक्षमता होती है, त्रुटि की संभावना बढ़ जाती है और सटीक नीति निर्माण और निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न होती है।

निष्कर्ष

- **कुशल समुद्री कार्यबल के निर्माण के लिये उद्योग-अकादमिक सहयोग** और प्रमुख क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है। साझेदारी को मज़बूत करने से **नवाचार को बढ़ावा** मिल सकता है, **चुनौतियों का समाधान** हो सकता है और **आर्थिक स्थिरता** सुनिश्चित हो सकती है। चूँकि भारत IORA का नेतृत्व करता है, इसलिये क्षेत्रीय सहयोग और संसाधन संग्रहण में वृद्धि से इसका प्रभाव अधिकतम होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत में क्विक कॉमर्स का उदय

चर्चा में क्यों?

क्विक कॉमर्स (क्यू-कॉमर्स) की सहायता से **मिनटों के भीतर डिलीवरी की सुविधा** से शहरी क्षेत्रों में खरीदारी की प्रवृत्तियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।

- हालाँकि यह सुविधा और विभिन्न ब्रांड लाभ प्रदान करता है, लेकिन इससे संबंधित **निम्नतम कीमत निर्धारण** (Predatory Pricing), **डेटा गोपनीयता** और **परंपरागत खुदरा विक्रेताओं के विस्थापन** संबंधी चिंताओं के कारण विनियामक जाँच किये जाने की आवश्यकता है।

क्विक कॉमर्स क्या है?

- **परिचय:** क्यू-कॉमर्स, **ई-कॉमर्स** का एक उपवर्ग, एक ऑन-डिमांड डिलीवरी मॉडल है, जहाँ ऑर्डर करने के **10 से 30 मिनट की अवधि** में वस्तुओं और सेवाओं की सुपुर्दगी की जाती हैं।
  - इसमें **लघु, उच्च मांग वाली वस्तुओं** जैसे किराने का सामान, स्टेशनरी और ओवर-द-काउंटर दवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **कार्य मॉडल:** क्यू-कॉमर्स प्लेटफॉर्म डार्क स्टोर्स (केवल ऑनलाइन पूर्ति के लिये डिज़ाइन किये गए स्थानीय गोदाम) पर निर्भर करते हैं, जो द्रुत गति से प्रेषण करने के उद्देश्य से उच्च मांग वाले क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से अवस्थित होते हैं।
  - उपभोक्ता मांग का पूर्वानुमान लगाने, इन्वेंट्री को अनुकूलित करने और सुझावों को वैयक्तिकृत करने हेतु सामान्यत: प्लेटफॉर्म AI-संचालित एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं, जबकि स्वचालित आपूर्ति शृंखलाएँ स्टॉकआउट का समाधान करती हैं।
    - एक **निश्चित इन्वेंट्री आधारित मॉडल** वाले **पारंपरिक खुदरा** के विपरीत, क्यू-कॉमर्स के अंतर्गत वास्तविक समय में उपभोक्ता रुझानों के आधार पर स्टॉक आपूर्ति को गतिशील रूप से समायोजित किया जाता है।
  - कार्य कुशलता के लिये निकटता-आधारित मार्ग एल्गोरिदम के माध्यम से ऑर्डर असाइन करते हुए उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में डिलीवरी अधिकारी तत्काल प्रेषण को सक्षम बनाते हैं।
  - निश्चित समय वाले पारंपरिक स्टोरों के विपरीत, क्यू-कॉमर्स तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से **दिन-रात संचालित** होते हैं।
- **उपभोक्ताओं पर प्रभाव: तत्काल और सुविधापूर्ण खरीदारी** हेतु, विशेष रूप से भोजन, पेय पदार्थ और दैनिक आवश्यक वस्तुओं के लिये **उपभोक्ता** क्यू-कॉमर्स को वरीयता देते हैं।
  - पारंपरिक स्टोर समय (रात्रि काल में 8 के पश्चात्) से परे ऑर्डर करने की क्षमता ने इन प्लेटफॉर्मों को शहरी उपभोक्ताओं के लिये अपरिहार्य बना दिया है।
  - नि:शुल्क डिलीवरी के लिये न्यूनतम कार्ट मूल्य, तथा आकर्षक छूट के परिणामस्वरूप उपभोक्ता इसका इस्तेमाल करने हेतु अधिक प्रोत्साहित होते हैं।
  - **NeilsenIQ सर्वेक्षण (2024)** के अनुसार 12% **शहरी उपभोक्ता** वर्तमान में क्विक कॉमर्स पसंद करते हैं, जो आँकड़ा दो वर्ष पूर्व केवल 5% था।
- **भारत में वृद्धि और विस्तार:** भारतीय **क्यू-कॉमर्स बाज़ार** का मूल्य **3.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वित्त वर्ष 2024)** है और अनुमानत: वर्ष 2029 तक यह 76% वार्षिक वृद्धि के साथ 9.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो जाएगा।
  - फ्लिपकार्ट, ओला, ब्लिंकिट, बिगबास्केट और जेप्टो जैसी प्रमुख कंपनियों ने AI-संचालित इन्वेंट्री प्रबंधन में निवेश करते हुए क्यू-कॉमर्स में महत्त्वपूर्ण विस्तार किया है।
  - क्यू-कॉमर्स का वर्तमान में बड़े **फास्ट-मूविंग कंज़्यूमर गुड्स (FMCG)** ब्रांडों की कुल **ई-कॉमर्स बिक्री** में 35% का योगदान है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

नोट: भारत में **इन्वेंट्री आधारित ई-कॉमर्स मॉडल** में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** प्रतिबंधित है। हालाँकि, मार्केटप्लेस मॉडल के तहत संचालन करने वाले क्यू-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्वचालित रूट के तहत 100% FDI के लिये पात्र हैं।

विशेषता	पारंपरिक ई-कॉमर्स	क्विक कॉमर्स
डिलीवरी का समय	3-4 दिन अथवा उससे अधिक	10 से 30 मिनट
ऑर्डर प्रकार	थोक एवं नियोजित खरीदारी	लघु, बारंबार, सुविधा अनुसार खरीदारी
उत्पाद रेंज	विस्तृत सूची	सीमित, उच्च-मांग वाली आवश्यक वस्तुएँ
भंडारण	बड़े गोदाम	स्थानीय सूक्ष्म-पूर्ति केंद्र
परिचालन मॉडल	रसद-संचालित	हाइपरलोकल और AI-संचालित

क्विक कॉमर्स संबंधी चिंताएँ क्या हैं?

- **निम्नतम कीमत निर्धारण और बाज़ार में हेरफेर:** अखिल **भारतीय उपभोक्ता उत्पाद वितरण महासंघ (AICPDF)** ने क्यू-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं को व्यवसाय से बाहर करने के उद्देश्य से **लैंडिंग लागत से कम कीमत पर वस्तुओं का विक्रय** किये जाने का आरोप लगाया है।
  - इस क्रम में जब प्रतिस्पर्द्धा कम हो जाती है, तो प्लेटफॉर्म कथित तौर पर **शुरुआती नुकसान की भरपाई** के लिये कीमतें बढ़ा देते हैं, जिसे **"मूल्य वृद्धि"** कहते हैं।
- डेटा दुरुपयोग और एल्गोरिद्म मूल्य निर्धारण: क्यू-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिग डेटा और **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** संचालित मूल्य निर्धारण मॉडल का लाभ उठाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्थान (समृद्ध क्षेत्रों में उच्च मूल्य), डिवाइस प्रकार (प्रीमियम फोन उपयोगकर्त्ताओं को उच्च मूल्य मिल सकते हैं) और खरीदारी पैटर्न (दोबारा खरीदारों को नए उपयोगकर्त्ताओं की तुलना में अलग मूल्य मिल सकता है) के आधार पर विभेदक मूल्य निर्धारण हो सकता है।
- छोटे खुदरा विक्रेताओं और रोज़गार पर प्रभाव: पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं, विशेष रूप से छोटी किराना दुकानों को क्यू-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा दी जाने वाली छूट के खिलाफ प्रतिस्पर्द्धा करने में संघर्ष करना पड़ता है।
  - चूँकि इन खुदरा विक्रेताओं का **कारोबार घट रहा है,** इसलिये इस क्षेत्र में **बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी** की चिंता उत्पन्न हो रही है।
  - कई वितरकों और छोटे खुदरा विक्रेताओं का तर्क है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ-साथ उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिये **"समान अवसर"** होना चाहिये।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** क्विक कॉमर्स के विकास से एकल-उपयोग प्लास्टिक अपशिष्ट और डिलीवरी बाइक से होने वाला प्रदूषण बढ़ता है।
- **गिग वर्कर शोषण:** डिलीवरी एजेंटों को कम वेतन का सामना करना पड़ता है, वाहन चलाते समय उनके पास सुरक्षात्मक उपकरण नहीं होते, उन्हें उच्च-डिलीवरी लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव झेलना पड़ता है, तथा उनमें से अधिकांश के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती।
- शहरी-केंद्रित विकास: क्यू-कॉमर्स टियर-1 शहरों में तो तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन टियर-2 और टियर-3 शहरों में डिजिटल पहुँच की कमी, कम मांग और लॉजिस्टिक बाधाओं के कारण संघर्ष कर रहा है। सीमित विस्तार के कारण यह शहरी केंद्रों तक ही सीमित है।

क्यू-कॉमर्स कैसे सतत् और समावेशी हो सकता है?

- **विनियामक निरीक्षण और बाज़ार निष्पक्षता:** **भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI)** को क्यू -कॉमर्स में अनुचित मूल्य निर्धारण और एकाधिकार प्रथाओं को विनियमित करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- प्रस्तावित **राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति** के तहत मूल्य निर्धारण, डेटा गोपनीयता और प्रतिस्पर्द्धा की देखरेख के लिये एक **राष्ट्रीय क्यू-कॉमर्स नियामक प्राधिकरण** की स्थापना की जा सकती है।
- **पारंपरिक खुदरा व्यापार के साथ सह-अस्तित्व:** क्यू-कॉमर्स प्लेटफॉर्म **किराना स्टोर्स** के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के बजाय उनके साथ **साझेदारी** कर सकते हैं।
  - **"किराना संचालित डार्क स्टोर्स"** जैसे हाइब्रिड मॉडल एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं, जहाँ छोटे खुदरा विक्रेताओं को डिजिटल लॉजिस्टिक्स से लाभ मिलेगा, जो **तकनीक-संचालित दक्षता के साथ अति-स्थानीय (Hyperlocal) विशेषज्ञता** को मिश्रित करेगा।
  - सरकारी नीतियाँ तकनीक-संचालित वाणिज्य और पारंपरिक व्यवसाय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने के लिये **सहयोगी खुदरा ढाँचे** को प्रोत्साहित कर सकती हैं।
- **ONDC फ्रेमवर्क:** **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) छोटे खुदरा विक्रेताओं को** प्रमुख क्यू-कॉमर्स फर्मों पर निर्भर हुए बिना **डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुँच** प्रदान कर सकता है।
- **उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा:** **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि **गिग श्रमिकों** को न्यूनतम वेतन, बीमा और दुर्घटना कवरेज मिले।
  - **अत्यधिक गति और चालक की थकान** को रोकने के लिये गैर-आवश्यक सामानों की **उचित डिलीवरी विंडो** होनी चाहिये।
  - **मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019** में **गिग श्रमिकों** के लिये सुरक्षा मानदंड शामिल किए जाने चाहिये और वाहनों को **व्यावसायिक या व्यक्तिगत उपयोग** के आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिये, तथा लक्षित प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- **सतत् लॉजिस्टिक्स:** प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिये पुनर्चक्रणीय और जैवनिम्नीकरणीय पैकेजिंग के लिये अनिवार्यताएँ लागू करना, **इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (FAME) योजना** के अंतर्गत वितरण के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना।
- **डेटा गोपनीयता:** **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि क्यू-कॉमर्स कंपनियाँ अनुचित मूल्य निर्धारण रणनीतियों के लिये उपभोक्ता डेटा का दुरुपयोग न कर सकें।

निष्कर्ष

क्यू-कॉमर्स ने शहरी खुदरा व्यापार को नया स्वरूप दिया है, गति और सुविधा प्रदान की है, लेकिन निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को लेकर चिंताएँ भी उत्पन्न की हैं। सतत विकास सुनिश्चित करने के लिये, नियामक ढाँचे, निष्पक्ष श्रम प्रथाओं और हाइब्रिड खुदरा मॉडल को अपनाया जाना चाहिये, जिसमें समावेशिता के साथ नवाचार को संतुलित किया जाना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. क्विक कॉमर्स भारतीय खुदरा पारिस्थितिकी तंत्र को नया आकार दे रहा है। इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये और विनियामक उपाय सुझाइए।

डी-डॉलराइज़ेशन और भारत

चर्चा में क्यों?

हाल की **वित्तीय और मुद्रा पहलों**, विशेष रूप से **BRICS+ ढाँचे** के भीतर, के अंतर्गत अमेरिकी डॉलर-प्रधान प्रणाली पर निर्भरता को कम करने (**डी-डॉलराइज़ेशन**) और वैश्विक व्यापार तथा वित्त के लिये **वैकल्पिक तंत्र** स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

डी-डॉलराइज़ेशन

- यह वैश्विक व्यापार, वित्त और विदेशी मुद्रा अरक्षित निधियों में **अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को कम करने** की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
- इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन, कमोडिटी ट्रेडिंग (जैसे तेल) और विदेशी मुद्रा धारिताओं के लिये **अमेरिकी डॉलर** को अन्य मुद्राओं या परिसंपत्तियों (जैसे सोना, **क्रिप्टोकरेंसी या क्षेत्रीय मुद्राएँ**) के **साथ प्रतिस्थापित करना** शामिल है।

डी-डॉलराइज़ेशन संबंधी हाल की वित्तीय और मुद्रा पहलें कौन-सी हैं?

- **mBridge परियोजना:** यह **सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDC)** के उपयोग पर आधारित एक **डिजिटल क्रॉस-**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

बॉर्डर भुगतान प्रणाली है। इसे शुरुआत में **बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS)** के समर्थन से **चीन, थाईलैंड** जैसे कई देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा बढ़ावा दिया गया था।

- ❖ अनुमानों के अनुसार डॉलर के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिये **अमेरिकी दबाव के कारण BIS mBridge से अलग हुआ।**

- **BRICS+ पहल: BRICS ब्रिज** और **BRICS क्लियर**, BRICS+ देशों में **भुगतान और समाशोधन प्रणाली** स्थापित करने के लिये **प्रस्तावित वित्तीय प्रणालियाँ** हैं।
  - ❖ BRICS+ समूह में मूल BRICS राष्ट्र अर्थात **ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका** सहित नए सदस्य अर्थात **मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात** और **इंडोनेशिया** शामिल हैं।
- **पेट्रो-युआन बाज़ार: वैश्विक तेल व्यापार का 10.5%** और **वैश्विक तेल फ्यूचर्स (मानकीकृत संविदा) का 14.4% शंघाई इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज (2018)** द्वारा संपन्न होता है।
  - ❖ **सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के गैर-डॉलर तेल व्यापार से मांग** में वृद्धि के कारण **पेट्रो-युआन** को बढ़ावा मिलता है और **अमेरिकी डॉलर** के एक स्थिर विकल्प के रूप में इसकी **विश्वसनीयता** बढ़ती है।
- **BRICS मुद्रा: 16वें कज़ान BRICS शिखर सम्मेलन 2024** में, **"यूनिट"** नामक एक नई निपटान मुद्रा का उपयोग करने के लिये सिद्धांत रूप में एक समझौता हुआ, जो 40% सोने और सदस्य देशों की **60% स्थानीय मुद्राओं** द्वारा समर्थित है।

डी-डॉलराइज़ेशन के वैश्विक लाभ क्या हैं?

- **भू-राजनीतिक जोखिम में कमी:** देश **अमेरिका के उन प्रतिबंधों और विदेश नीति निर्णयों** से स्वयं को को सुरक्षित रख सकते हैं जिनसे डॉलर के प्रभुत्व को बढ़ावा मिलता है (जैसे, **परिसंपत्तियों को फ्रीज़ करना** अथवा वैश्विक वित्तीय प्रणाली के अभिगम को प्रतिबंधित करना)।
  - ❖ उदाहरण के लिये, **वर्ष 2022** में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद, पश्चिमी देशों ने रूस की **300 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक की संपत्ति का कीलन कर लिया।
- **विविधीकरण:** डी-डॉलराइज़ेशन से **बहु-मुद्रा उपयोग** को बढ़ावा मिलता है, एक मुद्रा पर निर्भरता कम होती है और वैश्विक वित्त में संतुलन स्थापित होता है।
  - ❖ उदाहरण के लिये, वैकल्पिक भुगतान प्रणाली स्थापित किये जाने हेतु **पेट्रो-युआन और भारतीय रुपए** का उदय।
- **क्षेत्रीय मुद्राओं का सुदृढ़ीकरण:** देश **आर्थिक संप्रभुता** का सुदृढ़ीकरण करने और **विनिमय दर जोखिम** को कम करने के उद्देश्य से व्यापार में अपनी मुद्राओं को बढ़ावा दे सकते हैं।
  - ❖ उदाहरण के लिये, भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ रुपए में तेल का व्यापार करता है।
- **सभेद्यता में सुधार:** डी-डॉलराइज़ेशन होने से देशों पर अमेरिकी मौद्रिक नीति (जैसे, **ब्याज दर में परिवर्तन**) से पड़ने वाला **प्रभाव कम होगा,** जिससे **पूंजी पलायन और मुद्रा अवमूल्यन** जैसे प्रभावों से संरक्षा मिलेगी।
- **सोने के उपयोग में वृद्धि:** डी-डॉलराइज़ेशन के कारण आरक्षित परिसंपत्ति के रूप में **सोने का उपयोग पुनः प्रचलित हो गया है,** जिससे यह वैध/कागज़ी मुद्राओं के लिये एक **स्थिर विकल्प** बन गया है।
- **डिजिटल मुद्राओं को बढ़ावा:** डी-डॉलराइज़ेशन से **डिजिटल मुद्रा और ब्लॉकचेन भुगतान** का विकास तेज़ी से होगा, जिससे वित्तीय नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
  - ❖ उदाहरण के लिये, चीन का डिजिटल युआन (e-CNY) और **भारत का डिजिटल रुपया (e₹)।**

वैश्विक डी-डॉलराइज़ेशन संबंधी चिंताएँ क्या हैं?

- **अल्पकालिक अस्थिरता:** मुद्रा आरक्षित निधियों अथवा व्यापार समझौतों में सहसा परिवर्तन होने से **वैश्विक बाज़ारों में अस्थिरता बढ़ सकती है,** क्योंकि वर्तमान में डॉलर **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त का आधार** है।
- **विकल्पों की सीमित स्वीकृति:** कई वैकल्पिक मुद्राओं (जैसे, युआन, रुपया या रूबल) में **तरलता, स्थिरता और वैश्विक विश्वास का अभाव** होता है जो अमेरिकी डॉलर में है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **विखंडन का जोखिम:** डी-डॉलराइज़ेशन से **प्रतिस्पर्द्धी मुद्रा ब्लॉकों** का निर्माण हो सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था **विखंडित** हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश जटिल हो सकता है।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** अमेरिका डी-डॉलराइज़ेशन प्रयासों पर आक्रामक प्रतिक्रिया दे सकता है, जिससे **व्यापार युद्ध, प्रतिबंध या अन्य प्रकार की आर्थिक जवाबी कार्यवाही** बढ़ सकती है।
  - उदाहरण के लिये, डॉलर पर निर्भरता कम करने के प्रयास में BRICS देशों के लिये **अमेरिकी टैरिफ का खतरा।**
- **वैश्विक परिणाम:** डॉलर की आरक्षित स्थिति में गिरावट से **अमेरिकी ऋण की मांग कम हो सकती है,** और अमेरिका में आर्थिक अस्थिरता हो सकती है, जिसके **वैश्विक प्रभाव** हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **विनिमय दर निर्धारण की समस्या:** वैश्विक बेंचमार्क के रूप में अमेरिकी डॉलर के बिना, देशों को बहु-मुद्रा बास्केट जैसे विकल्पों का उपयोग करना होगा, जिससे विनिमय दरें जटिल हो जाएंगी।
  - उदाहरण के लिये, **भारत और रूस** लगातार अपनी स्थानीय मुद्राओं के आधार पर मुद्रा **विनिमय दर पर बातचीत** कर रहे हैं।

डी-डॉलराइज़ेशन पर भारत का दृष्टिकोण क्या है और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है?

- **डी-डॉलराइज़ेशन पर भारत का दृष्टिकोण:** भारत **BRICS+ मुद्रा वार्ताओं** में शामिल है, तथा सतर्कता बरतते हुए कहा है कि उसका **अमेरिकी डॉलर को कमज़ोर करने का कोई इरादा नहीं है,** क्योंकि वह इसे वैश्विक स्थिरता के लिये **आवश्यक** मानता है।

लाभ

- **भारतीय रुपए को बढ़ावा देना:** यह **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों** में भारतीय रुपए के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिये, तेल आयात के लिये भारत का रूस के साथ रुपए में व्यापार।
- **अधिक मौद्रिक नीति स्वायत्तता:** डॉलर पर निर्भरता कम करने से भारत को अमेरिकी नीतिगत बदलावों से प्रभावित हुए बिना, मुद्रास्फीति और ब्याज दरों को प्रबंधित करने के लिये **मौद्रिक नीति पर अधिक नियंत्रण** मिलता है।
- **रिज़र्व का विविधीकरण:** डी-डॉलराइज़ेशन से भारत को अपने **रिज़र्व** को अन्य मुद्राओं (जैसे, यूरो, येन, युआन) या स्वर्ण में विविधता लाने में मदद मिलती है, जिससे डॉलर के **अवमूल्यन का जोखिम कम** हो जाता है।
- **अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रति जोखिम में कमी:** इससे **अमेरिकी प्रतिबंधों** के प्रति भारत की संवेदनशीलता **कम** हो जाती है तथा उसे अधिक भू-राजनीतिक लचीलापन प्राप्त होता है।
  - यह अमेरिका-केंद्रित **स्विफ्ट प्रणाली पर निर्भरता को कम करता है,** तथा भारत की वित्तीय प्रणाली को जोखिमों और प्रतिबंधों से बचाता है।

चिंताएँ

- **विदेशी निवेश पर प्रभाव:** डॉलर से दूर जाने से **विदेशी निवेशक हतोत्साहित** हो सकते हैं जो डॉलर-मूल्य वाली संपत्तियों की **स्थिरता और पूर्वानुमेयता** को पसंद करते हैं।
- **रिज़र्व में विविधता लाने में चुनौतियाँ:** वैकल्पिक मुद्राएँ या स्वर्ण जैसी परिसंपत्तियाँ भारत को **नए जोखिमों** के प्रति सुभेद्य बना सकती हैं, जैसे **मुद्रा मूल्यह्रास या वस्तुओं की कीमत में उतार-चढ़ाव।**
  - भारत के लिये **चीनी युआन पर अत्यधिक निर्भरता का जोखिम है,** जिससे भू-राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियाँ सामने आ रही हैं।
- **धन प्रेषण पर प्रभाव:** डी-डॉलराइज़ेशन से **भारत में डॉलर में भेजी जाने वाली धनराशि बाधित** हो सकती है, जिससे लाखों परिवार प्रभावित होंगे।

भारत के लिये आगे क्या है?

- **रुपए को मज़बूत बनाना: भारत-UAE तेल व्यापार** की तरह रुपए में द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करना, साथ ही **करेंसी स्वैप** और ब्रिक्स+ पहल जैसे क्षेत्रीय ढाँचे को बढ़ावा देना।
  - सीमा पार लेनदेन के लिये UPI, RuPay **और डिजिटल रुपया (ई₹)** का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना।
- **रिज़र्व में विविधता लाना: यूरो, येन, युआन, स्वर्ण और** IMF SDR में रिज़र्व **का विविधीकरण** करके अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना, साथ ही स्थिरता के लिये संप्रभु संपदा निधि (SWF) और कमोडिटी भंडार का विकास करना।
- **जोखिम प्रबंधन: बहु-मुद्रा व्यापार प्रणाली** को बनाए रखना, विविधतापूर्ण व्यापार के लिये आसियान, यूरोपीय संघ **और अफ्रीका** के साथ संबंधों को मज़बूत करना तथा रुपए में **निवेशकों का विश्वास** सुनिश्चित करना।
- **भारत की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना: मुंबई को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करना,** बॉण्ड **बाज़ार में तरलता** को बढ़ावा देना, तथा **IMF,** G-20 और अन्य निकायों के माध्यम से बहु-मुद्रा प्रणाली की वकालत करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. डी-डॉलराइज़ेशन की अवधारणा और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिये।

भारत का धन प्रेषण रुझान 2024

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के भारत के **धन प्रेषण सर्वेक्षण (2023-24) के छठे दौर** में यह बात सामने आई कि विकसित अर्थव्यवस्थाएँ (AI), विशेष रूप से अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम (UK), भारत में **धन प्रेषण** में शीर्ष योगदानकर्त्ता के रूप में **खाड़ी देशों** से आगे निकल गए हैं।

भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण के 6वें दौर के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **धन प्रेषण के स्रोत:** भारत का कुल धन प्रेषण दोगुने से भी अधिक हो गया है, जो **वर्ष 2010-11 में 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 118.7 बिलियन अमेरिकी** डॉलर हो गया है।
- वर्ष 2023-24 में **अमेरिका 27.7%** के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद **संयुक्त अरब अमीरात (USA) 19.2%** के साथ दूसरे स्थान पर है।
- **ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया** सहित विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने 50% से अधिक का योगदान दिया।
- ब्रिटेन की हिस्सेदारी 3.4% (2016-17) से बढ़कर 10.8% हो गई, जो भारतीय प्रवास में वृद्धि के कारण हुई तथा ऑस्ट्रेलिया 2.3% के साथ एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा।
- खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों (UAE, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन) की कुल हिस्सेदारी 38% (2023-24) है, जो लगभग 47% (2016-17) से कम है।
- धन प्रेषण का राज्यवार वितरण: महाराष्ट्र (20.5%) शीर्ष प्राप्तकर्त्ता रहा, उसके बाद केरल (19.7%) का स्थान है।
- अन्य प्रमुख राज्यों में तमिलनाडु (10.4%), तेलंगाना (8.1%) और कर्नाटक (7.7%) शामिल हैं। पंजाब और हरियाणा में भी वृद्धि देखी गई।
- धन-प्रेषण हस्तांतरण का तरीका: रुपया आहरण व्यवस्था (RDA) आवक धन प्रेषण के लिये प्रमुख चैनल बनी हुई है, इसके बाद प्रत्यक्ष वोस्ट्रो हस्तांतरण और फिनटेक प्लेटफॉर्म का स्थान है।
- डिजिटल धन प्रेषण बढ़ रहा है, जो वर्ष 2023-24 में कुल लेनदेन का 73.5% होगा।

भारत में धन प्रेषण के स्रोत में बदलाव के क्या कारण हैं?

- **उन्नत भारतीय उद्योगों में मजबूत रोज़गार बाज़ार:** अमेरिका, **ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया उच्च वेतन वाली नौकरियों की**, विशेष रूप से कुशल भारतीय प्रवासियों के लिये, पेशकश करते हैं।
- **कोविड-19 के बाद अमेरिकी नौकरी बाज़ार** में सुधार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप **भारतीय पेशेवरों** से अधिक धन प्रेषण हुआ।
  - **यूके-भारत प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी (MMP)** ने भारतीयों के लिये कार्य वीजा प्राप्त करना आसान बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप, यूके में भारतीय प्रवासन वर्ष 2020 में **76,000 से बढ़कर 2023 में 250,000** हो रहा।
  - **कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री** और **ऑस्ट्रेलिया की आव्रजन प्रणाली** कुशल भारतीय पेशेवरों को तरजीह देती है, जिससे उच्च वेतन वाली नौकरियाँ मिलती हैं तथा धन प्रेषण में वृद्धि होती है।
- **GCC में रोजगार के अवसरों में गिरावट:** कई भारतीय प्रवासी **कोविड-19 के दौरान खाड़ी देशों** से वापस लौटे तथा बाद में बेहतर वित्तीय अवसरों के लिये अरेबियन देश चले गए।
- इसके अतिरिक्त, आर्थिक विविधीकरण और स्वचालन ने खाड़ी क्षेत्र में **कम कुशल भारतीय श्रमिकों** की मांग को कम कर दिया है।
- **इस बीच, निताकत (सऊदी अरब)** और **अमीरातीकरण (यूएई)** जैसी राष्ट्रीयकरण नीतियाँ स्थानीय श्रमिकों के पक्ष में हैं, जिससे प्रवासियों के लिये नौकरी की संभावनाएँ सीमित हो रही हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- भारत में प्रवासन प्रारूप में बदलाव: केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्य अब खाड़ी देशों की तुलना में एशियाई देशों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
  - उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से बड़ी संख्या में श्रमिक खाड़ी देशों में भेजे जा रहे हैं, जिससे **दक्षिणी राज्यों की तुलना में उनकी शैक्षिक योग्यता** कम है, जिससे कृत्रिम बुद्धि वाले देशों में कुशल नौकरियों के लिये पात्रता कम हो गई है।
- **शिक्षा-प्रेरित प्रवासन और धन विप्रेषण में वृद्धि:** AE में भारतीय छात्रों की बढ़ती संख्या ने धन विप्रेषण को भी बढ़ावा दिया है। कई छात्र काम के लिये यहीं रहते हैं और घर पैसे भेजते हैं।
  - कनाडा में 32% भारतीय छात्र रहते हैं, उसके बाद अमेरिका (25.3%), ब्रिटेन (13.9%) और ऑस्ट्रेलिया (9.2%) का स्थान आता है।

विप्रेषण

- **परिचय:** धन विप्रेषण विदेशी श्रमिकों द्वारा अपने देश में अपने परिवारों की सहायता के लिये भेजी गई धनराशि है, जो घरेलू आय और अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - वर्ष 2024 में, भारत को रिकॉर्ड **129.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का धन विप्रेषण प्राप्त हुआ, जो किसी भी देश के लिये एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक धन है, जो **वैश्विक धन विप्रेषण का 14.3%** है। मेक्सिको और चीन अगले सबसे बड़े प्राप्तकर्त्ता हैं।
- **नियामक ढाँचा:** **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999** भारत में सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन को नियंत्रित करता है।
  - FEMA के एक भाग, **उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS)** के अंतर्गत, भारतीय निवासी व्यक्तिगत और निवेश उद्देश्यों के लिये **प्रति वर्ष 250,000 अमेरिकी डॉलर** तक धन विप्रेषित कर सकते हैं, तथा इससे अधिक राशि के लिये **RBI की मंज़ूरी** की आवश्यकता होगी।
  - हालाँकि, **LRS जुआ, सट्टा व्यापार और आतंकवादी वित्तपोषण के लिये धन विप्रेषण पर प्रतिबंध लगाता है।**
- विप्रेषणों को **भुगतान संतुलन (BoP) के चालू खाते के अंतर्गत एकपक्षीय हस्तांतरण** के रूप में दर्ज किया जाता है। वे विदेशी आय प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो **देनदारियों का निर्माण नहीं** करते हैं।

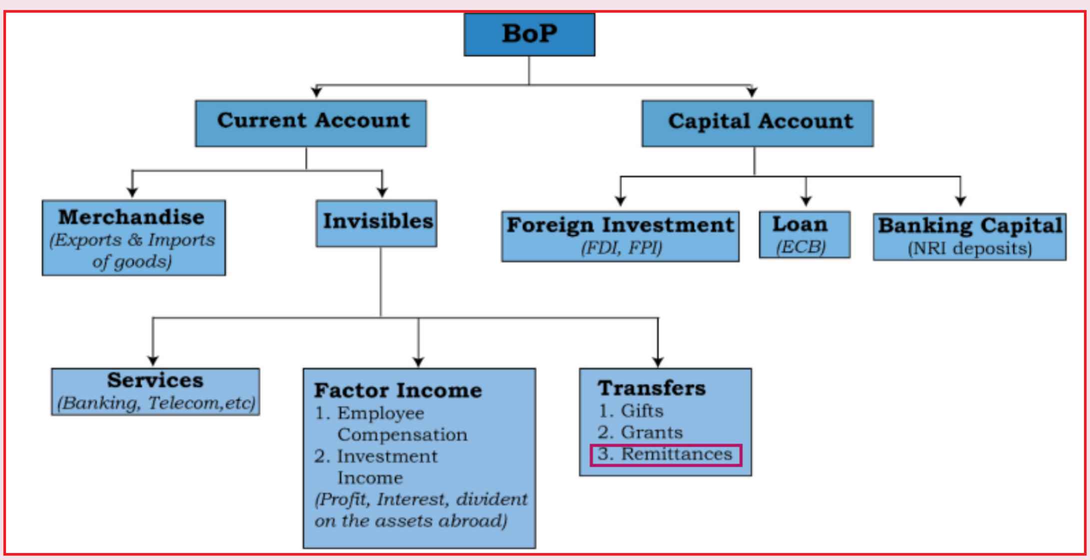

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत के विप्रेषण और घरेलू श्रम बाज़ार पर बदलते प्रवासन रुझान के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये।

सकल स्थिर पूंजी निर्माण

चर्चा में क्यों?

भारत के **सकल स्थायी पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation- GFCF)** में **निजी पूंजीगत व्यय (Capex)** की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 24 में घटकर 33% हो गई जो गत दशक में निम्नतम है।

सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या है?

- **GFCF:** इसे **"निवेश"** के रूप में भी विनिर्दिष्ट किया जाता है। GFCF एक विशिष्ट अवधि में किसी अर्थव्यवस्था की **स्थायी पूंजी परिसंपत्तियों (निपटानक के बाद निवेश)** में निवल वृद्धि को संदर्भित करता है।
  - इसमें बुनियादी ढाँचे, मशीनरी, उपकरण और अन्य संधारणीय परिसंपत्तियों में किया जाने वाला निवेश शामिल है जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास में योगदान देते हैं।
  - यह सकल पूंजी निर्माण (GCF) का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें स्टॉक (इन्वेंट्री) में परिवर्तन और मूल्यवान वस्तुओं (सोना, रत्न और बहुमूल्य रत्न आदि) का निवल अधिग्रहण भी शामिल है।
- **महत्त्व:** भारत के **मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** में इसका 30% योगदान है, जो इसे निजी अंतिम उपभोग व्यय के बाद दूसरा सबसे बड़ा घटक बनाता है।
  - GFCF आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह इससे प्रत्यक्ष रूप से GDP और उत्पादकता बढ़ती है तथा साथ ही जीवन स्तर में सुधार होता है।
    - यह पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन और नवाचार में सहायता के साथ **आत्मनिर्भरता** को बढ़ावा देता है।
  - व्यापारिक विश्वास के सूचक के रूप में GFCF, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में, भविष्य की आर्थिक क्षमता और समग्र उत्पादन क्षमता को दर्शाता है।
- **GFCF रुझान: वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024** की अवधि में **GFCF** में 10% की **वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर (CAGR)** दर्ज की गई।
  - हालाँकि, GFCF की वृद्धि वित्त वर्ष 2023 के 20% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 9% होने के साथ वित्त वर्ष 2023 से विकास की गति मंद हुई है।
- **GFCF में गिरावट के कारण:** वित्त वर्ष 24 में GFCF में निजी पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी घटकर 33% रह गई, क्योंकि गैर-सूचीबद्ध संस्थाओं में संकुचन हुआ, जिससे **GFCF में समग्र गिरावट** आई।
  - वैश्विक मंदी और भारतीय उत्पादों की **कमज़ोर निर्यात मांग** से **उत्पादन क्षमता** में निवेश कम हो गया है, जबकि वस्त्र जैसे कुछ क्षेत्रों का चीन के सस्ते आयातों के प्रवाह के कारण घरेलू विस्तार प्रभावित हुआ है।
  - वित्त वर्ष 24 में **परिचालन से पूंजीगत व्यय अनुपात में नकदी प्रवाह** बढ़कर 1.6 गुना हो गया (वित्त वर्ष 14-20 में 1.3 गुना से)।
    - हालाँकि, नई परिसंपत्तियों में निवेश करने के बजाय, **कंपनियों ने ऋण चुकौती को प्राथमिकता दी,** जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय और GFCF में गिरावट आई।
- **GFCF में गिरावट के निहितार्थ:** GFCF में गिरावट **उत्पादक क्षमता और रोज़गार सृजन** को सीमित करके **दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बाधित** करती है।
  - इससे बुनियादी ढाँचे के विकास में विलंब होता है, निजी क्षेत्र की भागीदारी कम होती है, तथा **निवेशकों का विश्वास कमज़ोर** होता है, जिससे **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** हतोत्साहित हो सकता है।
  - GFC में गिरावट से **सार्वजनिक व्यय** पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ती है, जो स्थायी नहीं है और इससे नवाचार, प्रतिस्पर्द्धात्मकता और समावेशी विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

निजी पूंजीगत व्यय और GFCF को पुनर्जीवित करने के लिये क्या किया जा सकता है?

- **घरेलू उपभोग को बढ़ावा देना:** ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार **8 वें वेतन आयोग** को लागू करना तथा **मनरेगा मज़दूरी** में वृद्धि करना, ताकि ग्रामीण व्यय और समग्र मांग को बढ़ावा दिया जा सके।
  - **उच्च प्रयोज्य आय** व्यवसायों को उत्पादन क्षमता में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित करेगी, जिससे पूंजीगत व्यय और GFCF में वृद्धि होगी।
- **निर्यात और आयात को मज़बूत करना:** भारतीय व्यवसायों को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकृत करने, पूंजी निर्माण और निवेश को बढ़ावा देने के लिये UK और यूरोपीय संघ के साथ **मुक्त व्यापार समझौतों (FTA)** को अंतिम रूप देना।
  - चीनी आयातों का मुकाबला करने के लिये **पारंपरिक उद्योगों** (जैसे, कपड़ा, खिलौने) को ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करके पुनर्जीवित करना ताकि बाज़ार तक पहुँच का विस्तार किया जा सके। घरेलू निर्माताओं की रक्षा और MSME पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिये **चीनी स्टील पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाना।**
- **निजी क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार:** वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिये अनुसंधान एवं विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु **1 लाख करोड़ रुपए के नवाचार कोष (बजट 2024-25)** को क्रियान्वित करना।
- **औद्योगिक अवसंरचना:** निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये **आतिथ्य क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा** प्रदान करना।
- **सतत् विकास:** जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने तथा निजी निवेश आकर्षित करने के लिये **सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड** के माध्यम से हरित वित्त को बढ़ावा देना।
  - सतत् औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये **कार्बन ट्रेडिंग प्रोत्साहन और सर्कुलर इकोनॉमी** मॉडल को बढ़ावा देना, जिससे अंततः **उच्च GFCF और निजी पूंजीगत व्यय** को बढ़ावा मिलेगा।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. सकल स्थायी पूंजी निर्माण में गिरावट भारत में दीर्घकालिक आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती है?

सांसदों के वेतन में वृद्धि बनाम कर्मचारियों के वेतन में स्थिरता

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से **संसद सदस्यों (MP) के वेतन और पेंशन में 24% की वृद्धि** की अधिसूचना जारी की है।

- **भारत रोज़गार रिपोर्ट (IER) 2024** में बढ़ते आर्थिक विभाजन को उजागर किया गया है, जो **भारत की कार्यशील आबादी की वास्तविक आय में स्थिरता और गिरावट** को दर्शाता है।

नोट: सांसदों का वेतन बढ़ाकर 1.24 लाख रुपए प्रति माह, दैनिक भत्ता 2,500 रुपए और पेंशन 31,000 रुपए प्रति माह कर दी गई।

सांसदों का वेतन कैसे संशोधित किया जाता है?

- **कानूनी ढाँचा:** वर्ष 2018 से, सांसदों के वेतन और पेंशन को अलग से संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता के बजाय **लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII)** के आधार पर प्रति पाँच वर्ष में संशोधित किया जाता है।
  - यह समायोजन तंत्र **वित्त अधिनियम, 2018** के तहत स्थापित किया गया था, जिसने **संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954** में संशोधन किया था।
- **लागत मुद्रास्फीति सूचकांक:** आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के तहत CII को प्रतिवर्ष अधिसूचित किया जाता है।
  - CII का उपयोग **मुद्रास्फीति के आधार पर परिसंपत्तियों के क्रय मूल्य को समायोजित करने** के लिये किया जाता है।
  - **CII सूचीकरण (Indexation)** में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि करदाताओं को समय के साथ परिसंपत्ति की कीमतों में वृद्धि के कारण **दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG)** पर **अत्यधिक कर का भुगतान न करना पड़े।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **वित्त वर्ष 2024-25** के लिये CII 363 है, जिसका अर्थ है कि वर्ष 2001 के आधार वर्ष (पहले 1981) के बाद से कीमतें 3.63 गुना बढ़ गई हैं, जिसका निश्चित मूल्य 100 है।

भारत में वेतन प्रवृत्तियों के बारे में IER 2024 क्या कहता है?

- **वेतन प्रवृत्तियाँ: नियमित वेतनभोगी श्रमिकों** के लिये औसत वास्तविक वेतन **वर्ष 2022 में 10,925 रुपए से घटकर वर्ष 2023 में 10,790 रुपए** हो गया एवं औसत आकस्मिक वेतन 4,712 रुपए से घटकर 4,671 रुपए हो गया।
  - स्व-नियोजित व्यक्तियों की औसत आय वर्ष 2022 में 6,843 रुपए से बढ़कर वर्ष 2023 में 7,060 रुपए हो गई।
  - **स्वरोज़गार और आकस्मिक कार्य में लगी महिलाओं की औसत आय में गिरावट आई,** जबकि स्वरोज़गार में लगे पुरुषों की आय में नगण्य वृद्धि देखी गई।
- **रोजगार सृजन की गुणवत्ता:** रिपोर्ट में कहा गया है कि **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** बढ़ने के बावजूद **वास्तविक वेतन में निम्न वृद्धि** रोज़गार सृजन की कमज़ोर गुणवत्ता को दर्शाती है।

राजनीतिक वेतन में वृद्धि बनाम कर्मचारी वेतन में स्थिरता की चिंताएँ क्या हैं?

- **लोकतांत्रिक जवाबदेही का कमज़ोर होना: वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1.72 लाख रुपए** या लगभग **14,333 रुपए** प्रति माह अनुमानित थी।
  - एक सेवानिवृत्त सांसद को अब औसत भारतीय आय से दोगुना से अधिक प्राप्त होता है, जबकि एक वर्तमान **सांसद लगभग नौ गुना अधिक** आय अर्जित करता है।
  - राजनीतिक नेताओं को पर्याप्त वेतन वृद्धि मिलने से आम जनता को स्वयं के वेतन में स्थिरता का अनुभव होगा जिससे जन साधारण में **स्वार्थी शासन की धारणा** विकसित हो सकती है।
    - इससे **लोकतांत्रिक संस्थाओं** की वैधता कमज़ोर हो सकती है, निर्वाचित पदाधिकारियों में जनता का विश्वास प्रभावित हो सकता है तथा **शासक वर्ग** और **शासित वर्ग** का अंतराल बढ़ सकता है।
- **शासन प्राथमिकताओं में विषमता:** हालाँकि सांसदों के वेतन में वर्ष 2025 में 24% की वृद्धि की गई किंतु भारत का **राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (NFLMW)** मात्र 176 रुपए प्रतिदिन (वर्ष 2017 से अपरिवर्तित) बना हुआ है और यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में निम्नतम है।
  - यह स्पष्ट विरोधाभास **तात्कालिकता और प्राथमिकता** में बेमेल को उजागर करता है, जो लोकतांत्रिक शासन की नैतिक विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।
- **लोकलुभावनवाद को बढ़ावा:** वेतन में स्थिरता, **मुद्रास्फीति में वृद्धि (वर्ष 2024 में खाद्य मुद्रास्फीति 9.04%),** और **घरेलू बचत वित्त वर्ष 24 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.3% पर निम्न होने के साथ** मतदाताओं की **राज्य के नेतृत्व वाली नि:शुल्क योजनाओं** पर निर्भरता तेज़ी से बढ़ रही है।
  - इन समस्याओं का निवारण किये बिना राजनेताओं के वेतन में वृद्धि किये जाने से दीर्घकालिक कल्याणकारी सुधारों की अपेक्षा **अल्पकालिक लोकलुभावन राजनीति** को बढ़ावा मिल सकता है।
- **समावेशी विकास लक्ष्यों की उपेक्षा: वेतन में असमानता "साझा समृद्धि"** की अवधारणा के विपरीत है, जो सतत् विकास का प्रमुख लक्ष्य (**SDG 10: समानीत असमता**) है, और इससे विकास-समावेशी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की वैश्विक छवि धूमिल हो सकती है।
- **अनुपयुक्त सामाजिक संरक्षण अवसंरचना:** भारत का परिदृश्य **यूरोपीय संघ** के विपरीत है, जो **उचित न्यूनतम वेतन और वेतन संबंधी विवादों हेतु विधिक निवारण तंत्र** का प्रावधान करता है।
  - भारत का **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948** वर्तमान में भी संकीर्ण रूप से परिभाषित है (**मुख्यत: भोजन/कैलोरी मानदंडों पर केंद्रित**) जिसमें आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अन्य आवश्यक पहलुओं हेतु व्यापक प्रावधान नहीं किये गए हैं तथा श्रमिकों के वेतन को नगण्य महत्त्व दिया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत वेतन-मुद्रास्फीति अंतराल को किस प्रकार कम कर सकता है?

- **प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता:** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और 14वें वित्त आयोग जैसे विशेषज्ञों ने वेतन संशोधन को राजनीतिकरण से मुक्त करने तथा उन्हें आर्थिक निष्पादन के अनुरूप बनाने के लिये **स्वतंत्र परिलब्धि आयोगों** की अनुशंसा की है।
- **न्यूनतम वेतन को मुद्रास्फीति के अनुरूप सूचकांकित किया जाना:** न्यूनतम वेतन को मुद्रास्फीति के अनुरूप सूचकांकित करने से मौजूदा वेतन में और कमी होने की समस्या का समाधान किया जा सकता है तथा स्थिर वास्तविक आय सुनिश्चित की जा सकती है।
  - आवधिक आधार संशोधन के साथ एक **राष्ट्रीय वेतन सूचीकरण तंत्र** का क्रियान्वन किया जा सकता है।
- न्यूनतम मजदूरी से उचित मजदूरी की ओर बदलाव: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के अनुरूप , स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और सामाजिक गतिशीलता को शामिल करने के लिये "जीवन के सभ्य मानक" की परिभाषा का विस्तार करें ।
  - ILO के सभ्य कार्य एजेंडा (जिसका उद्देश्य रोज़गार सृजन के माध्यम से उत्पादक रोज़गार और सभ्य कार्य को बढ़ावा देना है) और यूरोपीय संघ के उचित वेतन ढाँचे के साथ भारत की नीतियों को संरेखित करने की आवश्यकता है।
- डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से अनुपालन: विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में वेतन अनुपालन की निगरानी के लिये ई-श्रम पोर्टल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) डेटाबेस और वास्तविक समय में रिपोर्टिंग टूल का पूर्णतम उपयोग किया जाना चाहिये।
- वेतन में समानता हेतु 8वाँ वेतन आयोग: 8वें वेतन आयोग को संतुलित आय संरचना के उद्देश्य से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वेतन रुझानों को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी वेतन को मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप निर्धारित करना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए वेतन-मुद्रास्फीति अंतराल को किस प्रकार कम कर सकता है? नीतिगत सुधारों का सुझाव दीजिये।

भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड स्तर की संवृद्धि दर्ज की गई है, जहाँ कुल उत्पादन बढ़कर **28 मिलियन यूनिट** हो गया है और इसी क्रम में यह क्षेत्र विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिये एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में रूपांतरित हो रहा है।

भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र का विकास पथ किस प्रकार रहा है?

- **प्रारंभिक उदारीकरण (1991 के बाद): वर्ष 1991** में ऑटोमोबाइल उद्योग को **लाइसेंस मुक्त** कर दिया गया और उसके बाद **स्वचालित मार्ग से 100%** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई।
  - इससे सुजुकी, हुंडई और होंडा जैसे वैश्विक निर्माताओं के लिये भारत में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करना सुकर हुआ।
- **उत्पादन में वृद्धि:** वाहनों का उत्पादन **2 मिलियन यूनिट (1991-92) से बढ़कर 28 मिलियन** (2023-24) हो गया।
- **अर्थव्यवस्था में योगदान:** भारत के ऑटोमोटिव उद्योग का आवर्त **240 बिलियन अमरीकी डॉलर** है और इस क्षेत्र का भारत के **सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6% का योगदान** है तथा इससे लगभग 30 मिलियन रोज़गार (4.2 मिलियन प्रत्यक्ष और 26.5 मिलियन अप्रत्यक्ष) का सर्जन हुआ।
- **ऑटो कंपोनेंट उद्योग:** भारत के **ऑटो कंपोनेंट उद्योग** का सकल घरेलू उत्पाद में **2.3%** का योगदान है और इससे प्रत्यक्ष रूप से **1.5 मिलियन** लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है।
  - वित्त वर्ष 24 में, उद्योग का आवर्त 6.14 लाख करोड़ रुपए (74.1 बिलियन अमरीकी डॉलर) हो गया, जिसका 54% आपूर्ति घरेलू मूल उपकरण निर्माताओं और 18% निर्यात का था।
  - **वित्त वर्ष 2016-24** की **8.63% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)** से बढ़ते हुए, वित्त वर्ष 24 में निर्यात बढ़कर 21.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया और अनुमानत: वर्ष 2026 तक यह बढ़कर 30 बिलियन अमरीकी डॉलर हो जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग में वृद्धि: अगस्त 2024** तक कुल EV पंजीकरण 4.4 मिलियन से अधिक था। EV का बाज़ार में योगदान 6.6% रहा।
- **व्यापार:**
  - **निर्यात विस्तार:** वित्त वर्ष 24 में निर्यात 4.5 मिलियन यूनिट हो गया। भारत का ऑटो कंपोनेंट निर्यात यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया में सर्वाधिक है।
  - **आयात:** ऑटो कंपोनेंट उद्योग ने वर्ष 2023-24 के दौरान 21.2 बिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात किया और 20.9 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के कंपोनेंट का आयात किया, जिसके परिणामस्वरूप **300 मिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार अधिशेष** हुआ।
- **FDI और निवेश:** भारत को 36 बिलियन अमरीकी डॉलर का FDI (2020-2024) प्राप्त हुआ, और वित्त वर्ष 28 तक, भारतीय ऑटो उद्योग ने **देशज रूप से इलेक्ट्रिक मोटर्स** और स्वचालित ट्रांसमिशन **विकसित करने के उद्देश्य से** आयात में कमी लाने और **"चाइना प्लस वन" रणनीति** का लाभ उठाने के लिये **7 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश** की योजना बनाई है।

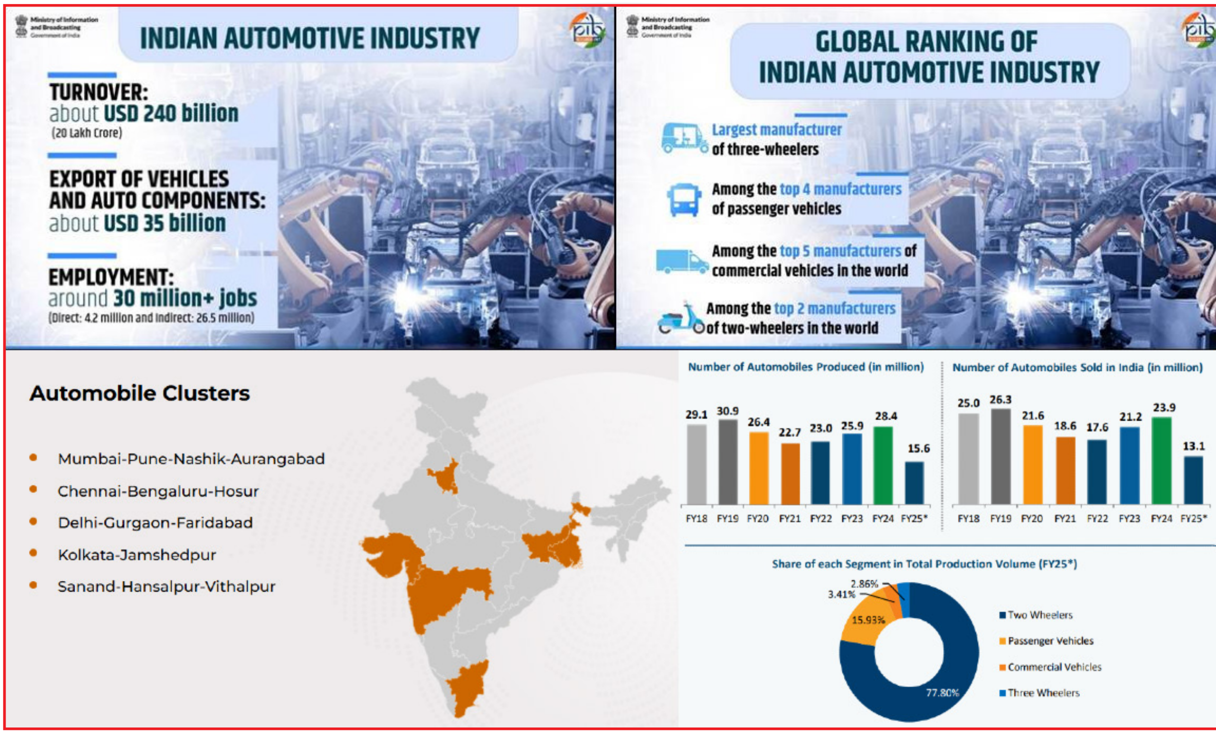

मेक इन इंडिया के अंतर्गत ऑटो क्षेत्र की प्रमुख पहलें कौन-सी हैं?

- **योजनाएँ:**
  - **भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाने तथा विनिर्माण (FAME इंडिया) योजना चरण- II** के अंतर्गत **16.15 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों** के लिये प्रोत्साहन और 10,985 चार्जिंग स्टेशनों को स्वीकृति देने के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वीकरण हेतु सहायता प्रदान की गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- PLI-ऑटो (ऑटो और घटकों के लिये उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन) के अंतर्गत EV और हाइड्रोजन ईंधन-सेल घटकों सहित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (AAT) को बढ़ावा दिया जाता है।
- PLI-ACC (एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग) का लक्ष्य 50 गीगावाट घंटे (GWh) बैटरी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र (चार फर्मों को 40 जीडब्ल्यूएच आवंटित) निर्मित करना है।
- अभिनव वाहन संवर्द्धन में PM इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति (2024-2026) के अंतर्गत EV, ई-ट्रकों, ई-बसों और चार्जिंग यूनिटों हेतु सहायता प्रदान की जाती है।
- PM ई-बस सेवा योजना (वित्त वर्ष 2024-29) का लक्ष्य 38,000 से अधिक ई-बसों की सुविधा प्रदान करना है।

- **नीतिगत उपाय:** वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है तथा **आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय** ने निजी एवं वाणिज्यिक भवनों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को अनिवार्य बनाने के क्रम में **मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज, 2016** में संशोधन किया है।

भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **आयात पर निर्भरता:** भारत लिथियम-आयन सेल और सेमीकंडक्टर जैसे प्रमुख EV घटकों के आयात पर निर्भर है, जिससे लागत एवं आपूर्ति वैश्विक व्यवधानों के प्रति संवेदनशील होने से आत्मनिर्भरता सीमित हो जाती है।
- **EV का सीमित प्रसार:** भारत में EV का प्रसार **वैश्विक स्तर पर 12% और चीन के 30%** की तुलना में कम है। इसके अतिरिक्त, **जीएसटी में कटौती के बावजूद** बैटरी और वाहन की लागत अधिक बनी हुई है।
  - **विशेष रूप से टियर-2/3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों** में सीमित चार्जिंग अवसंरचना जैसी **चिंताएँ वित्त वर्ष 30 तक इसके 20% प्रसार** के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक हैं।
- **कुशल कार्यबल की कमी:** व्यापक श्रम बाज़ार के बावजूद इस उद्योग में **स्वचालन तथा ईंधन सेल और हाइड्रोजन तकनीक** में कुशल श्रमिकों की कमी है।
- **सख्त उत्सर्जन मानदंड:** आगामी कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE III और IV) मानक (2027-2032) के तहत सख्त कार्बन उत्सर्जन सीमाओं को आरोपित किया जाएगा, जिससे वाहन निर्माताओं पर महँगी प्रौद्योगिकी अपनाने का दबाव बनेगा।
  - **इससे आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों की कीमतों** में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि निर्माता स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रहे हैं।
- **साझा आवागमन और सार्वजनिक परिवहन:** राइड-शेयरिंग ऐप्स और बेहतर सार्वजनिक परिवहन विकल्पों के कारण कार की मांग में कमी आने से वाहनों की बिक्री प्रभावित हो सकती है।

भारत अपने ऑटोमोटिव क्षेत्र के विकास और स्थिरता को किस प्रकार गति दे सकता है?

- **ऑटो घटकों का स्थानीयकरण:** खान मंत्रालय के **राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन** के माध्यम से दुर्लभ मृदा तत्त्व और लिथियम के घरेलू उत्पादन में तेज़ी लाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- **बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना:** नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार, शहर की योजना के साथ EV चार्जिंग बुनियादी ढाँचे को एकीकृत किया जाना चाहिये, विशेष रूप से स्मार्ट शहरों और शहरी परिवहन केंद्रों में।
  - EV आपूर्ति श्रृंखला में MSME और स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिये **ग्रीन मोबिलिटी क्रेडिट गारंटी फंड** बनाना चाहिये।
- **सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** नीति आयोग द्वारा अनुशंसित बैटरी स्वैपिंग फ्रेमवर्क को लागू करना चाहिये।
  - अंतिम-मील तक EV को बढ़ावा देने के क्रम में हरित लॉजिस्टिक्स नीतियों को अपनाने के साथ **लॉजिस्टिक्स दक्षता संवर्द्धन कार्यक्रम (LEEP)** पर बल देना चाहिये।
- **नीतिगत सामंजस्य:** राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना के लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिये राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में EV नीतियों को सुव्यवस्थित करना (वर्ष 2020 से प्रतिवर्ष हाइब्रिड एवं EV वाहनों का 6-7 मिलियन तक का बिक्री लक्ष्य प्राप्त करना) चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- व्यापार में सुलभता के लिये **राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS)** का उपयोग करके विनियामक अनुमोदनों को डिजिटल बनाना चाहिये।
- **ICV से EV में परिवर्तन:** वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के साथ CAFE III और IV का समर्थन (विशेष रूप से MSME के संदर्भ में) करना चाहिये।
  - **कौशल भारत मिशन** और **राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना** के अंतर्गत लक्षित पुन: कौशलीकरण के माध्यम से ICV पारिस्थितिकी तंत्र में श्रम विस्थापन की समस्या का समाधान करना चाहिये।
  - पुराने ICV के रिटायरमेंट को प्रोत्साहित करने एवं EV खरीद के लिये छूट प्रदान करके वाहन स्क्रैपेज नीति को EV के प्रसार के साथ संरेखित करना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित करने में 'मेक इन इंडिया' पहल की भूमिका का विश्लेषण कीजिये।

संशोधित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशानिर्देश

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत** संशोधित **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL)** दिशानिर्देश जारी किये हैं। इन अद्यतनों का उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।

संशोधित PSL दिशानिर्देश 2025 क्या हैं?

- **शिक्षा के लिये उच्च ऋण सीमा:** RBI ने शिक्षा के लिये PSL के तहत ऋण सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर दिया है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा ऋण: सौर ऊर्जा, बायोमास** और सूक्ष्म जल विद्युत संयंत्रों जैसी **नवीकरणीय ऊर्जा** परियोजनाओं के लिये ऋण सीमा प्रति उधारकर्त्ता 30 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपए कर दी गई।
  - नवीकरणीय ऊर्जा के लिये व्यक्तिगत परिवारों के लिये ऋण की सीमा प्रति उधारकर्त्ता 10 लाख रुपए तक बनी रहेगी।
- **शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के लिये PSL लक्ष्य:** UCB के लिये संशोधित PSL लक्ष्य को **समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर (CEOBE)** के समतुल्य ऋण के 60% (75% से) तक घटा दिया गया है, जो भी अधिक हो।
- **आवास क्षेत्र:** किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिये ऋण सीमा बढ़ाई गई है, विशेष रूप से टियर-III से टियर-VI शहरों में।
- **'कमज़ोर वर्ग' श्रेणी का विस्तार: 'कमज़ोर वर्ग' श्रेणी** के अंतर्गत पात्र उधारकर्त्ताओं की सूची का विस्तार किया गया है, इसमें अब **ट्रांसजेंडर** को भी शामिल किया गया है, जिससे वंचित समूहों के लिये वित्तीय समावेशन और बेहतर ऋण पहुँच को बढ़ावा मिलेगा।

नोट: ANBC आवश्यक कटौती और समायोजन के बाद कुल शुद्ध बैंक ऋण है, और CEOBE वह राशि है जो गारंटी और ऋण पत्र जैसे ऑफ-बैलेंस शीट मदों के ऋण जोखिम जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण क्या है?

- **परिचय:** PSL **RBI द्वारा निर्धारित एक अनिवार्य शर्त** है जिसके तहत बैंकों को अपने **ऋणों का एक निश्चित हिस्सा उन प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवंटित करना** होता है, जो ऋण की कमी का सामना कर रहे हैं, लेकिन **समावेशी आर्थिक विकास** के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (PSLC)** प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों के बदले जारी किये जाने वाले व्यापार योग्य प्रमाणपत्र हैं।
- **PSL का विकास: गाडगिल समिति (वर्ष 1969)** ने **'क्षेत्रीय दृष्टिकोण'** का प्रस्ताव रखा, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ऋण योजना के लिये **अग्रणी बैंक योजना (LBS)** का विकास हुआ।
  - **नरीमन समिति (वर्ष 1969)** ने गाडगिल समिति की सिफारिशों का समर्थन किया और सिफारिश की कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक बैंक को PSL को बढ़ावा देने के लिये कुछ ज़िलों को 'अग्रणी बैंक' के रूप में अपनाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

- **PSL को वर्ष 1972 में RBI के अनौपचारिक अध्ययन समूह की रिपोर्ट (वर्ष 1971)** के आधार पर औपचारिक रूप दिया गया था। प्रारंभ में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन **वर्ष 1974** में बैंकों को **वर्ष 1979 तक PSL को 33.3%** तक बढ़ाने की सलाह दी गई।
- **कृष्णास्वामी समिति (वर्ष 1980)** ने **वर्ष 1985 तक 40% PSL लक्ष्य** की सिफारिश की, जिसमें **कृषि और कमज़ोर वर्गों** के लिये उप-लक्ष्य भी शामिल थे।
- **उषा थोराट समिति (2009)** ने PSL के विस्तार में इसकी भूमिका के लिये LBS को जारी रखने का समर्थन किया।

बैंकों के लिये PSL लक्ष्य:

बैंक श्रेणी	लक्ष्य
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCB) और विदेशी बैंक (भारत में 20+ शाखाओं के साथ)	ANBC या CEOBE का 40%, जो भी अधिक हो
विदेशी बैंक (20 से कम शाखाएँ)	ANBC या CEOBE का 40% (निर्यात ऋण: न्यूनतम 32%, और गैर-निर्यात क्षेत्र 8%)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) और लघु वित्त बैंक (SFB)	ANBC या CEOBE का 75%, जो भी अधिक हो

- **लक्ष्य पूरा न कर पाने की स्थिति में बैंकों के लिये प्रावधान:** यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तक धनराशि की उपलब्धता बनी रही, PSL लक्ष्य पूरा करने में विफल रहने वाले बैंकों को **ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF)** और अन्य निर्दिष्ट निधियों में निश्चित ब्याज दरों पर योगदान करना होगा।

नोट: विदेशी बैंक (भारत में 20 से कम शाखाओं के साथ) **गैर-निर्यात क्षेत्रों** के लिये **अपने 8% लक्ष्य को पूरा करने के लिये PSLC जनरल का क्रय नहीं कर सकते हैं**, लेकिन कृषि, MSME और लघु तथा सीमांत किसानों के लिये PSLC का क्रय कर सकते हैं।

PSL से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **क्षेत्रीय असंतुलन:** बैंक सामान्यत: PSL के अंतर्गत MSME या आवास क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वे व्यावसायिक रूप से अधिक व्यवहार्य होते हैं।
  - **लघु एवं सीमांत कृषि** जैसे क्षेत्र, PSL का मुख्य घटक होने के बावजूद, वर्तमान में भी अपर्याप्त वित्त-पोषित क्षेत्र हैं।
- **उच्च अनर्जक परिसंपत्तियाँ (NPA):** बैंकों को विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में PSL ऋणों की वसूली में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण **उच्च NPA** और वित्तीय तनाव उत्पन्न होता है।
  - अध्ययनों के अनुसार PSL के कारण उधारकर्त्ताओं की सुभेद्यता के कारण **चूक में वृद्धि** होती है तथा **राजनीतिक हस्तक्षेपों (ऋण माफी जैसी पहलों के साथ)** के कारण बैंक ऋण प्रदान करने हेतु **निरुत्साहित** होते हैं।
- **बैंकों के लिये अल्प लाभप्रदता:** PSL ऋणों में प्राय: ब्याज दरें कम होती हैं और चूक का जोखिम अधिक होता है, जिससे वे बैंकों के लिये अल्प लाभदायक होते हैं।
- लक्ष्य-संचालित दृष्टिकोण: PSL परिणाम-उन्मुख होने के बजाय लक्ष्य-संचालित हो गया है। बैंक प्राय: अप्रत्यक्ष या गैर-प्राथमिकता वाले तरीकों से कोटा पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे वास्तविक विकासात्मक प्रभाव कम हो जाता है।

PSL का वर्द्धन करने हेतु क्या किया जा सकता है?

- **निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन:** कोटा-आधारित ऋण प्रदान किये जाने के स्थान पर निर्धनता निवारण, आजीविका सृजन और सामाजिक परिणामों पर केंद्रित **प्रभाव-संचालित दृष्टिकोण** अपनाने की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ❖ केवल ऋण वितरण आँकड़ों के बजाय **सामाजिक प्रभाव लेखापरीक्षा और विकास संकेतकों** के माध्यम से निष्पादन आकलन शुरू किया जाना चाहिये।
- **जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देना:** PSL के अंतर्गत उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिये समर्पित **ऋण गारंटी योजनाओं** के माध्यम से, जैसे कि **सूक्ष्म और लघु उद्यमों योजना हेतु संशोधित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)** की स्थापना, NPA के जोखिम को व्यापक स्तर तक कम किया जा सकता है।
- **डिजिटल और तकनीकी एकीकरण: उधारकर्त्ताओं की प्रोफाइल बनाने, जोखिमों की पूर्वानुमान करने और ऋण उत्पादों को वैयक्तिकृत करने** के लिये बिग डेटा को उपयोग में लाया जाना चाहिये। कृषि-ऋण विश्वसनीयता को बढ़ाते हुए कृषि उत्पादन का आकलन करने के लिये जियोटैगिंग का उपयोग किया जाना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) का वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान होता है?

विमानन क्षेत्र में भारत की प्रगति

चर्चा में क्यों?

भारत जून 2025 में **81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन** की मेज़बानी करेगा।

- यह आयोजन भारत के तेज़ी से विकसित होते **विमानन क्षेत्र** पर प्रकाश डालता है, जो अनुमानत: इस दशक में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाज़ार बनेगा।

भारत के विमानन क्षेत्र का परिदृश्य कैसा है?

- **बाज़ार संवृद्धि और वैश्विक स्थिति:** अमेरिका और चीन के बाद भारत **तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार** है। **दक्षिण एशिया के एयरलाइन यातायात** में भारत की वर्तमान हिस्सेदारी 69% है।
    - ❖ भारत अनुमानित रूप से **वर्ष 2030** तक **तीसरा सबसे बड़ा वायु यात्री बाज़ार** (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू) होगा।
    - ❖ वित्त वर्ष 2025 (सितंबर 2024 तक) के दौरान **वायु यात्रा करने वाले यात्रियों** (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू) **की संख्या** 196.91 मिलियन रही।

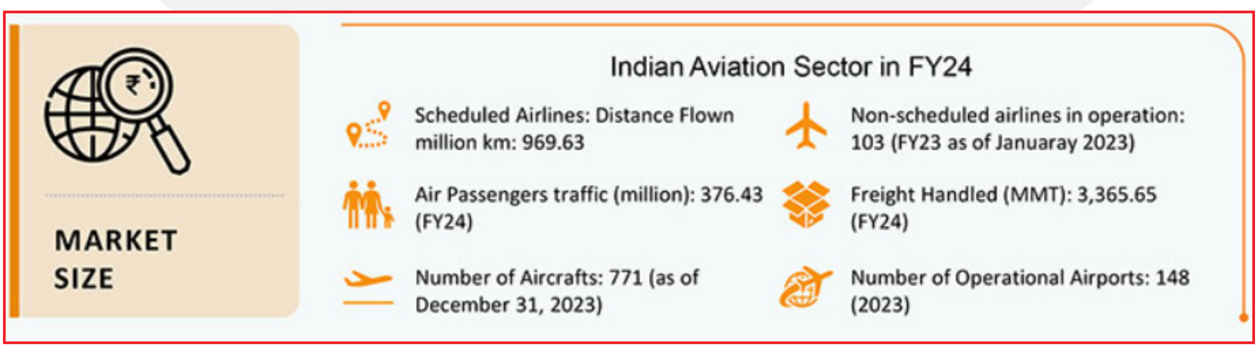

- **रोजगार सृजन:** विमानन उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से **369,700 लोगों को रोजगार प्राप्त है** और आर्थिक उत्पादन में इसका **5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यदि पर्यटन और संबंधित उद्योगों को शामिल किया जाए, तो विमानन क्षेत्र द्वारा प्रदत्त रोज़गार **7.7 मिलियन** है और इसका **53.6 बिलियन अमरीकी डालर** का योगदान है, जो **भारत के सकल घरेलू उत्पाद** का 1.5% है।
- **बुनियादी ढाँचा:** परिचालनगत हवाई अड्डों की संख्या **वर्ष 2014** में **74** थी जो **वर्ष 2024** में बढ़कर **157** हो गई, तथा **वर्ष 2047** तक **350 से 400 हवाई अड्डों** को क्रियाशील बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को स्वीकृति दी गई, जिनमें से 11 पहले से ही परिचालन में हैं।
  - **विमानों का गमनागमन** 3.85% की **चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)** के साथ वित्त वर्ष 17 के 2.05 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 2.67 मिलियन हो गया।
  - नये टर्मिनल और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का विकास जारी है (जैसे, बागडोगरा सिविल एन्क्लेव, देहरादून टर्मिनल)।

भारत के विमानन विकास के प्रमुख चालक क्या हैं?

- **मध्यम वर्ग का निरंतर विस्तार:** भारत में **मध्यम वर्ग के निरंतर विस्तार से** एक दशक में घरेलू वायु यात्रा में दोगुना वृद्धि हुई है, जो **वित्त वर्ष 24 में 15% वार्षिक वृद्धि** के साथ **37.6 करोड़** हो गया है।
  - इस जनांकिकीय बदलाव के कारण, विशेष रूप से घरेलू मार्गों पर, **संवहनीय और सुलभ वायु यात्रा** की मांग में वृद्धि हुई है।
- **बेड़े का विस्तार:** इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइनों ने व्यापक स्तर पर विमानों के ऑर्डर दिये हैं। परिचालनगत वाणिज्यिक विमानों की संख्या **वर्ष 2027** तक **1,100** होने की उम्मीद है, जो **वर्ष 2023** में 771 थी।
- **पर्यटन और व्यावसायिक यात्रा:** धार्मिक, चिकित्सा और साहसिक पर्यटन के बढ़ने के साथ-साथ **व्यावसायिक यात्रा** में वृद्धि से भारत के विमानन क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा मिला है।
- **प्रतिभा पूल:** वैश्विक औसत 5% की तुलना में भारत में महिला पायलटों की हिस्सेदारी 15% है, जो **विमानन लैंगिक समानता** में महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि:** **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 में मात्र 5 थी जो वर्ष 2024 में बढ़कर 24 हो गई है। **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन** में 25 हवाई अड्डों का निजीकरण करना शामिल है।
- **सरकारी पहल:** **UDAN (उड़े देश का आम नागरिक)** के माध्यम से वायु यात्रा के किराए में सब्सिडी देकर और अल्प सुविधा वाले हवाई अड्डों को विकसित कर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में विस्तार हुआ है।
  - **UDAN** के अंतर्गत 519 से अधिक मार्गों को क्रियाशील बनाया गया है, जिससे समग्र देश के दूरदराज़ और आंतरिक क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार हुआ है।
  - **डिजी यात्रा,** चेहरे की पहचान तकनीक के माध्यम से संपर्क रहित, पेपरलेस हवाई यात्रा को सुगम यात्री प्रसंस्करण के लिये सक्षम बनाती है।
  - सरकार **अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** की अनुमति देती है (स्वचालित मार्ग से 49% तक), जबकि अनिवासी भारतीय (NRI) अनुसूचित वायु परिवहन सेवा में **स्वचालित मार्ग से 100% निवेश** कर सकते हैं।
    - वर्ष 2000 से वर्ष 2024 के बीच भारत ने हवाई परिवहन क्षेत्र में **3.85 बिलियन अमरीकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** आकर्षित किया।
  - भारत ने घरेलू **रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) उद्योग** को बढ़ावा देने के लिये **विमान भागों पर एक समान 5% एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया है,** जिसके वर्ष 2030 तक 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

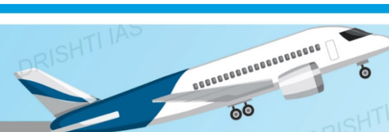

उड़ान योजना

(उड़े देश का आम नागरिक)

परिचय:

- यह एक क्षेत्रीय संपर्क योजना है।
- इसे वर्ष **2016** में लॉन्च किया गया।
- यह योजना **10** वर्षों की अवधि के लिये परिचालित की गई है।
- उड़ान **(UDAN)** योजना का विस्तृत रूप **"Ude Desh ka Aam Nagrik"** है।
- इसे राष्ट्रीय नागर विमानन नीति-2016 के अनुसरण में तैयार किया गया है।
- इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया।

लाभ:

- विमानन क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण।
- रोज़गार सृजन।
- पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा।

विशेषताएँ

- हवाई सेवा के माध्यम से छोटे और मध्यम शहरों को बड़े शहरों से जोड़ना।
- सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक हवाई यात्रा प्रदान करना।
- असेवित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों से संचालन को प्रोत्साहित करने के लिये चयनित एयरलाइनों को वित्तीय प्रोत्साहन देना।
- कुछ उड़ानों पर लेवी के माध्यम से योजना के वित्तीयन के लिये एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी फंड बनाना।

उड़ान योजना के विभिन्न चरण:

- **उड़ान 1.0:** इस चरण में **70** हवाई अड्डों के लिये **128** उड़ान मार्गों को **5** एयरलाइन कंपनियों को प्रदान किया गया।
- **उड़ान 2.0:** उड़ान योजना के दूसरे चरण के तहत पहली बार हेलीपैड भी योजना से जोड़े गए थे।
- **उड़ान 3.0:** इसमें टूरिस्ट रूट, वाटर एयरोड्रोम को जोड़ने के लिये सीप्लेन और नॉर्थ-ईस्ट कनेक्टिविटी शामिल हैं।
- **उड़ान 4.0:** वर्ष 2020 में उड़ान योजना के चौथे चरण के तहत **78** नए मार्गों के लिये मंज़ूरी दी गई थी।
- **उड़ान 4.1:** इस चरण में सागरमाला सीप्लेन सेवाओं के तहत नए रूट भी प्रस्तावित किये गए हैं।
- **लाइफलाइन उड़ान:** कोविड-**19** के समय में पूरे भारत में मेडिकल कार्गो और आवश्यक आपूर्ति का हवाई परिवहन।
- **कृषि उड़ान:** कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करना
- **अंतर्राष्ट्रीय उड़ान:** भारत के छोटे शहरों को कुछ प्रमुख विदेशी गंतव्यों से सीधे जोड़ने के लिये परिचालित किया गया है।

भारतीय विमानन क्षेत्र को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

- **उच्च ईंधन लागत:** विमानन एक कम मार्जिन वाला उद्योग है जिसका वैश्विक शुद्ध लाभ मार्जिन **केवल 3.6%** है। भारत में **एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF)** पर अत्यधिक कर लगाया जाता है, जो एयरलाइन के परिचालन व्यय का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है और वित्तीय बोझ बढ़ाता है।
- **विनिमय दर में अस्थिरता: अमेरिकी डॉलर** के मुकाबले **भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट** से **एयरलाइनों की लागत बढ़ जाती है,** क्योंकि विमान पट्टे और ईंधन आयात जैसे प्रमुख खर्च डॉलर में ही होते हैं।
- **स्थिरता:** वैश्विक विमानन उद्योग वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- हालाँकि, भारत के प्रयासों में **सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) को धीमी गति से अपनाने** और हरित हवाई अड्डे के सीमित बुनियादी ढाँचे के कारण बाधा आ रही है, जिससे उत्सर्जन और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की दिशा में इसकी प्रगति प्रभावित हो रही है।

- **क्षेत्रीय संपर्क में कमी:** उड़ान योजना के अंतर्गत प्रगति के बावजूद, कई टियर-II और टियर-III शहर, विशेषकर **तेलंगाना जैसे विकासशील राज्यों में,** अभी भी कनेक्टिविटी से वंचित हैं।
  - **कुशीनगर** (उत्तर प्रदेश) और **सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)** जैसे हवाई अड्डे कम मांग के कारण संघर्ष कर रहे हैं, जिससे एयरलाइनों को परिचालन में कटौती करने पर मज़बूर होना पड़ रहा है।
- **विनियामक जटिलता और ओवरलैप:** विमानन क्षेत्र की देखरेख कई एजेंसियाँ करती हैं (**नागरिक उड्डयन महानिदेशालय**, **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, नागरिक विमानन मंत्रालय), जिसके कारण कार्य-क्षेत्र में ओवरलैपिंग होती है और मंज़ूरी में विलंब होता है।
  - एयरलाइनों को कराधान, पर्यावरण मंज़ूरी और हवाई अड्डा शुल्क सहित जटिल अनुपालन बोझ का सामना करना पड़ता है।
- **अविकसित विमानन क्षेत्र आधुनिकीकरण:** विमानों की संख्या में तीव्र वृद्धि के साथ-साथ **वायु यातायात नियंत्रण और विमानन क्षेत्र अनुकूलन का आधुनिकीकरण नहीं किया गया है,** विशेष रूप से व्यस्त क्षेत्रों में, जिसके कारण उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन और विलंब हो रहा है।
  - इसके अतिरिक्त, बढ़ती मांग के बावजूद कमजोर कार्गो बुनियादी ढाँचे के कारण माल ढुलाई की वृद्धि बाधित हो रही है।

भारत के विमानन विकास को मज़बूत करने के लिये किन उपायों की आवश्यकता है?

- **ATF कराधान का युक्तिकरण:** ATF को **वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था** के अंतर्गत लाना, ताकि व्यापक करों को कम किया जा सके तथा राज्यों में एक समान मूल्य निर्धारण सुनिश्चित किया जा सके।
- **विमानन क्षेत्र का आधुनिकीकरण:** विमानन क्षेत्र के उपयोग को अनुकूलित करने और विलंबता को कम करने के लिये **उन्नत-सतही संचलन मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली के साथ प्रस्तावित नागरिक हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली** को शीघ्रता से क्रियान्वित करना।
- **स्थिरता को बढ़ावा देना:** भारत, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा **इथेनॉल** उत्पादक और उपभोक्ता है, में **अल्कोहल-टू-जेट (AtJ) मार्ग** (अल्कोहल को वैकल्पिक जेट ईंधन में रूपांतरित करना) के माध्यम से **SAF उत्पादन** में अग्रणी बनने की प्रबल क्षमता है।
- **कार्गो अवसंरचना को प्रोत्साहित करना:** ग्रामीण आय और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये शीघ्र खराब होने वाले और उच्च मूल्य वाले सामानों के लिये कोल्ड चेन और वेयरहाउसिंग के साथ **कृषि उड़ान 2.0** के अंतर्गत समर्पित **एयर कार्गो हब** विकसित करना।

निष्कर्ष

भारत का विमानन क्षेत्र ऐतिहासिक मोड़ पर है और **वैश्विक विमानन क्षेत्र में अग्रणी** बनने की स्थिति में है। **लागत संबंधी चिंताओं का समाधान करके और स्थिरता को बढ़ावा देकर,** भारत इस महत्त्वपूर्ण उद्योग में दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित कर सकता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत के विमानन क्षेत्र के विकास को गति देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? यह अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान देता है?

भारत में खाद्य सब्सिडी का पुनर्मूल्यांकन

चर्चा में क्यों?

HCES 2023-24 में आय में वृद्धि, निर्धनता में कमी और खाद्य व्यय में सुधार दर्शाया गया है, जिससे **NFSA 2013 के पुनर्मूल्यांकन** की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ा है, जिसके तहत वर्ष 2011-12 के आँकड़ों के आधार पर अभी भी **81 करोड़ लोगों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न** प्रदान करना शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत में गरीबी रेखा का अनुमान

- **तेंदुलकर समिति (2009):** इस समिति ने न्यूनतम कैलोरी सेवन के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित किया। वर्ष 2004-05 की कीमतों के अनुसार, इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 27 रुपए प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों के लिये 33 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया गया। इसने गरीबी मापन के लिये आय और बुनियादी आवश्यकताओं पर ज़ोर दिया।
  - यह मीट्रिक भारत के आधिकारिक रूप से गरीबी मूल्यांकन का आधार बना हुआ है।
- **रंगराजन समिति (2014):** गरीबी रेखा को संशोधित करते हुए इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 32 रुपए प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों के लिये 47 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया। यह संशोधन व्यापक उपभोग पैटर्न तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया।
  - वर्ष 2011-12 के लिये गरीबी दर 29.5% अनुमानित की गई, जबकि **तेंदुलकर द्वारा 21.9% का अनुमान** लगाया था।
- इस रिपोर्ट को आधिकारिक योजना या गरीबी अनुमान के लिये नहीं अपनाया जाता है।

भारत में खाद्य सब्सिडी कार्यक्रमों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है?

- **बढ़ती खपत:** ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में **मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE)** में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
  - वर्ष 2023-24 में ग्रामीण MPCE बढ़कर 4,122 रुपए हो गया (2011-12 की कीमतों पर 2,079 रुपए से), जो **2011-12 स्तर की तुलना में 45% की वृद्धि** दर्शाता है, जबकि शहरी MPCE बढ़कर 6,996 रुपए हो गया (2011-12 की कीमतों पर 3,632 रुपए से), जो **38% की वृद्धि को दर्शाता** है।
- **गरीबी के स्तर में कमी:** SBI (2025) के एक हालिया अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि **वर्ष 2024 में भारत का गरीबी अनुपात 4-4.5%** होगा, जिसमें लगभग **6.7 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी की स्थिति में** होंगे।
  - **मुद्रास्फीति-समायोजित तेंदुलकर** गरीबी रेखा रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया कि ग्रामीण गरीबी वित्त वर्ष 2012 (वित्त वर्ष 12) में 25.7% से घटकर वित्त वर्ष 2024 (वित्त वर्ष 24) में 4.86% रह गई, जबकि शहरी गरीबी इसी अवधि में 13.7% से घटकर 4.09% हो गई।
  - **भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 में 21.9%** से घटकर 2024 में 8.7% (12.9 करोड़ लोग) हो जाएगी **(विश्व बैंक)**।
  - MPI के अनुसार, वित्त वर्ष 23 में केवल 11.28% आबादी बहुआयामी गरीबी में रह रही थी।
- **NFSA लाभार्थी कवरेज में विसंगति:** NFSA **81 करोड़ लोगों (75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी)** को सब्सिडी युक्त भोजन प्रदान करता है।
- हालाँकि, **वर्तमान में गरीबी लगभग 10%** है, जो कवरेज **वास्तविक आवश्यकता से अधिक** है, यह दर्शाता है कि कई **प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH)** लाभार्थियों को **वर्तमान में सब्सिडी की आवश्यकता नहीं** है।
- खाद्य सब्सिडी की अवसर लागत: सरकार NFSA पर वार्षिक रूप से 2 लाख करोड़ रुपए व्यय करती है।
- लाभार्थी कवरेज को युक्तिसंगत बनाने से रोज़गार सृजन, औद्योगिक विकास और सामाजिक बुनियादी ढाँचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिये संसाधन मुक्त हो सकते हैं।
- **शांता कुमार समिति (2015):** इसने सब्सिडी को बेहतर ढंग से लक्षित करने के लिये PDS कवरेज को जनसंख्या के 40% तक कम करने की भी सिफारिश की थी।

खाद्य सब्सिडी कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है?

- **डेटा-आधारित लक्ष्यीकरण:** HCES 2023-24 डेटा का उपयोग करके, वर्तमान गरीबी स्तर के आधार पर NFSA लाभार्थी सूचियों को तर्कसंगत बनाया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

अंत्योदय अन्न योजना (AAY) एवं प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH)

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013** के तहत लाभार्थियों को AAY और PHH में वर्गीकृत किया गया है।
- **अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार:** AAY भूमिहीन मजदूरों, सीमांत किसानों और दैनिक वेतन भोगियों सहित सबसे **गरीब लोगों को कवर** करता है। **प्रत्येक परिवार को** NFSA के तहत **प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त** होता है।
- **प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH):** PHH में सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर राज्यों द्वारा पहचानी गई कमज़ोर आबादी शामिल होती है।
  - **प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न** प्राप्त होता है, जो कुल मिलाकर **प्रति परिवार** लगभग 20 किलोग्राम होता है (औसत आकार: 4.2)।
- **कवरेज:** AAY लगभग 9 करोड़ लोगों को कवर करता है, जबकि PHH 72 करोड़ लोगों को कवर करता है, जिससे **NFSA के कुल लाभार्थियों की संख्या 81 करोड़** हो जाती है।

  - **समावेशन और बहिष्करण** मानदंड निर्धारित करने से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि केवल ऐसे व्यक्ति ही लाभ प्राप्त करें जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है।
- **खाद्य सब्सिडी में क्रमिक सुधार: अंत्योदय अन्न योजना** (AAY) के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिये खाद्य सब्सिडी जारी रखते हुए, **प्राथमिकता प्राप्त परिवारों** (PHH) को **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** में स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे उन्हें अधिक लचीलापन मिलेगा।
  - गैर-गरीब परिवारों के लिये **सब्सिडी वाले खाद्यान्न पर** निर्भरता कम करने के लिये चरणबद्ध योजना लागू करना ।
- **प्रौद्योगिकी-आधारित पारदर्शिता: आधार-संलग्न डेटाबेस** और **AI-आधारित निगरानी** का उपयोग करके रिसाव रोकना, साथ ही कर, वाहन और रोज़गार रिकॉर्ड को एकीकृत कर लाभार्थी सूची को अद्यतन करना।
  - **पोषण सुरक्षा की ओर बदलाव:** सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, जैसे अनीमिया और स्टंटिंग को दूर करने के लिये **पोषक तत्त्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों** (फलों, सब्ज़ियों, दालों) की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करना।
    - **विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति** (2023) के अनुसार, **भारत की** लगभग 74% आबादी स्वस्थ आहार का व्यय वहन नहीं कर सकती।
- **स्थानीय खरीद DBT के साथ:** लाभार्थियों को DBT-लिंक्ड खातों का उपयोग करके स्थानीय बाज़ारों से खाद्य पदार्थ खरीदने की अनुमति देना, जिससे परिवहन लागत में कमी आएगी और वितरण अधिक प्रभावी होगा, जिससे खाद्य सब्सिडी पर व्यय कम होगा।
- **सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) एवं नीतिगत पुनर्संरेखण:** न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिये प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु UBI या बेरोज़गारी भत्ता लागू किया जाए।
  - जैसे-जैसे व्यय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास की ओर बढ़ रहा है, खाद्य सुरक्षा नीतियों को व्यापक सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिये अनुकूलित करना चाहिये, जिससे सुलभ आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ सस्ते खाद्य पदार्थों तक पहुँच भी सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष

गरीबी स्तर में महत्त्वपूर्ण कमी और घरेलू उपभोग क्षमता में वृद्धि के साथ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के व्यापक कवरेज का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है। खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम के अनुकूलन से संसाधनों का पुनर्विनियोजन किया जा सकता है, जिससे रोज़गार सृजन और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा तथा भारत के लिये एक अधिक सतत् और समावेशी कल्याण प्रणाली का मार्ग प्रशस्त होगा।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में खाद्य सब्सिडी कार्यक्रमों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता की जाँच कीजिये। खाद्य वितरण में दक्षता और लक्ष्य निर्धारण बढ़ाने के उपाय सुझाइये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामाजिक न्याय

कैंसर को अधिसूचित रोग बनाने पर बहस

चर्चा में क्यों?

भारत में कैंसर को अधिसूचित रोग बनाने की मांग बढ़ रही है, लेकिन **केंद्र सरकार इसकी गैर-संचारी प्रकृति का तर्क देते हुए इसका विरोध** कर रही है।

- **सर्पदंश को अधिसूचित योग्य रोग के रूप में शामिल करना (वर्ष 2024)** तथा **अमेरिका द्वारा लेड/सीसा विषाक्तता को अधिसूचना योग्य रोग के रूप में सूचीबद्ध करना (वर्ष 1995)** जैसे वैश्विक उदाहरण इस तर्क को चुनौती देते हैं, जिससे कैंसर अधिसूचना पर भारत के रुख का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ती है।

भारत में अधिसूचित रोग क्या है?

- **परिचय:** अधिसूचित **रोग वह रोग है जिसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा** वास्तविक समय महामारी विज्ञान ट्रैकिंग, संसाधन आवंटन और शीघ्र हस्तक्षेप के लिये कानूनी रूप से सरकारी अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिये।
  - **महामारी रोग अधिनियम, 1897 महामारी रोग** (बड़ी संख्या में रोग का तेज़ी से संचरण) की रिपोर्टिंग की अधिसूचना और विनियमन को नियंत्रित करता है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक रोग निगरानी और नियंत्रण में सहायता के लिये कुछ रोगों के लिये अधिसूचना जारी करना अनिवार्य कर दिया है।
- **उदाहरण: तपेदिक, मलेरिया और कोविड-19** जैसी संक्रामक बीमारियाँ आमतौर पर संचरण की क्षमता के कारण **सूचित करने योग्य** होती हैं।
- हालाँकि, **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)** ने सर्पदंश को गैर-संचारी होने के बावजूद एक अधिसूचित रोग के रूप में वर्गीकृत किया है।

कैंसर को अधिसूचित रोग के रूप में वर्गीकृत करने पर बहस क्या है?

पक्ष में तर्क

- **बेहतर डेटा संग्रहण:** राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (NCRP) भारत की केवल 16% आबादी को कवर करता है, इसमें व्यापक डेटा का अभाव है, जिसकी संसदीय समिति ने आलोचना की है तथा बेहतर ट्रैकिंग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
  - उन्नत डेटा के साथ, **धूम्रपान, वायु प्रदूषण और एस्बेस्टस के संपर्क** जैसे जोखिम कारकों को नियंत्रित करके **लगभग 50% कैंसर से होने वाली मौतों** को रोका जा सकता है।
  - कुछ कैंसर, जैसे **सर्वाइकल कैंसर, ह्यूमन पैपिलोमावायरस** (संपर्क से संचरित) से जुड़े होते हैं, जिसके कारण विशेषज्ञ कैंसर को अनिवार्य डेटा संग्रह के लिये **"डॉक्यूमेंटेबल डिज़ीज"** के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव देते हैं।
  - कैंसर को अधिसूचित करने से इसकी **घटना, व्यापकता और मृत्यु दर पर वास्तविक समय का डेटा सुनिश्चित होगा** तथा **तंबाकू, वायु प्रदूषण और कैंसरकारी रसायनों** जैसे जोखिम कारकों को नियंत्रित करके इसे रोका जा सकेगा।
- **भारतीय राज्यों का दृष्टिकोण: 17 राज्यों** ने **राष्ट्रीय स्तर के जनादेश** की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से कैंसर को अधिसूचित किया है।
  - **केरल और मिज़ोरम जैसे उच्च कैंसर की घटनाओं वाले राज्य** बेहतर हस्तक्षेप के लिये अनिवार्य अधिसूचना से लाभान्वित हो सकते हैं।
- **वैश्विक उदाहरण: ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने कैंसर को अधिसूचित कर दिया है,** जबकि **यूनाइटेड किंगडम ने** कैंसर पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है, इसके विपरीत, भारत का NCRP पंजीकरण स्वैच्छिक बना हुआ है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

विपक्ष में तर्क

- **गैर-संचारी प्रकृति:** संक्रामक रोगों के विपरीत, कैंसर संक्रामक नहीं है या **तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा नहीं है,** जिससे अनिवार्य अधिसूचना अनावश्यक हो जाती है।
- **गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: अधिसूचित रोग व्यक्तिगत गोपनीयता की तुलना में सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं,** जो लोगों को निदान प्राप्त करने से रोक सकता है।
  - **कैंसर एक सामाजिक कलंक (Social Stigma) है,** और मामलों की रिपोर्ट करने की कानूनी बाध्यता के कारण **रोगी समय पर उपचार लेने की इच्छा कम कर सकते** हैं।
- **स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर बोझ:** यदि अधिसूचना अनिवार्य कर दी जाती है तो चिकित्सकों को **अनावश्यक विधिक कार्रवाइयों** का सामना करना पड़ सकता है।
  - कैंसर के लिये **व्यक्तिगत दीर्घकालिक उपचार** की आवश्यकता होती है, और अधिसूचना का उपयोग आमतौर पर आपातकालीन रोकथाम के लिये किया जाता है, न कि **दीर्घकालिक रोगों** के लिये।

भारत में कैंसर का वर्तमान निगरानी तंत्र

- **भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)** के तहत NCRP, **अस्पताल-आधारित (HBR)** और **जनसंख्या-आधारित रजिस्ट्री (PBR)** के माध्यम से कैंसर की जनसांख्यिकी, निदान, उपचार और उत्तरजीविता पर नज़र रखता है।
  - **वर्ष 2022** तक, भारत में **269 HBR और 38 PBR** हैं, लेकिन कवरेज अपर्याप्त है।
  - **वर्ष 2023** में **14 लाख** से अधिक कैंसर के मामले थे, जिसमें **प्रति एक लाख** लोगों में 100 का निदान किया गया।

कैंसर निगरानी का सुदृढ़ीकरण करने हेतु भारत को क्या करने की आवश्यकता है?

- **चरणबद्ध अधिसूचना दृष्टिकोण:** गर्भाशय-ग्रीवा और फेफड़े के कैंसर जैसे उच्च जोखिम वाले कैंसरों को अनिवार्य डेटा संग्रह के लिये **"दस्तावेज़ योग्य रोगों" के रूप में वर्गीकृत** किया जाना चाहिये।
- **डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का एकीकरण:** एक **केंद्रीकृत कैंसर रजिस्ट्री** तैयार करने हेतु कैंसर डेटा संग्रह को **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)** के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है।
  - लक्षित अनुवर्ती कार्रवाई और उपचार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये कैंसर स्क्रीनिंग रिकॉर्ड को **CoWIN** जैसे प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।
- **कैंसर रिपोर्टिंग:** समग्र देश में जाँच और कैंसर संबंधी सुविधाओं का विस्तार करने के लिये PBR की संख्या में वृद्धि करने तथा उच्च जोखिम वाले कैंसरों के लिये स्क्रीनिंग सुविधा का क्रियान्वन किये जाने की आवश्यकता है।
  - **स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं** (जैसे **मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता**) को कैंसर के मामलों की सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने और घर-घर जाकर लोगों को जागरुक करने के उद्देश्य से उनका सशक्तीकरण करने की आवश्यकता है।
  - **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना** के अंतर्गत कैंसर कवरेज का विस्तार करने और **बीमा सहायता में वृद्धि** करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका उपचार दीर्घकालिक और महँगा है।
    - इससे **निम्न आय वाले परिवारों** के लिये नि:शुल्क जाँच संभव हो सकेगी, तथा यह सुनिश्चित होगा कि वित्तीय बाधाओं के कारण निदान और उपचार में देरी न हो।
- **पूर्वधारणा में परिवर्तन:** कैंसर की रिपोर्टिंग को कलंक मुक्त करने और जाँच को सामान्य बनाने के लिये **आध्यात्मिक अभिकर्त्ताओं, प्रभावशाली व्यक्तियों और मीडिया हस्तियों के साथ साझेदारी** की जानी चाहिये।
  - **कैंसर से उबरने वाले लोगों को "राजदूत" की संज्ञा देकर उन्हें** बढ़ावा देने की आवश्यकता है और उनकी कहानियों को साझा किया जाना चाहिये ताकि रोग का शीघ्र पता लगाने तथा रोग से संबंधित डर को खत्म करने के लिये लोगों को प्रेरित किया जा सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

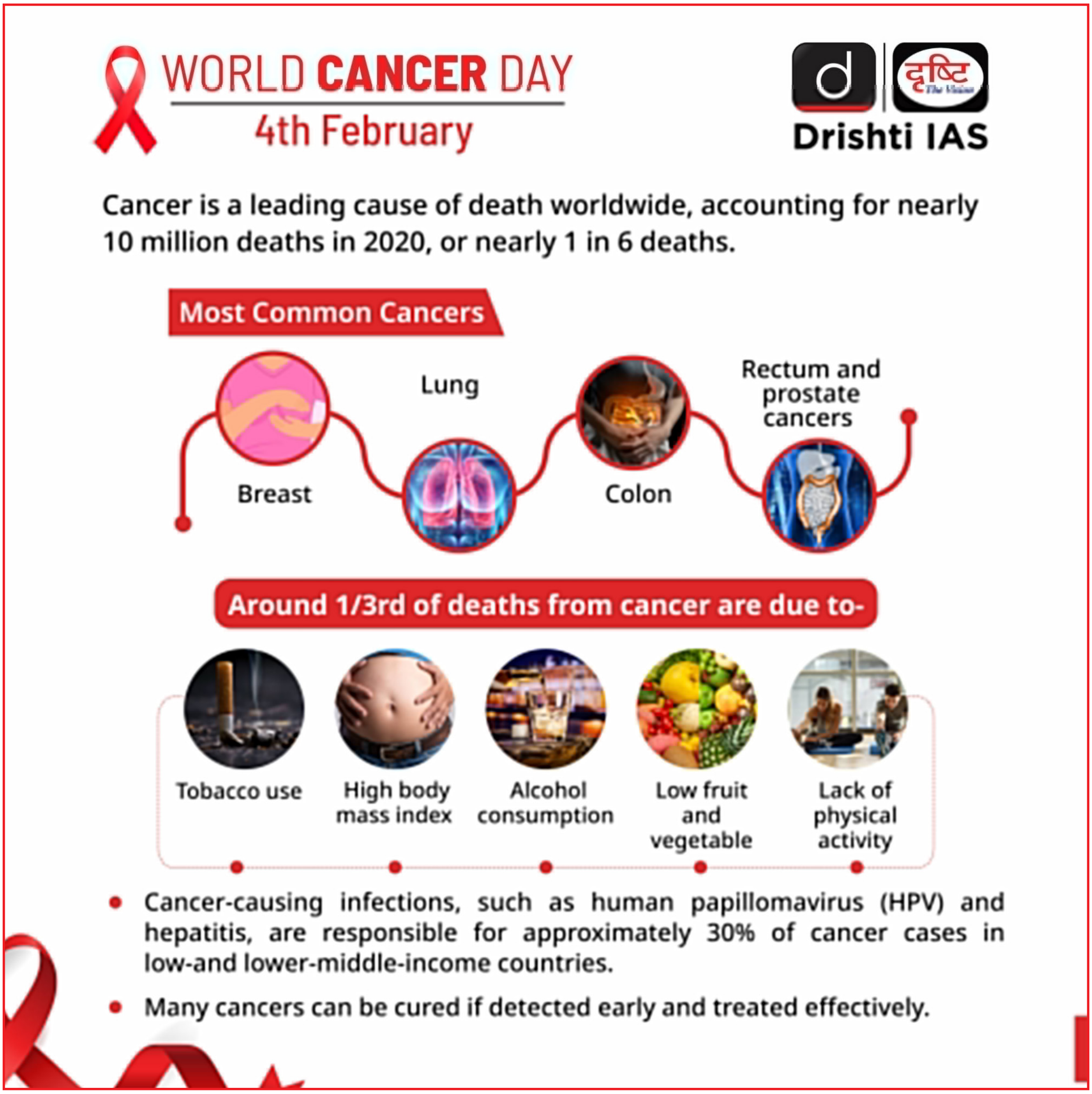

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में कैंसर को अधिसूचित रोग बनाने के लाभ और चुनौतियों पर चर्चा करें। क्या भारत को राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य कैंसर रिपोर्टिंग प्रणाली अपनानी चाहिए?

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट

चर्चा में क्यों?

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजना को **मार्च 2026** तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य **बलात्कार** तथा **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012** के तहत मामलों में **त्वरित और समयबद्ध न्याय** सुनिश्चित करना है।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना क्या है?

- **परिचय:** यह **विधि एवं न्याय मंत्रालय** के तहत एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है, जिसका उद्देश्य **निर्भया कोष** के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करना है।
- **शुरुआत:** वर्ष 2019 में, **सर्वोच्च न्यायालय** ने **POCSO मामलों के त्वरित निपटान** का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप **2 अक्तूबर, 2019** को FTSC योजना शुरू की गई।
- **लागत साझाकरण:**
  - केंद्र **60%** और राज्य **40%** का योगदान देते हैं।
  - **पूर्वोत्तर, सिक्किम और पहाड़ी राज्यों** में यह अनुपात **90:10** है।
  - जिन केंद्रशासित प्रदेशों में **विधानसभा** है, वहां **60:40** का अनुपात लागू होता है।
  - जिन केंद्रशासित प्रदेशों में **विधानसभा नहीं** है, उन्हें **100% केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता** मिलती है।
- **FTSCs की आवश्यकता:**
  - **लंबित मामलों की संख्या:** भारतीय न्यायालयों में **POCSO और बलात्कार के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है**— वर्ष **2020 में लंबित मामलों की संख्या** 2,81,049 थी जो कि वर्ष **2022 में बढ़कर** 4,17,673 हो गयी।
  - **समयबद्ध न्याय:** POCSO अधिनियम, 2012 के तहत **विशेष न्यायालयों** को **एक वर्ष के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी करने** का प्रावधान है।
  - **निवारण (Deterrence):** कठोर दंड अपराधों को रोकने में सहायक होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव **समय पर सुनवाई और पीड़ितों को शीघ्र न्याय** मिलने पर निर्भर करता है।
- **प्रदर्शन: दिसंबर 2024 तक**, 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में **700 से अधिक FTSC कार्यरत** हैं। इनमें से **406 न्यायालय विशेष रूप से POCSO (ePOCSO) मामलों के लिये समर्पित हैं**।
  - वर्ष 2024 में, FTSCs की मामलों के **निपटान दर** 96.28% रही है और **अब तक 3 लाख से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा** किया जा चुका है।

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

- **FTSCs की अपर्याप्त संख्या:** यद्यपि **1,023 FTSCs** की स्वीकृति मिली, लेकिन **दिसंबर 2024 तक** केवल 747 ही कार्यरत हैं।
  - लंबित मामलों को समाप्त करने के लिये भारत को **कम-से-कम 1,000 अतिरिक्त FTSCs की आवश्यकता** है।
- **मुकदमों का बोझ:** न्यायालयों को **भारी संख्या** में मामलों के चलते **त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में कठिनाइयों** का सामना करना पड़ता है।
  - **महाराष्ट्र और पंजाब** में मामलों की निपटान दर **अधिक** है, जबकि **पश्चिम बंगाल** में यह **सबसे कम** है, जिससे **न्याय वितरण में असमानताएँ** उत्पन्न होती हैं।
- **निर्भया फंड का कम उपयोग: वर्ष 2013** में महिलाओं की सुरक्षा के लिये स्थापित इस कोष के **1,700 करोड़ रुपए अभी भी खर्च नहीं किये गए हैं**।
- **विशेष सहायता का अभाव:** कई FTSCs में **पीड़ित-अनुकूल सुविधाओं की कमी** है, जैसे कि:
  - **पीड़ितों के लिये सहायक वातावरण उपलब्ध कराने के लिये संवेदनशील गवाह बयान केंद्र (Vulnerable Witness Deposition Centers - VWDCs)**
  - **महिला लोक अभियोजक और परामर्शदाता-** पीड़ितों को विधिक प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के लिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों को कैसे मजबूत किया जा सकता है?

- **न्यायिक मानदंडों में सुधार** : राज्यों को POCSO मामलों के लिये **विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति** करनी चाहिए, **संवेदीकरण प्रशिक्षण** प्रदान करना चाहिए और **महिला लोक अभियोजकों की उपस्थिति** सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **संवेदनशील गवाह बयान केंद्र (VWDCs):** सभी ज़िलों में VWDCs स्थापित किये जाएँ, ताकि पीड़ितों की गवाही दर्ज करने और अप्रत्यक्ष तरीके से बाल-अनुकूल सुनवाई की सुविधा मिल सके।
    - **पूर्व-परीक्षण और परीक्षण** सहायता के लिये FTSC में **बाल मनोवैज्ञानिकों की** नियुक्ति की जानी चाहिये।
- **तकनीकी उन्नयन:** न्यायालय कक्षों को **ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम, LCD प्रोजेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक केस फाइलिंग** तथा डिजिटल रिकॉर्ड के लिये **उन्नत IT सिस्टम** से सुसज्जित किया जाए।
- **फॉरेंसिक प्रयोगशालाएँ:** लंबित मामलों के शीघ्र निपटान और समय पर DNA रिपोर्ट सुनिश्चित करने के लिये **फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये** और आवश्यक **मानव संसाधन को प्रशिक्षित** किया जाना चाहिये ताकि **निष्पक्ष एवं त्वरित न्याय** सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) ने मामलों के निपटान दर में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिससे यौन अपराधों के पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल रहा है। हालाँकि, सीमित संख्या में न्यायालयों की उपलब्धता, निधियों का पूर्ण उपयोग न होना और पीड़ित-अनुकूल बुनियादी ढाँचे की कमी जैसी चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। समय पर न्याय और प्रभावी कानूनी रोकथाम सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि FTSCs को अधिक न्यायालयों, आधुनिक तकनीकी संसाधनों तथा मजबूत पीड़ित सहायता तंत्र के साथ सशक्त किया जाए।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:
प्रश्न. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) योजना क्या है? कौन-सी चुनौतियाँ उनकी प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं?

कोविड-19 पश्चात् भारत में प्रवासन की प्रवृत्ति

चर्चा में क्यों?

कोविड-19 महामारी के पाँच वर्ष पश्चात्, भारत के **प्रवासन पैटर्न** में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन दर्ज किया गया है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में पुन: प्रवास शुरू हो गया है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवासन भी अधिक विविध हुआ है।

- इन प्रवृत्तियों को समझना तथा **प्रवासन शासन** में सुधार करना, प्रवासियों की चुनौतियों का समाधान करने तथा प्रवासन के लाभों को अधिकतम करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

कोविड-19 पश्चात् भारत में प्रवासन की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है?

- **नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासन:** कोविड-19 संकट के कारण **अभूतपूर्व रूप से नगरों से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने प्रवास किया**, जिसमें पहले लॉकडाउन के दौरान **44.13 मिलियन** व्यक्तियों ने नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास किया और दूसरे लॉकडाउन के दौरान **26.3 मिलियन** व्यक्तियों ने प्रवास किया।
    - वापस लौटने वाले प्रवासियों, मुख्य रूप से कम-कुशल श्रमिकों को अल्प वेतन, खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल का अभाव, भेदभाव, आर्थिक तनाव और बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में रोज़गार नहीं था।
- **ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र प्रवासन में पुन: वृद्धि:** ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएँ वापस लौटने वाले कार्यबल को समायोजित करने की दृष्टि से अनुपयुक्त थीं, क्योंकि **अपर्याप्त रोज़गार** (**मनरेगा** से केवल आंशिक राहत प्राप्त हुई), **निम्न पारिश्रमिक** और **नगरीय आकांक्षाओं के कारण प्रवासी व्यक्ति पुन: शहरों की ओर गमन करने के लिये प्रेरित हुए**।
    - **स्मार्ट सिटीज़ मिशन** (जिसका लक्ष्य 100 नगरों को आधुनिक नगरीय केंद्रों के रूप में विकसित करना है और जो मुख्यत: प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर है) के कारण श्रमिक नगरों में प्रवास करने हेतु प्रोत्साहित होते हैं।
    - आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2030 तक **भारत की 40% से अधिक आबादी का नगरीय क्षेत्रों में निवास** होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

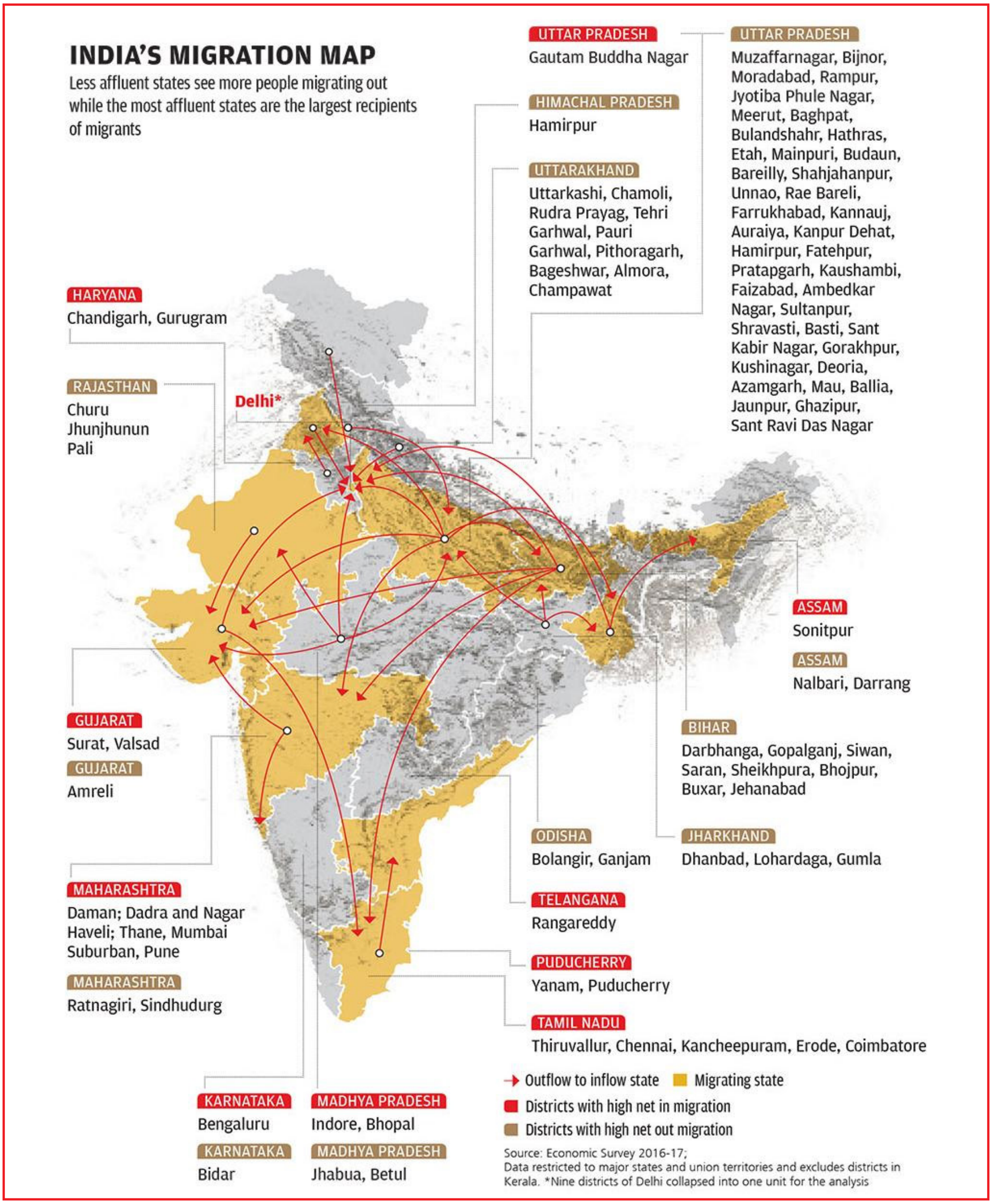

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **जलवायु-प्रेरित प्रवासन:** जलवायु परिवर्तन से विशेष रूप से ओडिशा जैसे **कृषि प्रधान राज्यों** से आकांक्षी और संकटपूर्ण प्रवासन प्रभावित हो रहा है (FAO-IIMAD रिपोर्ट)।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन में परिवर्तन:** हालाँकि कोविड-19 के दौरान, भारतीय प्रवासियों को नौकरी छूटने, वेतन में कटौती और अनुपयुक्त स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का सामना करना पड़ा किंतु विप्रेषण सुदृढ़ रहा (**वर्ष 2020 में 83.15 बिलियन अमरीकी डॉलर**) तथा इसके साथ ही भारतीय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की वैश्विक माँग में भी वृद्धि हुई है।
  - कोविड के बाद, कई भारतीय प्रवासी बेहतर अवसरों की तलाश में **खाड़ी देशों से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (AE)** की ओर गमन किया।
    - **भारतीय** मूल के व्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण में अवसरों के लिये **यूरोप** (**कुशल पेशेवरों हेतु वर्ष 2023 के यूरोपीय संघ ब्लू कार्ड कार्यक्रम के माध्यम से**) और अफ्रीका **में संभावनाओं की खोज** कर रहे हैं।
    - **कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री और ऑस्ट्रेलिया की आव्रजन नीतियों** से भारत के कुशल पेशेवर आकर्षित हुए हैं जिसमें उच्च वेतन वाला रोज़गार प्रदान किया जाता है जिससे **विप्रेषण में बढ़ोतरी हुई (वर्ष 2023-24 में 118.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर)।**
  - **महामारी के बाद छात्र प्रवास में वृद्धि हुई है** जिसमें केरल में छात्र प्रवासियों की संख्या **वर्ष 2018 के 1.29 लाख** से बढ़कर **वर्ष 2023 में 2.5 लाख** हो गई है।
  - **शिक्षा से संबंधित विप्रेषण वर्ष 2021 में 3,171 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर रहा,** जो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन प्रवृत्तियों में वृद्धि को दर्शाता है।

प्रवासन प्रशासन में भारत के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

- **अपर्याप्त प्रवासन डेटा प्रणाली: वर्ष 2021 की जनगणना** में हुए विलंब और पुराने प्रवासन आँकड़ों से नीति नियोजन सीमित होता है।
  - **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2020-21** में 28.9% की प्रवासन दर दर्ज की गई, जो **वर्ष 2007-08** के 28.5% में हुई सामान्य वृद्धि को दर्शाता है।
  - हालाँकि, **कोविड-19 प्रवास प्रवाह** के दौरान एकत्र किया गया यह डेटा दीर्घकालिक रुझानों को प्रतिबिंबित करने की दृष्टि से अनुपयुक्त है।
  - विदेश मंत्रालय (MEA) के आँकड़ों में प्रवासियों, विशेषकर अस्थायी और मौसमी प्रवासियों की संख्या को कम करके आँका जाता है। इसके अतिरिक्त, '**डंकी रूट**' के माध्यम से अवैध प्रवासन को आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है।
- **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कमज़ोर कार्यान्वयन:** असंगठित श्रमिकों को कवर करने के उद्देश्य से बनाया गया **ई-श्रम पोर्टल (वर्ष 2021)** कम जागरूकता और डिजिटल बहिष्कार से ग्रस्त है।
  - **वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC)** का उद्देश्य प्रवासियों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन अभी भी एक बड़ा वर्ग इससे वंचित है।
  - **अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979** के कमज़ोर कार्यान्वयन के कारण **अपर्याप्त निगरानी और गैर-लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों** के कारण कई श्रमिक अपंजीकृत और असुरक्षित रह जाते हैं।
  - वर्ष 2020 में शुरू किये गए **चार नए श्रम संहिताओं** का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा का विस्तार करना है, लेकिन नियम बनाने और लागू करने में देरी का सामना करना पड़ रहा है।
- **पात्रता की सीमित पोर्टेबिलिटी:** दूसरे क्षेत्रों में जाने पर प्रवासी प्राय: **राज्य-विशिष्ट योजनाओं** तक पहुँच खो देते हैं। ONORC और **आयुष्मान भारत** के बावजूद, अंतर-राज्यीय नीति सामंजस्य कमज़ोर बना हुआ है।
- **सुभेद्य समूहों की उपेक्षा:** प्रवासन नीतियों में प्राय: महिलाओं और बच्चों की अनदेखी की जाती है।
  - महिलाओं को **तस्करी और शोषण** जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है, जबकि **प्रवासी बच्चों को शिक्षा में व्यवधान,** खराब स्वास्थ्य सेवा से जूझना पड़ता है, जिससे उनके हाशिये पर जाने और उनके साथ दुर्व्यवहार होने की संभावना बढ़ जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **कम कुशल प्रवासियों के लिये कमज़ोर संरक्षण:** खाड़ी देशों के राष्ट्रीयकरण की नीतियों (**निताकत, अमीरातीकरण**) के कारण रोज़गार के अवसर कम हो रहे हैं, जबकि **कम कुशल प्रवासियों को खराब कार्य स्थितियों और वेतन चोरी का सामना** करना पड़ रहा है।
  - ❖ **प्रवासियों को पर्याप्त कौशल और प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास** प्रदान करने में कमियाँ हैं, जो विदेश में उनकी तैयारी और सुरक्षा को प्रभावित करती हैं।
- **स्थानीय शासन की सीमित भूमिका:** पंचायतों में प्राय: प्रवासी आबादी को सहायता देने के लिये आवश्यक अधिकार, संसाधन और क्षमता का अभाव होता है।
- **जलवायु-प्रेरित प्रवासन की अनदेखी:** जलवायु तनाव (जैसे, बाढ़, सूखा, समुद्र-स्तर में वृद्धि) के कारण होने वाले प्रवासन को **आपदा या जलवायु अनुकूलन नीतियों में मान्यता नहीं दी जाती है।**
  - ❖ इससे संकट से प्रेरित गतिशीलता से गुज़र रहे समुदायों के प्रति नीतिगत उपेक्षा होती है।
- **बहिष्करण और भेदभाव:** प्रवासियों को प्राय: विशेष रूप से गंतव्य शहरों में विदेशी द्वेष, सांस्कृतिक अलगाव और सामाजिक समावेशन की कमी का सामना करना पड़ता है।

भारत अपनी प्रवासन प्रशासन को कैसे मज़बूत कर सकता है?

- **राष्ट्रीय प्रवासन डेटा मॉडल:** केरल प्रवासन सर्वेक्षण मज़बूत डेटा प्रदान करते हैं, जिससे बेहतर नीतियाँ बनती हैं। ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब जैसे राज्य इस मॉडल को अपना रहे हैं।
  - ❖ राष्ट्रीय स्तर पर इसे अपनाने से प्रवासन शासन को मानकीकृत और उन्नत किया जा सकेगा।
- **राष्ट्रीय प्रवासन नीति:** **प्रवासी श्रमिकों पर नीति आयोग की राष्ट्रीय नीति के मसौदे** को शीघ्र लागू करना, जो उनके समग्र विकास पर केंद्रित है।
  - ❖ आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन दोनों को संबोधित करने के लिये एक एकीकृत ढाँचा तैयार करने पर विचार करना, अधिकार-आधारित और लैंगिक-संवेदनशील प्रावधानों के साथ अंतर-मंत्रालयी समन्वय (श्रम, विदेश मंत्रालय, शहरी मामले) सुनिश्चित करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन ढाँचे को बढ़ाना:** यूरोपीय संघ (EU) और अफ्रीका में उभरते गंतव्यों के साथ **श्रम गतिशीलता समझौतों** का विस्तार करना।
  - ❖ **भारत प्रवासन केंद्र** (विदेश मंत्रालय का शोध थिंक टैंक) **प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (PDOT)** और कौशल निर्माण कार्यक्रमों को मज़बूत बनाने में मदद कर सकता है, तथा उन्हें गंतव्य-विशिष्ट मांगों के साथ संरेखित कर सकता है।
- **सामाजिक सुरक्षा पहुँच और पोर्टेबिलिटी में सुधार:** लाभों की अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी सहित सभी असंगठित और प्रवासी श्रमिकों की कवरेज़ सुनिश्चित करने के लिये **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** को प्रभावी ढंग से लागू करना।
  - ❖ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्यों में पात्रताओं (राशन, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन) की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना।
  - ❖ नामांकन, कानूनी सहायता और शिकायत निवारण के लिये शहरी क्षेत्रों में वन-स्टॉप प्रवासी सुविधा केंद्र स्थापित करना।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. कोविड-19 के बाद भारत के प्रवासन शासन में प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और सुधार के लिये नीतिगत उपाय सुझाइए।

भारत में गर्भपात संबंधी जटिलताएँ

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय (SC) द्वारा सीमांत भ्रूण व्यवहार्यता मामलों (24-30 सप्ताह) में देर से गर्भपात की अनुमति न दिये जाने से भारत में प्रजनन अधिकारों पर विमर्श को फिर से बढ़ावा मिला है।

- विधिक सुधारों, नैतिक दुविधाओं और प्रक्रियागत देरी से गर्भपात में बाधा उत्पन्न हो रही है।

भारत में गर्भपात हेतु विधिक ढाँचा क्या है?

- **1971 से पूर्व की विधिक स्थिति: भारतीय दंड संहिता (IPC)** की धारा 312 और 313 के तहत गर्भपात एक दांडिक अपराध था।
- **शांतिलाल शाह समिति:** बढ़ते असुरक्षित गर्भपात एवं मातृ मृत्यु दर की प्रतिक्रिया में इसने महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के क्रम में वर्ष 1966 में **गर्भपात से संबंधित विधियों को व्यापक और युक्तिसंगत** बनाने की सिफारिश की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **MTP अधिनियम, 2021: गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MPT) अधिनियम, 1971, जिसे अंतिम बार वर्ष 2021** में संशोधित किया गया था, **एक पंजीकृत चिकित्सक (RMP)** के अनुमोदन से **20 सप्ताह** तक गर्भपात की अनुमति देता है।
  - **दो RMP** के अनुमोदन से **20 से 24 सप्ताह** के बीच गर्भपात की अनुमति है।
  - **24 सप्ताह के बाद** राज्य चिकित्सा बोर्ड **विशिष्ट स्थितियों के आधार पर गर्भपात की पात्रता** निर्धारित करता है, जैसे भ्रूण में विसंगतियाँ या माँ के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा।
- **भारतीय न्याय संहिता: भारतीय न्याय संहिता (BNS)** (पूर्व में IPC) के तहत **MTP अधिनियम, 2021 में शामिल विधिक अपवादों** को छोड़कर गर्भपात को अपराध माना गया है।
- **न्यायिक हस्तक्षेप**: ***न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला, 2017*** *में पुष्टि की गई कि गर्भपात* **अनुच्छेद 21** के तहत महिला की निजता और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **20 से 24 सप्ताह के बीच की गर्भधारण अवधि वाली अविवाहित महिलाओं को भी विवाहित महिलाओं के समान गर्भपात के अधिकार** प्राप्त हैं तथा इस बात की पुष्टि की कि प्रजनन स्वायत्तता के तहत सभी महिलाओं को गर्भावस्था जारी रखने का विकल्प चुनने का समान अधिकार प्राप्त है।

गर्भपात संबंधी बाधाएँ क्या हैं?

- **राज्य द्वारा अनिवार्य नीतियाँ:** हरियाणा जैसे राज्यों में अनिवार्य गर्भावस्था पंजीकरण से **MTP अधिनियम की धारा 5A** का उल्लंघन होने का खतरा है (जो गर्भपात कराने वाली महिलाओं के लिये सख्त गोपनीयता सुनिश्चित करता है), जिससे महिलाओं की गोपनीयता से समझौता कर संभवत: उन्हें असुरक्षित गर्भपात की ओर धकेला जा सकता है।
- **गर्भपात स्वायत्तता:** भारत में गर्भपात सशर्त है, जबकि अन्य देशों (जैसे अमेरिका) में प्रजनन स्वायत्तता सर्वोपरि है।
  - **भ्रूण की व्यवहार्यता:** भ्रूण की व्यवहार्यता चिकित्सकीय और नैतिक रूप से अनिश्चित है, आमतौर पर 24 सप्ताह में मान लिया जाता है, लेकिन यह चिकित्सकीय बुनियादी ढाँचे और गर्भकालीन स्वास्थ्य पर निर्भर करता है।
    - **नवजात शिशु देखभाल** में प्रगति से यह सीमा और भी कम हो सकती है, जिसका असर गर्भपात कानूनों पर पड़ सकता है।
    - न्यायालय भ्रूण के अधिकारों को महिला की स्वायत्तता के विरुद्ध मापा जाता हैं, विशेष रूप से सीमांत व्यवहार्यता मामलों (24-30 सप्ताह) में, अक्सर मानसिक या भावनात्मक कल्याण की अनदेखी करते हैं।
- **मेडिकल बोर्ड द्वारा विलंब:** निर्णय **मामला-दर-मामला आधार** पर लिये जाते हैं, जिसके कारण अक्सर **विलंब** होता है, जिससे गर्भधारण की संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है।
- बोर्डों में मानकीकृत प्रोटोकॉल का अभाव है तथा वे नैदानिक साक्ष्य की अपेक्षा **व्यक्तिपरक नैतिक विचारों** (भ्रूण जीवन की धारणा) को लागू कर सकते हैं।
- विशेषज्ञों की कमी: गर्भपात कानूनों के तहत स्त्री रोग विशेषज्ञों या प्रसूति विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्ष 2019-20 के ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 70% कमी है तथा नवजात गहन देखभाल इकाइयों (NICU) का अभाव है।
- कानूनी भय: चूँकि गर्भपात एक गारंटीकृत अधिकार के बजाय एक अपवाद है, इसलिये, विशेष रूप से जटिल मामलों में, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को कानूनी दायित्व का भय रहता है।
- अस्पताल कभी-कभी अविवाहित महिलाओं से पुलिस को रिपोर्ट करने को कहते हैं, जिससे कानूनी जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **आलोचनात्मक दृष्टिकोण:** देर से गर्भपात करवाने वाली महिलाओं को अक्सर **आलोचनात्मक दृष्टिकोण** और दखलंदाजी भरे सवालों का सामना करना पड़ता है। **अविवाहित महिलाओं,** नाबालिगों या विधवाओं को और भी अधिक जाँच का सामना करना पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

गर्भपात कानून

गर्भपात गर्भ का जानबूझकर किया गया समापन है, जो आमतौर पर गर्भधारण के पहले 28 सप्ताह के दौरान किया जाता है।

भारत में गर्भपात कानून

- **भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 (धारा 312)**
  - **अपराध:** स्वेच्छा से गर्भपात पर
  - **अपवाद:** माँ की जान बचाने पर लागू नहीं होता है
  - **सज़ा:** कारावास या ज़ुर्माना या दोनों
- **गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (MTP), 1971**
  - **आधार:** शांतिलाल शाह समिति, 1964
  - **वैध गर्भपात के लिये आधार:**
    - वैवाहिक बलात्कार
    - महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना
    - मातृ मृत्यु दर कम करना
    - शारीरिक या मानसिक अप्रसामान्य शिशु
    - बलात्कार या गर्भनिरोधक विफलता से गर्भधारण
- **MTP संशोधन अधिनियम, 2021**
  - वैवाहिक स्थिति की परवाह किये बिना गर्भपात की अनुमति
  - **कानूनी गर्भपात के लिये पात्र मानदंड:**
    - यौन उत्पीड़न, बलात्कार, अनाचार से बचे लोग या नाबालिग (Incest or Minor)
    - गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन (विधवा और तलाक)
    - शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग महिलाएँ (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार)
    - भ्रूण की विकृति या शिशु में अप्रसामान्य जोखिम
    - आपदा/आपातकालीन स्थिति में गर्भवती महिलाएँ
- **न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ मामला, 2017**
  - उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत महिलाओं के प्रजनन के चुनाव को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में मान्यता प्रदान की।

Time Since Conception	MTP Act, 1971	MTP (Amendment) Act, 2021
Up to 12 weeks	On the advice of one doctor	On advice of one doctor
12 to 20 weeks	On advice of two doctors	On advice of one doctor
20 to 24 weeks	Not allowed	On advice of two doctors for special categories of pregnant women
More than 24 weeks	Not allowed	On advice of medical board in case of substantial fetal abnormality
Any time during the pregnancy	On advice of one doctor, if immediately necessary to save pregnant woman's life	On advice of one doctor, if immediately necessary to save pregnant woman's life

अन्य देशों में गर्भपात

- **निम्न देशों में गर्भपात को अपराध घोषित किया गया**
  - **पूर्ण प्रतिबंध:** अण्डोरा (Andorra), माल्टा और वेटिकन राज्य
  - **कुछ अपवादों के साथ प्रतिबंध:** पोलैंड, ब्राज़ील, चिली और अर्जेंटीना
- **निम्न देशों ने गर्भपात को वैध माना है:**
  - **फ्राँस स्वैच्छिक गर्भपात को संवैधानिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने वाला** एकमात्र देश है
  - **आयरलैंड:**
    - **स्थिति:** गर्भावस्था के 12 सप्ताह के भीतर
    - **सज़ा:** 14 वर्ष का कारावास
  - **न्यूज़ीलैंड:**
    - **स्थिति:**
      - गर्भावस्था के 20 सप्ताह के भीतर (यदि जीवन खतरे में हो)
      - दो डॉक्टरों की स्वीकृति अनिवार्य है

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

गर्भपात देखभाल तक पहुँच में सुधार के लिये क्या किया जा सकता है?

- **स्वास्थ्य देखभाल अधिकार के रूप में गर्भपात:** अनुमति-आधारित दृष्टिकोण से **अधिकार-आधारित ढाँचे** की ओर बदलाव, कानूनी गर्भावधि सीमाओं के भीतर गर्भपात को आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल के रूप में मान्यता प्रदान करता है।
- **गोपनीयता सुरक्षा को बढ़ाएँ:** अनिवार्य गर्भावस्था पंजीकरण से बचना, MTP अधिनियम की धारा 5A के अनुसार गोपनीयता को सुदृढ़ करना।
- **चिकित्सीय गर्भपात (MTP) दवाएँ:** नियामक निगरानी के साथ फार्मेसियों और स्वास्थ्य केंद्रों में **MTP दवाओं** की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- **प्रदाता आधार का विस्तार करना:** प्रारंभिक चरण के MTP के लिये सामान्य चिकित्सकों और मध्य-स्तरीय प्रदाताओं को प्रशिक्षित करना। सुरक्षित और समय पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना।
- **यौन शिक्षा में सुधार:** अवांछित गर्भधारण और असुरक्षित प्रक्रियाओं को रोकने के लिये **गर्भनिरोधक और गर्भपात** पर सटीक, आलोचना-मुक्त जानकारी के साथ यौन शिक्षा को बढ़ावा देना।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संदर्भों में गर्भपात तक पहुँच में क्या बाधाएँ हैं, तथा प्रजनन न्याय सुनिश्चित करने के लिये क्या किया जा सकता है?

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

आंतरिक सुरक्षा

भारत की एकीकृत थिएटर कमान

चर्चा में क्यों?

रक्षा मंत्रालय (MoD) ने **रक्षा पर एक संसदीय स्थायी समिति** को सूचित किया है कि **एकीकृत थिएटर कमांड (ITC)** को लागू करने से पहले कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। यह **रक्षा मंत्रालय** की **वर्ष 2025 को 'सुधारों का वर्ष' घोषित करने** की घोषणा का हिस्सा है।

एकीकृत थिएटर कमान क्या है?

- **परिचय:** ITC एक एकीकृत संरचना है जहाँ **सेना, नौसेना और वायु सेना** की परिसंपत्तियाँ एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लिये एक ही कमांडर के अधीन कार्य करती हैं।
  - इससे बेहतर समन्वय, तीव्र निर्णय-प्रक्रिया और बेहतर युद्ध प्रभावशीलता सुनिश्चित होती है।
  - ITC एकल-सेवा संचालन की कमियों को कम करेगा तथा साइबर और अंतरिक्ष युद्ध जैसी उभरती युद्ध-लड़ने की क्षमताओं को एकीकृत करेगा।
- **समिति की प्रमुख सिफारिशें:** कारगिल समीक्षा समिति, 1999 ने कारगिल युद्ध के दौरान संयुक्त अभियानों में सुधार लाने और समन्वय विफलताओं को दूर करने के लिये एकीकृत थिएटर कमांड और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के गठन की सिफारिश की थी।
  - **शेकटकर समिति, 2016** ने तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और संसाधन दक्षता बढ़ाने के लिये तीन एकीकृत थिएटर कमांड (पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी) का प्रस्ताव रखा था।
- **भारत में प्रस्तावित थिएटर कमांड: उत्तरी थिएटर कमांड (लखनऊ)** चीन से खतरों का सामना करने पर केंद्रित है।
  - **पश्चिमी थिएटर कमान (जयपुर)** पाकिस्तान से खतरों के इर्द-गिर्द केंद्रित है।
  - **समुद्री थिएटर कमान (तिरुवनंतपुरम) ने हिंद महासागर क्षेत्र** में परिचालन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया।
- **थिएटराइज़ेशन की दिशा में प्रगति: सैन्य मामलों के विभाग** के प्रमुख के रूप में CDS की नियुक्ति रक्षा बलों के एकीकरण और उन्नति की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - **अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम 2023** थिएटर कमांडरों को तीनों सेवाओं पर अनुशासनात्मक नियंत्रण प्रदान करता है और **क्रॉस-पोस्टिंग** के माध्यम से संयुक्तता को बढ़ावा देता है।
  - पहला ट्राई सर्विस कमांड डिफेंस स्टेशन (मुंबई, 2024) तीनों सेवाओं के लिये रसद और रखरखाव सुविधाओं को एक नेतृत्व के अंतर्गत एकीकृत करता है।

मौजूदा ट्राई सर्विस कमांड

- पोर्ट ब्लेयर स्थित **अंडमान और निकोबार कमांड** भारत की पहली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण चीन सागर पर निगरानी रखती है।
- दिल्ली स्थित सामरिक बल कमान (SFC) भारत की परमाणु निवारक क्षमताओं को संभालने के लिये ज़िम्मेदार है।

थिएटर कमांड को लागू करने से पहले किन चुनौतियों का समाधान किया जाना आवश्यक है?

- **संयुक्त सिद्धांत का अभाव:** भारतीय सशस्त्र बलों के परिचालन क्षेत्र एक-दूसरे से परस्पर व्याप्त (ओवरलैप) होते हैं, लेकिन रणनीतिक संस्कृति और प्राथमिकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं।
- **एकीकृत युद्ध-लड़ाई सिद्धांत** की कमी कमांड संरचनाओं पर आम सहमति को जटिल बनाती है। भारतीय वायुसेना ने परिचालन नियंत्रण के कमज़ोर होने और सीमित संसाधनों के डर से **थिएटर कमांड** का विरोध किया है।
- **संसाधन आवंटन:** भारतीय वायुसेना स्वीकृत 42 के बजाय 31 स्क्वाड्रन के साथ कार्य करती है, जिससे थिएटर आवंटन में लचीलापन सीमित हो जाता है। नौसेना का सीमित बजट समुद्री कमान में उसकी भूमिका को प्रभावित करता है।
- सेना बजटीय आबंटन और जनशक्ति पर हावी है, जिससे कमांड प्रभाव और संसाधन वितरण में संभावित रूप से असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारतीय सेना का थिएटराइज़ेशन

थिएटराइजेशन

- यह एक अवधारणा है जो **तीनों सेनाओं- थल सेना, वायु सेना और नौसेना- की क्षमताओं को एकीकृत** करने और युद्ध एवं ऑपरेशनों के लिये **इनके संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने** का प्रयास करती है।
- इसके तहत **विशिष्ट थिएटर कमान/कमांड या यूनिट्स** निर्मित की जाएंगी जो **भौगोलिक (जैसे- किसी विशेष देश के साथ सीमा की निगरानी हेतु) अथवा थीम आधारित (जैसे- सभी प्रकार के समुद्री खतरों के लिये एक कमांड)** हो सकती हैं।
- **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)** को संयुक्त/थिएटर कमांड की स्थापना का काम दिया गया है।
- **अमेरिका और चीन सहित** कई देशों के पास थिएटर कमांड हैं।

वर्तमान में कमान संरचना

- 17 एकल सेवा कमान
  - थल सेना-7
  - नौसेना-7
  - वायु सेना-3
- 2 त्रि-सेवा कमान [सामरिक बल कमान] तथा अंडमान और निकोबार कमान

लाभ

- भारतीय सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं के बीच समन्वय
- एकजुट तथा सुगठित लड़ाकू बल
- तीनों सेवाओं के लॉजिस्टिक्स का उपयोग
- बेहतर सैन्य अनुकूलन
- संसाधनों का थियेटर विशिष्ट ऑप्टिमाइजेशन
- शीघ्र संघटन और खुफिया सूचनाओं का साझाकरण

चुनौतियाँ

- बजटीय आवंटन और वित्त का वितरण
- थियटर कमानों के बहुलीकरण (एक से अधिक संख्या में होने) के कारण परिसंपत्तियों में बिखराव होना
- विभिन्न कमानों का नामकरण और अधिकार क्षेत्र
- थियेटर कमानों का नेतृत्व
- सशस्त्र सेवा प्रमुखों की शक्तियों का कमजोर होना

शेकटकर समिति की सिफारिश (2015)

- 3 एकीकृत थियेटर कमानों की स्थापना:
  - उत्तरी-चीन सीमा
  - पश्चिमी-पकिस्तान सीमा
  - दक्षिणी-समुद्री सुरक्षा

- इसके अतिरिक्त, भारत की सैन्य शिक्षा प्रणाली काफी हद तक **सेवा-विशिष्ट बनी हुई है, तथा इसमें संस्थागत क्रॉस-सर्विस प्रशिक्षण** का अभाव है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- एकीकृत कमान संरचना के तहत कार्मिकों को एकीकृत करने से **कैरियर की प्रगति, रैंक समतुल्यता और कमान पदानुक्रम** के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं, जिससे संक्रमण जटिल हो जाता है।
- **पुराने उपकरण: मिग-21** जैसी पुरानी प्रणालियाँ अभी भी बिना अपग्रेड के कार्य कर रही हैं, जो खरीद और योजना में गहरी खामियों को दर्शाता है।
  - स्वदेशी प्लेटफार्मों (जैसे, **अर्जुन टैंक, विमान वाहक पोत INS विशाल**) में देरी से क्षमता अंतराल पर प्रकाश पड़ता है जो बल एकीकरण को प्रभावित करता है।
- **अवसंरचना एवं रसद:** अविकसित अवसंरचना, विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र में, अपर्याप्त सड़क और रेल संपर्क के कारण संयुक्त परिचालन में बाधा उत्पन्न करती है।
  - **तकनीकी एकीकरण:** भारत के थिएटर कमांड को साइबर, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना होगा, क्योंकि चीन की तुलना में **भारत में ISR (खुफिया, निगरानी, टोही)** एकीकरण अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है।
- **दो मोर्चों पर खतरा:** भारत के थिएटर कमानों को विभिन्न इलाकों में एक साथ संचालन के लिये तत्परता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **सैन्य और आर्थिक रूप से एकजुट चीन और पाकिस्तान** से दो मोर्चों पर खतरे के लिये तत्पर रहना चाहिये।

ITC संबंधी चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है?

- **एकीकृत सैन्य सिद्धांत:** थिएटर कमान संचालनों का मार्गदर्शन करने के लिये सेवाओं के बीच आम सहमति के माध्यम से एक **संयुक्त युद्ध सिद्धांत** की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है।
  - CDS के नेतृत्व में तीनों सेनाओं की रणनीतिक योजना और संचालन को बढ़ावा देना चाहिये।
- **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** थिएटर कमान संरचना का मूल्यांकन और परिशोधन करने के लिये वायु रक्षा या समुद्री संचालन जैसे **विशिष्ट क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएँ** आरंभ की जानी चाहिये।
- **कमान और कंट्रोल आर्किटेक्चर का आधुनिकीकरण:** देशज रूप से विकसित सुदृढ़, सुरक्षित और अंतर-संचालनीय **C4ISR प्रणाली (कमान, नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर, आसूचना, निगरानी और टोही) में निवेश** करना आवश्यक है।
  - साइबर और अंतरिक्ष कमान को थिएटर कमान योजना में एकीकृत किया जाना चाहिये।
- **अग्रिम क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना: सीमा सड़क संगठन (BRO)** और **वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम** के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का तेज़ी से विकास किया जाना चाहिये।
  - अग्रिम परिनियोजन की दीर्घकालिक स्थिरता के लिये रसद और ऊर्जा आपूर्ति शृंखला में सुधार करना आवश्यक है।
- **संयुक्त प्रशिक्षण की स्थापना: राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज** की तरह **त्रि-सेवा युद्ध कॉलेज** का विस्तार करने और संयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ सेवा अकादमियों को एकीकृत किये जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

एकीकृत थिएटर कमान का लक्ष्य भारत की सेना संरचना का रूपांतरण करना है, लेकिन इसके समक्ष अंतर-सेवा समन्वय और प्रौद्योगिकी एकीकरण जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। वर्ष 2025 को "सुधारों का वर्ष" घोषित किये जाने के साथ थिएटरीकरण की संभावना बढ़ रही है, जिससे भारत की रक्षा में वृद्धि होगी।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में एकीकृत थिएटर कमान के कार्यान्वन संबंधी प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं? समाधानों का सुझाव दीजिये।

आधुनिक युद्ध में UAV

चर्चा में क्यों?

ओकिनावा (जापानी द्वीप) के निकट दो चीनी **मानवरहित हवाई वाहनों (UAV)** के देखे जाने से सैन्य और निगरानी अभियानों में UAV की बढ़ती भूमिका पर चिंता व्यक्त की गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

ड्रोन प्रौद्योगिकी

ड्रोन एक पायलट रहित उड़ान मशीन है, जो लिफ्ट के लिए वायुगतिकी का उपयोग करती है, स्वायत्त रूप से या दूर से संचालित हो सकती है, और घातक या गैर-घातक कार्गो ले जा सकती है।

अवयव

- मानव रहित विमान (UA)
- नियंत्रण प्रणाली (ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन - GCS)
- नियंत्रण लिंक (विशेष डाटालिंक)
- अन्य संबंधित सहायता उपकरण

वर्गीकरण

(ड्रोन नियम, 2021)

- **नैनो:** <250 ग्राम.
- **माइक्रो:** 250 ग्राम. से 2 किग्रा.
- **मिनी:** 2 किग्रा. से 25 किग्रा.
- **स्माल:** 25 किग्रा. से 150 किग्रा.
- **लार्ज:** >150 किग्रा.

अनुप्रयोग

- **मानचित्रण एवं सर्वेक्षण** (संपत्ति निरीक्षण, पटल निरीक्षण)
- **कृषि** (पक्षी नियंत्रण, **फसल पर छिड़काव और उसकी निगरानी** आदि)
- मल्टीस्पेक्ट्रल/थर्मल/NIR कैमरे, **हवाई फोटो/वीडियोग्राफी** और **लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट**
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया** (खोज और बचाव, समुद्री बचाव, अग्निशमन)
- **आपदा** (क्षेत्र मानचित्रण, आपदा राहत आदि)
- **फोरेंसिक**
- **खुदाई**
- **शिकारियों पर निगरानी**
- **मौसम** विज्ञान, विमानन, पेलोड ले जाना

रक्षा में ड्रोन

उद्देश्य

- **निगरानी और टोही**
- **खोज और बचाव**
- **समुद्री निगरानी**
- **लड़ाकू ड्रोन**
- **आक्रमण हेतु उपयोग (विषम SWARM ड्रोन)**
- **आतंकवाद विरोधी अभियान**

भारत का काउंटर-ड्रोन सिस्टम

- **इंद्रजाल** (भारत का उद्घाटन स्वायत्त ड्रोन-रक्षा गुंबद)
- **इज़राइल से युद्ध-सक्षम** हेरॉन **ड्रोन की खरीद**
- **अमेरिका से MQ-9B सशस्त्र ड्रोन का अधिग्रहण**

संबंधित विनियम

- विमान (सुरक्षा) नियम, 2023
- ड्रोन नियम, 2021 और ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022

भारतीय पहल

- डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म
- नो-परमिशन-नो-टेकऑफ (NPNT) ढाँचा
- ड्रोन के लिए PLI योजना
- ड्रोन शक्ति योजना

मुद्दे

- सशस्त्र हमलों का खतरा बढ़ा है
- **डाटा सुरक्षा**
- **सस्ती लागत बड़ी आबादी** को ड्रोन खरीदने में सक्षम बनाती है
- युद्ध में ड्रोन का उपयोग **(दूरस्थ युद्ध)**
- **गैर-राज्य तत्त्वों द्वारा खरीद गंभीर खतरे पैदा** कर सकती है
- **सामूहिक विनाश के हथियारों को पहुँचाने** में आसानी

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

लड़ाकू विमानों की तुलना में ड्रोन के क्या लाभ हैं?

- **लागत प्रभावशीलता:** ड्रोन की **खरीद और परिचालन व्यय** (ईंधन, रखरखाव और रसद) कम है।
  - एक **MQ-9 रीपर ड्रोन** की कीमत **32 मिलियन अमेरिकी डॉलर** है, जबकि एक **F-35 की कीमत 80 मिलियन** अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
- **कम मानवीय जोखिम:** ड्रोन **पायलट के जोखिम** को कम करते हैं, जिससे वे शत्रुतापूर्ण वातावरण में **उच्च जोखिम वाले मिशनों** के लिये आदर्श बन जाते हैं। **उदाहरण के लिये,**
  - **यूएस-ईरान 2019: ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य** के ऊपर एक **अमेरिकी ड्रोन** को मार गिराया। संघर्ष के बावजूद, अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई नहीं की।
- **सतत् निगरानी: ड्रोन लंबे समय** तक युद्ध के मैदान पर रह सकते हैं, जिससे **वास्तविक समय की खुफिया जानकारी** मिलती है तथा निर्णय लेने के लिये स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार होता है।
  - AI संचालित ड्रोन स्वायत्त रूप से कार्य करते हैं, तथा कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ **लक्ष्यों की शीघ्र** पहचान कर उन पर हमला करते हैं।
- **परिचालन: ड्रोन समन्वित हमलों के लिये समूह में काम कर सकते हैं, जिनका उपयोग टोही, निगरानी तथा सटीक** हमलों के लिये किया जा सकता हैं।
  - **नागोर्नो-करबाख संघर्ष** में, UAV, विशेष रूप से **तुर्की बायरकटार** और अज़रबैजान के **कामिकेज़ ड्रोन** ने अर्मेनियाई सेना को कमज़ोर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे आर्मेनिया की हार हुई।
- **असममित युद्ध के लिये उपयुक्तता: ड्रोन विद्रोह और आतंकवाद निरोध** में अत्यधिक प्रभावी हैं, जिनके द्वारा न्यूनतम क्षति के साथ सटीक हमला किया जा सकता है।
  - **अमेरिका और तुर्की ने मध्य पूर्व और अफ्रीका** में आतंकवादियों के सफाए के लिये इनका इस्तेमाल किया है।
- **निम्न सैन्य आवश्यकताएँ:** ड्रोनों को **एयरबेस, ईंधन भरने वाले टैंकर या पायलट सहायता प्रणाली** जैसी व्यापक बुनियादी संरचना की आवश्यकता नहीं होती है।
  - उदाहरण के लिये, रूस ने **यूक्रेन की सुरक्षा** को कमज़ोर करने के लिये आसानी से **ईरानी शाहेद-136 ड्रोन** तैनात कर दिये।

UAV के उपयोग से संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

- **संघर्ष को बढ़ावा देना:** ड्रोन युद्ध के जोखिम और लागत को कम करते हैं, जिससे राज्यों के लिये **सैनिकों को तैनात किये बिना सैन्य कार्यवाहियों** में शामिल होना **आसान** हो जाता है। उदाहरण के लिये, यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी ड्रोन का उपयोग।
- **गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं का सशक्तिकरण:** ड्रोन **गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं** को राज्य की सेनाओं के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम बनाते हैं। उदाहरणार्थ,
  - **हूती विद्रोहियों ने सऊदी तेल संयंत्रों** पर ड्रोन से हमला किया, जबकि **ISIL ने युद्धक्षेत्र में निगरानी** के लिये वाणिज्यिक ड्रोन का इस्तेमाल किया।
- **क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि: चीन, तुर्की और इज़रायल** के नेतृत्व में बढ़ता ड्रोन बाज़ार, हथियारों की दौड़ और संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है।
  - उदाहरण के लिये, पाकिस्तानी क्षेत्र से अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमलों का बदला लेने के परिणामस्वरूप **पाकिस्तान में आतंकवाद** बढ़ गया है।
- **अस्वीकार्यता और छद्म युद्ध:** ड्रोन राष्ट्रों को बिना किसी प्रत्यक्ष आरोप के हमले करने की अनुमति देते हैं, जिससे **संभावित अस्वीकार्यता** बनी रहती है।
  - यह **सहयोगियों या विद्रोही समूहों** को ड्रोन की आपूर्ति करके संघर्षों में अप्रत्यक्ष भागीदारी को सक्षम बनाता है , जिससे **छद्म युद्धों** को बढ़ावा मिलता है ।
- **दीर्घकालीन युद्ध:** मध्य पूर्व में अमेरिकी अभियानों जैसे ड्रोन हमलों से नागरिकों की मौत ने **सार्वजनिक आक्रोश और कट्टरपंथ** को बढ़ावा दिया है, जिससे **हिंसा का चक्र** जारी है।

भारत के विरुद्ध प्रतिद्वंद्वियों द्वारा UAV का उपयोग करने के क्या प्रभाव हैं?

- **सुरक्षा संबंधी खतरे में वृद्धि:** पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमाओं पर बढ़ते ड्रोन हमले, **हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी** के कारण **सैन्य और आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा** पैदा करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- AI संचालित ड्रोन **कश्मीर में पाकिस्तान और लद्दाख में चीन के लिये निगरानी** बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत की **सामरिक गोपनीयता** को चुनौती मिल रही है।
- **सैन्य विषमता:** चीन **कृत्रिम बुद्धि (AI) आधारित निगरानी** और हमलों के साथ ड्रोन युद्ध में अग्रणी है, जबकि पाकिस्तान **बेहतर टोही और युद्ध के लिये चीनी UAV का उपयोग** करता है।
  - भारत द्वारा इंद्रजाल (AI-संचालित एंटी-ड्रोन सिस्टम) विकसित करने के बावजूद, यह चीन की तुलना में **काउंटर-ड्रोन क्षमताओं में पीछे** है।
- **साइबर सुरक्षा जोखिम:** सीमा के पास भारतीय **ड्रोन हैकिंग की घटनाएँ साइबर सुरक्षा जोखिमों** पर प्रकाश डालती हैं। **इलेक्ट्रॉनिक युद्ध** को मज़बूत बनाना एक चुनौती बनी हुई है।
- **विदेशी ड्रोन पर निर्भरता: MQ-9B** जैसे **आयातित ड्रोन** पर भारत की निर्भरता से **आपूर्ति शृंखला में व्यवधान** उत्पन्न होने का खतरा है तथा सैन्य आत्मनिर्भरता सीमित हो जाती है।

भारत अपनी UAV क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण किस प्रकार कर सकता है?

- **ड्रोन-रोधी उपाय:** खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिये **इंद्रजाल** जैसी प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने तथा **जैमिंग** और **हैकिंग** प्रतिउपायों में निवेश करने की आवश्यकता है।
  - सीमा पार खतरों का निवारण करने के लिये हिमालय की विषम जलवायु परिस्थितियों में ड्रोन **बैटरी की दक्षता** और **स्थिरता में सुधार** किया जाना चाहिये।
  - **दुश्मन के ड्रोन को रोकने** के लिये रक्षा बलों द्वारा **ईगल प्रशिक्षण** का विस्तार किया जाना चाहिये।
- **देशज रूप से ड्रोन का विकास: घरेलू विनिर्माण** को बढ़ावा देने, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को सुदृढ़ बनाने और वित्त पोषण एवं प्रोत्साहन के साथ **ड्रोन स्टार्टअप और MSME का समर्थन** करने की आवश्यकता है।
  - **ड्रोन रोटर्स** को **बीच उड़ान में उलझाने**, प्रणोदन को अक्षम करने और उन्हें नीचे लाने के लिये **ड्रोन जाल** के विकास को बढ़ावा देना चाहिये।
- **अनुसंधान एवं विकास निवेश: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, पायलट प्रशिक्षण, और स्वायत्त ड्रोन, स्वार्म प्रौद्योगिकी और उच्च उन्नतांश वाले UAV** पर अनुसंधान में निवेश करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

सैन्य और निगरानी अभियानों में UAV का बढ़ता उपयोग से **रणनीतिक लाभ** और साथ ही **सुरक्षा खतरे** प्रस्तुत होते हैं। हालाँकि भारत को विरोधियों की ओर से ड्रोन के बढ़ते हमलों का सामना करना पड़ रहा है किंतु **काउंटर-ड्रोन सिस्टम** का सुदृढ़ीकरण करना, **स्वदेशी विकास को बढ़ावा** देना **और एआई-संचालित ड्रोन तकनीक में निवेश** करना राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने और सैन्य प्रतिस्पर्द्धा को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. सीमा पार खतरों के निवारण हेतु भारत अपनी ड्रोन-रोधी क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण किस कर सकता है?

नक्सलवाद के उन्मूलन हेतु भारत की कार्यनीति

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र सरकार **नक्सल मुक्त भारत** की दिशा में दृढ़तापूर्वक कार्य कर रही है, तथा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल नाश करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

नक्सलवाद के उन्मूलन हेतु भारत की रणनीति क्या है?

- **विकास कार्यक्रम:** भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस और लोक व्यवस्था पर **राज्य सरकारों की अधिकारिता** है।
  - हालाँकि, वामपंथी उग्रवाद (Left-Wing Extremism- LWE) का उन्मूलन करने हेतु राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना, 2015 का अंगीकरण किया गया, जिसमें एक ऐसे बहुआयामी कार्यनीति का क्रियान्वन किया गया जिसमें सुरक्षा उपायों, विकास पहलों और सामुदायिक अधिकार संरक्षण को शामिल किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- प्रधानमंत्री **ग्राम सड़क योजना II** के अंतर्गत **वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों** के लिये सड़क संपर्क परियोजना, दूरदराज़ के क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार लाने और सुरक्षा कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिये सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाती है।
- **रोशनी योजना** वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों में ग्रामीण युवाओं के लिये प्रशिक्षण और रोज़गार के अवसरों पर केंद्रित है।
  - **वामपंथी उग्रवाद प्रभावित** ज़िलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास केंद्र स्थापित किये गए हैं।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में सुधार के लिये वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों के जनजातीय ब्लॉकों में लगभग 130 **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)** संचालित किये गए।
- **सार्व सेवा दायित्व निधि योजना (अब डिजिटल भारत निधि)** के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचार में सुधार के लिये मोबाइल टावर संस्थापित किये गए हैं।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों में जनजातीय युवाओं से संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से **नेहरू युवा केंद्र संगठन** के तहत **जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम** आयोजित किये जाते हैं।

- **सुरक्षा अभियान:** **ऑपरेशन ग्रीन हंट** जैसे बृहद स्तर के अभियानों में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिये अर्द्धसैनिक बलों का परिनियोजन किया जाता है।
  - **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF)** और राज्य पुलिस के साथ-साथ **कमांडो बटालियन फॉर रेज़ोल्यूट एक्शन (CoBRA)** और **ग्रेहाउंड्स (आंध्र प्रदेश)** जैसे विशेष बलों के अधिक परिनियोजन से दीर्घकालिक सुरक्षा के लिये रेड कॉरिडोर में आतंकवाद का उन्मूलन करने में सहायता मिलेगी।
- **विधिक ढाँचा:** **विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA, 1967)** जैसे अधिनियमों के अंतर्गत नक्सली संगठनों को प्रतिबंधित किया गया है।
  - इसके अतिरिक्त, **वन अधिकार अधिनियम, 2006** में वन उपज पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है, जबकि **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) अधिनियम, (PESA) 1996** के अंतर्गत जनजातीय ग्राम सभाओं का शासन व्यवस्था और संसाधन प्रबंधन में सशक्तीकरण किया गया है।

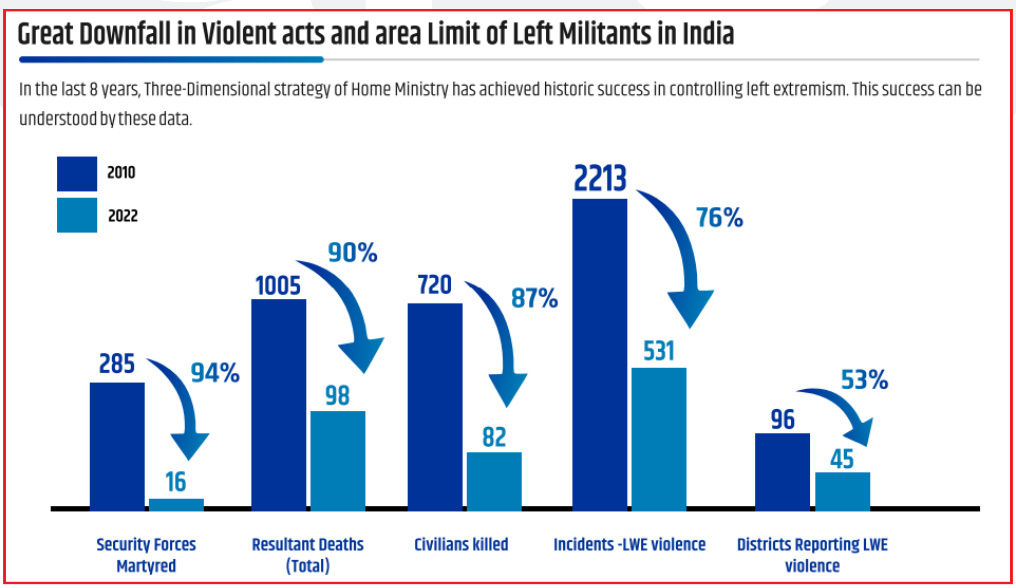

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

वामपंथी उग्रवाद

परिचय

- **उत्पत्ति:** वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में विद्रोह
- **उद्देश्य:** क्रांतिकारी तरीकों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक बदलाव

विचारधारा

- सशस्त्र क्रांति (हिंसा और गुरिल्ला पद्धति) के माध्यम से केंद्र सरकार का विरोध
- माओवादी सिद्धांतों पर आधारित साम्यवादी राज्य की स्थापना

ज़िम्मेदार कारक

- विकास परियोजनाओं, खनन कार्यों के कारण **जनजातीय आबादी का वृहद् स्तरीय विस्थापन**
- **आदिवासी असंतोष;** वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 जनजातियों को वन संसाधनों की कटाई करने से रोकता है
- **निर्धनता और स्थायी साधनों की कमी;** नक्सली आंदोलन में शामिल होने के लिये प्रेरक कारक
- **प्रभावी शासन का अभाव;** नक्सलवाद के विरुद्ध अपर्याप्त तकनीकी खुफिया जानकारी

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य

- **रेड कॉरिडोर:** गंभीर नक्सलवाद-माओवादी विद्रोह का अनुभव
- छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल

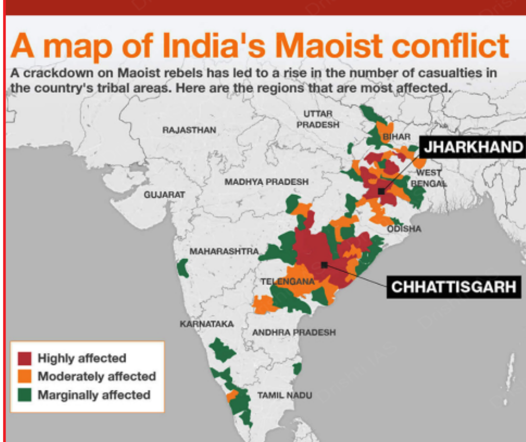

वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाने हेतु सरकारी पहलें

- वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015
- SAMADHAN सिद्धांत
  - S- स्मार्ट लीडरशिप
  - A- एग्रेसिव स्ट्रेटेजी
  - M- मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग
  - A- एक्शनेबल इंटेलिजेंस
  - D- डैशबोर्ड-बेस्ड KPIs (Key Performance Indicators) और KRAs (Key Result Areas)
  - H- हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी
  - A- एक्शन प्लान फॉर इच थिएटर
  - N- नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग
- सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं में विशेष केंद्रीय सहायता (SCA)
- ऑपरेशन ग्रीन हंट
- **ग्रेहाउंड** (आंध्र प्रदेश का इलीट कमांडो फोर्स)
- **बस्तरिया बटालियन** (छत्तीसगढ़ में स्थानीय नियुक्तियाँ जो भाषा और इलाके से परिचित हैं, जिससे खुफिया जानकारी एकत्रित की जा सके और ऑपरेशन किये जा सकें)

नक्सलवाद का सामना- बंदोपाध्याय समिति (वर्ष 2006)

- इसमें जनजातियों के प्रति आर्थिक, सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक भेदभाव एवं शासन की अपर्याप्त नीतियों पर प्रकाश डाला गया
- इसमें आदिवासियों के लिये भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की सिफारिश की गई

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति: आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा के समाज में वापस लौटने में सहायता** के लिये वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक पुनर्एकीकरण कार्यक्रम प्रदान किये जाते हैं ।
- **प्रगति: वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित ज़िलों** की संख्या **126 (वर्ष 2014) से घटकर मात्र 12 (वर्ष 2024)** रह गई है।
  - नक्सल-संबंधी घटनाएँ 16,463 (वर्ष 2004-2014) से घटकर 7,700 (वर्ष 2014-2024) हो गई हैं।
  - नक्सलवाद के कारण सुरक्षा बलों की हताहतों की संख्या में 73% की कमी आई है, जबकि नागरिक हताहतों की संख्या में 70% की कमी आई है।
  - फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन 66 (वर्ष 2014) से बढ़कर 612 (वर्ष 2024) हो गए हैं।

नक्सलवाद क्या है?

- **परिचय:** नक्सलवाद, **माओवादी विचारधारा** से प्रेरित **वामपंथी उग्रवाद** का एक रूप है, जो सशस्त्र विद्रोह (हिंसा और गुरिल्ला युद्ध) के माध्यम से राज्य को समाप्त करने का प्रयास करता है।
  - नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति **पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव** से हुई है, जहाँ **वर्ष 1967 में शोषक ज़मींदारों के खिलाफ** किसानों का विद्रोह हुआ था।
  - इसके बाद से यह एक जटिल उग्रवाद के रूप में विकसित हो गया है, जो **भारत के कई राज्यों** को प्रभावित कर रहा है।
- **नक्सलवाद के कारण:**
  - **भूमिहीनता और शोषण:** असमान **भूमि वितरण** और ज़मींदारों, साहूकारों एवं बिचौलियों द्वारा **शोषणकारी प्रथाओं** के कारण ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में असंतोष बढ़ा और नक्सलवाद को बढ़ावा मिला।
  - **गरीबी और अल्प विकास:** नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में **स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोज़गार के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है,** जिससे लोग उग्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं।
  - **जनजातीय अलगाव:** उचित पुनर्वास के बिना **औद्योगिक और खनन परियोजनाओं** के कारण विस्थापन से राज्य के प्रति गुस्सा और अविश्वास बढ़ता है, जिसके कारण कई लोग नक्सलवादी आंदोलनों में शामिल हो जाते हैं।
  - **राज्य की उपेक्षा और हिंसा:** सरकारी तंत्र अनुपस्थिति, बुनियादी सेवाओं की कमी, तथा **हिरासत में मृत्यु सहित पुलिस की ज्यादतियों के मामलों** ने शिकायतों को और बढ़ा दिया है, जिससे नक्सली विद्रोह को मज़बूती मिली है।
- **भारतीय माओवादी: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)** भारत का सबसे बड़ा और सबसे हिंसक माओवादी समूह है। इसका गठन दो प्रमुख माओवादी गुटों: **CPI (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) पीपुल्स वार** और **माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया** के विलय से हुआ था।
  - CPI (माओवादी) और उसके संगठनों को **UAPA, 1967** के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था।
- **भौगोलिक विस्तार:** नक्सल आंदोलन "रेड कॉरिडोर" में सबसे अधिक सक्रिय है, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और बिहार सहित कई भारतीय राज्यों के हिस्सों में फैला हुआ है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में नक्सलवाद के उदय में योगदान देने वाले कारकों पर चर्चा कीजिये तथा इसका मुकाबला करने के लिये सरकार के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

कृषि

भारत में कृषि संधारणीयता का सुनिश्चय

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने ICAR द्वारा '**भारतीय कृषि की संधारणीयता का स्थानिक आकलन**' विषयक नीति पत्र जारी किये जाने की सूचना दी और **राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (NMSA)** के महत्त्व पर ज़ोर दिया।

- इसके अनुसार **जल अभाव, मृदा क्षरण** और सामाजिक-आर्थिक सुभेद्यताओं के कारण भारत की कृषि संधारणीयता गंभीर खतरे में है।

ICAR के नीति पत्र के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **समग्र सूचकांक:** राष्ट्रीय औसत संधारणीयता सूचकांक 0.49 है, जो **संधारणीयता के मध्यम स्तर** का द्योतक है।
  - यह सूचकांक **51 संकेतकों** पर आधारित है, जिसमें **पर्यावरणीय स्थिति, मृदा और जल गुणवत्ता तथा सामाजिक-आर्थिक विकास** शामिल हैं।

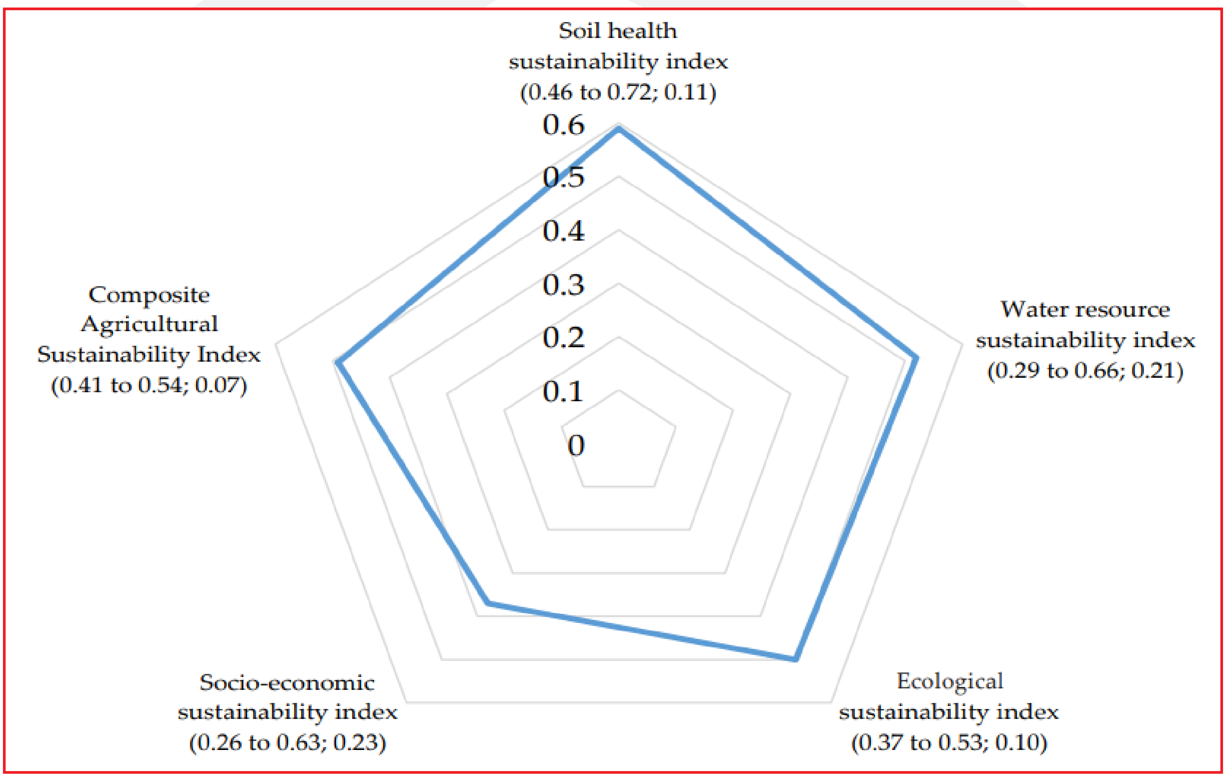

- **राज्यों का प्रदर्शन: मिज़ोरम, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड** का **फसल विविधीकरण, बुनियादी ढाँचे, ऋण सुविधा और सतत् इनपुट** के कारण राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन रहा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

- **राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब**, बिहार, हरियाणा, झारखंड और असम में शुष्क परिस्थितियों, जलवायु परिवर्तन और **गहन कृषि प्रथाओं** के कारण उच्च जोखिम की स्थिति है।

- **कृषि के लिये प्रमुख खतरे:**
  - **जल अभाव: पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में अतिदोहन** की दर 50% से अधिक होने के साथ भौम जलस्तर निरंतर कम हो रहा है।
    - **जल की लवणता** बढ़ रही है, जिससे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और गुजरात में **जलभृतों** पर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ रहा है।
  - **मृदा क्षरण:** अनुमानत: **वर्ष 2050** तक कृषि भूमि से **मृदा अपरदन प्रतिवर्ष 10 टन प्रति हेक्टेयर** हो जाएगा।
    - अनुमानित रूप से **वर्ष 2030** तक लवणता प्रभावित क्षेत्र 6.7 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 11 मिलियन हेक्टेयर हो जायेगा।
  - **फसल उपज में कमी:** जलवायु परिवर्तन के कारण **वर्ष 2050 तक वर्षा आधारित चावल की उपज में 20% और वर्ष 2080 तक 47% की कमी** आ सकती है। गेहूँ की उपज में **वर्ष 2050 तक 19.3% और वर्ष 2080 तक 40% की कमी** आ सकती है।
  - **अनियमित वर्षा:** भारत की 80% वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, जिससे **बाढ़ और सूखे** की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि वर्षा आधारित क्षेत्रों में मानसून की शुष्कता बढ़ रही है।
    - **अनुमान है कि 2050** तक खरीफ और रबी सीज़न के दौरान वर्षा में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप **जलभराव, कीट और रोग** के प्रकोप की संभावना में वृद्धि होगी।

सतत् कृषि क्या है?

- **परिचय:** यह एक **समग्र कृषि दृष्टिकोण** है जो वर्तमान **खाद्य और फाइबर आवश्यकताओं** को पूरा करता है तथा **भावी पीढ़ियों** के लिये संसाधनों को संरक्षित करता है।
  - **इसमें फसल चक्र, जैविक कृषि** और समुदाय समर्थित कृषि जैसी प्रथाएँ शामिल हैं, जो **पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक व्यवहार्यता और सामाजिक समानता** सुनिश्चित करती हैं।
- **लाभ:**
  - **पर्यावरणीय लाभ: मृदा स्वास्थ्य** में सुधार, **जल** संरक्षण, **जैवविविधता** की सुरक्षा, तथा **कार्बन उत्सर्जन** में कमी।
  - **आर्थिक लाभ: दीर्घकालिक उत्पादकता** सुनिश्चित करती है, **लागत** कम करती है, **बाज़ार के अवसर** पैदा करती है, और **जलवायु लचीलापन** बढ़ाती है।
  - **सामाजिक लाभ: स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन** का उत्पादन होता है, **रोज़गार** सृजित होता है, तथा **खाद्य सुरक्षा** मज़बूत होती है।
  - **जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन: जैविक कृषि, संरक्षित जुताई** और कृषि वानिकी **कार्बन को पृथक्करण** करती है, **उत्सर्जन को कम** करती है, तथा जलवायु लचीलापन बढ़ाती है।

राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (NMSA) क्या है?

- **परिचय:** NMSA **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** के तहत एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य भारत में **सतत् कृषि प्रथाओं** को बढ़ावा देना है।
- **उद्देश्य:**
  - **कृषि उत्पादकता में वृद्धि:** वर्षा आधारित क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार लाना, जो **भारत के शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 60%** तथा **कुल खाद्यान्न उत्पादन का 40%** है।
  - **सतत् प्रथाओं को बढ़ावा देना: मृदा और जल** जैसे प्राकृतिक संसाधनों के **संरक्षण और सतत् उपयोग** को प्रोत्साहित करना।
  - **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन: कृषि को जलवायु परिवर्तन** के प्रभावों के प्रति लचीला बनाने के लिये अनुकूलन उपायों को लागू करना।
  - **आजीविका विविधता:** एकीकृत कृषि प्रणालियों के माध्यम से किसानों को उनकी आय के स्रोतों में **विविधता** लाने में सहायता करना।
- **कार्यवाही कार्यक्रम (POA):** NMSA भारतीय कृषि के दस प्रमुख आयामों पर ध्यान केंद्रित करता है:

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

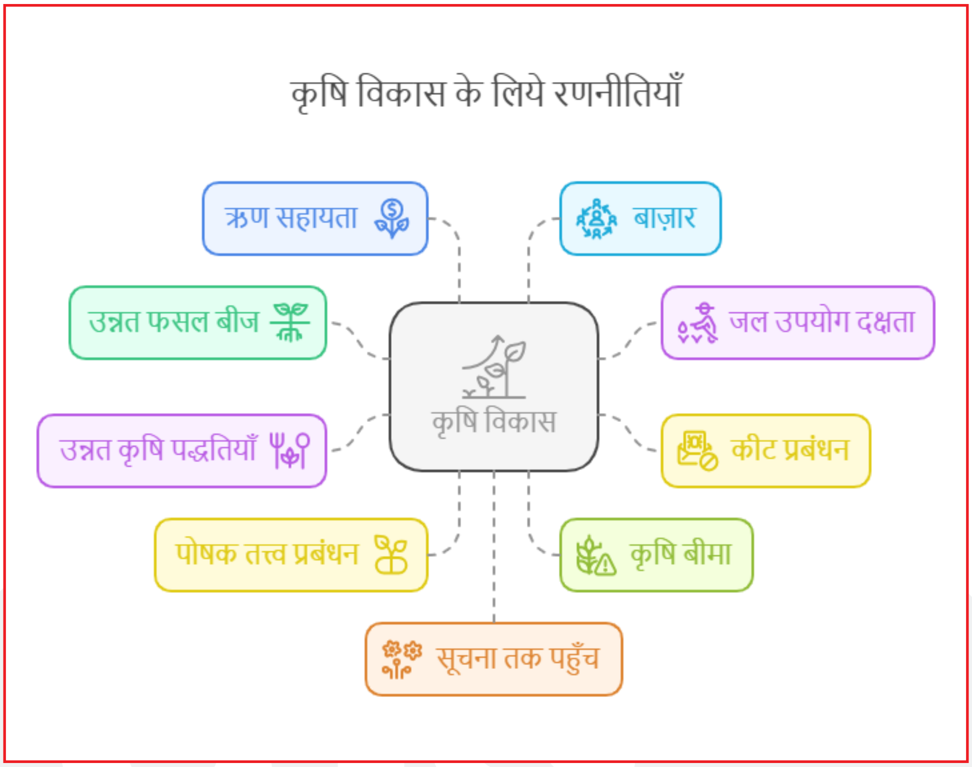

- **सतत् विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण:** NMSA सतत् कृषि पद्धतियों और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन को बढ़ावा देकर **सतत विकास लक्ष्य 2 (भूखमरी को समाप्त करना) और सतत् विकास लक्ष्य 13 (जलवायु कार्यवाही)** में योगदान देता है।

आगे की राह:

- **किसानों के लिये वित्तीय प्रोत्साहन: जैविक खेती, फसल चक्र और कृषि वानिकी** जैसी सतत् पद्धतियों को अपनाने वाले किसानों को वित्तीय पुरस्कार प्रदान करना तथा जैविक उर्वरकों, जैव कीटनाशकों और अन्य पर्यावरण अनुकूल आदानों के लिये सब्सिडी प्रदान करना।
- **अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना: सूखा, कीट और रोग प्रतिरोधी फसलों** के लिये अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना, तथा छोटे किसानों के लिये किफायती जैविक इनपुट विकसित करना।
- **सतत् उत्पादन के लिये बाज़ार तक पहुँच: फसल-उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने के लिये भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण में** सुधार करना, तथा सतत् उत्पादन के लिये किसानों से उपभोक्ताओं तक सीधे बिक्री को सक्षम बनाना।
- **पर्यावरणीय विनियमों को सुदृढ़ करना: जल उपयोग, उर्वरकों और कीटनाशकों के अति प्रयोग तथा प्रदूषण को रोकने** के लिये सख्त विनियमन लागू करना, तथा अनुपालन की सावधानीपूर्वक जाँच करना।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भूजल की कमी और मृदा क्षरण भारतीय कृषि के लिये गंभीर जोखिम उत्पन्न करते हैं। इन चुनौतियों को कम करने में राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (NMSA) की भूमिका पर चर्चा करें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारतीय इतिहास

आज़ाद हिंद फौज की विरासत

चर्चा में क्यों?

आज़ाद हिंद फौज (INA) के एक सेवानिवृत्त सैनिक ने **कर्तव्य पथ** पर स्थित **नेताजी सुभाष चंद्र बोस** की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपना **99वाँ जन्मदिन** मनाया।

- ये 17 वर्ष की आयु में **1 नवंबर 1943** को **INA** में शामिल हुए थे।

आज़ाद हिंद फौज (INA) क्या थी?

- **परिचय:** यह **द्वितीय विश्व युद्ध** के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का सामना करने के उद्देश्य से गठित एक **सैन्य बल** था और इसने **भारत के स्वतंत्रता संग्राम** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- **गठन:**
  - **मोहन सिंह:** उन्होंने **भारतीय युद्धबंदियों (POW)** से एक सेना गठित करने का प्रस्ताव किया और जापानी समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने शुरुआत में INA का नेतृत्व किया, जिसमें लगभग **40,000 सैनिकों** की भर्ती की गई।
    - हालाँकि, **सैनिकों की संख्या** को लेकर जापानियों के साथ संघर्ष के कारण उन्हें हटा दिया गया।
  - **रासबिहारी बोस:** यह एक अनुभवी **क्रांतिकारी** थे और इन्होने INA के लिये **समर्थन** जुटाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और टोक्यो में **भारतीय स्वतंत्रता लीग** का गठन किया (1942)।
  - **सुभाष चंद्र बोस: 25 अगस्त 1943** को बोस को **INA** का **सुप्रीम कमांडर** नियुक्त किया गया और बाद में **21 अक्तूबर 1943** को उन्होंने सिंगापुर में **स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार** अथवा **आज़ाद हिंद** की स्थापना की।
    - इसे **जापान, जर्मनी, इटली** और चीन (वांग जिंगवेई के नेतृत्व में) सहित **9 देशों** द्वारा मान्यता दी गई।
    - **चलो दिल्ली अभियान** के तहत INA ने **मणिपुर के मोइरांग** में भारतीय धरती पर अपना झंडा फहराया, लेकिन **द्वितीय विश्व युद्ध** में जापान की हार के कारण यह अभियान **इम्फाल** में समाप्त हो गया।
- **पतन: जापान की हार (1944-45)** से INA कमज़ोर हो गई। 15 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के बाद **INA** ने भी आत्मसमर्पण कर दिया।
  - **18 अगस्त 1945** को, कथित तौर पर **ताइवान विमान दुर्घटना** में सुभाष बोस की मृत्यु हो गई, जिसके कारण INA को भंग कर दिया गया।
- **INA पर अभियोग:** INA की हार के बाद, अनेक INA सैनिकों को युद्धबंदियों के रूप में **कोर्ट मार्शल** किया गया, जिससे **देशव्यापी विरोध प्रदर्शन** शुरू हो गया, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा दिया।
  - **नवंबर 1945** में **लाल किले** में हुए पहले मुकदमे में तीन अधिकारी **प्रेम कुमार सहगल (एक हिंदू), शाह नवाज खान (एक मुस्लिम)** और **गुरबख्श सिंह ढिल्लों (एक सिख)** शामिल थे, जिन्होंने INA की एकता पर जोर दिया।
  - **बॉम्बे कॉन्ग्रेस अधिवेशन (सितंबर 1945)** में INA युद्धबंदियों के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रख्यात वकील **भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली** ने उनका प्रतिवाद किया।
- **प्रमुख राष्ट्रवादी प्रदर्शन (1945-46):** इस अवधि के दौरान तीन प्रमुख हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए:
  - **21 नवंबर 1945:** INA मुकदमों के खिलाफ **कलकत्ता** में छात्र विरोध प्रदर्शन के कारण पुलिस गोलीबारी हुई।
  - **11 फरवरी 1946:** INA अधिकारी **राशिद अली** की सजा के विरोध में **कलकत्ता** में प्रदर्शन शुरू हो गये।
  - **18 फरवरी 1946: रॉयल इंडियन नेवी (RIN)** के सैनिकों ने बॉम्बे में विद्रोह कर दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

जन्म

- 23 जनवरी, 1897 ('पराक्रम दिवस' के रूप में मनाया जाता है)

आपदा प्रबंधन में भारत में व्यक्तियों/संगठनों द्वारा प्रदान की गई निस्वार्थ सेवा सम्मानित करने हेतु हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की जाती है।

आरंभिक जीवन

- इंडियन सिविल सर्विसेज़ (ICS) परीक्षा उत्तीर्ण की (1919) लेकिन बाद में त्याग-पत्र दे दिया
- स्वामी विवेकानन्द को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे
- समाचार पत्र- स्वराज

कॉन्ग्रेस (INC) में राजनीतिक जीवन

- बिना शर्त स्वराज (Unqualified Swaraj) अर्थात् स्व-शासन का समर्थन किया
- वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया
- सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी-इरविन समझौते (वर्ष 1931) पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया
- हरिपुरा (1938) और त्रिपुरी (1939) में कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीता
- गांधी जी से वैचारिक मतभेद के कारण कॉन्ग्रेस से इस्तीफा दिया (1939)
- राजनीतिक वामपंथ को मज़बूत बनाने हेतु एक नई पार्टी 'फॉरवर्ड ब्लॉक' की स्थापना

आज़ाद हिन्द फौज/इंडियन नेशनल आर्मी (INA)

- जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान-नियंत्रित सिंगापुर पहुँचे वहाँ से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा 'दिल्ली चलो' जारी किया

उन्होंने 'जय हिन्द' का नारा भी दिया

- अक्तूबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार और INA के गठन की घोषणा की
- INA ने इंफाल (भारत) और बर्मा में मित्र देशों की सेनाओं का मुकाबला किया (1944)

इंडियन नेशनल आर्मी का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इविची फुजिवारा के नेतृत्व में किया गया था तथा इसमें मलय (वर्तमान मलेशिया) अभियान के दौरान सिंगापुर में जापान द्वारा कैद किये गए ब्रिटिश-भारतीय सेना के युद्ध बंदियों को शामिल किया गया था।

मृत्यु

- ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1945 में उस समय उनका निधन हो गया जब उनका विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

Drishti IAS

आज़ाद हिंद फौज (INA) का महत्त्व क्या है?

- **ब्रिटिश सत्ता को प्रत्यक्ष चुनौती:** INA के गठन और सैन्य अभियानों ने **धुरी शक्तियों (जापान और जर्मनी)** की मदद से भारत को **सैन्य रूप से** स्वतंत्र कराने का प्रयास करके ब्रिटिश शासन को **प्रत्यक्ष चुनौती** दी।
- **राष्ट्रवादी एकता:** INA **मुकदमों ने धार्मिक और राजनीतिक विभाजनों** से ऊपर उठकर भारतीयों को एकजुट किया, जिससे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ❖ **कॉन्ग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट** जैसे राजनीतिक दल ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एकजुट थे।
- **भारतीय सशस्त्र बलों पर प्रभाव:** INA ने भारतीय सैनिकों के बीच **सहानुभूति** को प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप **रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह (वर्ष 1946)** हुआ, जहाँ **20,000 नाविकों ने विद्रोह** किया, जो ब्रिटिश नियंत्रण में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ था।
- **ब्रिटिशों की वापसी: वर्ष 1956 में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री** ने स्वीकार किया कि INA ब्रिटेन के बाहर निकलने की कुंजी थी, क्योंकि **भारतीय सेना के अब ब्रिटिश ताज के प्रति वफादार नहीं होने** के डर से स्वतंत्रता में तेज़ी आई।
- **विरासत और प्रतीकात्मकता:** INA **सशस्त्र प्रतिरोध का प्रतीक** बन गया, जिसने भारत की रक्षा और रणनीतिक दृष्टिकोण में भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया।
  - ❖ INA का नारा **"जय हिंद" राष्ट्रीय एकता का नारा** बना हुआ है।

निष्कर्ष

- **आज़ाद हिंद फौज (INA)** ने ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष चुनौती देकर, **राष्ट्रवादी एकता को बढ़ावा देकर और सशस्त्र बलों के विद्रोह को प्रेरित करके** भारत की स्वतंत्रता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके प्रभाव ने ब्रिटिश वापसी को तेज़ कर दिया और इसकी **विरासत** भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण, सैन्य लोकाचार और राष्ट्रीय पहचान को प्रभावित करती रही है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में आज़ाद हिंद फौज (INA) की भूमिका पर चर्चा कीजिये।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के दार्शनिक दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों?

बाबा साहेब डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर (1891-1956) के सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के दर्शन, विशेष रूप से जाति और लैंगिक असमानता के संदर्भ में, ने नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के दार्शनिक दृष्टिकोण क्या हैं?

- **प्रयोजनवाद: जॉन डेवी** (एक अमेरिकी दार्शनिक) से प्रभावित होकर, अंबेडकर ने वास्तविक जगत के मुद्दों, जैसे **जाति व्यवस्था, सामाजिक अन्याय** और **आर्थिक असमानता** को संबोधित करने के लिये प्रयोजनवाद (व्यावहारिक तरीके से समस्याओं का समाधान करना) को लागू किया।
  - ❖ उनका दृष्टिकोण अमूर्त या सैद्धांतिक रूपरेखाओं के बजाय क्रिया-उन्मुख समाधानों पर ज़ोर देता था।
- **जाति व्यवस्था की आलोचना:** अंबेडकर ने **हिंदू जाति व्यवस्था** की कड़ी आलोचना करते हुए इसे दमनकारी और अन्यायपूर्ण बताया तथा **तर्क और समानता** पर आधारित समाज की वकालत की।
  - ❖ उन्होंने **दलितों को व्यवस्थागत उत्पीड़न का शिकार माना,** जिन्हें बुनियादी अधिकारों और सम्मान से वंचित रखा गया।
  - ❖ अंबेडकर ने **बौद्ध धर्म को *नवयान बौद्ध धर्म*** के रूप में पुनर्निर्मित किया, जिसमें अनुष्ठानों की अपेक्षा **सामाजिक समानता और नैतिक जीवन** पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो उनके कार्य ***"द बुद्ध एंड हिज धम्म"*** में परिलक्षित होता है।
  - ❖ ***द एनीहिलेशन ऑफ कास्ट (वर्ष 1936)*** में उन्होंने तर्क दिया कि जाति **केवल श्रम का विभाजन नहीं है बल्कि श्रमिकों का विभाजन** है जो सामाजिक और आर्थिक असमानता को कायम रखती है।
- **विधिक और संवैधानिक: भारतीय संविधान** के मुख्य वास्तुकार के रूप में, अंबेडकर का मानना था कि भारत की नींव **स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व** पर आधारित होनी चाहिये, जो **फ्राँसीसी क्रांति (1789-1799)** से प्रेरित थी।
  - ❖ उन्होंने कहा कि **"समानता के बिना स्वतंत्रता, कुछ लोगों के वर्चस्व को जन्म देती है,** और **स्वतंत्रता के बिना समानता, उत्पीड़न को जन्म देती है",** और **संवैधानिक नैतिकता** पर ज़ोर देते हुए कहा कि विधियों को न्याय और मानवीय गरिमा के मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के लिये विकसित किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उन्होंने **विधि के शासन, मौलिक अधिकारों** और उत्पीड़ितों के उत्थान के लिये **सकारात्मक कार्यवाही** का समर्थन किया। उनके अनुसार भारतीय समाज में **बंधुत्व** वह तत्त्व है जो लुप्त है, क्योंकि यह जाति और पदानुक्रम से विभाजित है।

- **राजनीतिक दर्शन: बी.आर. अंबेडकर** ने लोकतंत्र को सिर्फ एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति के रूप में देखा, **जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व** पर ज़ोर दिया गया।
  - **आर्थिक दर्शन:** बी.आर. अंबेडकर ने **अनियमित पूंजीवाद और चरम समाजवाद** दोनों को अस्वीकार कर दिया तथा एक मध्यम मार्ग का समर्थन किया, जिसमें राज्य आर्थिक नियोजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता था।
    - **भूमि सुधार, श्रम अधिकार और आर्थिक नियोजन** पर उनके विचार हाशिये पर पड़े समुदायों के उत्थान पर केंद्रित थे।
- **लैंगिक न्याय:** बी.आर. अंबेडकर लैंगिक समानता के प्रबल समर्थक थे तथा **जाति और पितृसत्ता के बीच अंतर्संबंध** को मान्यता देते थे।
  - उन्होंने **हिंदू कोड बिल** का मसौदा तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य विवाह, उत्तराधिकार और तलाक से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करना था।
  - उन्होंने समतावादी समाज के निर्माण में महिला शिक्षा और सशक्तीकरण के महत्त्व पर बल दिया।
- **गांधीवाद पर विचार:** अंबेडकर **गांधीवाद के कट्टर** आलोचक थे, उन्होंने इसके जाति सुधारों को अपर्याप्त बताया और कानूनी उन्मूलन का समर्थन किया। जाति, धर्म और दलित प्रतिनिधित्व में मतभेदों के बावजूद, दोनों ने **सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण** की मांग की।

नोट: नवयान (नया वाहन) बौद्ध धर्म, जिसकी स्थापना 1956 में बी.आर. अंबेडकर ने की थी, बौद्ध धर्म की एक पुनर्व्याख्या है, जो **पारंपरिक आध्यात्मिक सिद्धांतों की तुलना में सामाजिक समानता और वर्ग संघर्ष पर ज़ोर** देती है।

- यह **चार आर्य सत्य, कर्म, पुनर्जन्म, निर्वाण और मठजीवन** जैसे प्रमुख बौद्ध सिद्धांतों को अस्वीकार करते हैं, तथा उन्हें निराशावादी और सामाजिक न्याय के लिये अप्रासंगिक मानते हैं।
- दलितों का नवयान में सामूहिक धर्मांतरण वर्ष 1956 में शुरू हुआ, तथा 14 अक्तूबर को **धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस** के रूप में मनाया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

गांधी और अंबेडकर के दर्शन की तुलना		
पहलू	**महात्मा गांधी**	**डॉ. बी.आर. अंबेडकर**
जाति प्रथा	महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था में विश्वास तथा अस्पृश्यता का विरोध करते थे, और दलितों को समाज में उनकी स्थिति सुधारने के लिये उन्हें "हरिजन" (भगवान की संतान) कहकर पुकारा।	जाति और अस्पृश्यता को अविभाज्य मानते हुए, उन्होंने जाति के पूर्ण उन्मूलन का समर्थन किया। उन्होंने "दलित" शब्द को प्राथमिकता दी, जो आत्म-सम्मान और प्रतिरोध का प्रतीक है।
लोकतंत्र और शासन	नैतिक अनुनय और अहिंसा के माध्यम से क्रमिक सुधार की मांग की।	दमनकारी संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिये कानूनी और संस्थागत सुधारों की वकालत की।
उत्थान की विधि	उच्च जातियों से दलितों का उत्थान करने और उन्हें हिंदू धर्म में एकीकृत करने की अपील की	शिक्षा, आरक्षण और आत्मनिर्भरता के माध्यम से दलितों को सशक्त बनाना।
आर्थिक दृष्टिकोण	ग्राम अर्थव्यवस्था (ग्रामराज), आत्मनिर्भरता और सादा जीवन को प्राथमिकता दी गई।	आर्थिक प्रगति के लिये औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण का समर्थन किया
धर्म	अंतर-धार्मिक सद्भाव में विश्वास के साथ गांधीजी एक हिंदू सुधारवादी रहे।	समानता के लिये हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया।
पूना समझौता (1932)	विभाजन के भय से पृथक निर्वाचिका का विरोध किया।	दलितों के राजनीतिक अधिकारों की संरक्षा हेतु पृथक निर्वाचिका की मांग की।
विरासत	अहिंसा और नैतिक नेतृत्व के लिये जाने के साथ राष्ट्रपिता के रूप में स्मरण किया जाता है।	भारतीय संविधान के निर्माता और "भारतीय संविधान के जनक" के रूप में संदर्भित किया जाता है। अंबेडकर दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय के समर्थक थे।

समकालीन विश्व में अंबेडकर के दर्शन की प्रासंगिकता क्या है?

- **सामाजिक न्याय:** **अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)** के लिये आरक्षण नीतियाँ **(सकारात्मक कार्रवाई)** सामाजिक उत्थान के लिये उनके दृष्टिकोण से प्रेरित हैं।
    - **जाति आधारित हिंसा** और **भेदभाव** के खिलाफ आंदोलन वर्तमान में भी सामाजिक न्याय की उनकी वकालत से प्रेरित हैं।
- **संवैधानिक लोकतंत्र: बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकों पर हमले और नागरिक स्वतंत्रता का हनन** जैसी बढ़ती चुनौतियाँ **संवैधानिक नैतिकता** के उनके आह्वान को पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक बनाती हैं।
- **सशक्तीकरण के लिये शिक्षा:** अंबेडकर का कथन **"शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो"** सशक्तीकरण के लिये शिक्षा और अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध पर ज़ोर देता है।
    - **उपांतिकीकृत छात्रों** के लिये **छात्रवृत्ति, कौशल विकास कार्यक्रम और सुविधा वंचितों के लिये नि:शुल्क शिक्षा** जैसी प्रोत्साहनकारी नीतियाँ।
- **लैंगिक समानता: अंबेडकर महिला सशक्तीकरण** के प्रबल समर्थक थे, उनका कार्य **समान वेतन और वैयक्तिक कानून सुधार** सहित महिला अधिकारों संबंधी चर्चाओं में वर्तमान में भी प्रासंगिक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **आर्थिक समानता और श्रम अधिकार:** अंबेडकर के अनुसार **सामाजिक असमानता का उन्मूलन** करने की दृष्टि से आर्थिक न्याय अत्यावश्यक है।
  - **बढ़ती बेरोज़गारी, धन असमानता और श्रम शोषण** के बीच राज्य-नेतृत्व वाले औद्योगीकरण, भूमि सुधार तथा श्रम अधिकारों के लिये उनकी वकालत प्रासंगिक बनी हुई है ।

निष्कर्ष

डॉ. बी.आर. अंबेडकर का दर्शन सामाजिक न्याय, जाति प्रथा उन्मूलन और लैंगिक समानता संबंधी समस्याओं का निवारण करने की दृष्टि से वर्तमान में भी अत्यंत प्रासंगिक है। भेदभाव, आर्थिक असमानता और राजनीतिक बहुसंख्यकवाद जैसी चुनौतियों के बावजूद, अंबेडकर के विचारों में एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की अभिकल्पना है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. अंबेडकर का सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक न्याय और संवैधानिक नैतिकता का दर्शन समकालीन चुनौतियों के समाधान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बना हुआ है। चर्चा कीजिये।

औरंगज़ेब और मराठा साम्राज्य

चर्चा में क्यों?

नागपुर में सार्वजनिक जनाक्रोश के कारण **खुल्दाबाद, छत्रपति संभाजी नगर में मुगल शासक औरंगज़ेब के 17वीं सदी के मकबरे** को ध्वस्त करने की मांग उठने लगी है, जिससे **औरंगज़ेब** और **मराठों** के बारे में चर्चा शुरू हो गई है।

औरंगज़ेब

- **शाहजहाँ का पुत्र औरंगज़ेब (आलमगीर) छठा मुगल सम्राट** था **(बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहाँगीर** और **शाहजहाँ के बाद)** जिसने **वर्ष 1658 से वर्ष 1707** तक शासन किया।
- वे उत्तराधिकार के युद्ध में **दारा शिकोह, शुजा और मुराद** सहित सभी प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के बाद सिंहासन पर बैठे।
- वे **अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक** थे, उनके अधीन **साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ,** लेकिन इसके साथ ही साथ उन्हें **महत्त्वपूर्ण आंतरिक संघर्षों का भी सामना** करना पड़ा।

औरंगज़ेब की प्रमुख नीतियाँ क्या थीं?

- **धार्मिक नीतियाँ:**
  - **इस्लामी रूढ़िवाद:** उन्होंने **रूढ़िवादी सुन्नी इस्लाम की सख्त व्याख्या** का पालन किया और **कठोर धार्मिक प्रथाओं** पर ज़ोर दिया।
  - **जज़िया का पुनर्रोपण:** उन्होंने **वर्ष 1679** में गैर-मुसलमानों पर **जज़िया कर** को पुनः लागू कर दिया, जिसे विशेष रूप से **हिंदुओं** और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध **भेदभावपूर्ण** माना गया।
  - **धार्मिक नेताओं का उत्पीड़न:** उन्होंने **गुरु तेग बहादुर** (नौवें सिख गुरु) का इस्लाम में धर्मांतरण से इनकार करने पर उत्पीड़न किया, जिससे **सिख प्रतिरोध को बढ़ावा मिला** और **मुगल सत्ता के खिलाफ उनके सशस्त्र संघर्ष** में योगदान मिला।
  - **मंदिरों का विध्वंसीकरण: वर्ष 1669** में, औरंगज़ेब ने एक **फरमान** जारी कर **काशी विश्वनाथ मंदिर (वाराणसी)** और **केशवदेव मंदिर (मथुरा)** सहित प्रमुख हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया।
- **प्रशासनिक नीतियाँ:**
  - **प्रशासनिक केंद्रीकरण:** औरंगज़ेब ने **सूबेदारों और ज़मींदारों** की स्वायत्तता पर अंकुश लगाया, **मनसबदारों के लिये निश्चित वेतन लागू किया** और शाही नियंत्रण को मज़बूत करने के लिये **नौकरशाही नियुक्तियों को केंद्रीकृत** कर दिया।
  - **मनसबदारी में सुधार:** औरंगज़ेब ने **मनसबदारों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगाया,** जिससे वे केंद्रीय कोष पर निर्भर हो गए, तथा धोखाधड़ी को रोकने के लिये **दाग** (घोड़े पर दाग लगाना) और **चेहरा** (सैनिक पहचान) प्रणालियों के माध्यम से **सैन्य दक्षता में वृद्धि** की।
    - **दाग और चेहरा प्रणालियाँ अलाउद्दीन खिलजी (वर्ष 1296 से वर्ष 1316)** द्वारा शुरू की गई थीं।
  - **फतवा-ए-आलमगीरी:** प्रशासनिक और न्यायिक मामलों को संचालित करने के लिये इस्लामी कानूनों को संकलित किया गया, जिससे राज्य की प्रकृति **अधिक धर्मतंत्रात्मक** हो गयी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **आर्थिक एवं कराधान नीतियाँ:**
  - उन्होंने राजस्व संग्रह की **ज़ब्त प्रणाली** जारी रखी, जिसने **फसल की विफलता के बावजूद उच्च, अनम्य कर** लगाए, जिससे **किसान संकटग्रस्त हो गए और खाद्यान्न की कमी** हो गई। **सिंचाई और कृषि सुधारों** में निवेश की कमी से आर्थिक स्थिरता और खराब हो गई।
    - अकबर के अधीन राजा टोडरमल द्वारा शुरू की गई दहसाला (ज़ब्ती) प्रणाली, **फसल उत्पादन और कीमतों के 10-वर्षीय औसत** पर आधारित एक **व्यवस्थित राजस्व मूल्यांकन पद्धति** थी।
  - **अत्यधिक सैन्य व्यय: मराठों और राजपूतों के विरुद्ध लंबे समय तक चले युद्धों** से वित्तीय घाटा हुआ, **कर का बोझ बढ़ा,** तथा किसान विद्रोहों को बढ़ावा मिला, जिससे **क्षेत्रीय प्रतिरोध** में तेज़ी आई।
  - **व्यापार विनियमन:** व्यापार प्रतिबंधों ने **मुस्लिम व्यापारियों** को लाभ पहुँचाया, जबकि **सख्त इस्लामी वाणिज्यिक कानूनों** ने उद्यमशीलता को हतोत्साहित किया, जिससे साम्राज्य की आर्थिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता कम हो गई।
  - **कला, संस्कृति और बुनियादी ढाँचे में गिरावट:** कारीगरों को मिलने वाले **संरक्षण में कमी आई,** स्मारकीय वास्तुकला पर रोक लगी, **सैन्य किलेबंदी** पर ध्यान केंद्रित हुआ, जिससे आर्थिक विकास सीमित हो गया।

मराठा साम्राज्य से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- **मराठों का उदय:**
  - दक्कन में कमज़ोर पड़ते **आदिलशाही** और **मुगल शासन** का विरोध करके, **छत्रपति शिवाजी (1630-1680)** ने **17वीं सदी** के मराठा साम्राज्य की आधारशिला रखी।
  - मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना **वर्ष 1674 में शिवाजी के छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक** के साथ हुई और यह **वर्ष 1819** तक चला, जब इसे **अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी** ने हरा दिया।
- **मराठा साम्राज्य का उदय:** मराठों के उत्थान को सामरिक, भौगोलिक और राजनीतिक कारकों के संयोजन के कारण माना जा सकता है।
  - **भौगोलिक लाभ: पश्चिमी घाट के बीहड़ इलाके** ने प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की और **गुरिल्ला युद्ध रणनीति** को सुविधाजनक बनाया, जबकि **पहाड़ी पर स्थित अनेक किलों** ने मराठा प्रतिरोध और सैन्य अभियानों को मज़बूत किया।
  - **धार्मिक और राजनीतिक एकता: शिवाजी के नेतृत्व** ने मराठों को राजनीतिक रूप से एकीकृत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि **भक्ति आंदोलन** ने धार्मिक सामंजस्य को बढ़ावा दिया।
    - **संत तुकाराम, समर्थ रामदास और एकनाथ** जैसे आध्यात्मिक नेताओं ने लोगों के बीच **सामाजिक और सांस्कृतिक एकता** को बढ़ावा दिया।
  - **प्रशासनिक और सैन्य अनुभव:** मराठों ने **बीजापुर** और **अहमदनगर सल्तनत** में प्रमुख पदों पर कार्य करके **बहुमूल्य प्रशासनिक और सैन्य अनुभव** प्राप्त किया।

संभाजी महाराज

- **परिचय: छत्रपति शिवाजी महाराज और साईबाई निंबालकर के सबसे बड़े पुत्र,** संभाजी महाराज (1657-1689), **वर्ष 1681** में मराठा सिंहासन पर बैठे।
  - उनका शासनकाल **मुगल साम्राज्य**, विशेषकर औरंगज़ेब के विरुद्ध **अटूट प्रतिरोध** के लिये जाना जाता है।
- **प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक:** उनका जन्म **14 मई 1657** को हुआ था, 2 वर्ष की आयु में उनकी माँ का निधन हो गया और उनका पालन-पोषण उनकी दादी जीजाबाई की देखरेख में हुआ।
  - उन्होंने **छोटी उम्र से ही सैन्य कौशल दिखाया,** जब वे केवल 16 वर्ष के थे तब उन्होंने **रामनगर में अपनी पहली लड़ाई** का नेतृत्व किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उन्होंने **येसुबाई** से विवाह किया और उनका एक पुत्र **शाहू महाराज** था।
- **मुगलों के साथ संघर्ष:**
  - **औरंगज़ेब के विरुद्ध प्रतिरोध:** संभाजी ने मुगलों और अन्य क्षेत्रीय शत्रुओं के विरुद्ध अपने पिता के संघर्ष को जारी रखा।
  - **बुरहानपुर पर आक्रमण (1681):** उन्होंने सफलतापूर्वक मुगल गढ़ बुरहानपुर पर आक्रमण किया, जिससे औरंगज़ेब की सेना को बड़ा झटका लगा।
  - **गुरिल्ला युद्ध:** उन्होंने निरंतर होने वाले मुगल आक्रमणों का मुकाबला करने के लिये गुरिल्ला रणनीति का प्रभावी रूप से उपयोग किया, जिससे दुश्मनों को व्यापक नुकसान हुआ।
- **प्रग्रहण और फाँसी:**
  - वर्ष 1689 में संभाजी के साले **गणोजी शिर्के** ने उनके साथ छल किया और मुगलों को उनके स्थान की सूचना दी।
  - उन्हें उनके करीबी सहयोगी **कवि कलश** के साथ **संगमेश्वर** में पकड़ लिया गया।
  - औरंगज़ेब के अधीन होने से इनकार करते हुए, उन्हें 11 मार्च 1689 को पुणे के समीप तुलापुर में फाँसी दिये जाने से पहले क्रूर यातनाएँ दी गईं।

छत्रपति शिवाजी से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- **मुगलों के साथ संघर्ष: शिवाजी** ने **अहमदनगर और जुन्नार (1657)** के पास मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण किया, जिसके प्रत्युत्तर में औरंगज़ेब ने **नासिरी खान** को भेजा, जिसने शिवाजी की सेना को पराजित किया।
  - **वर्ष** 1659 में शिवाजी ने पुणे में **शाइस्ता खान** और बीजापुर सेना को हराया और वर्ष 1664 में व्यापारिक बंदरगाह को अपने कब्ज़े में ले लिया।
  - **राजा जय सिंह प्रथम** के साथ **पुरंदर की संधि (1665)** के कारण मुगलों को कई किले सौंपने पड़े। शिवाजी आगरा में औरंगज़ेब के दरबार में जाने और अपने पुत्र **संभाजी** को भेजने के लिये भी सहमत हुए।
- **प्रग्रहण और पलायन: वर्ष** 1666 में, शिवाजी को आगरा में औरंगज़ेब के दरबार में बंदी बना लिया गया, लेकिन वे संभाजी के साथ भेष बदलकर भाग निकलने में सफल रहे।
  - इसके बाद **वर्ष** 1670 तक मराठों और मुगलों के बीच शांति बनी रही। मुगलों द्वारा संभाजी को दी गई बरार की **जागीर** उनसे वापस ले ली गई थी। शिवाजी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तेजी से खोए हुए इलाकों को वापस हासिल किया और दक्कन में मराठा नियंत्रण का विस्तार किया।

शिवाजी के उत्तराधिकारी

- **संभाजी (1681-1689):** उन्होंने विस्तारवादी नीतियाँ जारी रखीं लेकिन मुगलों ने उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें फाँसी की सज़ा दी।
- **राजाराम (1689-1700):** मुगलों के खिलाफ प्रतिरोध किया और **गिन्जी किले** में शरण ली तथा बाद में सतारा में उनकी मृत्यु हो गई।
- **शिवाजी द्वितीय और तारा बाई का शासन (1700-1714):** राजाराम की मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी तारा बाई ने संरक्षिका के रूप में शासन किया और मराठा प्रतिरोध का नेतृत्व किया।
- **शाहू और पेशवाओं का उदय (1713 के बाद):** संभाजी के पुत्र शाहू ने वर्ष 1713 में **बालाजी विश्वनाथ** को पेशवा नियुक्त किया, जिससे मराठा प्रशासन में **पेशवा प्रणाली** का उदय हुआ।

शिवाजी के प्रशासन से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **केंद्रीय प्रशासन:** शिवाजी ने दक्कन शैली, विशेष रूप से **अहमदनगर** में **मलिक अंबर** के सुधारों से प्रेरणा लेते हुए एक सुव्यवस्थित प्रशासन की स्थापना की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इसके अंतर्गत राजा **सर्वोच्च अधिकारी** होता था, जिसकी सहायता के लिये **अष्टप्रधान** (आठ मंत्रियों की परिषद) होता था, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते थे:
  - **पेशवा (प्रधानमंत्री):** समग्र प्रशासन की देखरेख की ज़िम्मेदारी।
  - **अमात्य (वित्त मंत्री):** राज्य के वित्त का प्रबंधन।
  - **सचिव:** शाही आदेश जारी करना।
  - **मंत्री (आंतरिक मंत्री):** आंतरिक कार्यों का प्रबंधन।
  - **सेनापति (कमांडर-इन-चीफ):** सैन्य अभियानों का नेतृत्व करता था।
  - **सुमंत (विदेश मंत्री):** विदेश नीति, युद्ध और शांति जैसे मामलों पर राजा को परामर्श देना।
  - **न्यायाध्यक्ष (मुख्य न्यायाधीश):** न्यायिक मामलों की देखरेख करना।
  - **पंडितराव:** धार्मिक कार्यों का प्रबंधन।
- **चिटनिस (शाही सचिव)** ने शासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- **प्रांतीय प्रशासन:** साम्राज्य को **प्रांतों, ज़िलों (तरफों) और उप-ज़िलों (परगना)** में बाँटा गया था।
  - स्थानीय अधिकारियों में देशमुख और देशपांडे (राजस्व संग्रहकर्ता) शामिल थे।
- राजस्व प्रशासन: शिवाजी ने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया और रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की, जिससे देशमुख, देशपांडे, पाटिल और कुलकर्णी जैसे वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की भूमिका में बदलाव आया।
  - उन्होंने मीरासदारों पर कड़ी नज़र रखी, जिनके पास वंशानुगत भूमि अधिकार थे। उनकी राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की काठी प्रणाली के अनुरूप थी, जिसमें भूमि को काठी (Rod) का उपयोग करके मापा जाता था।
  - **प्रमुख राजस्व स्रोत:**
    - **चौथ (राजस्व का 1/4)** गैर-मराठा क्षेत्रों पर संरक्षण कर के रूप में इसकी वसूली की गई।
    - **सरदेशमुखी (10% कर)** राज्य के बाहर के क्षेत्रों पर अधिरोपित।
  - भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिये **मीरासदारों (वंशानुगत ज़मींदारों)** की शक्ति को नियंत्रित किया गया।
- **सैन्य प्रशासन:** शिवाजी के पास एक **अत्यंत अनुशासित और कुशल सेना** थी, जिसमें 30,000-40,000 सैनिकों की घुड़सवार सेना भी शामिल थी ।
  - **साधारण सैनिकों** का भुगतान नकद में किया जाता था, जबकि सरदारों और कमांडरों को **जागीर अनुदान (सरंजाम या मोकासा)** प्रदान किया जाता था। उनकी सेना में शामिल थे:
    - **पैदल सेना (मावली पैदल सैनिक)**
    - **घुड़सवार सेना (घुड़सवार और उपकरण प्रबंधकर्त्ता)** तटीय क्षेत्रों की रक्षा के लिये एक **मज़बूत नौसैनिक बल** था।
  - **गुरिल्ला युद्ध की रणनीति** शुरू की गई और कई रणनीतिक स्थानों को सुरक्षित किया गया।
  - समुद्री व्यापार और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये भारत की **पहली नौसेना बल की स्थापना** की गई।

निष्कर्ष:

शिवाजी के नेतृत्व और **मराठों** के दृढ़ विश्वास से मुगल सेना के प्रभुत्व पर नियंत्रण स्थापित हुआ और एक **स्व-शासित राज्य की स्थापना** के साथ भारतीय इतिहास में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। उनकी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक दक्षता और शक्तिशाली साम्राज्यों के प्रति प्रतिरोधक्षमता की भारत के राजनीतिक पुनरुत्थान में अहम भूमिका रही।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. मराठा साम्राज्य के पतन के कारणों पर चर्चा कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

जैव विविधता और पर्यावरण

भारत में मैंग्रोव

चर्चा में क्यों?

अन्ना विश्वविद्यालय की हालिया रिपोर्ट में तमिलनाडु के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में हुए महत्त्वपूर्ण विस्तार पर प्रकाश डाला गया है, जो वर्ष 2021 के 4,500 हेक्टेयर से दोगुना होकर वर्ष 2024 में 9,039 हेक्टेयर हो गया है, जिससे मैंग्रोव चर्चा का विषय बन गया है।

मैंग्रोव क्या हैं?

- **परिचय:**
  - मैंग्रोव **तटीय पारिस्थितिकी तंत्र** हैं जहाँ **लवण सहिष्णु वृक्ष** और **झाड़ियाँ** पाई जाती हैं जिनकी वृद्धि **उष्णकटिबंधीय** और **उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों** के **अंत:ज्वारीय क्षेत्रों** में होता है।
  - ये मंद गति से प्रवाहित होने वाले जल क्षेत्रों के साथ **लवणीय, अल्प ऑक्सीजन** वाले वातावरण का सामना करने में विशिष्ट रूप से अनुकूलित होते हैं, जहाँ **बारीक तलछट** का संचयन जारी रहता है।
  - कुछ सामान्य मैंग्रोव वृक्षों में **लाल मैंग्रोव, ग्रे मैंग्रोव और राइज़ोफोरा** शामिल हैं।

- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - **पर्यावास एवं विकास की स्थितियाँ:** मैंग्रोव का विकास **ज्वारीय मैदानों, नदियों के मुहाने** और **उच्च गाद** निक्षेपण वाले डेल्टाओं में होता हैं, यहाँ **प्रतिदिन दो बार ज्वारीय जलप्लावन** होता है।
    - वे **उच्च सौर विकिरण, अवायवीय पंक** के अनुकूल हो जाते हैं, तथा **लवणीय जल से से स्वच्छ जल का निष्कर्षण करने में सक्षम** होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ❖ **कार्यिकीय अनुकूलन:** इनमें श्वसन के लिये **न्यूमेटोफोर** (*Avicennia*), स्थिरता के लिये **अवस्तंभ मूल** (*Rhizophora*) और जल की हानि और नमक स्राव के लिये **लेंटिसेलेटेड छाल** का विकास होता है।
  - ✷ उनकी **लवण-स्रावी ग्रंथियाँ** लवण उत्सर्जन में सहायता करती हैं, जबकि इनकी मूल तलछट को प्रग्रहित करती हैं और तटरेखा को स्थिर करती हैं।
- ❖ **जननीय अनुकूलन:** मैंग्रोव में **जरायुजता (Viviparity)** पाई जाती है, जहाँ बीज ज़मीन पर गिरने से पहले पेड़ के भीतर अंकुरित होते हैं, जिससे लवणीय परिस्थितियों में भी जीवित रहना सुनिश्चित होता है।

- **मैंग्रोव का वितरण:** मैंग्रोव की वृद्धि केवल भूमध्य रेखा के समीप **उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय** अक्षांशों में ही होती है, **क्योंकि शून्य से निम्न तापमान इनकी वृद्धि के लिये अनुकूल नहीं होता।**
  - ❖ FAO (2023) के अनुसार, वर्ष 2020 में **वैश्विक मैंग्रोव का विस्तार 14.8 मिलियन हेक्टेयर** था, जिसमें विश्व के सभी **उष्णकटिबंधीय वनों के 1% से भी सीमित क्षेत्र** शामिल हैं।
  - ❖ सबसे बृहद मैंग्रोव क्षेत्र **दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया** में अवस्थित हैं, इसके बाद **दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तर और मध्य अमेरिका तथा ओशिनिया** का स्थान है।
    - ✷ **इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया** में वैश्विक मैंग्रोव आच्छादन का **47%** भाग है।

- **भारत में मैंग्रोव आवरण:** भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023 के अनुसार, भारत का **मैंग्रोव आवरण** लगभग **4,992 वर्ग किमी.** है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है।
  - ❖ प्रमुख मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र **ओडिशा (भितरकनिका), आंध्र प्रदेश (गोदावरी-कृष्णा डेल्टा), गुजरात, केरल और अंडमान द्वीप समूह** में पाए जाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा सन्निहित मैंग्रोव वन** है, जबकि **भीतरकनिका भारत का दूसरा सबसे विशाल मैंग्रोव** वन है।

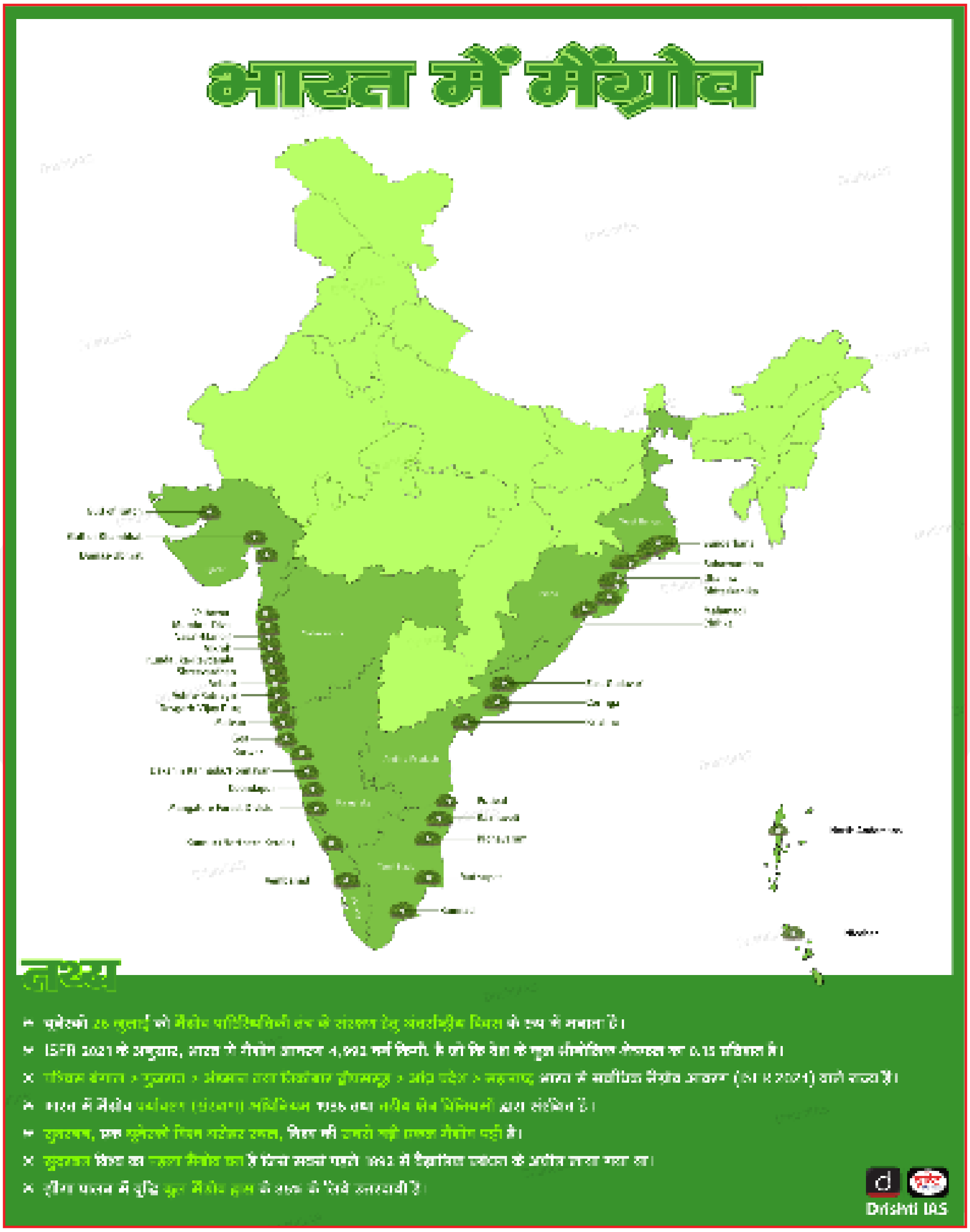

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

सुंदरबन

- **सुंदरबन** का नाम **सुंदरी वृक्ष** (***Heritiera fomes***) के नाम पर रखा गया है।
- यह **भारत के पश्चिम बंगाल** में **हुगली नदी** से लेकर **बांग्लादेश में बालेश्वर नदी** तक विस्तृत है, तथा **गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना डेल्टा** को कवर करता है।
- चार संरक्षित क्षेत्र - **सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (भारत), सुंदरबन पश्चिम, सुंदरबन दक्षिण और सुंदरबन पूर्व वन्यजीव अभयारण्य (बांग्लादेश) को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** के रूप में नामित किया गया है।
- इस क्षेत्र में **समृद्ध जैवविविधता** है, जिसमें **260 पक्षी प्रजातियाँ, बंगाल टाइगर, एस्टुरीन क्रोकोडाइल, इंडियन पायथन** और अन्य संकटग्रस्त प्रजातियाँ शामिल हैं।

Spanning across India and Bangladesh, Sundarbans is amongst the world's largest contiguous blocks of mangrove forest. Less than 40 percent of Sundarbans is located in India and the rest is in Bangladesh. On the Indian side, forest boundaries have changed very little since 1943.

मैंग्रोव का महत्त्व क्या है?

- **कार्बन पृथक्करण:** मैंग्रोव **प्रति हेक्टेयर औसतन 394 टन कार्बन संग्रहित** करते हैं। उनकी **अद्वितीय अवायवीय और लवणीय स्थितियाँ अपघटन को धीमा** कर देती हैं, जिससे वे **अत्यधिक प्रभावी ब्लू कार्बन सिंक** बन जाते हैं।
- **तटीय संरक्षण:** मैंग्रोव **तूफान, सुनामी और तटीय कटाव के खिलाफ प्राकृतिक बाधाओं** के रूप में कार्य करते हैं, जिससे **तरंग ऊर्जा 5-35% तक कम** हो जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- वे **बाढ़ की गहराई को 15-20% तक** तथा **कुछ क्षेत्रों में 70%** तक कम कर देते हैं, तथा **आपदा जोखिम न्यूनीकरण** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- **जैवविविधता हॉटस्पॉट:** वे **भारत में 21 संघों की 5,700 से अधिक प्रजातियों** का समर्थन करते हैं, जिनमें बंगाल टाइगर, एस्टुरीन क्रोकोडाइल, इंडियन पायथन और 260 से अधिक पक्षी प्रजातियां शामिल हैं।
- **खाद्य सुरक्षा और आजीविका:** मैंग्रोव प्रतिवर्ष **800 बिलियन जलीय प्रजातियों का पोषण** करके वैश्विक मत्स्य पालन का समर्थन करते हैं और तटीय समुदायों को बनाए रखते हुए **शहद, फल और पत्तियाँ** प्रदान करते हैं।

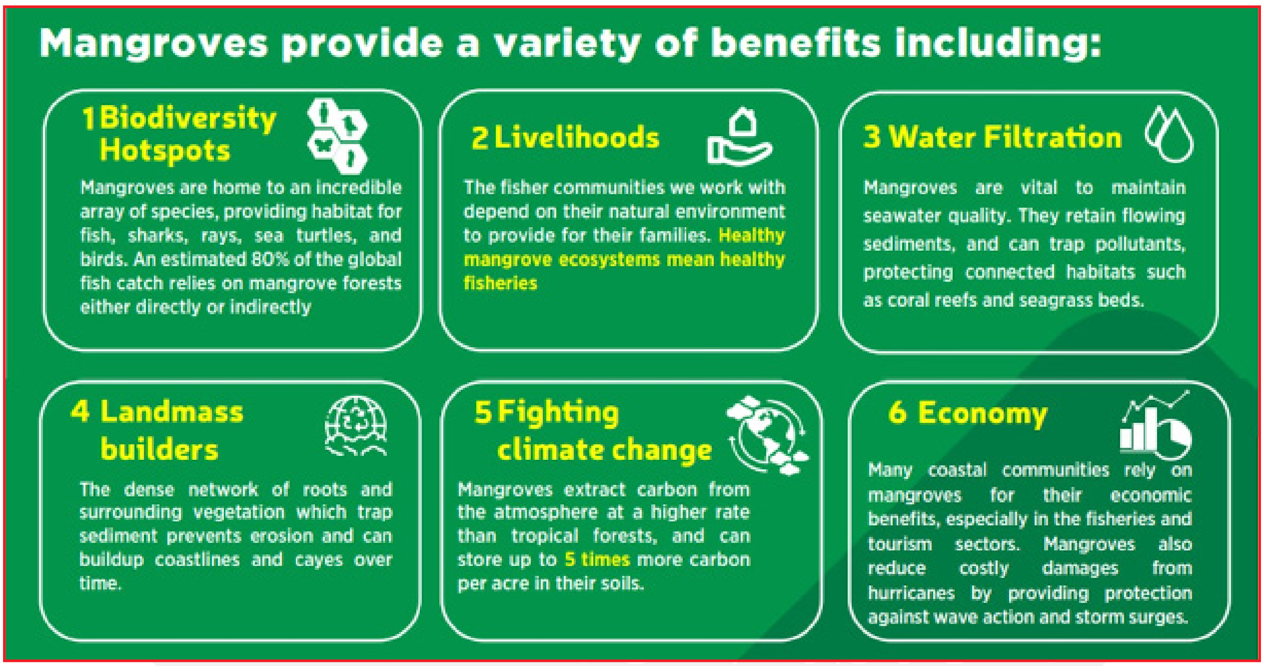

मैंग्रोव के लिये प्रमुख खतरे क्या हैं?

- **भूमि रूपांतरण: "स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स 2024"** रिपोर्ट के अनुसार, **जलीय कृषि (26%), साथ ही पाम-ऑयल के बागान** और चावल की कृषि (43%), **वर्ष 2000 और वर्ष 2020 के बीच मैंग्रोव क्षति का एक प्रमुख कारण** रहे हैं।
  - **इमारती लकड़ी के निष्कर्षण** और **चारकोल उत्पादन** से मैंग्रोव का गंभीर क्षरण होता है।
- **प्रदूषण: तेल रिसाव,** विशेष रूप से **नाइजर डेल्टा** जैसे क्षेत्रों में, मैंग्रोव पुनर्जनन और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को खतरे में डालता है।
- **आक्रामक प्रजातियाँ:** तमिलनाडु और श्रीलंका के मैंग्रोव में पाई जाने वाली आक्रामक प्रजाति ***प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा*** का प्रसार, देशी प्रजातियों को समाप्त कर **मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित** कर रही है, मृदा की लवणता में बदलाव ला रही है, स्वच्छ जल की उपलब्धता को कम कर रही है, और पुनर्जनन में बाधा उत्पन्न कर रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

और पढ़ें: मैंग्रोव संरक्षण से संबंधित भारत की पहल क्या हैं ?

आगे की राह

- **कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना:** वनोन्मूलन, प्रदूषण और अस्थिर तटीय विकास को रोकने के लिये सख्त कानून और नियामक उपायों लागू करना।
- **सामुदायिक भागीदारी:** संरक्षण पहलों में **स्थानीय समुदायों को शामिल करना** और मैंग्रोव संरक्षण से जुड़े स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना, जैसे **मैंग्रोव क्षेत्रों का "एडॉप्शन,** उनका रखरखाव, सुरक्षा और पुनरुद्धार सुनिश्चित करना।
- **अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी अपनाना:** फाइटोरिमेडिएशन, औषधीय अनुप्रयोगों और सतत् मैंग्रोव उपयोगों के लिये अनुसंधान में निवेश करना।
    - वास्तविक समय निगरानी और अवैध गतिविधियों से सुरक्षा के लिये **ड्रोन निगरानी** और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करना।
- **जैव-पुनर्स्थापना:** जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिये प्रजातियों की विविधता सुनिश्चित करते हुए, क्षीण हो चुके मैंग्रोव क्षेत्रों के पुनर्वास के लिये **जैव-पुनर्स्थापन तकनीकों** को लागू करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सतत् तटीय विकास:** पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना, **जलीय कृषि को विनियमित करना** और **मैंग्रोव संरक्षण को शहरी नियोजन में एकीकृत करना।**
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** प्रभावी मैंग्रोव संरक्षण रणनीतियों के लिये **रामसर अभिसमय** और **ब्लू कार्बन इनिशिएटिव** जैसे **समझौतों के माध्यम से वैश्विक सहयोग** को मज़बूत करना।

वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024

चर्चा में क्यों?

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की **वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट** 2024 के अनुसार, भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि **पेरिस समझौते** की निर्धारित सीमा **1.5°C** के निकट है।

वैश्विक जलवायु रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **वर्तमान तापक्रम वृद्धि स्तर:** वैश्विक तापक्रम वृद्धि **पूर्व-औद्योगिक स्तर** से **1.34-1.41 डिग्री सेल्सियस अधिक** है, तथा गत 20 माहों में से 19 माहों में तापमान **1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा** से अधिक रहा।
  - **सितंबर 2029** तक विश्व का तापमान 1.5°C की सीमा से अधिक होने की संभावना है।
  - **चरम मौसम की घटनाएँ:** वर्ष 2024 में **चक्रवातों, बाढ़ और अनावृष्टि से हुए रिकॉर्ड स्तर के विस्थापन के कारण** खाद्य संकट और भी गंभीर हो गया है, जबकि पूर्वी एशिया, दक्षिण-पूर्वी यूरोप, भूमध्य सागर, पश्चिम एशिया और दक्षिण-पश्चिमी अमेरिका में **हीट वेव्स की तीव्रता** जारी रही।
  - **कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर:** वर्ष 2023 में, **वायुमंडलीय CO_2** पूर्व-औद्योगिक स्तर के **151%** तक पहुँच गया, जो **800,000 वर्षों** में सबसे अधिक है।
  - **क्रायोस्फीयर में गिरावट:** **आर्कटिक समुद्री हिम लगातार 18 वर्षों तक** रिकॉर्ड निम्न स्तर पर रही, जबकि **अंटार्कटिक समुद्री हिम** वर्ष 2024 में अपनी **दूसरी सबसे निम्नतम** सीमा पर पहुँच गई।
- **अपरिवर्तनीय प्रभाव:**
  - **महासागरीय तापमान में वृद्धि:** वर्ष 2024 में **महासागरीय तापमान** में **65 वर्षों** में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, तथा तापमान वृद्धि की दर वर्ष 1960 के बाद से दोगुनी हो गई।
  - **समुद्र के स्तर में वृद्धि:** वैश्विक औसत समुद्र का स्तर रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गया, जिसकी दर **2.1 मिमी/वर्ष (वर्ष 1993-2002)** से **दोगुनी** होकर **4.7 मिमी/वर्ष (वर्ष 2015-2024)** हो गई।

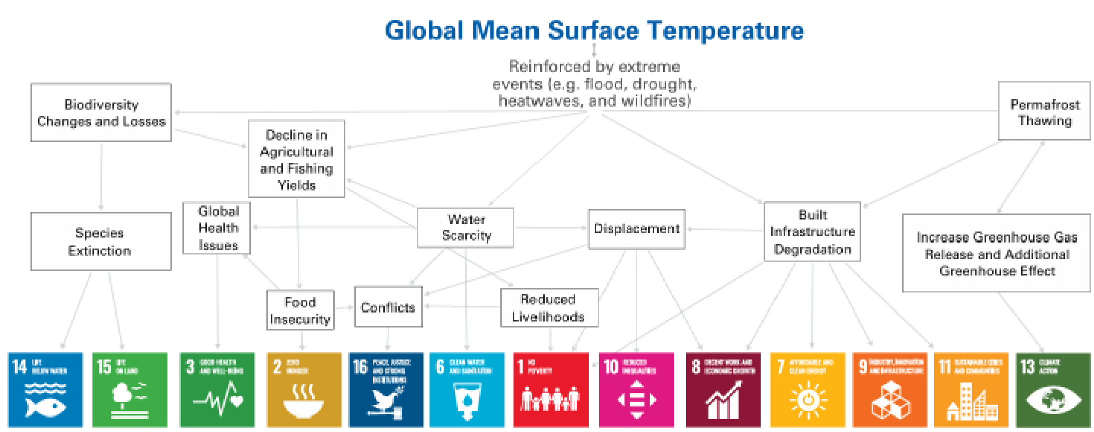

Associated risks of increased global mean surface temperature and the Sustainable Development Goals

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

- ❖ **ग्लेशियर का पिघलना:** वर्ष 2022-2024 की अवधि में **सबसे नकारात्मक ग्लेशियर द्रव्यमान** संतुलन दर्ज किया गया, जिसमें **नॉर्वे, स्वीडन, स्वालबार्ड और उष्णकटिबंधीय एंडीज** में महत्त्वपूर्ण नुकसान हुआ।
- ❖ **महासागरीय अम्लीकरण:** pH स्तर में तेज़ी से गिरावट आ रही है, विशेष रूप से **हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में,** जिसका प्रभाव सदियों तक अपरिवर्तनीय रहेगा।

विकास और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार

ऑरोविले फाउंडेशन बनाम नवरोज़ केरस्प मोदी (2025) मामले में **सर्वोच्च न्यायालय** ने निर्णय दिया कि **औद्योगीकरण के माध्यम से विकास का अधिकार स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार** के समान ही महत्त्वपूर्ण है, तथा **संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21** के तहत दोनों के बीच **"गोल्डन बैलेंस"** पर ज़ोर दिया।

- **मामले की पृष्ठभूमि:** **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)** ने **दरकाली वन** में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान देते हुए वर्ष 2022 में तमिलनाडु में **ऑरोविले** के **विकास पर रोक** लगा दी थी।
  - ❖ **ऑरोविले फाउंडेशन ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए** कहा कि **ऑरोविले के मास्टर प्लान को वैधानिक अधिकार प्राप्त है** और इसके लिये किसी अतिरिक्त पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:** सर्वोच्च न्यायालय ने NGT के वर्ष 2022 के आदेश को पलट दिया, ऑरोविले के कानूनी रूप से वैध मास्टर प्लान को बरकरार रखा, और निर्णय दिया कि "दरकाली वन" को **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन के रूप में वर्गीकृत नहीं** किया गया है।
  - ❖ सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों पर ज़ोर देते हुए कहा कि **अनुच्छेद 14** (समानता का अधिकार) **पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच उचित संतुलन** सुनिश्चित करता है, **अनुच्छेद 19** (स्वतंत्रता का अधिकार) उचित प्रतिबंधों के साथ **व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों के अधिकार की रक्षा** करता है, जबकि **अनुच्छेद 21** (जीवन का अधिकार) में **स्थायी आर्थिक प्रगति के साथ-साथ स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार** शामिल है।

प्राकृतिक कृषि

चर्चा में क्यों?

हरित क्रांति से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई, लेकिन **मृदा की गुणवत्ता का क्षरण हुआ** और इनपुट लागत में वृद्धि हुई, जिससे लघु किसानों को नुकसान हुआ। इसके कारण **मृदा स्वास्थ्य, किसानों की आय** और **पर्यावरणीय संधारणीयता** में सुधार किये जाने के उद्देश्य से **प्राकृतिक कृषि** किये जाने का आह्वान किया जा रहा है।

प्राकृतिक कृषि क्या है?

- **परिचय: प्राकृतिक कृषि (NF)** कृषि की **रसायन मुक्त**, पारंपरिक पद्धति है जिसमें **फसलों, वृक्षों और पशुधन** को कार्यात्मक जैवविविधता के साथ एकीकृत किया जाता है।
  - ❖ इसमें **न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप** पर ज़ोर दिया जाता है, जिसके कारण इसे **"डू नथिंग फार्मिंग"** भी कहते हैं।
  - ❖ इसमें **कृषि इनपुट** का उपयोग शामिल है जैसे:

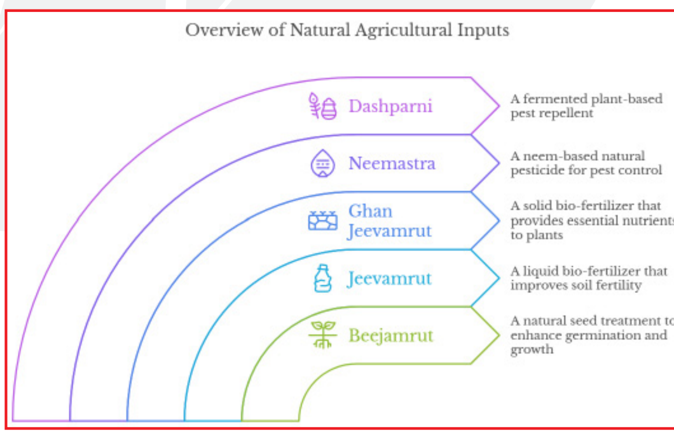

- **जैविक खेती से अलग:** जैविक खेती के विपरीत, जो बाहरी जैविक आदान की अनुमति देता है, प्राकृतिक कृषि **पूरी तरह से खेत पर आदान**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

(इनपुट) पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिये, **मल्चिंग, फसल विविधता और जैव-आदान।**

- **लाभ:**

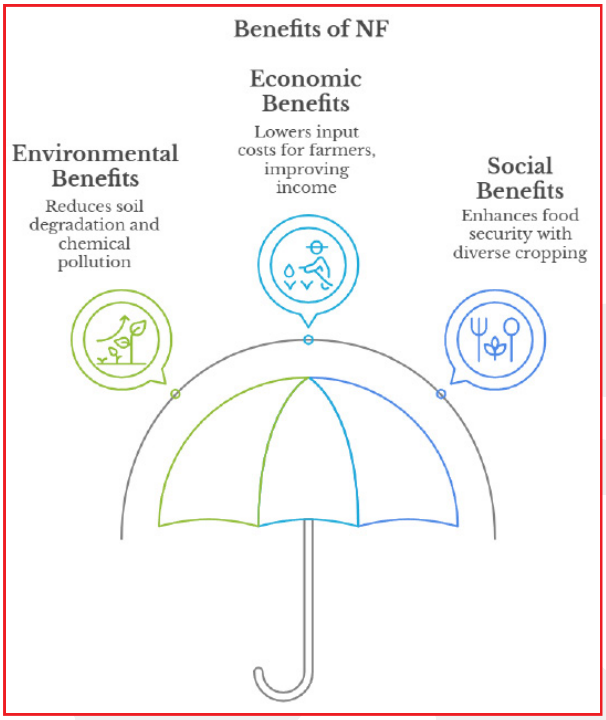

- **चुनौतियाँ:** कम फसल पैदावार, **कीट और** बीमारी का उच्च खतरा, बाज़ार तक सीमित पहुँच, प्राकृतिक आदानों पर अत्यधिक निर्भरता, किसानों में जागरूकता और शिक्षा की कमी।

प्राकृतिक कृषि के क्या लाभ हैं?

और पढ़ें.. प्राकृतिक कृषि के लाभ

प्राकृतिक कृषि में चुनौतियाँ क्या हैं?

और पढ़ें.. प्राकृतिक कृषि में चुनौतियाँ

प्राकृतिक कृषि के लिये सरकार की पहल क्या हैं?

- **भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP):** इसे **परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)** के तहत शुरू किया गया था तथा वर्तमान में यह **9.4 लाख हेक्टेयर** में प्राकृतिक कृषि करने वाले **28 लाख से अधिक** किसानों को सहायता प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF):** NMNF **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** द्वारा शुरू की गई एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है जिसका उद्देश्य **सतत्, जलवायु-अनुकूल कृषि** और सुरक्षित खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
  - दो वर्षों में **1 करोड़ किसानों और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र** को कवर करने का लक्ष्य।
  - ज़मीनी स्तर पर किसानों की सहायता के लिये **10,000 जैव-संसाधन केंद्र** स्थापित किये जाएंगे तथा **30,000 कृषि सखियों** की तैनाती की जाएगी।
  - **2,000 प्राकृतिक कृषि** प्रदर्शन फार्म विकसित करना।

लक्षित प्रजाति-विशिष्ट संरक्षण

चर्चा में क्यों?

***PLOS* बायोलॉजी** में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार **लक्षित संरक्षण प्रयासों** से विभिन्न पशु प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकने में मदद मिली है, जिससे संरक्षण के लिये **प्रजाति-विशिष्ट हस्तक्षेपों** की प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला गया है।

लक्षित संरक्षण प्रयासों ने वैश्विक जैवविविधता को किस प्रकार प्रभावित किया है?

- **प्रत्यक्ष प्रभाव:** वर्ष 1980 के बाद से IUCN रेड लिस्ट श्रेणी में सुधार करने वाली लगभग **99.3%** प्रजातियों को संरक्षण उपायों से लाभ मिला है। बढ़ती आबादी वाली 969 प्रजातियों में से **78.3%** के लिये सक्रिय **संरक्षण हस्तक्षेप** किये गए थे।
- **प्रजाति-विशिष्ट परिणाम:**
  - **आईबेरियन लिंक्स:** प्रजनन और आवास प्रबंधन के माध्यम से **इनकी संख्या कुछ सौ से बढ़कर कई हज़ार** हो गई।
  - **काकापो:** गहन निगरानी और शिकारी नियंत्रण के माध्यम से **न्यूज़ीलैंड के एक तोते** को पुनर्जीवित किया गया।
  - **यूरोपीय बाइसन:** 20वीं सदी के प्रारंभ में वनों में पूरी तरह विलुप्त हो जाने के बाद इसे **पूर्वी यूरोप के वनों में पुन: लाया गया।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत का प्रजाति-विशिष्ट संरक्षण कार्यक्रम क्या है?

- **15 वें वित्त आयोग चक्र (वर्ष 2021-26)** के दौरान जारी रखने के लिये स्वीकृत **वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास (IDWH-2008)** का उद्देश्य कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से **भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के** वन्यजीव संरक्षण को मज़बूत करना और सामुदायिक भागीदारी के साथ आवास बहाली करना है।
  - प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 22 **प्रजातियों (16 स्थलीय और 6 जलीय)** को केंद्रित संरक्षण के लिये प्राथमिकता दी गई है।
  - इसमें **प्रोजेक्ट टाइगर (वर्ष 1973), प्रोजेक्ट एलीफेंट (वर्ष 1992)**, वन्यजीव आवास का विकास (**प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायन** और **प्रोजेक्ट चीता** को शामिल करते हुए) जैसे उपघटक शामिल हैं।
- **प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, संयुक्त राष्ट्र** और **भारत सरकार द्वारा** (**वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के अधिनियमन के बाद) शुरू किया गया था ताकि **कैप्टिव ब्रीडिंग** के माध्यम से मगरमच्छों की आबादी को बढ़ावा दिया जा सके और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा की जा सके।
  - **भीतरकनिका** में **लवणीय जल के मगरमच्छों** की संख्या वर्ष 1975 में 95 थी जो बढ़कर **1,811** हो गयी है।
- ओलिव रिडले एवं अन्य समुद्री कछुओं के लिये, विशेष रूप से ओडिशा में, **समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना (1999)**।
  - **ओलिव रिडले कछुए** को **IUCN के अंतर्गत सुभेद्य, WLPA** में **अनुसूची I** और **CITES** के अंतर्गत **परिशिष्ट I** में सूचीबद्ध किया गया है।
- **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** ने देश में **गिद्धों के संरक्षण** के लिये **गिद्ध कार्य योजना 2020-25** शुरू की है। इससे **डिक्लोफेनाक का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित होगा** और गिद्धों के मुख्य आहार स्रोत, मवेशियों के शवों को विषैला होने से बचाया जा सकेगा।
  - भारत में गिद्धों की मृत्यु का अध्ययन करने के लिये **वर्ष 2001** में **हरियाणा के पिंजौर** में एक **गिद्ध देखभाल केंद्र (VCC)** की स्थापना की गई थी।
  - **वर्ष 2004** में, इसे बंदी प्रजनन और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लिये **भारत के पहले गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र (VCBC)** के रूप में उन्नत किया गया।
- असम में ग्रेटर वन-हॉर्न्ड गैंडों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से **वर्ष 2005** में **इंडियन राइनो विज़न 2020** लॉन्च किया गया। **काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान** में गैंडों की वर्तमान संख्या 2,600 से अधिक है (वर्ष 2022 तक)।
- महाराष्ट्र वन विभाग **भारत का ऐसा पहला राज्य** बनेगा, जिसके पास **पैंगोलिन के संरक्षण हेतु समर्पित कार्य योजना** है।
- पैंगोलिन को सर्वोच्च स्तर का संरक्षण प्रदान करते हुए भारत के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध किया गया है।
- **प्रोजेक्ट चीता** (2022) का उद्देश्य वर्ष 1952 से भारत में विलुप्त हो चुके चीतों की संख्या पुनः बढ़ाना है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को **कुनो राष्ट्रीय उद्यान** में लाया गया था।
  - भारत में 75 वर्षों के बाद वन्य क्षेत्र में **पहले चीते का जन्म** वर्ष 2023 में हुआ।

वैश्विक स्तर पर हिमनदों का तेज़ी से होता विगलन

प्रथम **विश्व ग्लेशियर दिवस (21 मार्च 2025)** पर, संयुक्त राष्ट्र (UN) की **विश्व जल विकास (WWD) रिपोर्ट 2025** में **हिंदू कुश** हिमालय (HKH) में **हिमनदों** में होने वाले निवर्तन की गति **वर्ष 2011 से वर्ष 2020 की अवधि में 65% बढ़ने** का उल्लेख किया गया है।

- **संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 के मुख्य निष्कर्ष:** यदि वैश्विक तापमान **1.5°C-2°C** तक बढ़ता है, तो HKH के हिमनदों में **वर्ष 2100** तक इनके कुल आयतन का **30-50% का ह्रास** हो सकता है, और यदि यह **2°C से अधिक** हो जाता है, तो लगभग **45%** (वर्ष 2020 के स्तर से) का ह्रास हो सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **वर्ष 2100** तक समग्र विश्व के पर्वतीय हिमनदों के द्रव्यमान में **26-41% की कमी** हो सकती है, जिससे उच्च उन्नतांश क्षेत्रों में निवास करने वाले **1.1 बिलियन** लोग प्रभावित होंगे।
  - **ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF)** की घटनाएँ बढ़ रही हैं, जिससे **आकस्मिक बाढ़ और भूस्खलन** हो रहा है।
    - **विगत 200 वर्षों** में इनके कारण विश्व में 12,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, तथा **वर्ष 2100** तक GLOF का खतरा तीन गुना बढ़ सकता है।
- **विश्व ग्लेशियर दिवस:** संयुक्त राष्ट्र ने **वर्ष 2025** को **अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष (IYGP)** घोषित किया है।
  - यह **क्रायोस्फेरिक विज्ञान पर कार्रवाई दशक (2025-2034)** की शुरुआत का भी प्रतीक होगा, जिसका उद्देश्य ग्लेशियर संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ करना है।
- **हिंदू कुश हिमालय (HKH):** HKH, जिसे **"एशिया का जल टॉवर"** कहा जाता है, भारत सहित 8 देशों में विस्तरित है, और इसमें **चार वैश्विक जैवविविधता हॉटस्पॉट** शामिल हैं- हिमालय, इंडो-बर्मा, दक्षिण-पश्चिम चीन और मध्य एशिया।

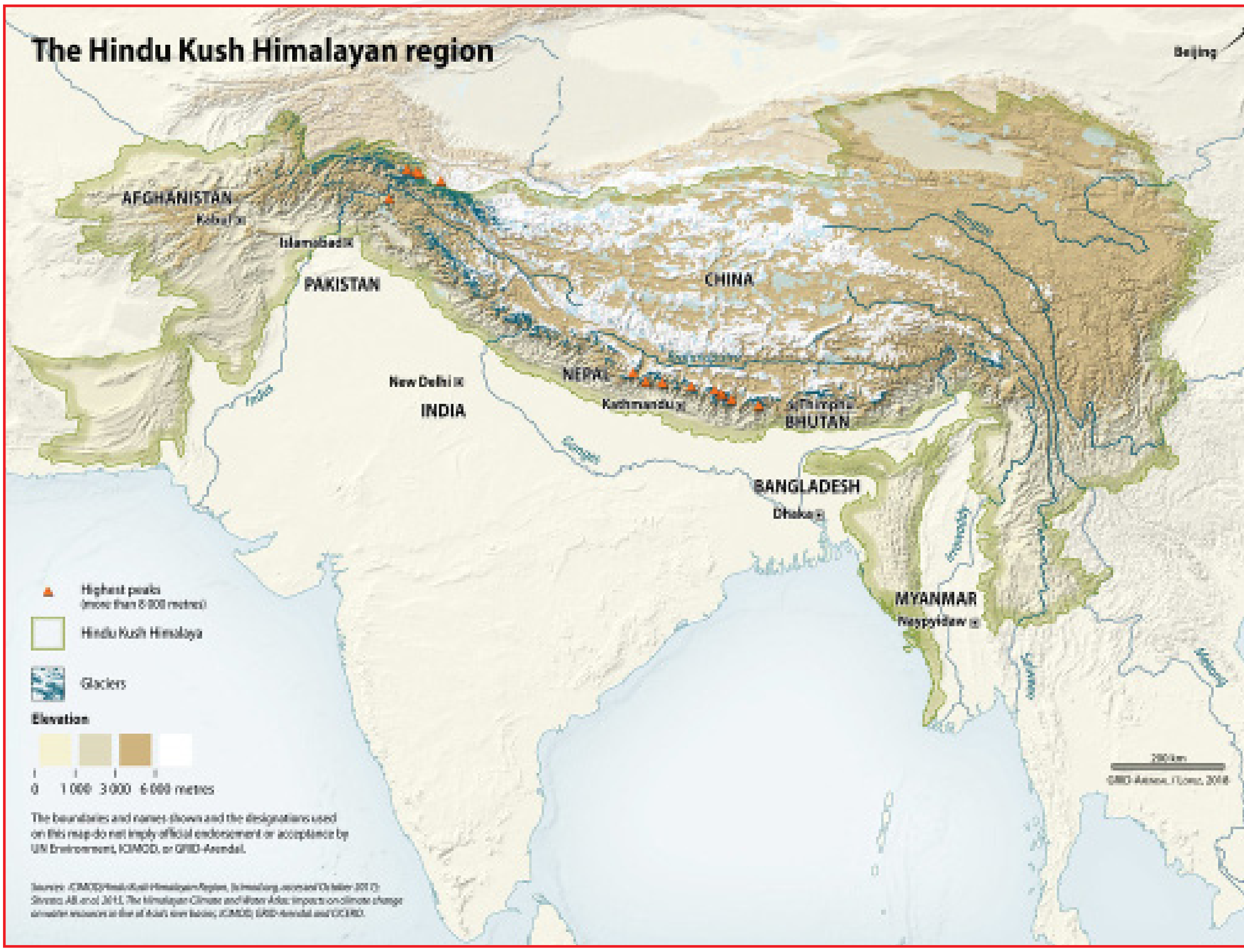

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

सीसा विषाक्तता

चर्चा में क्यों?

भारत में **सीसा विषाक्तता** एक महत्त्वपूर्ण लेकिन उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बना हुआ है, जो विशेष रूप से बच्चों को प्रभावित कर रहा है। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में सीसा संदूषण को विनियमित करने वाले अनेक कानून हैं, तथापि इसकी रोकथाम और शमन के लिये **व्यापक कानूनी ढाँचे का अभाव** प्रभावी प्रवर्तन और नीतिगत सुसंगतता में बाधा डालता है।

सीसा (Lead)

- **सीसा** एक **विषैली, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली भारी धातु** है, जो अपनी **तन्यता, आघातवर्धनीयता तथा नीले-सफेद रंग की चमक** के कारण जानी जाती है, तथा **इसके संपर्क का कोई सुरक्षित स्तर निर्धारित नहीं** किया गया है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सीसे को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये चिंता के प्रमुख 10 रसायनों** में से एक माना है।
  - **वर्ष 2021 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिशा-निर्देश** जारी किये थे, जिसमें सिफारिश की गई थी कि **जिन व्यक्तियों के रक्त में सीसे का स्तर ≥5 µg/dL है, उनका जोखिम स्रोतों के लिये मूल्यांकन किया जाना चाहिये,** और उन्हें समाप्त करने के लिये कदम उठाए जाने चाहिये।
  - **सीसा-आधारित पेंट, सीसा उत्सर्जन का एक प्रमुख वैश्विक स्रोत** बना हुआ है। WHO और **UNEP के ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लीड पेंट** ने देशों से **कानूनी प्रतिबंध लागू करने** का आग्रह किया है; हालाँकि, जनवरी 2024 तक, **केवल 48% ने ही ऐसे कानून बनाए** हैं।

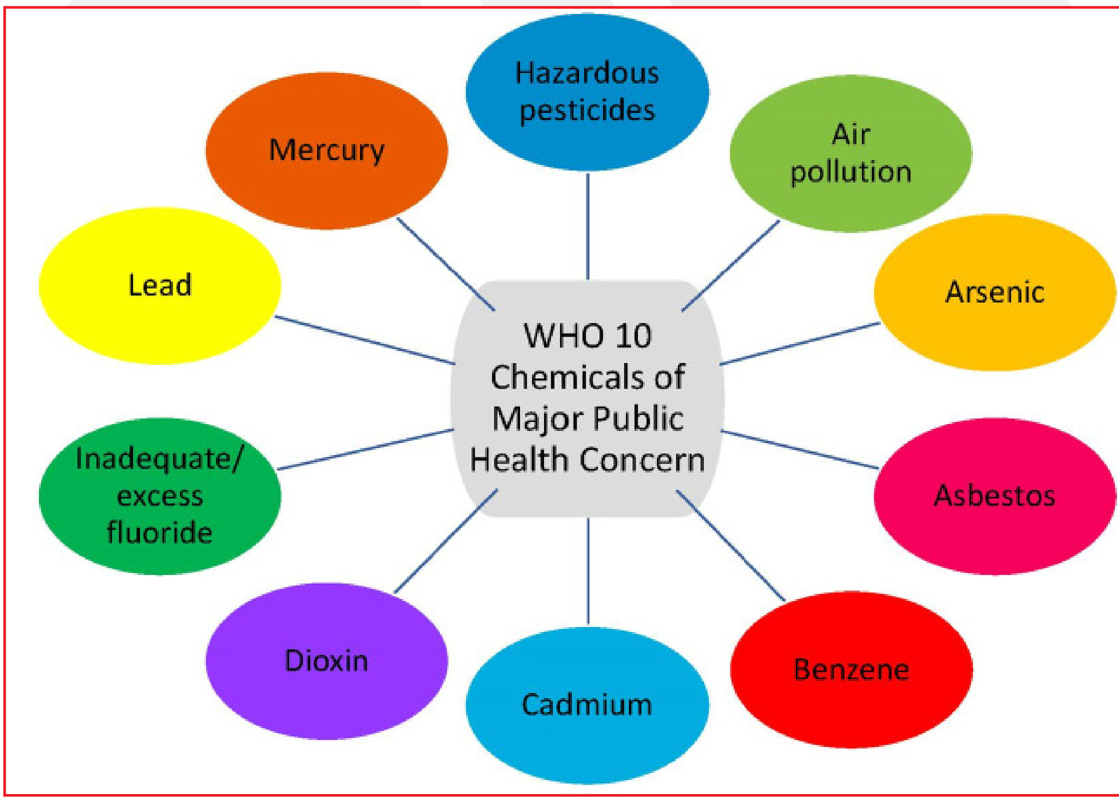

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

सीसा विषाक्तता क्या है?

- **परिचय: सीसा विषाक्तता** (जिसे **प्लम्बिज्म** और **सैचुरिज्म** के नाम से भी जाना जाता है) तब होती है जब **सीसा समय के साथ शरीर में संचित हो जाता है,** आमतौर पर महीनों या वर्षों में, जिसके परिणामस्वरूप विषाक्त प्रभाव उत्पन्न होते हैं।
- **सीसा विषाक्तता की स्थिति: सीसा विश्वभर में 1/3 बच्चों को विषाक्त कर रहा है।**
  - **वर्ष 2020 की यूनिसेफ-प्योर अर्थ रिपोर्ट** में पाया गया कि **भारत के आधे बच्चों के रक्त में सीसे का स्तर (BLL) उच्च** है। लगभग **275 मिलियन** बच्चों में यह स्तर **विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा (5 µg/dL)** से अधिक है, तथा **64.3 मिलियन** बच्चों में यह स्तर इससे भी अधिक (**10 µg/dL से अधिक**) है।
  - **CSIR-नीति आयोग की रिपोर्ट:** 23 राज्यों में अनुशंसित 5 µg/dL BLL सीमा पार हो गई है।
  - **सीसा विषाक्तता के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5% का नुकसान होता है।**
- **स्रोत:**

Everyday risks

There is potential for lead exposure in several common occupations and products that are used in nearly every household

OCCUPATIONAL SOURCES	Non-Occupational Sources
Battery work	Traditional medicine
Mining	Vehicular exhaust
Glass manufacturing	Contaminated cosmetics and sindoor
Automobile repair	Household storage batteries
Ceramic work	Household paints
Painting	Contaminated spices
Pottery	Effluent from lead-based industries
Smelting	Contaminated soil, dust and water near lead-based industries
Printing work	Food grown in lead contaminated areas
Plumbing	Retained bullets
Soldering	Food stored or cooked in lead-coated vessels
Making lead pipes and plastic	Painted toys

Source: "Assessment of Lead Impact of Human and India's Response", Niti Aayog and Council of Scientific Research

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- लक्षण एवं प्रभाव: लक्षणों में थकान, पेट दर्द, मतली, दस्त, भूख न लगना, एनीमिया, मांसपेशियों में कमज़ोरी और मसूड़ों पर एक काली रेखा (Dark Line) शामिल हैं।

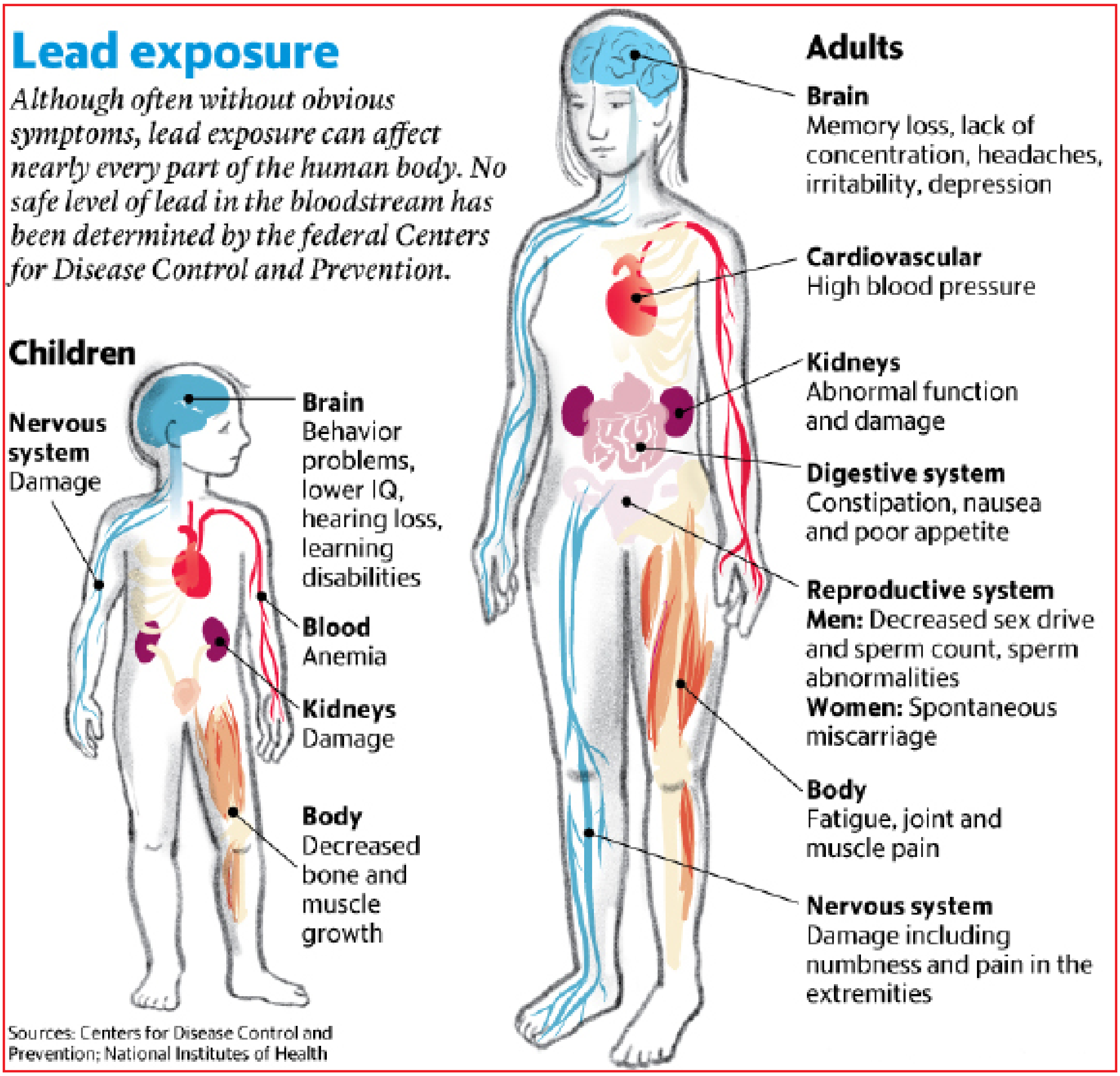

पारा विषाक्तता क्या है?

और पढ़ें: पारा विषाक्तता

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत में सीसा विषाक्तता से निपटने के लिये नीतिगत उपाय क्या हैं?

- **मौजूदा नीतिगत उपाय/कानूनी प्रावधान:**
  - **सीसायुक्त पेट्रोल पर प्रतिबंध (वर्ष 2000): भारत ने सीसायुक्त पेट्रोल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया, जिससे वायुजनित सीसा प्रदूषण, स्वास्थ्य जोखिम और पर्यावरणीय क्षति** में कमी आई। इस परिवर्तन से **इंजन नॉकिंग, वाहन की दक्षता और इंजन की दीर्घजीविता बढ़ाने** में सुधार करने में भी मदद मिली, जो स्वच्छ ईंधन और बेहतर वायु गुणवत्ता के लिये वैश्विक प्रयासों के साथ संरेखित है।

विनियम	प्रावधान
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986	यह **केंद्र सरकार (CPCB)** को **अपशिष्टों और प्रदूषकों** के लिये अनुमेय सीमा निर्धारित करके सीसा संदूषण को विनियमित करने का अधिकार देता है।
कारखाना अधिनियम, 1948	यह श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, तथा सीसे का उपयोग करने वाले उद्योगों में सीसे की विषाक्तता को अप्रत्यक्ष रूप से संबोधित करता है। **अध्याय III** श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण और स्वच्छता पर केंद्रित है। ● **तीसरी अनुसूची सीसा विषाक्तता** और **लेड टेट्रा-एथिल विषाक्तता** सहित उल्लेखनीय बीमारियों की सूची से संबंधित है।
भवनों में जल आपूर्ति के लिये आचार संहिता, 1957	यह **घरेलू जलापूर्ति के लिये सीसे की पाइपों** पर प्रतिबंध लगाता है, **जल में सीसे की मात्रा 10 μg/L** निर्धारित करता है। हालाँकि, इसमें **फ्लशिंग और ओवरफ्लो सिस्टम** के लिये **सीसे की पाइपिंग की अनुमति** प्रदान की गई है। ● **PVC पाइपों में लेड स्टेबलाइज़र्स नियम, 2021** के अंतर्गत PVC पाइपों में लेड-आधारित स्टेबलाइज़र्स के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है, BIS अनुपालन को अनिवार्य किया गया है और जल गुणवत्ता परीक्षण को आवश्यक बनाया गया है।
कीटनाशी अधिनियम, 1968	इसमें सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिये कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री और उपयोग के संबंध में प्रावधान किये गए हैं। ● **अनुसूची 2 में लेड आर्सेनेट** को कीटनाशी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006	इसमें FSSAI को खाद्य सुरक्षा को विनियमित करने और **भोजन** {जैसे, **हल्दी (10), पत्तेदार सब्जियाँ (0.3), दालें (0.2), चीनी (5.0), शिशु आहार (0.2), आदि**} और पेयजल (BIS के अनुसार **0.01 मिलीग्राम/लीटर**) में सीसे की सीमा निर्धारित करने का प्राधिकार दिया गया है। ● FSSAI ने स्वास्थ्य संबंधी खतरों के कारण मसालों में **लेड क्रोमेट** के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016	इसमें **सीसा-युक्त अपशिष्ट को वर्गीकृत किया गया है** तथा इसके भंडारण, उपचार और निपटान का प्रावधान किया गया है, जिसके लिये उद्योगों को SPCB/PCC प्राधिकरण प्राप्त करना आवश्यक होता है। ● **बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022:** इसके अंतर्गत **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)** के तहत **लेड-एसिड बैटरी रीसाइक्लिंग** को नियंत्रित किया जाता है।
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940	इनमें सौंदर्य प्रसाधनों में **सीसे की मात्रा 20 ppm निर्धारित की गई है**, तथा निर्माताओं और आयातकों के लिये उचित घटक लेबलिंग का अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

बालक श्रम अधिनियम, 1986	इसमें **परिसंकटमय वातावरण** में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है जिससे **सीसा विषाक्तता को कम करने में मदद मिलती है**।
भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016	इसके अंतर्गत वस्तुओं का **मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन** सुनिश्चित करते हुए BIS को भारत के **राष्ट्रीय मानक निकाय** के रूप में नामित किया गया है। ● इसमें रसोई के बर्तनों में **सीसे की मात्रा** निर्धारित की गई है(जैसे, **खाना पकाने के बर्तन: 0.5 mg/dm², कप और मग: 0.5 mg/L**)।

लीड विनियमन के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **कीटनाशकों में सीसा: कीटनाशी अधिनियम, 1968**, में अभी भी **लेड आर्सेनेट** कीटनाशी के रूप में सूचीबद्ध है, जबकि स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिमों के कारण **कृषि मंत्रालय** द्वारा **वर्ष 2019 की प्रतिबंधित कीटनाशकों की सूची में इसे प्रतिबंधित किया गया है।**
- **खाद्य उत्पादों में सीसा: FSSAI** ने **हल्दी में लेड क्रोमेट** पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन **10 ppm सीसे के उपयोग की अनुमति** दी है, जो एक **नियामकीय खामी** है, जिससे प्रतिबंध के बावजूद सीसे का संदूषण जारी है।
- **पेंट्स में सीसा: वर्ष 2016** के नियमों में नए पेंट्स में सीसे की मात्रा को सीमित किया गया है, लेकिन घरों के मौजूदा सीसा-आधारित पेंट के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया।
- **जल संदूषण: भवनों में जल आपूर्ति के लिये आचार संहिता** (1957) और **PVC पाइपों में लीड स्टेबलाइज़र नियम** (2021) का प्रवर्तन सुदृढ़ता से नहीं हुआ है।

आगे की राह

- **सुदृढ़ विधिक ढाँचा: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम** (**EPA**), **1986** के तहत नियमों का एक ऐसा समर्पित सेट प्रस्तुत किया जाना चाहिये जो व्यापक विधिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिये **सीसा उत्पादन, पुनर्चक्रण और निपटान को विनियमित करता है।**
- **सुरक्षित रक्त सीसा स्तर (BLL) का निर्धारण:** नीतिगत हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसाओं के अनुरूप **BLL** के लिये एक राष्ट्रीय सीमा निर्धारित कर उसका क्रियान्वन किया जाना चाहिये।
- **व्यावसायिक सुरक्षा मानक:** सीसा-संबंधित उद्योगों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिये **सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं** का अंगीकरण किया जाना चाहिये, जैसे कि **अमेरिका का व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन (OSHA) विनियम** तथा **ब्रिटेन का कार्यस्थल पर सीसा नियंत्रण विनियम (2002)।**
- **सुदृढ़ प्रवर्तन:** विशेष रूप से उद्योगों, जल आपूर्ति और खिलौना विनिर्माण में, **यूरोपीय संघ के खिलौना सुरक्षा निर्देश मानकों** के संरेखण में **अननुपालन के लिये स्पष्ट दंड** निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है।
- **सार्वजनिक जागरूकता और बाज़ार प्रोत्साहन:** सुरक्षित विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिये **कर प्रोत्साहन** और व्यापक स्तर पर **सार्वजनिक जागरूकता अभियानों** के माध्यम से **सीसा रहित उत्पादों** को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

सीसा विषाक्तता का प्रभावी रूप से निवारण करने हेतु, एक **व्यापक विनियामक ढाँचा**, सुदृढ़ प्रवर्तन और **जन जागरूकता** पहल आवश्यक हैं। स्वास्थ्य पर इसके **गंभीर जोखिमों** को दृष्टिगत रखते हुए, भारत में सीसा विषाक्तता को **शीर्ष लोक स्वास्थ्य प्राथमिकता** के रूप में माना जाना चाहिये।

SDG प्रगति एवं चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

भारत ने **सतत् विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक 2024** में **उल्लेखनीय सुधार** किया है और इसे 166 देशों में से **109वाँ स्थान** मिला है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- राज्यों ने भी **बेहतर प्रदर्शन** किया है, पिछले तीन वर्षों में समग्र सूचकांक में औसतन **पाँच अंकों की वृद्धि** हुई है।

सतत् विकास लक्ष्यों के संदर्भ में भारत का अब तक प्रदर्शन कैसा रहा है?

- **समग्र प्रगति:** भारत का **SDG सूचकांक स्कोर 57 (2018) से सुधरकर 71 (2023-24)** हो गया।
- **राज्यों का प्रदर्शन: केरल और उत्तराखंड 8 लक्ष्यों में 80 से अधिक स्कोर** के साथ अग्रणी हैं।
- हालाँकि, **9 से अधिक राज्यों में गरीबी उन्मूलन (लक्ष्य संख्या 1), लैंगिक समानता (लक्ष्य संख्या 5),** असमानता में कमी **(लक्ष्य संख्या 10)** और मज़बूत संस्थान **(लक्ष्य संख्या 16)** जैसे आयामों में गिरावट दर्ज की गई है।
- **लक्ष्य विशिष्ट प्रगति:**
  - **SDG-3: मातृ मृत्यु अनुपात** प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर **130 (वर्ष 2014-16)** से घटकर **97 (वर्ष 2018-20)** हो गया।
  - **SDG-4: उच्च शिक्षा** में सकल **नामांकन अनुपात (GER)** वर्ष 2014-15 और वर्ष 2021-22 के बीच 23.7% से **बढ़कर 28.4%** हो गया है।
  - **SDG-6: वर्ष 2020-2021 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 95%** से अधिक लोगों और **शहरों** में **97.2%** लोगों को पीने योग्य जल के बेहतर स्रोतों तक पहुँच प्राप्त हुई।
  - **SDG-7:** भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता दिसंबर 2023 के **180.80 गीगावाट से बढ़कर** दिसंबर 2024 में **209.44 गीगावाट** हो गई।
- **बजटीय आवंटन:** कुछ राज्य (जैसे **हरियाणा, ओडिशा, मेघालय**) अब **SDG-विशिष्ट बजट** प्रकाशित करते हैं।
  - विकासशील देशों को सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिये **प्रतिवर्ष 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** की आवश्यकता है।

SDG रिपोर्ट, 2024 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

और पढ़ें: सतत् विकास लक्ष्य रिपोर्ट, 2024

सतत् विकास लक्ष्य क्या हैं?

- **सतत् विकास लक्ष्य (SDG): यह परस्पर संबंधित लक्ष्य** हैं जो **गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण** जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित हैं।
  - इसे वर्ष **2015 में 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों** द्वारा **सतत् विकास के वर्ष 2030 के एजेंडे** के भाग के रूप में अपनाया गया था।
- **उद्देश्य:** इसका लक्ष्य **वैश्विक साझेदारी** के माध्यम से **वर्ष 2030** तक **शांति, समृद्धि और स्थिरता प्राप्त** करना है।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**

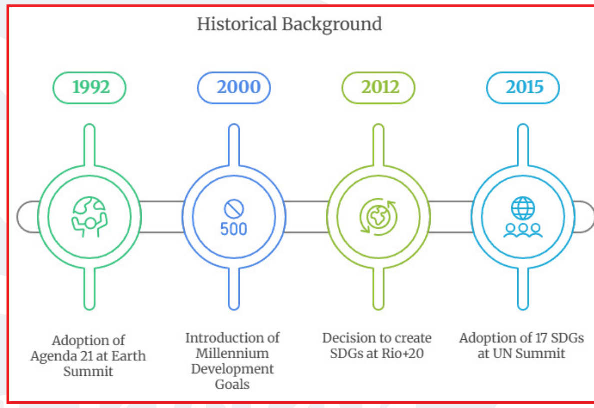

- **सतत विकास लक्ष्य के मूल सिद्धांत:**
  - **सार्वभौमिकता: सभी देशों** (विकसित एवं विकासशील) पर लागू।
  - **एकीकरण:** एक लक्ष्य में प्रगति अन्य लक्ष्यों को प्रभावित करती है (उदाहरण के लिये, गरीबी में कमी से शिक्षा में सुधार होता है)।
  - **किसी को पीछे न छोड़ना: हाशिये पर स्थित और कमजोर समूहों पर ध्यान केंद्रित करना।**
  - **बहु-हितधारक दृष्टिकोण:** यह **सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और नागरिकों** की आवश्यकता पर केंद्रित हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- SDG सूची:

- **निगरानी: वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट (GSDR) द्वारा** प्रत्येक **4 वर्ष में प्रगति** का आकलन किया जाता है।
- **सहायक समझौते:**
  - **आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाइ फ्रेमवर्क**, आपदा लचीलेपन को मजबूत करेगा।
  - सतत् विकास के वित्तपोषण के लिये **आदिस अबाबा एक्शन एजेंडा**।
  - जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये **जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता**।

सतत् विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता:** प्रमुख संसाधन उत्पादक देशों में संघर्ष (जैसे, **रूस और यूक्रेन से वैश्विक गेहूँ निर्यात का 30%**) से विश्व भर में **खाद्यान्न की कमी** की समस्या को बढ़ावा मिलता है।
  - युद्धग्रस्त क्षेत्रों में **स्वास्थ्य देखभाल (SDG 3)** और **शिक्षा (SDG 4) जैसी बुनियादी ज़रूरतें** पूरी नहीं हो पाती हैं।
- **आर्थिक असमानताएँ:** विकासशील देश आर्थिक विकास के लिये **वानिकी, खनन और जीवाश्म ईंधन** पर निर्भर रहते हैं, जिससे **जलवायु लक्ष्यों (SDG 13)** के साथ संघर्ष की स्थिति बनती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- धनी देश **धारणीयता हेतु** प्रयास कर रहे हैं लेकिन गरीब देशों के पास परिवर्तन के लिये **धन और प्रौद्योगिकी का अभाव** है।

- **सरकारी चुनौतियाँ:** कुछ सरकारें स्थिरता की तुलना में **अल्पकालिक आर्थिक लाभ को प्राथमिकता** देती हैं **(उदाहरण के लिये, जीवाश्म ईंधन लॉबिंग**।
  - बिना किसी विकल्प के प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करने से **बेरोज़गारी (SDG 8)** और गरीबी (SDG 1) में वृद्धि होती है।

- **गरीबी और असमानता: 650 मिलियन लोग** अभी भी भुखमरी से ग्रस्त हैं जबकि **10% के पास विद्युत** का अभाव है - जो SDG 1 (गरीबी उन्मूलन) और SDG 7 (स्वच्छ ऊर्जा) की प्राप्ति में प्रमुख बाधाएँ हैं।
  - ग्रामीण क्षेत्र **शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोज़गार** में पिछड़ रहे हैं, जिससे असमानता बढ़ रही है (SDG 10)।

- **वैश्विक आर्थिक संकट:** कोविड-19 से लाखों लोग गरीबी की श्रेणी में आ गए हैं, जिससे **वर्षों की प्रगति** पर विपरीत प्रभाव पड़ा है (उदाहरण के लिये, अकेले दक्षिण पूर्व एशिया में 5 मिलियन लोग गरीबी की श्रेणी में शामिल हुए हैं)।
  - देश में **आर्थिक मंदी (जैसे, अमेरिकी मंदी) से व्यापार साझेदारों (जैसे, मैक्सिको)** को नुकसान होता है, जिससे **सतत् विकास लक्ष्य** की प्रगति बाधित होती है।

आगे की राह

- **संघर्ष समाधान:** चल रहे युद्धों (जैसे, यूक्रेन, सूडान) के समाधान के लिये **संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाली वार्ता** को बढ़ावा देना चाहिये।
  - संघर्ष के बाद पुनर्बहाली के लिये वित्तपोषण **हेतु शांति** पहलों का विस्तार करना चाहिये।

- **सतत् विकास लक्ष्यों हेतु वित्तपोषण: प्रतिवर्ष 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** जुटाने के लिये विकसित देशों को अपनी **0.7% GDP सहायता प्रतिबद्धता** को पूरा करना होगा।
  - **प्रभाव निवेश और सतत् विकास लक्ष्य बॉण्ड के माध्यम से निजी क्षेत्र** की भागीदारी विकासशील देशों को सहायता प्रदान कर सकती है।

- **देश-विशिष्ट SDG रणनीतियाँ:** प्रत्येक राष्ट्र को **सबसे ज़रूरी SDG पर ध्यान केंद्रित** करना चाहिये (उदाहरण के लिये, भारत को **लैंगिक समानता में सुधार (SDG 5)** और **असमानता में कमी (SDG 10)** पर बल देना चाहिये)।

- **बहु-हितधारक सहयोग:** बड़ी कंपनियों के लिये **पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) रिपोर्टिंग** को अनिवार्य बनाने से **कॉर्पोरेट SDG प्रतिबद्धताओं को मजबूती मिल सकती है,** जबकि **एआई** और **ब्लॉकचेन** SDG निगरानी को बढ़ा सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

प्रिलिम्स फैक्ट्स

वैश्विक आसूचना एवं सुरक्षा प्रमुखों का चौथा सम्मेलन

भारत के **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)** ने **वैश्विक आसूचना और सुरक्षा प्रमुखों के चौथे सम्मेलन** की मेज़बानी की, जिसका आयोजन भारत की बाह्य आसूचना संस्था, **अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंध (Research and Analysis Wing- R&AW)** ने **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS)** के साथ सयुंक्त रूप से किया।

फाइव आइज़ एलायंस क्या है?

- **परिचय:** फाइव आइज़ एक **आसूचना-साझाकरण गठबंधन** है जिसमें **ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका** शामिल हैं।
- **गठन और विकास: द्वितीय विश्व युद्ध** के दौरान गठित यह गठबंधन **जर्मन और जापानी कोड** को समझने में UK-US सहयोग से विकसित हुआ।
  - यह गठबंधन **गुप्तचर समूह की एक शृंखला** पर आधारित है, मुख्य रूप से **UKUSA बिज़नेस एग्रीमेंट (वर्ष 1946)**, जो सदस्य देशों के बीच व्यापक **पर्यवेक्षण, आसूचना संग्रहण और डेटा साझाकरण** की सुविधा प्रदान करता है।
- **परिचालन का दायरा:**
  - वैश्विक संचार का **अवरोधन, संग्रहण, विश्लेषण और डिक्रिप्शन।**
  - पाँचों देशों के मध्य **स्वचालित गुप्त जानकारी** साझा करना।
  - वैश्विक निगरानी के लिये **एकीकृत कार्यक्रम, कर्मचारी, आधार और विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **इस कार्यक्रम में फाइव आइज़ एलायंस** के प्रमुखों सहित 20 से अधिक देशों के आसूचना अधिकारियों ने भाग लिया।

आसूचना एवं सुरक्षा प्रमुखों का सम्मेलन क्या है?

- यह रायसीना डायलॉग के हिस्से के रूप में आयोजित एक **उच्च स्तरीय वार्षिक सुरक्षा वार्ता** है, जिसका आयोजन **विदेश मंत्रालय थिंक-टैंक ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF)** के सहयोग से करता है।
  - इसका आयोजन प्रथमत: **वर्ष 2022** में किया गया।
- यह वार्षिक **म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन** और **सिंगापुर के शांगरी-ला वार्ता** की तर्ज पर आधारित है।
- यह आसूचना और सुरक्षा अधिकारियों के लिये **उभरते खतरों, सहयोगात्मक सुरक्षा ढाँचे** और समकालीन **भूराजनीति** और **भू-रणनीतियों** पर चर्चा करने के लिये एक **रणनीतिक मंच** है।
- **वर्ष 2025** के सम्मेलन में **आतंकवाद-रोध, पारराष्ट्रीय अपराध, आसूचना जानकारी साझाकरण प्रणाली,** आव्रजन और प्रत्यर्पण के साथ-साथ हिंद-प्रशांत सहयोग और **आतंकवाद के वित्तपोषण तथा मादक पदार्थों के व्यापार की रोकथाम** किये जाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

स्वदेश दर्शन योजना

केंद्र सरकार ने राज्यों के सहयोग से **स्वदेश दर्शन 2.0 (SD 2.0), चुनौती आधारित गंतव्य विकास (Challenge-Based Destination Development-CBDD)** और **पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता (Special Assistance to States for Capital Investment- SASCI)** जैसी योजनाओं के तहत विकास के लिये **116 नए पर्यटन स्थलों** को स्वीकृति दी है।

पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) योजना

- **कोविड-19 महामारी** के दौरान **वर्ष 2020-21** में शुरू की गई **SASCI योजना** का उद्देश्य **पूंजी निवेश परियोजनाओं में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करना, पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना** और **आर्थिक उत्पादकता** को बढ़ाना है।

स्वदेश दर्शन योजना (SDS) क्या है?

- **स्वदेश दर्शन योजना:** यह **भारत में सतत् और उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन** को विकसित करने के उद्देश्य से **वर्ष 2015** में **पर्यटन मंत्रालय** द्वारा शुरू की गई **पूर्ण रूप से केंद्र द्वारा वित्त पोषित (केंद्रीय क्षेत्रक योजना) योजना** है।
  - इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में **बौद्ध, तटीय, मरुस्थलीय, पारिस्थितिकी, विरासत, पूर्वोत्तर आदि थीम आधारित पर्यटन सर्किटों** का **एकीकृत विकास** करना है।
  - इसके अंतर्गत **पर्यटन अवसंरचना विकास** के लिये राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
  - **स्वीकृत परियोजनाओं** का **संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों** का उत्तरदायित्व है।
- **स्वदेश दर्शन 2.0 (SD 2.0): SD 2.0 सतत् और उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन स्थलों** के विकास के **समग्र दृष्टिकोण** पर आधारित है, जो **'वोकल फॉर लोकल'** और **आत्मनिर्भर भारत** विज़न के अनुरूप है।
  - इसका उद्देश्य पर्यटन, आतिथ्य और परिसंपत्ति प्रबंधन में **निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना** है, जो **दीर्घकालिक विकास के लिये** सर्किट-आधारित पर्यटन से **गंतव्य-केंद्रित मॉडल** की ओर बदलाव को दर्शाता है।
- **चुनौती-आधारित गंतव्य विकास (CBDD):** CBDD **SD 2.0 के तहत एक उप-योजना** है जो **स्थिरता, डिजिटलीकरण,** कौशल विकास, MSME समर्थन और प्रभावी प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए **पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिये एक प्रतिस्पर्द्धी दृष्टिकोण** अपनाती है।

भारत में पर्यटन विकास के लिये प्रमुख पहल क्या हैं?

- **राष्ट्रीय पर्यटन नीति, 2022**
- **देखो अपना देश पहल**
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- क्रूज़ पर्यटन
- **प्रसाद योजना:** इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये **तीर्थ स्थलों का विकास और सौंदर्यीकरण** करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **हृदय (विरासत शहर विकास और संवर्द्धन योजना):** हृदय का उद्देश्य **विरासत शहरों को संरक्षित और पुनर्जीवित करना** तथा सतत् शहरी विकास सुनिश्चित करना है।
- **जनजातीय होमस्टे का विकास:** प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA) के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटकों के लिये होमस्टे का विकास किया जा रहा है।
- **डिजिटल पहल:**
  - ई-वीज़ा सुविधा
  - **स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप:** यह ऐप पर्यटकों को पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता संबंधी मुद्दों की त्वरित कार्यवाही के लिये रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है।

भारत की CAR T-सेल थेरेपी

चर्चा में क्यों?

द लैंसेट हेमाटोलॉजी में भारत के पहले **काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर (CAR) T-सेल थेरेपी** के नैदानिक परीक्षण के परिणाम प्रकाशित किये गए जिसके अनुसार ल्यूकेमिया और लिम्फोमा रोगियों में इस थेरेपी की प्रभावकारिता दर 73% है।

भारत के CAR T-सेल थेरेपी नैदानिक परीक्षण के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **उच्च प्रभावकारिता दर:** इस परीक्षण में पुनरावर्ती या दुश्चिकित्स्य B-कोशिका कैंसर {**ल्यूकेमिया** (अस्थि मज्जा और रक्त को प्रभावित करने वाला कैंसर) और **लिम्फोमा** (लसीका तंत्र का कैंसर)} के रोगी शामिल थे, जिनके उपचार के विकल्प प्राय: सीमित होते हैं।
  - विश्लेषण किये गये रोगियों में से **73% में इस थेरेपी की सकारात्मक अनुक्रिया दर्ज की गई,** जिससे ऐसे मामलों में नई आशा की संभावनाएँ हैं।
- **वैश्विक उपचारों से तुलनीय:** भारत के **CAR T-सेल** थेरेपी की प्रभावकारिता विश्व की अन्य थेरेपी के समान है, लेकिन इसकी कीमत **20 गुना कम है,** जिसकी लागत 25 लाख रुपए है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी लागत 3-4 करोड़ रुपए है, जहाँ कुल व्यय 8 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है।
- **दुष्प्रभाव:** भारत के CAR T-सेल थेरेपी के नैदानिक परीक्षणों में प्रबंधनीय दुष्प्रभावों की सूचना दी गई है, जिसमें रोगियों में **न्यूट्रोपेनिया** (श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी), **थ्रोम्बोसाइटोपेनिया** (प्लेटलेट्स की कमी) और **एनीमिया** (लाल रक्त कोशिकाओं की कमी) की समस्या दर्ज की गई।
  - कुछ रोगियों में **साइटोकाइन रिलीज़ सिंड्रोम (CRS)** पाया गया, जिसके कारण बुखार और सूजन जैसे समस्याएँ हुईं।
  - **उपचार से संबंधित दो रोगियों की मृत्यु** की सूचना दी गई, लेकिन समग्र रूप से, इसकी **अहानिकारकता प्ररूप को नियंत्रणीय समझा गया**।

CAR T-सेल थेरेपी क्या है?

- **परिचय:** CAR T-कोशिका थेरेपी कैंसर का उन्नत उपचार है जिसके अंतर्गत कैंसर का और अधिक प्रभावी रूप से उपचार करने हेतु रोगी की **T-कोशिकाओं (एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिका)** में परिवर्तन किया जाता है।
- **कार्यप्रणाली:** T-सेल को एक रोगी के रक्त से लिया जाता है और उन्हें **आनुवंशिक रूप से संशोधित** किया जाता है (कैंसर कोशिकाओं को पहचान करने और उनको लक्षित करने के लिये)।
  - इन संशोधित कोशिकाओं को, जिन्हें **काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर (CAR) T-सेल** के रूप में जाना जाता है, द्विगुणित किया जाता है और रोगी में पुन: प्रविष्ट कराया जाता है, ताकि **B-सेल को लक्षित** किया जा सके और **रोग की पुनरावृत्ति को रोका** जा सके।
- **महत्त्व:** जब B-सेल ट्यूमर दोबारा हो जाते हैं या दुर्दम्य (Refractory) हो जाते हैं (उपचार के बाद वापस आ जाते हैं या प्रारंभिक उपचार पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं), तो उपचार के विकल्प सीमित हो जाते हैं, जिससे प्राय: रोगी की मृत्यु हो जाती है।
  - अनियंत्रित B-सेल वृद्धि एंटीबॉडी उत्पादन में उनकी भूमिका के कारण गंभीर जटिलताओं का कारण बनती है।
  - भारत की CAR T-सेल थेरेपी एक अतिरिक्त, रोगी-विशिष्ट उपचार विकल्प प्रदान करती है, क्योंकि संशोधित T-सेल शरीर में ही रहती हैं, तथा कैंसर की पुनरावृत्ति के विरुद्ध दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह रोगी-विशिष्ट उपचार है, जो इसे पारंपरिक कीमोथेरेपी की तुलना में अत्यधिक उपयुक्त बनाता है।

- **NexCAR19:** वर्ष 2023 में, NexCAR19 भारत की पहली स्वीकृत स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी बन गई, जिसे IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर और ImmunoACT (IIT बॉम्बे में स्थापित कंपनी) के बीच सहयोग के माध्यम से विकसित किया गया।
  - विश्व की सबसे सस्ती CAR-T थेरेपी के रूप में, यह भारत को उन्नत कोशिका (Advanced Cell) और जीन थेरेपी के लिये वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करती है।
- निहितार्थ: शोधकर्त्ता CAR T-सेल थेरेपी के अनुप्रयोगों और इम्यूनोथेरेपी के साथ संयोजन की खोज कर रहे हैं, जिससे भारत में जीन-संशोधित कोशिका उपचार को व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

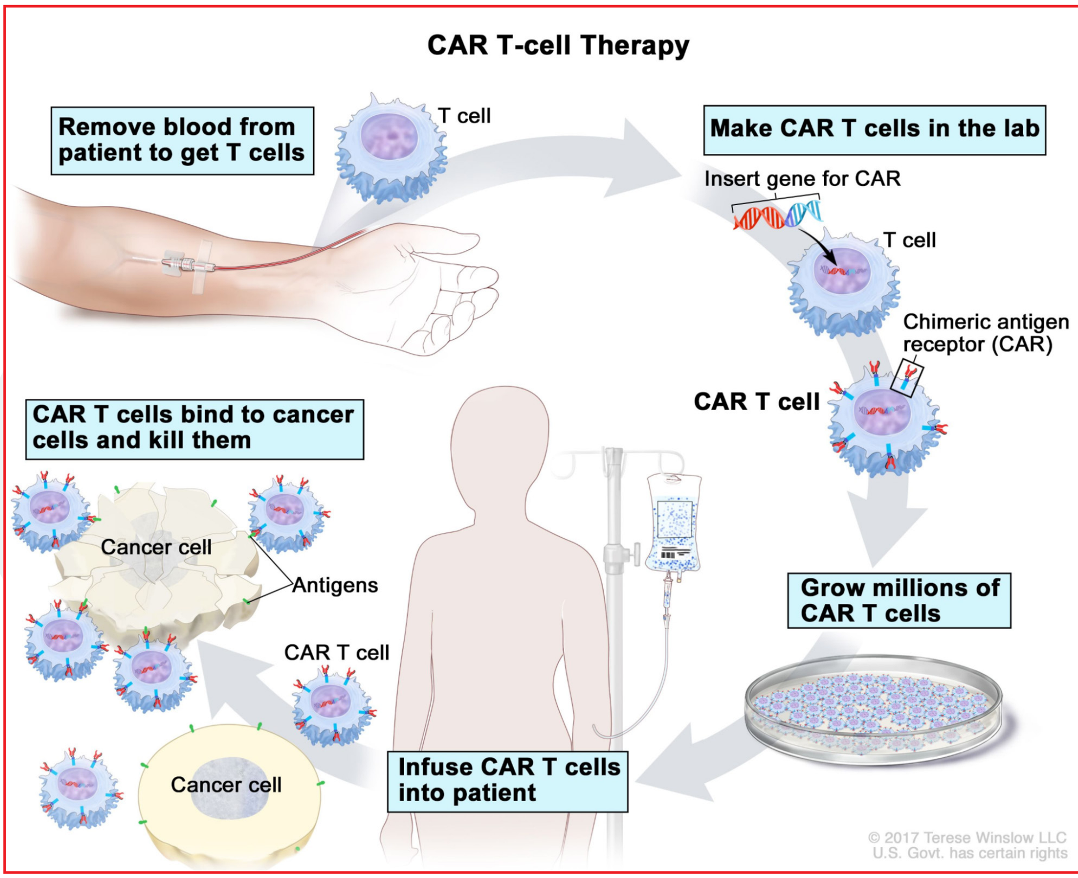

बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की ISS से वापसी

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) के अंतरिक्ष यात्री **बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स**, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर **286 दिनों के अप्रत्याशित लंबे मिशन** के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

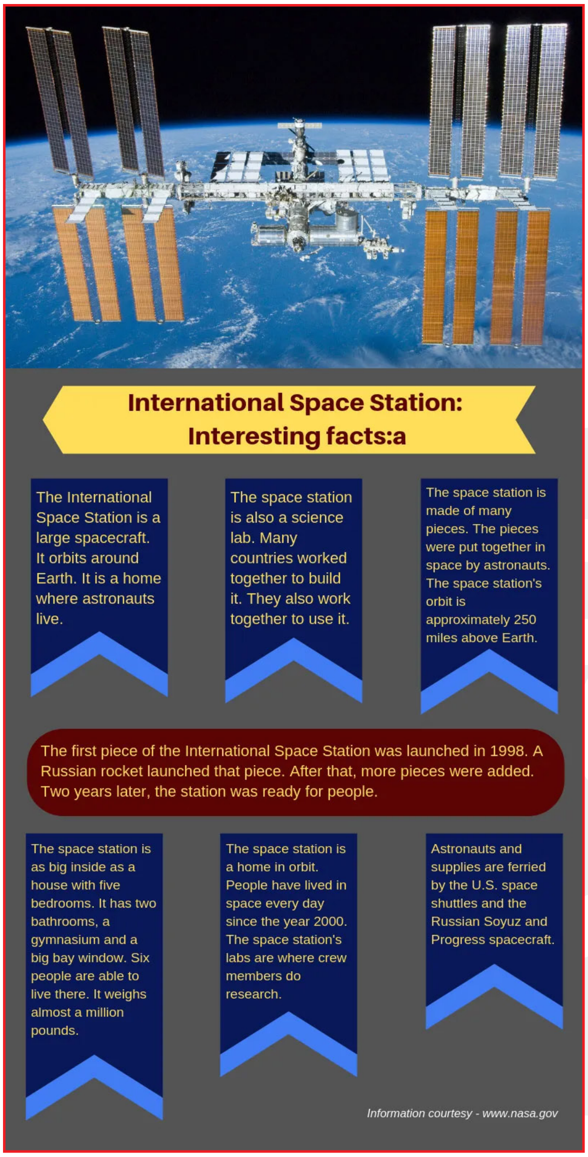

- प्रारंभ में 8 दिवसीय मिशन की योजना बनाई गई थी, लेकिन **बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी समस्याओं** के कारण उनकी वापसी में विलंब हुआ। वे अंतत: **स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन** के माध्यम से वापस आए, जिसमें लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा की तकनीकी और स्वास्थ्य चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया।

स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट और स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट:** **नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम (CCP)** के सहयोग से **बोइंग** द्वारा विकसित, इसे **अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) तक लाने और ले जाने के लिये** डिजाइन किया गया था।
  - बोइंग का स्टारलाइनर वर्ष 2024 में **विलियम्स और विल्मोर** को ISS ले गया लेकिन **प्रणोदन संबंधी समस्याओं** के कारण उनकी वापसी में विलंब हुआ।
- **स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन: स्पेसएक्स के ड्रैगन 2 स्पेसक्राफ्ट** के दो संस्करणों में से एक, क्रू ड्रैगन को **फाल्कन 9 रॉकेट** पर प्रक्षेपित किया गया है और इसमें पुन: प्रयोज्य कैप्सूल है। NASA के CCP के तहत विकसित, यह मुख्य रूप से अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक पहुँचाता है। दूसरा संस्करण, कार्गो ड्रैगन, कार्गो को स्टेशन तक पहुँचाता है।
  - **नासा के स्पेसएक्स क्रू-9 मिशन** ने विलियम्स और विल्मोर को **फ्रीडम** नामक क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर ISS से वापस लाया।

अंतरिक्ष यात्रा के स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थ क्या हैं?

- **स्पेस एनीमिया:** एक ऐसी स्थिति जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को **माइक्रोग्रैविटी** में द्रव के विस्थापन के कारण **लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में गिरावट** का अनुभव होता है, जिसके परिणामस्वरूप **मिशन के बाद** थकान, चक्कर आना और **हृदय संबंधी जोखिम** उत्पन्न होते हैं।
- **स्पेसफ्लाइट-एसोसिएटेड न्यूरो-ओकुलर सिंड्रोम (SANS):** यह माइक्रोग्रैविटी में द्रव के विस्थापन के कारण होने वाली दृष्टि हानि है, जिसके कारण ऑप्टिक डिस्क में सूजन और दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है।
- **बेबी फीट सिंड्रोम:** यह दीर्घावधि के अंतरिक्ष मिशन के बाद अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली तलवों की अतिसंवेदनशीलता और गमन करने में होने वाली कठिनाई को संदर्भित करता है।
  - सूक्ष्मगुरुत्व में, भार वहन करने वाली गतिविधि न होने के कारण पैरों का कठोर भाग मृदु होने लगता है, तथा पृथ्वी पर लौटने पर त्वचा नरम और संवेदनशील हो जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अस्थि घनत्व का कम होना:** NASA द्वारा किये गए अध्ययनों के अनुसार अंतरिक्ष यात्रियों का अस्थि घनत्व प्रत्येक माह लगभग 2% कम हो जाता है। इसके उचित प्रत्युपायों जैसे व्यायाम के अभाव में इससे ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है।
- **ब्रह्मांडीय विकिरण का जोखिम:** अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यात्रियों को ब्रह्मांडीय किरणों और सौर विकिरण के प्रत्यक्ष संपर्क का सामना करना पड़ता है, जबकि पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता, जहाँ वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र सुरक्षा प्रदान करते हैं।
  - इससे DNA क्षति, आनुवंशिक उत्परिवर्तन और कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।
  - मंगल और चंद्रमा हेतु गहन अंतरिक्ष मिशनों में दीर्घावधि में विकिरण के संपर्क में रहने के कारण अधिक जोखिम उत्पन्न होता है।

भारत का गगनयान मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS)

- **गगनयान मिशन:** इसका उद्देश्य **तीन अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिवसीय मिशन पर 400 किलोमीटर की कक्षा** में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इससे भारत मानवयुक्त अंतरिक्ष यान में अमेरिका, रूस और चीन के साथ शामिल हो जाएगा।
  - **गगनयान मिशन** का अल्पकालिक लक्ष्य पृथ्वी की निम्न कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान का प्रदर्शन करना है, जबकि दीर्घकालिक लक्ष्य एक सतत् **भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम** की स्थापना करना है।
- **भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS):** **BAS भारत का नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन** है, जो **पृथ्वी** से 400-450 किमी. ऊँचाई पर कक्षा की परिक्रमा करेगा।
  - पहला मॉड्यूल, बेस मॉड्यूल, वर्ष 2028 में लॉन्च किया जाएगा तथा वर्ष 2035 तक यह पूर्णतः संचालन में होगा।
  - इससे तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देते हुए मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान, भूप्रेक्षण और सूक्ष्मगुरुत्व अनुसंधान में सहायता मिलेगी।

माइक्रो-लाइटनिंग और जीवन की उत्पत्ति

चर्चा में क्यों?

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चलता है कि **माइक्रो-लाइटनिंग,** अर्थात् जल की बूँदों के भीतर **सूक्ष्म विद्युत विसर्जन, पृथ्वी पर जीवन के लिये आवश्यक कार्बनिक अणुओं के निर्माण** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जो **मिलर-उरे परिकल्पना** को चुनौती देता है।

पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - अध्ययन में पाया गया कि **जल की छींटे/बौछार (Splashing/Spraying) से विद्युत आवेश** उत्पन्न होते हैं, और उनके संपर्क से **माइक्रो-लाइटनिंग (सूक्ष्म चिंगारियाँ)** उत्पन्न होती हैं, जो **आवश्यक जैव-अणुओं** के निर्माण में सहायक होती हैं।
  - अध्ययन ने **यूरैसिल** (एक प्रमुख RNA और DNA घटक), **ग्लाइसीन** (प्रोटीन संश्लेषण के लिये एक मौलिक अमीनो एसिड) और **हाइड्रोजन साइनाइड** (जटिल जैव रासायनिक यौगिकों का अग्रदूत) के स्वतः अप्रवर्तित संश्लेषण को भी प्रदर्शित किया।
  - इन निष्कर्षों के अनुसार **प्रीबायोटिक प्रक्रिया** का उत्प्रेरण संभवतः **महासागरों,** झरनों और वर्षा जैसे प्राकृतिक जल क्षेत्रों में सूक्ष्म प्रकाश के कारण था, जिससे **पृथ्वी पर जीवन का उद्भव** संभव हुआ होगा।
- **आशय:**
  - **मिलर-उरे मॉडल संबंधी चुनौतियाँ:** इसके अनुसार जल क्षेत्रों में बार-बार होने वाली **सूक्ष्म तड़ित की भूमिका** विरल तड़ित की तुलना में **अधिक थी।**
  - **खगोलीय जैविक संभावना:** इसी प्रकार की क्रियाविधि ***यूरोपा*** और ***एनसेलेडस*** जैसे हिममय चंद्रमाओं पर भी संचालित हो सकती है, जिससे वहाँ अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना बढ़ सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मिलर-उरे परिकल्पना क्या है?

- **मिलर-उरे परिकल्पना** (1952) के अनुसार **पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति** पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में **तड़ित (वायुमंडलीय विद्युत) द्वारा उत्पन्न रासायनिक अभिक्रियाओं** के माध्यम से हुई।
- इसमें यह प्रदर्शित किया कि **जल, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन** के मिश्रण पर **अनुप्रयुक्त विद्युत से अमीनो एसिड (जीवन के निर्माण खंड) का निर्माण संभव है,** जिससे यह सिद्ध होता है कि जीवन के लिये आवश्यक कार्बनिक अणुओं का निर्माण **प्रारंभिक पृथ्वी की स्थितियों** में **स्वाभाविक रूप से हो सकता था।**
  - इसमें **अबियोजेनेसिस** (निर्जीव पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति) की वैज्ञानिक व्याख्या प्रदान की गई।

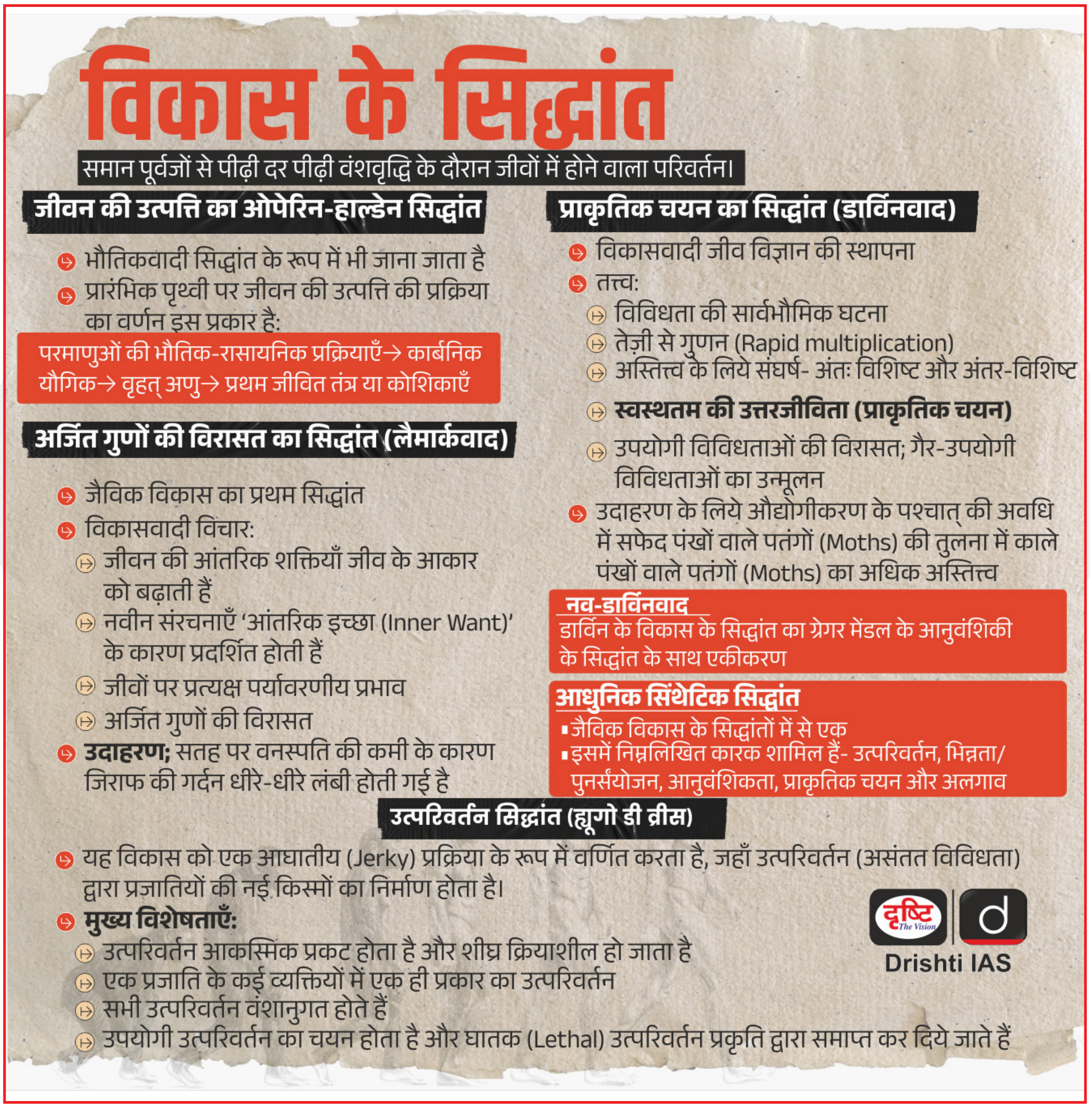

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

बोस मेटल

चर्चा में क्यों?

चीन और जापान के शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने प्रायोगिक साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि **नियोबियम डाइसेलेनाइड ($NbSe_2$) बोस मेटल** के गुण प्रदर्शित करता है।

नियोबियम डाइसेलेनाइड ($NbSe_2$)

- $NbSe_2$ एक **टाइप-II अतिचालक** है, जिसका अर्थ यह है कि यह अपनी अतिचालकता की क्षमता खोए बिना एक निश्चित मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र को गुज़रने दे सकता है। शोधकर्त्ताओं ने क्वांटम प्रभावों को बेहतर ढंग से देखने और बढ़ाने के लिये **$NbSe_2$ के सिंगल-लेयर (2D)** रूप का अध्ययन किया।

बोस मेटल क्या है?

- **परिचय: बोस मेटल** एक **असामान्य क्वांटम अवस्था को संदर्भित करता है,** जहाँ **इलेक्ट्रॉन युग्म (कॉपर युग्म-** दो इलेक्ट्रॉनों की युग्मित अवस्था जो बिना प्रतिरोध के अतिचालक से होकर गुज़रते हैं) बनते हैं, **लेकिन सुपरकंडक्टिंग अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं।**
  - **अतिचालकता** पदार्थ की वह अवस्था है, जिसमें पदार्थ एक क्रांतिक तापमान (T_0) से नीचे **शून्य विद्युत प्रतिरोध** और **पूर्ण प्रतिचुंबकत्व** (चुंबकीय क्षेत्रों का विकर्षण) प्रदर्शित करता है, जिससे विद्युत धारा बिना ऊर्जा हानि के अनंत काल तक प्रवाहित हो सकती है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **अतिचालक संक्रमण की अनुपस्थिति:** बोस मेटल में **ताँबे के युग्म बनते हैं, लेकिन यह पदार्थ शून्य प्रतिरोध प्राप्त नहीं करता है,** तथा सामान्य धातुओं की तुलना में बेहतर चालक के रूप में व्यवहार करता है।
  - **असामान्य धात्विक अवस्था (AMS):** यह **पारंपरिक पूर्वानुमानों** जिसके अनुसार **निम्न तापमान** पर धातुएँ या तो विद्युतरोधी या अतिचालक होती हैं, के विपरीत है।
  - **मध्यवर्ती चालकता:** बोस धातुओं की विद्युत चालकता, **परम शून्य** पर एक **विद्युतरोधी (शून्य)** और **अतिचालक (अपरिमित)** के बीच होती है और इसकी चालकता क्वांटम घटत बढ़त और चुंबकीय क्षेत्र जैसी बाह्य स्थितियों से प्रभावित होती है।
- **अनुप्रयोग:**
  - **क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान:** बोस धातुएँ **नवीन क्वांटम अवस्थाओं** का अन्वेषण करनें में मदद कर सकती हैं, **क्वांटम बिट्स (क्यूबिट)** के विकास में सहायता कर सकती हैं, तथा अव्यवस्थित धातुओं और अपरंपरागत सामग्रियों सहित **जटिल क्वांटम चरणों** में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती हैं।
  - **उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स:** उनके अद्वितीय प्रवाहकीय गुण **अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों** के डिज़ाइन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे **बेहतर प्रदर्शन और ऊर्जा दक्षता में सुधार** हो सकता है।
  - **अतिचालकता अनुसंधान:** एक मध्यवर्ती चरण के रूप में, बोस धातुएँ अतिचालकता में परिवर्तन के बोध में सहायता करती हैं, **तथा उच्च तापमान अतिचालकों** के विकास में योगदान देती हैं।
- **सीमाएँ:**
  - बोस धातुओं से संबंधित **सैद्धांतिक अस्पष्टताएँ** हैं, जिनकी वर्तमान में **कोई सर्वभौम परिभाषा** और **व्यावहारिक अनुप्रयोग नहीं** है। उनका **प्रयोगात्मक संसूचन चुनौतीपूर्ण** है, **जिसके लिये विशिष्ट रूप से निम्न तापमान और चुंबकीय स्थितियों** की आवश्यकता होती है ।

कूपर युग्म:

- इस अवधारणा की खोज **वर्ष 1956** में लियोन कूपर ने की थी ।
- **बोस धातु में कूपर युग्म विकसित होते हैं,** लेकिन **अतिचालक अवस्था में संघनित नहीं होते,** जबकि **अतिचालकों में वे संघनित होकर बिना प्रतिरोध के धारा को प्रवाहित होने देते हैं।**

रायसीना डायलॉग 2025

चर्चा में क्यों?

भारत ने नई दिल्ली में **रायसीना डायलॉग 2025** के 10वें संस्करण की मेज़बानी की, जिसमें **न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन** मुख्य अतिथि थे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

रायसीना डायलॉग क्या है?

- विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया, रायसीना डायलॉग का नाम **नई दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी** के नाम पर रखा गया है, यह **ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF)** के सहयोग से **विदेश मंत्रालय** द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
  - यह भारत का प्रमुख भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र सम्मेलन है, जो **म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन** (जर्मनी) और **सिंगापुर के शांगरी-ला वार्ता** से तुलनीय है।
  - रायसीना डायलॉग में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से वैश्विक नेता, नीति निर्माता, शिक्षाविद, उद्योग विशेषज्ञ और पत्रकार शामिल होते हैं।
- **वर्ष 2025 की थीम:** *"कालचक्र – पीपुल, पीस ऐंड प्लेनेट"*।
- **रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य बिंदु:**
  - **व्यापार एवं अर्थव्यवस्था का शस्त्रीकरण:** भारत के विदेश मंत्री (EAM) ने **टैरिफ, प्रतिबंधों और वित्तीय नियंत्रणों के माध्यम से व्यापार के शस्त्रीकरण** के खिलाफ चिंता जताई और विश्वास आधारित साझेदारी की आवश्यकता पर बल दिया।
    - भारत, विशेष रूप से अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ चल रही वार्ता के बीच, विश्वसनीयता, पारदर्शिता और रणनीतिक संरेखण के लिये व्यापार साझेदारों का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है।
  - **हिंद-प्रशांत चिंताएँ: क्वाड** रक्षा नेताओं ने **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)** में चीन की आक्रामक समुद्री उपस्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
    - भारत ने छोटे द्वीपीय देशों और बाहरी साझेदारों के साथ मिलकर काम करते हुए **हिंद महासागर क्षेत्र को एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित व्यापार** माध्यम बनाए रखने की अपनी मंशा पर प्रकाश डाला।
    - फिलीपींस चाहता है कि **दक्षिण चीन सागर** में चीन की रणनीति का मुकाबला करने के लिये भारत **क्वाड गठबंधन** (जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल हैं) में शामिल हो।
  - **डिजिटल संप्रभुता:** भारत व्यापार वार्ता में डेटा प्रवाह, **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** विकास और डिजिटल विनियमन के प्रति सतर्क है।
  - बड़े **डेटा और AI** के लिये नियामक ढाँचे अब भारत की आर्थिक कूटनीति का अभिन्न अंग हैं।

नोट: ORF एक **दिल्ली स्थित** गैर-लाभकारी संगठन है, जो भारतीय सरकार, राजनीतिक और व्यापारिक समुदायों के लिये नीतिगत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है तथा बेहतर प्रशासन और जीवन की गुणवत्ता के लिये भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शन करता है।

लक्षित प्रजाति-विशिष्ट संरक्षण

चर्चा में क्यों?

***PLOS* बायोलॉजी** में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार **लक्षित संरक्षण प्रयासों** से विभिन्न पशु प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकने में मदद मिली है, जिससे संरक्षण के लिये **प्रजाति-विशिष्ट हस्तक्षेपों** की प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला गया है।

लक्षित संरक्षण प्रयासों ने वैश्विक जैवविविधता को किस प्रकार प्रभावित किया है?

- **प्रत्यक्ष प्रभाव:** वर्ष 1980 के बाद से **IUCN रेड लिस्ट** श्रेणी में सुधार करने वाली लगभग **99.3%** प्रजातियों को संरक्षण उपायों से लाभ मिला है। बढ़ती आबादी वाली 969 प्रजातियों में से **78.3%** के लिये सक्रिय **संरक्षण हस्तक्षेप** किये गए थे।
- **प्रजाति-विशिष्ट परिणाम:**
  - **आईबेरियन लिंक्स:** प्रजनन और आवास प्रबंधन के माध्यम से **इनकी संख्या कुछ सौ से बढ़कर कई हज़ार** हो गई।
  - **काकापो:** गहन निगरानी और शिकारी नियंत्रण के माध्यम से **न्यूज़ीलैंड के एक तोते** को पुनर्जीवित किया गया।
  - **यूरोपीय बाइसन:** 20वीं सदी के प्रारंभ में वनों में पूरी तरह विलुप्त हो जाने के बाद इसे **पूर्वी यूरोप के वनों में पुनः लाया गया।**

भारत का प्रजाति-विशिष्ट संरक्षण कार्यक्रम क्या है?

- **15 वें वित्त आयोग चक्र (वर्ष 2021-26)** के दौरान जारी रखने के लिये स्वीकृत **वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

विकास (IDWH-2008) का उद्देश्य कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से **भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के** वन्यजीव संरक्षण को मज़बूत करना और सामुदायिक भागीदारी के साथ आवास बहाली करना है।

- प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 22 **प्रजातियों** (**16 स्थलीय और 6 जलीय**) को केंद्रित संरक्षण के लिये प्राथमिकता दी गई है।
- इसमें **प्रोजेक्ट टाइगर (वर्ष 1973), प्रोजेक्ट एलीफेंट (वर्ष 1992)**, वन्यजीव आवास का विकास (**प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट चीता** को शामिल करते हुए) जैसे उपघटक शामिल हैं।

- **प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, संयुक्त राष्ट्र** और **भारत सरकार द्वारा** (**वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के अधिनियमन के बाद) शुरू किया गया था ताकि **कैप्टिव ब्रीडिंग** के माध्यम से मगरमच्छों की आबादी को बढ़ावा दिया जा सके और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा की जा सके।
  - **भीतरकनिका** में **लवणीय जल के मगरमच्छों** की संख्या वर्ष 1975 में 95 थी जो बढ़कर **1,811** हो गयी है।
- ओलिव रिडले एवं अन्य समुद्री कछुओं के लिये, विशेष रूप से ओडिशा में, **समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना (1999)**।
  - **ओलिव रिडले कछुए** को **IUCN के अंतर्गत सुभेद्य, WLPA** में **अनुसूची I** और **CITES** के अंतर्गत **परिशिष्ट I** में सूचीबद्ध किया गया है।
- **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** ने देश में **गिद्धों के संरक्षण** के लिये **गिद्ध कार्य योजना 2020-25** शुरू की है। इससे **डिक्लोफेनाक का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित होगा** और गिद्धों के मुख्य आहार स्रोत, मवेशियों के शवों को विषैला होने से बचाया जा सकेगा।
  - भारत में गिद्धों की मृत्यु का अध्ययन करने के लिये **वर्ष 2001** में **हरियाणा के पिंजौर** में एक **गिद्ध देखभाल केंद्र (VCC)** की स्थापना की गई थी।
  - **वर्ष** 2004 में, इसे बंदी प्रजनन और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लिये **भारत के पहले गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र (VCBC)** के रूप में उन्नत किया गया।
- असम में ग्रेटर वन-हॉर्न्ड गैंडों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से **वर्ष 2005** में **इंडियन राइनो विज़न 2020** लॉन्च किया गया। **काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान** में गैंडों की वर्तमान संख्या 2,600 से अधिक है (वर्ष 2022 तक)।
- महाराष्ट्र वन विभाग **भारत का ऐसा पहला राज्य** बनेगा, जिसके पास **पैंगोलिन के संरक्षण हेतु समर्पित कार्य योजना** है।
- पैंगोलिन को सर्वोच्च स्तर का संरक्षण प्रदान करते हुए भारत के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध किया गया है।
- प्रोजेक्ट चीता (2022) का उद्देश्य वर्ष 1952 से भारत में विलुप्त हो चुके चीतों की संख्या पुन: बढ़ाना है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था।
  - भारत में 75 वर्षों के बाद वन्य क्षेत्र में **पहले चीते का जन्म** वर्ष 2023 में हुआ।

मानसून पर क्लाउड बैंड का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) ने एक अध्ययन किया जिसके अनुसार **मानसूनी मेघ पट्टिकाओं** अथवा क्लाउड बैंड की प्रबलता की भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी गति और वर्षा की तीव्रता के निर्धारण में अहम भूमिका है।

मानसून क्लाउड बैंड पर किये गए अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं?

- **मेघों की प्रबलता:** केवल प्रबल भूमध्यरेखीय क्लाउड बैंड ही उत्तर की ओर गमन कर सकते हैं और भारत में आद्र वेला ला सकते हैं। मंद बैंड प्रसारित होने में विफल हो जाते हैं, जो पूर्व के अनुमानित मॉडल के विपरीत है, जिसमें बैंड की प्रबलता को महत्त्वपूर्ण न मानते हुए इसके निरंतर प्रसारित होने की कल्पना की गई थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- अध्ययन के अनुसार वर्षा की **अवधि और तीव्रता** रेन बैंड के **आकार और प्रबलता** पर निर्भर करती है तथा **बोरियल समर इंट्रासीज़नल ऑसिलेशन (BSISO)** के कारण रेन बैंड का भूमध्य रेखा से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर गमन होता है जिससे मानसून की वर्षा और शुष्कता प्रभावित होती है।
- **वायु समुद्र अंत:क्रिया:** भूमध्यरेखीय हिंद महासागर में आद्रता वर्द्धन और वायु प्रबलता की दृष्टि से वायु समुद्र अंत:क्रिया महत्त्वपूर्ण हैं। इसके प्रबल युग्मन से वायुमंडलीय आद्रता बढ़ती है, जिससे मानसून तीव्रकर होता है।
- **जलवायु परिवर्तन प्रभाव: वायुमंडल** के अधिक ऊष्ण होने से **पृष्ठभूमि में आद्रता बढ़ेगी**, जिससे **वर्षा की तीव्रता बढ़ेगी**।
  - भविष्य में भारत और समीपवर्ती समुद्रों में वर्षा के दौरान वर्षा में 42% से 63% की वृद्धि होने का अनुमान है।
- **जलवायु मॉडल में सुधार:** निष्कर्षों से मौसमी और उप-मौसमी मानसून पूर्वानुमान मॉडल की प्रभावकारिता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

बोरियल समर इंट्रासीज़नल ऑसिलेशन

- BSISO एक मानसून प्रतिरूप है जो जून-सितंबर के दौरान **हिंद महासागर से पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर संवहन (उष्णता और मेघ सक्रियता) को स्थानांतरित करता है।**
  - यह मानसून के **'सक्रिय' (वर्षा) और 'ब्रेक' (शुष्क)** चरणों को नियंत्रित करता है, जो वर्षा, वायु पैटर्न और समुद्री तरंगों को प्रभावित करते हैं।
- सटीक BSISO भविष्यवाणियाँ तटीय प्रबंधन और जलवायु पूर्वानुमान में मदद करती हैं। इसकी शक्ति और गति अल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें ला नीना उत्तर दिशा में प्रसार को बढ़ाता है तथा अल नीनो इसे कमज़ोर करता है।

भारत के मानसून के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **व्युत्पत्ति:** शब्द "मानसून" ***अरबी शब्द "मौसिम"*** से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम।
- **भारत में मानसून के प्रकार:**
  - **दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-सितंबर):** इसे "मानसून आगमन" भी कहा जाता है, यह हिंद महासागर से नमी युक्त पवनें लाता है।
    - तिब्बत पर कम दाब और हिंद महासागर पर उच्च दाब के कारण भारत के अधिकांश भागों में अत्यधिक वर्षा होती है।
  - **पूर्वोत्तर मानसून (अक्तूबर-दिसंबर):** इसे "मानसून निवर्तन" के रूप में भी जाना जाता है, यह मानसून गर्त के दक्षिण की ओर बढ़ने और दक्षिण-पश्चिम मानसून के निवर्तन के परिणामस्वरूप होता है।
    - दक्षिण-पूर्वी भारत, विशेषकर तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में वर्षा लाता है।
- **भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक:** अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) गर्मियों में उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे भारत पर निम्न दाब बनता है। तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिससे उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट उत्पन्न होती है।
  - ये संयुक्त कारक हिंद महासागर से नमीयुक्त पवनों को आकर्षित करते हैं, जिससे दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय हो जाता है
  - उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम (जो उत्तर-पूर्वी मानसून से जुड़ी है) भी मानसून की तीव्रता को नियंत्रित करती है। इसके अतिरिक्त, सोमाली जेट दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी पवनों को मज़बूत बनाती है।
  - **हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD)** पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर के बीच एक तापमान विसंगति है; **सकारात्मक IOD (उष्ण पश्चिम) मानसून को बढ़ाता है और नकारात्मक IOD इसे कमज़ोर** करता है।
  - **अल नीनो को** प्राय: भारत में कमज़ोर मानसून और सूखे से जोड़कर देखा जाता है। **ला नीना** का संबंध **सकारात्मक मानसून** से है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मानसून

Drishti IAS

मानसून मौसमी पवनें हैं,जो मौसम परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदलती हैं।

मानसून की उत्पत्ति

- तापीय संकल्पना
- गतिशील संकल्पना

हैली द्वारा तापीय संकल्पना

- **मानसून परिणाम:**
  - विश्व का विषम लक्षण (भूमि और जल का असमान वितरण)
  - महाद्वीपों और महासागरों का विभेदक मौसमी तापन और शीतलन

दक्षिण-पश्चिम (ग्रीष्मकालीन) मानसून

- सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर
- उच्च तापमान के कारण निम्न दबाव केंद्र (बैकाल झील और पेशावर के पास) की स्थिति का निर्माण
- दक्षिणी गोलार्द्ध में कम तापमान ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर पर उच्च दबाव केंद्र की स्थिति का निर्माण
- एशिया में उच्च (समुद्र) से निम्न दबाव की ओर (भूमि) पवनें चलती हैं।
- फेरेल का नियम और कोरिओलिस बल इन पवनों को दक्षिण-पश्चिमी (S-W) दिशा में मोड़ देते हैं।
- वे भारतीय महासागरों से भारतीय उपमहाद्वीप में नमी लाते हैं जिससे भारी वर्षा होती है।

उत्तर-पूर्व (शीतकालीन) मानसून

- सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर
- कम तापमान के कारण उच्च दबाव केंद्र (बैकाल झील और पेशावर के पास) की स्थिति का निर्माण
- दक्षिणी गोलार्ध में उच्च तापमान ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर पर निम्न दबाव केंद्र की स्थिति का निर्माण
- उच्च (भूमि) से निम्न दबाव (महासागर) की ओर उत्तर-पूर्व (एनई) दिशा में चलने वाली पवनों को मानसून का निवर्तन कहा जाता है।

फ्लोहन द्वारा गतिशील अवधारणा

- दाब और पवन पेटियों के स्थानांतरण से मानसून की उत्पत्ति
- भूमध्य रेखा के निकट NE और SE व्यापारिक पवनों के अभिसरण के कारण अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण (ITC) का निर्माण
- ITC की उत्तरी और दक्षिणी शाखाएँ, जिन्हें क्रमशः NITC और SITC के नाम से जाना जाता है, भूमध्यरेखीय पश्चिमी पवनों द्वारा चिह्नित शान्त पवन की पेटी (Belt of doldrums) बनाती हैं।

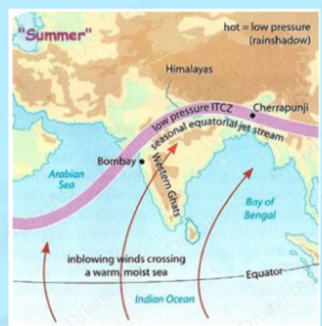

दक्षिण-पश्चिम (ग्रीष्मकालीन) मानसून

- सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर
- NITC दक्षिण और SE-एशिया को करते हुए 30° उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित है जिसका भूमध्यरेखीय पछुआ पवनों के प्रभाव में होना
- इससे भारी वर्षा के साथ वायुमंडलीय गर्त (चक्रवात) का निर्माण

उत्तर-पूर्व (शीतकालीन) मानसून

- सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर
- सूर्य के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण दबाव और पवन पेटियाँ भी बदल जाती हैं।
- पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ (भूमध्य सागर से) का शीतकाल में पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण पश्चिम से भारत में प्रवेश
- पूर्वोत्तर व्यापारिक पवनें दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पुनः स्थापित होना
- ये पूर्वोत्तर व्यापारिक पवनें शीतकालीन मानसून बन जाते हैं जिन्हें मानसून का निवर्तन कहा जाता है, जिससे आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्र में वर्षा होती है

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार

चर्चा में क्यों?

राजगीर में **नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना** के दस वर्ष बाद, बिहार में **शिक्षा के एक अन्य प्राचीन केंद्र विक्रमशिला को पुनर्जीवित करने के प्रयास** चल रहे हैं, जिसके तहत भागलपुर ज़िले के **अंतीचक गाँव में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय** के लिये भूमि आवंटित की गई है।

- **वर्तमान में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्राचीन स्थल को पर्यटन के लिये विकसित करने का काम कर रहा है।

नालंदा विश्वविद्यालय

- **स्थापना:** 5 वीं शताब्दी ई. में **गुप्त वंश** के दौरान, संभवत: **कुमारगुप्त प्रथम** के अधीन।
- **विरासत:** विश्व के सबसे प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक; इसमें **बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा और खगोल विज्ञान** सहित विभिन्न विषय पढ़ाए जाते थे।
- **विक्रमशिला से संबंध:** नालंदा और विक्रमशिला दोनों को पाल राजाओं द्वारा संरक्षण दिया गया था और दोनों में विद्वानों और ज्ञान का आदान-प्रदान होता था।
- **पुनरुद्धार:** नालंदा विश्वविद्यालय को **वर्ष 2014** में एक **अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में पुन: स्थापित** किया गया।

विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** बिहार के भागलपुर में स्थित विक्रमशिला महाविहार की स्थापना **पाल वंश** के **राजा धर्मपाल ने 8 वीं शताब्दी के अंत और 9 वीं शताब्दी** के प्रारंभ के बीच की थी।
  - उस काल में यह नालंदा के साथ-साथ अस्तित्व में था और विकसित हुआ।
- **मुख्य विशेषताएँ:** विक्रमशिला **एकमात्र विश्वविद्यालय था जो तांत्रिक और गुप्त विद्याओं** में विशेषज्ञता रखता था। यह तांत्रिकवाद के युग के दौरान फला-फूला, जब **बौद्ध धर्म** और **हिंदू धर्म दोनों में गुप्त विज्ञान और जादू को अध्ययन के विषय के रूप में शामिल** किया गया था।
  - धर्मपाल के शासनकाल के दौरान, विक्रमशिला का सर्वोच्च विकास हुआ और **नालंदा के कार्यों को भी यहाँ से नियंत्रित किया जाता था।**
  - विक्रमशिला में धर्मशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, तत्त्वमीमांसा और तर्कशास्त्र जैसे विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी।
  - इस विश्वविद्यालय से कई **प्रख्यात विद्वानों** ने शिक्षा ग्रहण की, जिनमें **अतीसा दीपांकर** भी शामिल हैं, जिन्होंने **तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **पतन:** नालंदा की तरह विक्रमशिला का भी पतन 13वीं शताब्दी में **हिंदू धर्म के उत्थान और बौद्ध धर्म के पतन** सहित **बख्तियार खिलजी के आक्रमण** के कारण हुआ।
  - इसके अवशेषों में एक बृहद स्तूप, मठवासी कक्ष और एक पुस्तकालय शामिल हैं जहाँ ग्रंथों की प्रतिलिपि बनाई गई और उनका अनुवाद किया गया।

पाल राजवंश

- गोपाल द्वारा स्थापित **पाल वंश** ने 8वीं से 12वीं शताब्दी की अवधि में बिहार और बंगाल पर शासन किया।
  - "पाल" एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है "संरक्षक"। इसे सम्राटों के नामों में जोड़ा गया, जिससे साम्राज्य का नाम "पाल" पड़ा।
- गोपाल के शासनकाल में कन्नौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिये **पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट** वंश के बीच **त्रिपक्षीय संघर्ष** हुआ।
- पाल **महायान बौद्ध धर्म के धर्मपरायण संरक्षक** थे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उनके संरक्षण में एक विशिष्ट पाल कला शैली विकसित हुई, जो पाषाण और धातु की उत्कृष्ट मूर्तियों के लिये जानी जाती है।
  - पाल शैली मुख्य रूप से काँस्य मूर्तियों और **तालपत्र चित्रों** के माध्यम से प्रसारित हुई, जो बुद्ध और अन्य देवताओं से संबंधित थीं।

IAEA द्वारा MECR के माध्यम से भारत की NSG सदस्यता की दावेदारी का समर्थन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में IAEA ने **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)** में भारत को शामिल करने का समर्थन किया है, , जो 4 प्रमुख **बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था (MECR)** के अंतर्गत एक प्रमुख निकाय है।

बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं (MECR) क्या हैं?

- **MECR:** MECR **स्वैच्छिक ढाँचा** हैं जिनका उद्देश्य **सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD)** के प्रसार को रोकना और **संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण** को प्रतिबंधित करना है।
  - **भारत NSG को छोड़कर 4** MECR में से तीन का सदस्य है।
- **मुख्य विशेषताएँ:** वे **संयुक्त राष्ट्र (UN) से स्वतंत्र रूप** से कार्य करते हैं।
  - उनके नियम केवल **सदस्यों पर लागू** होते हैं, और **भागीदारी** स्वैच्छिक है।

4 प्रमुख व्यवस्थाएँ:

- **ऑस्ट्रेलिया ग्रुप (AG):**
  - AG का गठन वर्ष 1985 में **43 देशों** के एक अनौपचारिक मंच के रूप में किया गया था, जिसका उद्देश्य **रासायनिक और जैविक हथियारों** के प्रसार को रोकना था।
  - यह समूह अपने **सदस्यों को रासायनिक हथियार सम्मेलन** और **जैविक एवं विषैले हथियार सम्मेलन** का अनुपालन करने में सहायता करता है।
  - भारत **वर्ष 2018** में इसमें शामिल हुआ, **जिससे NSG** में सदस्यता के लिये उसकी स्थिति मज़बूत हुई तथा वैश्विक अप्रसार उद्देश्यों को आगे बढ़ाया गया।
- **मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR):**
  - **MTCR,** 1987 में स्थापित **35 देशों** की एक स्वैच्छिक, अनौपचारिक साझेदारी है, जिसका उद्देश्य व्यापक विनाश के हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों और **मानव रहित हवाई वाहनों (UAV)** के प्रसार को सीमित करना है।
  - यह **गैर-सदस्यों को ऐसी प्रणालियों** की आपूर्ति को प्रतिबंधित करता है तथा सर्वसम्मति निर्णयों पर आधारित है।
  - भारत **वर्ष 2016 में 35 वें सदस्य** के रूप में शामिल हुआ, जिससे उसे उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकियों तक पहुँच प्राप्त हुई। सदस्यों को **सैन्य जानकारी साझा करने और निर्यात पर परामर्श** करने के लिये बाध्य किया जाता है।
- **वासेनार व्यवस्था:**
  - इसका उद्देश्य **पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों** के हस्तांतरण को विनियमित करना है।
  - अस्थिरता उत्पन्न करने वाले हथियारों के संग्रहण को रोकने के लिये, यह निर्यात नियंत्रण के लिये संवेदनशील उत्पादों की सूची बनाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि स्थानांतरण से सैन्य क्षमताओं में वृद्धि न हो, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को खतरा हो सकता है।
  - सदस्य देशों को **नियंत्रण लागू करना तथा नियंत्रित वस्तुओं के हस्तांतरण** पर रिपोर्ट देना आवश्यक है।
  - भारत **वर्ष 2017** में इसमें शामिल हुआ।
- **परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG):**
  - NSG का गठन भारत के **वर्ष 1974 के परमाणु परीक्षणों** के फलस्वरूप किया गया था, जिसका उद्देश्य परमाणु और संबंधित निर्यात को विनियमित करके परमाणु प्रसार को रोकना है।
  - इसके **48 सदस्य** हैं तथा एक **ट्रिगर सूची है,** जो **गैर-परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों** को **कुछ परमाणु वस्तुओं के निर्यात** को प्रतिबंधित करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत की NSG सदस्यता की कोशिश को **चीन ने नकाम** कर दिया है, जो **NPT से बाहर के देशों** के लिये **गैर-भेदभावपूर्ण** प्रक्रियाओं की मांग करता है तथा पाकिस्तान की अयोग्यता के बावजूद **भारत के प्रवेश को पाकिस्तान** की सदस्यता से जोड़ता है।

IAEA

- इसकी स्थापना **वर्ष** 1957 में परमाणु ऊर्जा के **शांतिपूर्ण** उपयोग को बढ़ावा देने तथा परमाणु हथियारों सहित इसके सैन्य उपयोग को रोकने के लिये की गई थी।
- इसका मुख्यालय **वियना, ऑस्ट्रिया** में है तथा इसे **वर्ष** 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- यह **संयुक्त राष्ट्र महासभा** (UNGA) और **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** (UNSG) दोनों को रिपोर्ट करता है।

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

रैपिड फायर

समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव के बीच **चीन, ईरान और रूस** ने **होर्मुज़ जलडमरूमध्य** के समीप **ओमान की खाड़ी** में **समुद्री सुरक्षा बेल्ट** 2025 नौसैनिक आयोजित किया।

- **ओमान की खाड़ी:** यह अरब सागर का पश्चिमी विस्तार है, जो इसे **होर्मुज़ जलडमरूमध्य** और **फारस की खाड़ी** से जोड़ता है।
- **सीमावर्ती देश:** इसकी सीमा **ईरान (उत्तर), संयुक्त अरब अमीरात (पश्चिम)** और **ओमान (दक्षिण)** से लगती है।

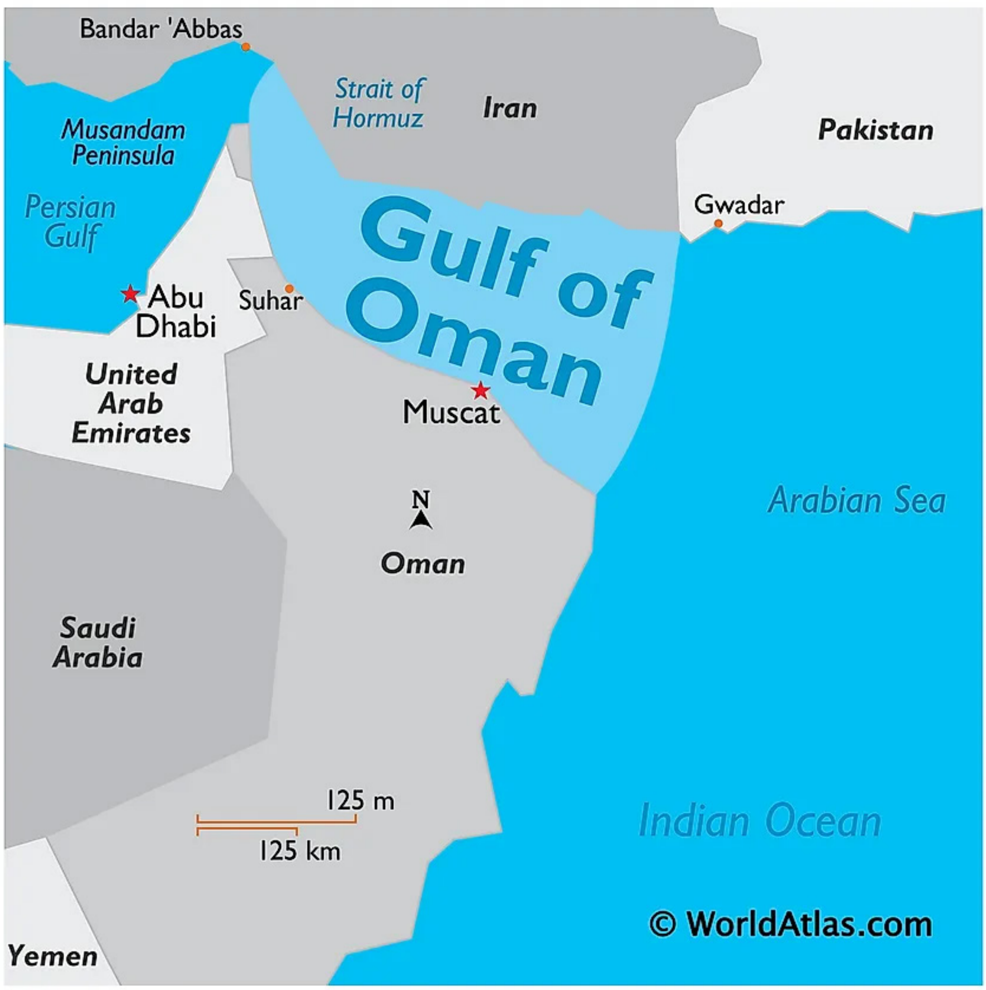

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

- **महत्त्वपूर्ण द्वीप:** शेतन द्वीप, अल फहल द्वीप, दिमानियात द्वीप और सावादी द्वीप।
- **महत्त्व:** यह **ईरान के लिये मुक्त समुद्र तक पहुँचने का एकमात्र समुद्री मार्ग** है, जो इसे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा परिवहन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बनाता है।
  - **विश्व** के **कुल तेल व्यापार** के लगभग पाँचवें हिस्से का परिवहन प्रतिदिन होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होता है, जो **ओमान की खाड़ी** में पहुँचता है।
- **होर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी** को **ओमान की खाड़ी** से जोड़ता है, और **ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान** के बीच अवस्थित है।

जलनाथेश्वर मंदिर

तमिलनाडु के **रानीपेट ज़िले** के **थक्कोलम** में पल्लवों द्वारा निर्मित छठी शताब्दी का **जलनाथेश्वर मंदिर** जीर्ण अवस्था में है।

- क्षतिग्रस्त दीवारें और ऊँचे टैंक वाला यह मंदिर उपेक्षित है। इसका अंतिम ***कुंभाभिषेक* (प्रतिष्ठा)** 15 वर्ष पूर्व हुआ था।

जलनाथेश्वर मंदिर:

- **मंदिर मूल रूप से 876 ईस्वी** में **पल्लव राजा अपराजिता वर्मन** द्वारा बनाया गया था, जबकि **त्रि-स्तरीय राजगोपुरम** को **1543 ईस्वी** में **विजयनगर राजा वीर प्रथबा सदाशिव महारयार** द्वारा जोड़ा गया था।
- यह **कोसस्थलाई नदी** के तट पर स्थित है। इसमें **पल्लव राजा अपराजिता** और **चोल राजा आदित्य प्रथम के शिलालेख** और **अभिलेख** हैं, जिनमें **भूमि, स्वर्ण और बकरियों के अनुदान** का विवरण है।
- यह मंदिर **द्रविड़ शैली की वास्तुकला** को दर्शाता है, जो **तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर** और **मदुरै के मीनाक्षी मंदिर** के समान है।
- 1.5 एकड़ के मंदिर में **त्रि-स्तरीय गोपुरम,** ग्रेनाइट की दीवारें और भगवान शिव (**भगवान जलंथेश्वर** के रूप में) का **रेत आधारित पृथ्वी लिंगम (थिंडा थिरुमनी)** है।
- यह मंदिर **275 *पाडल पेट्रा स्थलमों* (*275 Paadal Petra Sthalams*)** में से एक है, जिसे **तमिल शैव नयनार संबंदर** के ***तेवरम* भजनों** में महिमामंडित किया गया है।
  - **संबंदर** तमिलनाडु के **सातवीं शताब्दी के शैव कवि-संत थे,** जिन्होंने 16,000 भजनों की रचना की, जिनमें से 383 (या 384) तमिल शैव परंपरा में मौजूद हैं।

बोंगोसागर 2025 नौसैनिक अभ्यास

भारत की SAGAR (समुद्र में सभी की सुरक्षा और विकास) पहल के तहत **परिचालन समन्वय, समुद्री सुरक्षा** और **क्षेत्रीय स्थिरता** को सुदृढ़ करते हुए भारतीय नौसेना के **INS रणवीर** और बांग्लादेश नौसेना के **BNS अबू उबैदा** ने बंगाल की खाड़ी में **बोंगोसागर 2025 नौसैनिक अभ्यास** आयोजित किया।

- **INS रणवीर:** यह **राजपूत श्रेणी के पाँच विनाशक जहाज़ों में से चौथा जहाज़** है, जिसे वर्ष 1986 में नौसेना में शामिल किया गया था।
- **SAGAR: वर्ष 2015** में प्रस्तुत **SAGAR** भारत का विदेश नीति सिद्धांत है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से **हिंद महासागर क्षेत्र** में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय विश्वास को बढ़ाना है।
  - वर्ष 2025 में, भारत ने ग्लोबल साउथ में सुरक्षा, व्यापार और विकास को बढ़ाने के लिये **SAGAR नीति (2015)** के आधार पर, **MAHASAGAR (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास हेतु पारस्परिक और समग्र उन्नति)** का शुभारंभ किया।
- **भारत-बांग्लादेश अभ्यास:** सेना (**अभ्यास सम्प्रीति**) और नौसेना (अभ्यास बोंगोसागर, और समन्वित गश्ती (CORPAT))।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

पूर्वोत्तर भारत को सैफरन हब में बदलना

भारत ने जम्मू-कश्मीर के पंपोर के बाद **पूर्वोत्तर को भारत के अगले सैफरन (केसर) उत्पादन केंद्र के रूप में** चिह्नित किया है। **मिशन सैफरन** के हिस्से के रूप में इस पहल पर शिलांग में **नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच (NECTAR)** के स्थायी परिसर के शिलान्यास समारोह के दौरान प्रकाश डाला गया।

- **मिशन सैफरन:** यह जम्मू और कश्मीर में सैफरन (केसर) की कृषि को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2010-11 में शुरू की गई एक केंद्रीय वित्तपोषित परियोजना है। वर्ष 2021 के बाद से, NECTAR द्वारा "**सैफरन बाउल प्रोजेक्ट**" के तहत इसका विस्तार सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय तक हो गया है।
- **केसर:** यह अत्यंत मूल्यवान मसाला है जो ***Crocus sativus*** पुष्प के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, जिसे **केसर क्रोकस** के नाम से जाना जाता है।
  - केसर की कृषि 2000 मीटर के उन्नतांश पर, दोमट, रेतीली अथवा चूनेदार मृदा में होती है, जिसके लिये उपयुक्त pH 6-8 होता है, तथा इसके लिये ग्रीष्म ऋतु में 40 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान और शीत ऋतु में -20 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ शुष्क से मध्यम जलवायु की आवश्यकता होती है।
  - कश्मीरी केसर को **भौगोलिक संकेतक (GI) टैग** प्रदान किया गया है।
- **NECTAR:** यह **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** के अधीन वर्ष 2014 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है जो पूर्वोत्तर में कृषि, बुनियादी ढाँचे और आर्थिक विकास के परिवर्द्धन हेतु प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है।

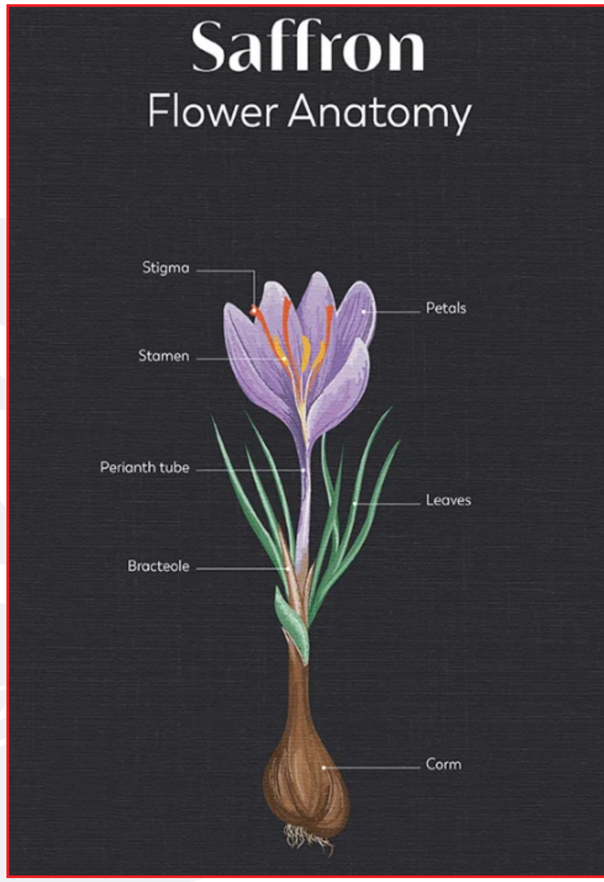

किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान सीमा समझौता

किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान ने विवादित **भूमि का आदान-प्रदान करने,** कृषि भूमि और जल संसाधनों तक पहुँच में सुधार करने, तथा **अपने लंबे समय से चले आ रहे सीमा संघर्ष को समाप्त करने पर सहमति** व्यक्त की है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

संघर्ष के कारण:

- यह संघर्ष **अलग-अलग मानचित्रों और फरगना घाटी के एकपक्षीय विभाजन** के कारण सीमा विवादों से उत्पन्न होता है, जिससे **किर्गिज़, ताजिक और उज़्बेकों के बीच जातीय तनाव** उत्पन्न होता है।
- **किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान:** दोनों **मध्य एशियाई देश** हैं, जिन्हें **वर्ष 1991 में सोवियत संघ** से स्वतंत्रता मिली थी ।
- **किर्गिज़स्तान** की सीमा **कज़ाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान** से लगती है, तथा **बिश्केक** इसकी राजधानी है।
- **ताजिकिस्तान** की सीमा **अफगानिस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान और उज़्बेकिस्तान** से लगती है और **दुशांबे** इसकी राजधानी है।
- दोनों देश **उज़्बेकिस्तान के साथ फरगना घाटी** साझा करते हैं।

अंतरिक्ष डॉकिंग में भारत की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि

अमेरिका, रूस और **चीन** के बाद वर्तमान में भारत **अंतरिक्ष क्षेत्र में डॉकिंग** और **अनडॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन** करने वाला **चौथा देश** बन गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- ISRO ने **अंतरिक्ष में दो उपग्रहों**, SDX01 (**चेज़र**) और SDX02 (**टारगेट**) को स्वचालित रूप से सफलतापूर्वक अनडॉक किया, जिससे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिये आवश्यक जटिल कक्षीय संचालन करने की भारत की क्षमता सुदृढ़ हुई।
- अंतरिक्ष डॉकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें **कक्षा में स्थित दो अंतरिक्ष यान को क्रमशः समीप लाया जाता है और एक साथ संसक्त किया जाता है।**
    - इस क्षमता से अंतरिक्ष में उन भारी अंतरिक्ष यानों का समन्वायोजन करने की सुविधा मिलती है, जिन्हें **वज़न की सीमाओं के कारण एक ही मिशन में लॉन्च नहीं किया जा सकता है।**

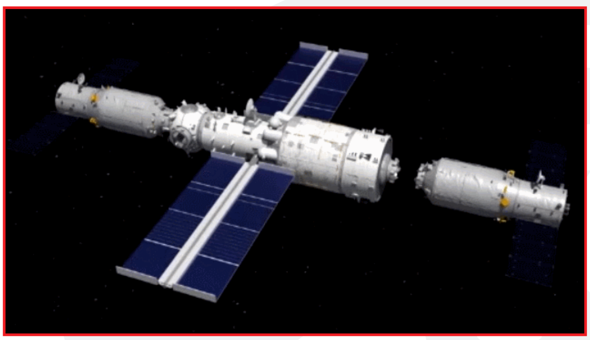

- **स्पेस अनडॉकिंग** से तात्पर्य किसी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन या किसी अन्य स्पेसक्राफ्ट से अलग करने की प्रक्रिया से है।
- यह **भारत की योजनाबद्ध** भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (**वर्ष 2035 तक**) और **चंद्रमा पर मानव मिशन** (**वर्ष 2040 तक**) के लिये महत्त्वपूर्ण है।
    - **चंद्रयान-4 , जो चंद्रमा की मिट्टी और चट्टान के नमूने** लेकर आएगा, इसी तकनीक पर आधारित होगा।
- **वर्ष** 1966 में, **नील आर्मस्ट्रांग** की कमान में नासा के **जेमिनी VIII** ने टारगेट व्हीकल **एजेना** (**Agena**) के साथ पहली मैनुअल स्पेस डॉकिंग पूरी की।
    - **वर्ष** 1967 में, **पूर्व सोवियत संघ के कोस्मोस** 186 **और कोस्मोस** 188 **अंतरिक्ष यान** ने पहली बार **स्वचालित डॉकिंग** की क्षमता प्राप्त की।
    - चीन ने **वर्ष** 2011 में अपनी पहली **मानवरहित डॉकिंग** और **वर्ष 2012 में अपनी पहली मानवयुक्त डॉकिंग** की क्षमता प्राप्त की।

नागोर्नो-काराबाख संघर्ष का समाधान

आर्मेनिया और **अज़रबैजान** ने **शांति समझौते** को अंतिम रूप दिया, जो **नागोर्नो-काराबाख संघर्ष** पर शत्रुता समाप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **संघर्ष:** सोवियत काल के दौरान, नागोर्नो-काराबाख **मुस्लिम बहुल अज़रबैजान में स्वायत्त क्षेत्र** था, लेकिन इसकी अर्मेनियाई आबादी (ईसाई) ने **आर्मेनिया के साथ एकीकरण** की मांग की।
  - सोवियत संघ के पतन के साथ यह संघर्ष **युद्ध में परिणत** हुआ (1988-1994)।
  - **वर्ष** 1994 के युद्ध विराम के बाद नागोर्नो-काराबाख पर **अर्मेनियाई समर्थित नियंत्रण स्थापित हुआ** (लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह **अज़रबैजान का भाग** रहा)।
- **प्रमुख संघर्ष:**
  - **प्रथम नागोर्नो-काराबाख युद्ध (1988-1994):** अर्मेनिया ने नागोर्नो-काराबाख और निकटवर्ती अज़रबैजानी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।
  - **दूसरा नागोर्नो-काराबाख युद्ध (2020):** अज़रबैजान ने संबद्ध क्षेत्र के व्यापक हिस्से पर पुनः कब्ज़ा कर लिया।
  - **अज़रबैजानी आक्रमण (2023):** अज़रबैजान ने एक दिवसीय ऑपरेशन में पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया और एन्क्लेव (विदेशी अंतः क्षेत्र) को आधिकारिक रूप से **भंग कर दिया गया।**
    - नागोर्नो-काराबाख की लगभग पूरी आबादी यानी एक लाख से अधिक व्यक्तियों ने **अर्मेनिया में पलायन** किया।
- **भारत किसी का पक्षधर नहीं** है, बल्कि **OSCE मिंस्क समूह** के माध्यम से **राजनयिक समाधान** का समर्थन करता है।
  - आर्मेनिया और अज़रबैजान **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC)** का हिस्सा हैं, जो भारत के व्यापार मार्गों के लिये एक प्रमुख परियोजना है।

उनियाला केरलेंसिस

शोधकर्त्ताओं ने केरल के **अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिज़र्व** में एक नई पादप प्रजाति, *उनियाला केरलेंसिस* (Family Asteraceae) की पहचान की है।

उनियाला केरलेंसिस के बारे में:

- **वंश:** उनियाला
- **पादप प्रकार: उनियाला केरलेंसिस** एक झाड़ी है जो **एक से तीन मीटर तक लंबी** हो सकती है। इसमें **हल्के बैंगनी रंग के फूल** होते हैं जो **अगस्त से अप्रैल** तक खिलते हैं।
- **विशिष्ट विशेषताएँ:** ***यू. कोमोरिनेंसिस*** और ***यू. साल्विफोलिया*** की तुलना में बड़ी पत्तियाँ, लंबी पंखुड़ियाँ और कम पार्श्व शिराएँ।
- **वितरण: दक्षिण-पश्चिम भारत में स्थानिक, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिज़र्व** में 700-1,400 मीटर ऊँचाई पर पाया जाता है।
- **जनसंख्या:** 250 वर्ग किमी में 4 उप-जनसंख्याओं में लगभग **5,000** व्यक्ति।
- **IUCN स्थिति: अपर्याप्त डेटा (DD)**

अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिज़र्व:

- **स्थान: दक्षिणी पश्चिमी घाट**, केरल और तमिलनाडु तक फैला हुआ।
- **संरक्षित क्षेत्र: इसमें शेंदुर्नी, पेप्पारा, नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य** और कालाकाड मुंडनथुराई टाइगर रिज़र्व शामिल हैं।
- **जैव विविधता:** 2,254 **उच्चतर पादप प्रजातियाँ (405 स्थानिक), नीलगिरि तहर, शेर-पूँछ वाला मैकाक, बंगाल टाइगर, भारतीय हाथी।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **जनजातियाँ:** कानी जनजातियाँ (केरल और तमिलनाडु)
- **यूनेस्को:** मानव और जीवमंडल (MAB) कार्यक्रम, 2016।

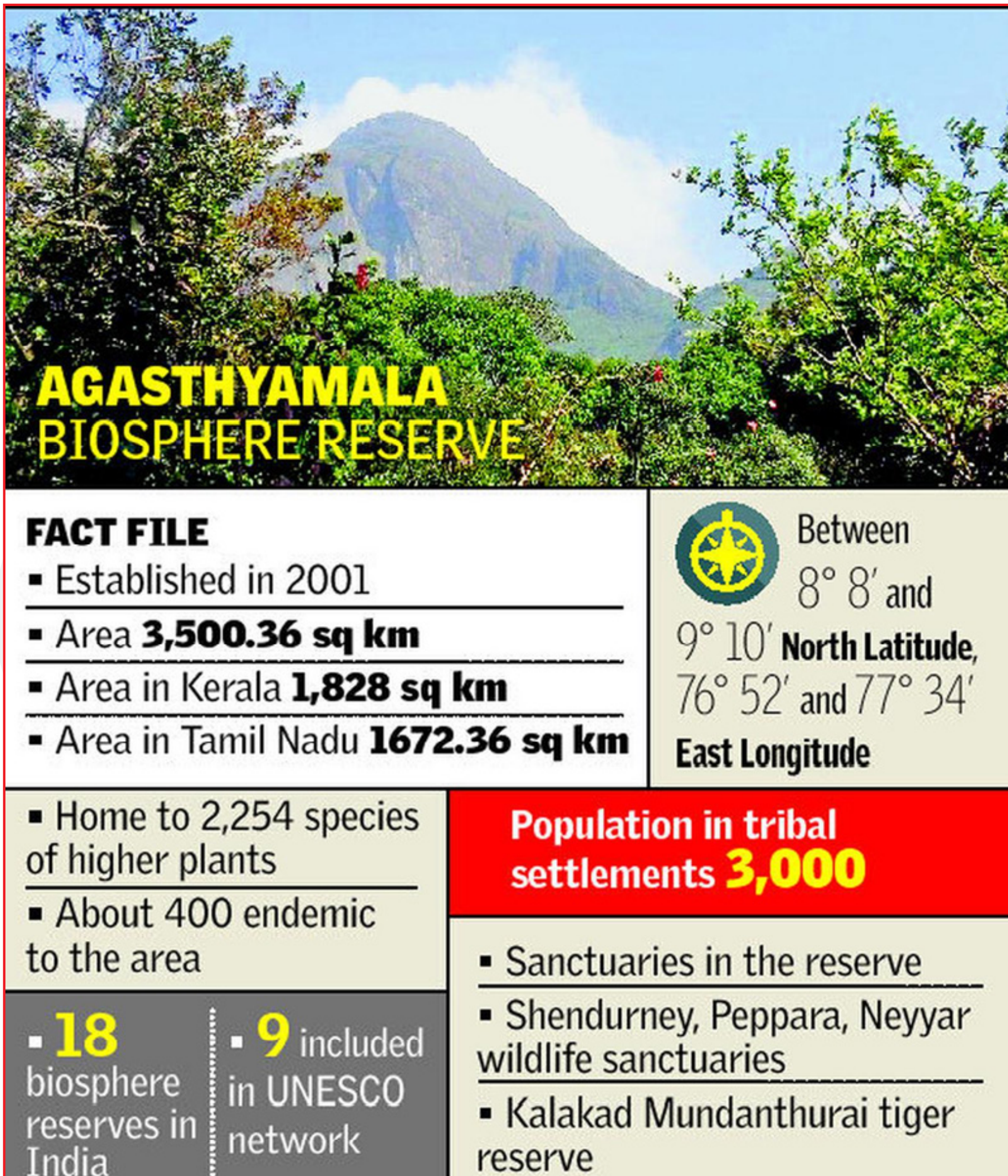

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

पाई (π) डे

प्रतिवर्ष **14 मार्च** को मनाया जाने वाला पाई (π) डे **गणितीय स्थिरांक π** के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन **अल्बर्ट आइंस्टीन की जयंती (वर्ष 1879)** और **स्टीफन हॉकिंग की पुण्यतिथि (वर्ष 2018)** के साथ भी सुमेलित है।

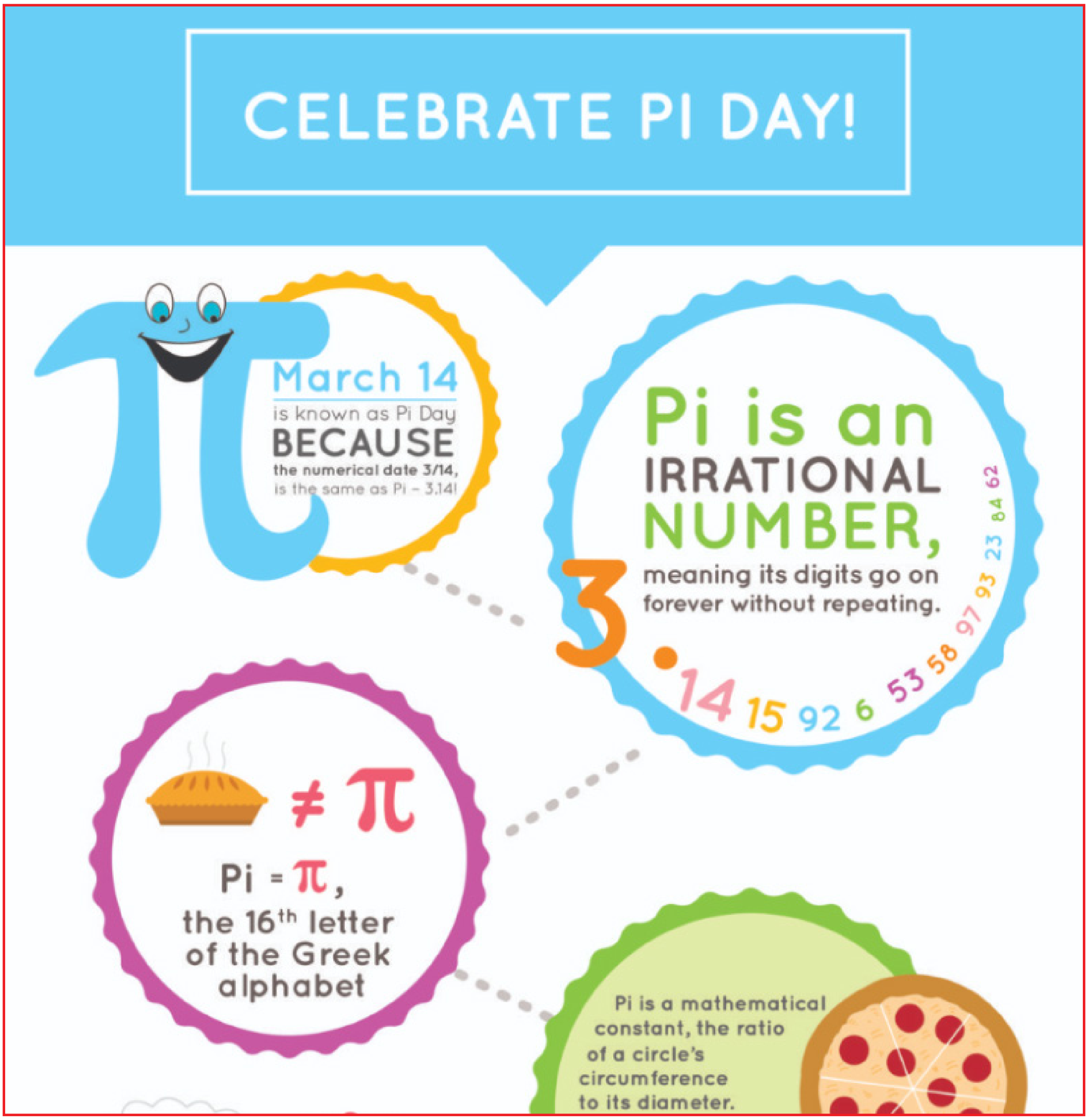

- **पाई का महत्त्व:** यह एक **वृत्त की परिधि और उसके व्यास** के अनुपात को दर्शाता है और एक **अपरिमेय, अनंत संख्या** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **ग्रीक अक्षर π** का पहली बार प्रयोग वर्ष 1706 में **वेल्श गणितज्ञ विलियम जोन्स** द्वारा किया गया था, जो **"परिधि"** शब्दों से प्रेरित था।

- **भारतीयों का योगदान:** भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री **आर्यभट्ट** (476-550 ई.) ने अपने कार्य **"आर्यभट्टीय"** में **पाई का अनुमानित मान** 3.1416 बताया था।
  - **लाखों अंकों तक पाई की गणना करने वाला पहला एल्गोरिदम वर्ष 1914 में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन** द्वारा प्रकाशित सूत्रों पर आधारित था।

- **पाई के अनुप्रयोग: गणित और इंजीनियरिंग** में, **वृत्त के गुणों, तरंग समीकरणों और संरचनात्मक डिज़ाइनों** की गणना के लिये **पाई** अत्यंत आवश्यक है।
  - भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) **जैसी अंतरिक्ष एजेंसियाँ कक्षीय पथ, उपग्रह स्थिति और अंतरिक्ष यान प्रक्षेप पथ** निर्धारित करने के लिये π का उपयोग करती हैं।
  - यहाँ तक कि **दैनिक जीवन** में, π का उपयोग **गुंबदों और पुलों के निर्माण** के लिये किया जाता है, जो इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक मौलिक स्थिरांक बनाता है।

मेलियोडोसिस

एक हालिया अध्ययन में **जलवायु परिस्थितियों,** विशेषकर **मानसून संबंधी कारक,** के कारण **मेलियोडोसिस** के संचरण पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया गया।

- **मेलियोडोसिस:** यह एक **जीवाणुजनित संक्रामक रोग** है, जो **वर्षा, ताप और आर्द्रता** से संबंधित है।
  - यह *Burkholderia pseudomallei* के कारण होता है और मनुष्य द्वारा **टीकाकरण** और मुख्य रूप से मृदा और जल में रहने वाले पर्यावरणीय **मृतजीवी** (Saprophytes) का **अंत: श्वसन और/ अथवा अंतर्ग्रहण** करने से इसका संचरण होता है।

- **भारत** सहित **दक्षिण एशिया (बांग्लादेश और श्रीलंका** में स्थानिक) में वैश्विक मेलियोडोसिस के 44% मामले हैं, जिसमें **ओडिशा** अपनी कृषि और चरम मौसम के कारण इसका हॉटस्पॉट है।
  - यह मुख्य रूप से **उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया** में पाया जाता है।

- इसके लक्षणों में **प्रारंभिक चर्म संक्रमण** से **गंभीर निमोनिया और सेप्सिस** शामिल है, तथा **सेप्टिक मामलों** में इसकी मृत्यु दर 50% है।
  - इसका संचरण **पशुओं** से **मनुष्यों में नहीं** होता है, तथा **मनुष्य से मनुष्य** में इसका संक्रमण **दुर्लभ** है।

- मेलियोडोसिस का **उपचार** प्रतिजैविक औषधियों से किया जा सकता है, लेकिन चिकित्सकों को इससे समस्या होती है क्योंकि:
  - **विविध लक्षण:** यह **प्रारंभिक चर्म संबंधी समस्याओं** से लेकर **गंभीर निमोनिया और सेप्सिस** जैसे अनेक प्रकार के संक्रमणों का कारण बनता है।
  - **निदान संबंधी चुनौतियाँ:** प्राय: इसे *Pseudomonas aeruginosa* समझने की भूल की जाती है, जो कि एक अधिक सामान्य जीवाणु है, जिसके कारण **अनुचित उपचार** किये जाने की संभावना होती है।
  - **जटिल उपचार:** इसके लिये **दीर्घकालीन थेरेपी (12 से 20 सप्ताह)** की आवश्यकता होती है और यदि उचित उपचार न किया जाए तो **रोग के पुन: जनित** होने का खतरा रहता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

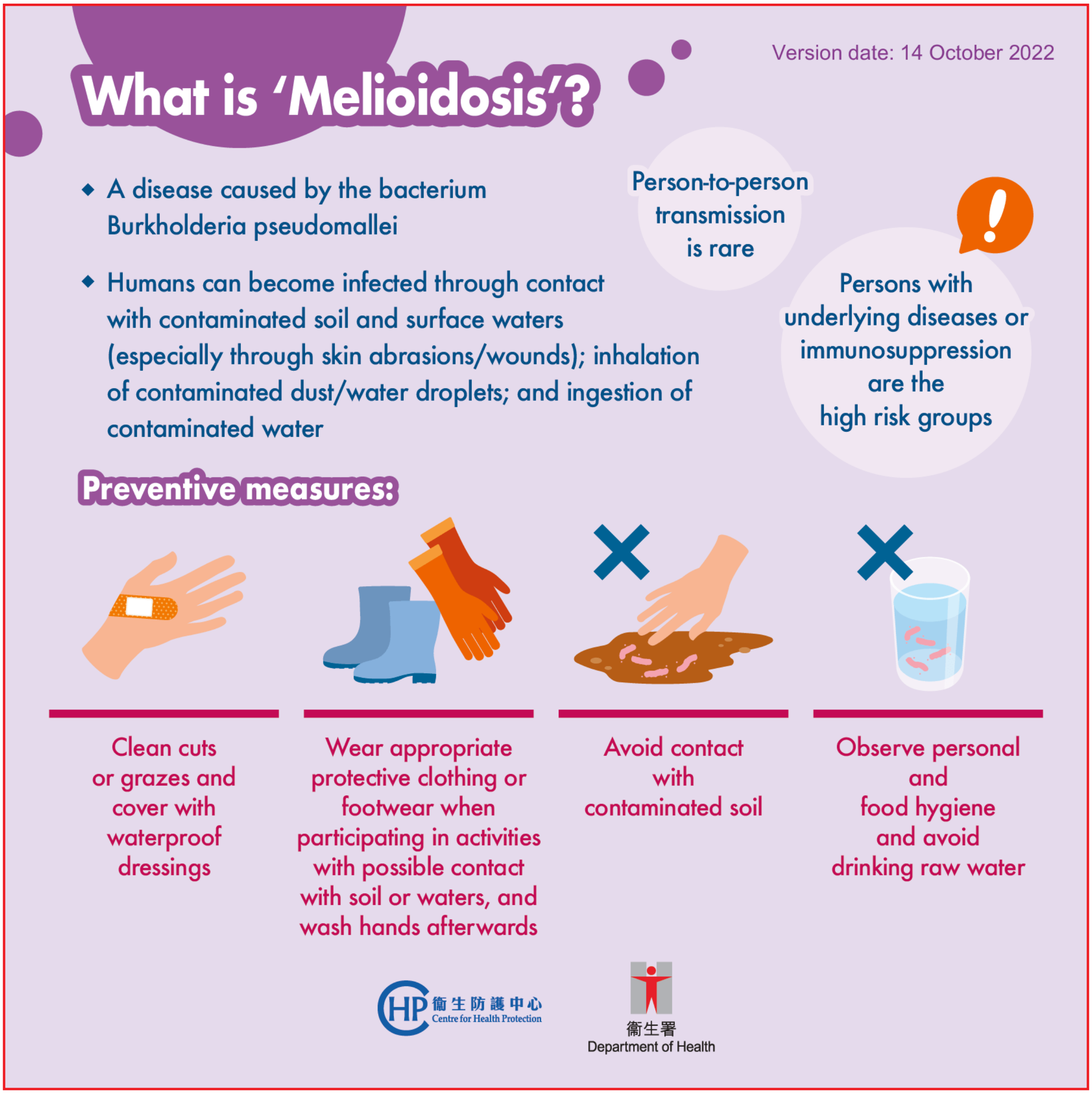

मेनहिर

तेलंगाना के नारायणपेट ज़िले में स्थित **मुदुमल के महापाषाणकालीन** (Megalithic) **मेनहिर** को **वर्ष 2025 की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों** की अनंतिम सूची में शामिल किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **महापाषाण** का तात्पर्य प्रागैतिहासिक बड़ी पत्थर की संरचनाओं से है जिनका निर्माण या तो **शवाधान या स्मारक स्थलों** के रूप में किया गया था।
- **यूरोप के मेनहिर** 7,000 वर्ष प्राचीन है, जिसमें **फ्राँस के ग्रैंड मेनहिर ब्रिसे की ऊँचाई** सर्वाधिक (20.6 मीटर) है।

मेनहिर:

- **परिचय:** मेनहिर **बृहद, उर्ध्वाधर पाषाण** होते हैं, जिनका **आकार सामान्यत: ऊपर की ओर पतला** होता है और ये मनुष्यों द्वारा स्थापित किये जाते हैं। **मुदुमल के मेनहिर भारत के प्राचीनतम (3,500-4,000 BP) मेनहिर हैं**, तथा कृष्णा नदी के तट के समीप अवस्थित हैं।
  - BP 1950 ई. से पहले के वर्षों की गणना करने वाला समय मापक्रम है।

- मुदुमल मेनहिर स्थल **सुव्यवस्थित रूप से संरक्षित महापाषाणकालीन शवाधान स्थल है।**
- इन्हें **विषुव और अयनांत जैसी सौर घटनाओं के साथ सटीक रूप से संरेखित** किया गया है, तथा एक पत्थर पर **सप्तर्षि मंडल के चषक-चिह्न अंकित हैं,** जो दक्षिण एशिया में तारा चित्रण का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत है।
- स्थानीय लोग प्राचीन परंपराओं को संरक्षित रखते हुए मेनहिरों की उपासना **"निलुरल्ला तिम्मप्पा"** के रूप में करते हैं, जिनमें से एक की उपासना **देवी येल्लम्मा** के रूप में की जाती है।
- **हीरो स्टोन से भिन्नता:** हीरो स्टोन (कन्नड़ में ***वीरगल्लू,*** तमिल में ***नटुकल***) युद्ध में शहीद हुए योद्धाओं के सम्मान में स्थापित स्मारक हैं। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर दक्षिण, में पाए जाते हैं और इन्हें वीर बलिदानों की स्मृति में पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व से 18वीं शताब्दी ई. की अवधि में स्थापित किया गया था।

विकास और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार

ऑरोविले फाउंडेशन बनाम नवरोज़ केरस्प मोदी (2025) मामले में **सर्वोच्च न्यायालय** ने निर्णय दिया कि **औद्योगीकरण के माध्यम से विकास का अधिकार स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार** के समान ही महत्त्वपूर्ण है, तथा **संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21** के तहत दोनों के बीच **"गोल्डन बैलेंस"** पर ज़ोर दिया।

- **मामले की पृष्ठभूमि:** **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)** ने **दरकाली वन** में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान देते हुए वर्ष 2022 में तमिलनाडु में **ऑरोविले** के **विकास पर रोक** लगा दी थी।
  - **ऑरोविले फाउंडेशन ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए** कहा कि **ऑरोविले के मास्टर प्लान को वैधानिक अधिकार प्राप्त है** और इसके लिये किसी अतिरिक्त पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:** सर्वोच्च न्यायालय ने NGT के वर्ष 2022 के आदेश को पलट दिया, ऑरोविले के कानूनी रूप से वैध मास्टर प्लान को बरकरार रखा, और निर्णय दिया कि "दरकाली वन" को **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन के रूप में वर्गीकृत नहीं** किया गया है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों पर ज़ोर देते हुए कहा कि **अनुच्छेद 14** (समानता का अधिकार) **पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच उचित संतुलन** सुनिश्चित करता है, **अनुच्छेद 19** (स्वतंत्रता का अधिकार) उचित प्रतिबंधों के साथ **व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों के अधिकार की रक्षा** करता है, जबकि **अनुच्छेद 21** (जीवन का अधिकार) में **स्थायी आर्थिक प्रगति के साथ-साथ स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार** शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

यमन और हूती

अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग मार्गों के लिये खतरे का उल्लेख करते हुए **लाल सागर** में हूती समूह के मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिये यमन में हूती नियंत्रित क्षेत्रों पर हवाई हमले बढ़ा दिये हैं।

- **यमन:** यह **अरब प्रायद्वीप** के दक्षिणी सिरे पर मध्य पूर्व में अवस्थित है और इसकी सीमाएँ **सऊदी अरब (उत्तर) और ओमान (पूर्व)** से लगती है। इसकी तटरेखा **लाल सागर (पश्चिम), अदन की खाड़ी**, अरब सागर और **गार्डाफुई चैनल** (दक्षिण) के अनुदिश है।
  - **जिबूती और यमन** के बीच बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य एक प्रमुख समुद्री अवरोध बिंदु है, जो **लाल** सागर और **स्वेज़ नहर** के माध्यम से **हिंद महासागर को भूमध्य सागर** से जोड़ता है, जो वैश्विक व्यापार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
- **हूती:** यह उत्तर-पश्चिमी यमन का एक जैदी शिया उग्रवादी समूह है जो वर्ष 1990 के दशक में यमन सरकार के खिलाफ विद्रोही समूह के रूप में उभरा। इन्हें **ईरान** का समर्थन प्राप्त है और ये **एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस (ईरानी समर्थित मिलिशिया का अनौपचारिक गठबंधन)** का हिस्सा हैं तथा **गाज़ा संघर्ष** के जवाब में यह समूह **बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य** में इज़रायल के जहाज़ों पर हमले करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

23 वाँ अभ्यास वरुण 2025

भारतीय और फ्राँसीसी नौसेनाएँ अरब सागर में वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, **वरुण -2025 के 23 वें संस्करण** की शुरुआत करने के लिये तैयार हैं।

- इसमें विमानवाहक पोत **INS विक्रांत (भारत)** और **चार्ल्स डी गॉल (फ्राँस)** के साथ-साथ **लड़ाकू विमान, विध्वंसक, फ्रिगेट** और एक भारतीय **स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी** शामिल होगी।
- इसका आयोजन पहली बार **वर्ष 2001** में किया गया था एवं इसका उद्देश्य **अंतर-संचालन और परिचालन तालमेल** को बढ़ाना था।
- **रक्षा सहयोग:** भारत और फ्राँस ने रक्षा उपकरणों के **सह-डिजाइन, सह-विकास और सह-उत्पादन** के लिये एक नए **रक्षा औद्योगिक रोडमैप** के साथ सैन्य संबंधों को मज़बूत किया।
- **आगामी रक्षा सौदे:** **INS विक्रांत** के लिये **26 राफेल-M फाइटर जेट।**
  - **प्रोजेक्ट 75** के तहत मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) में **3 अतिरिक्त स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों** का निर्माण किया जाएगा।
- MDL ने पहले ही फ्राँसीसी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से **छह कलवरी श्रेणी (स्कॉर्पीन) पनडुब्बियों** का निर्माण किया है।

किलिफिश

केन्या के **गोंगोनी वन (7.09 मिलियन वर्ष प्राचीन)** में **किलिफिश** (***Nothobranchius sylvaticus***) की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह वन में पाई गई **पहली ज्ञात स्थानिक किलिफिश** है।

- यह **केन्या में स्थानिक है** और इसे **गंभीर रूप से संकटापन्न** (IUCN) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

किलिफिश:

- **परिचय:** किलिफिश **छोटी, अंडद (अंडप्रजक) मछलियाँ** हैं जो **साइप्रिनोडोंटिफॉर्मेस गण** से संबंधित हैं, जिन्हें प्राय: **टूथकार्प्स** के रूप में जाना जाता है।

- **पर्यावास:** किलिफिश अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के अलवणोद और लवणीय जल क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तथा इसकी कुछ प्रजातियाँ दलदलों और अस्थायी तालाबों जैसे **अल्पकालिक (ऋतुनिष्ठ) जल क्षेत्रों** में भी पाई जाती हैं।
- **अनुकूलनशीलता:** इनकी **चरम वातावरण** की अनुकूलन क्षमता होती है और ये **उच्च लवणता** और **अल्प ऑक्सीजन** की स्थिति में जीवित रहने में सक्षम होते हैं तथा **काल प्रभावन और आनुवंशिकी अनुसंधान** में इनकी भूमिका **आदर्श जीव** के रूप में होती है।

केन्या:

- **अवस्थान:** केन्या (भूमध्यरेखीय और पूर्वी अफ्रीकी देश) की सीमा **दक्षिण सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, युगांडा, तंज़ानिया और हिंद महासागर** से लगती है।
- **दादाब शरणार्थी परिसर** सोमालिया के गृहयुद्ध से आए शरणार्थियों को आश्रय देने वाले सबसे बड़े शिविरों में से एक है।
- **प्रमुख झीलें:** तुर्काना झील, विक्टोरिया झील (केन्या, तंज़ानिया और युगांडा का साझा स्वामित्व), आदि।
- **केन्या** भारत के **गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य** (मध्य प्रदेश-राजस्थान) में चीतों की संख्या में पुन: वृद्धि करने के उद्देश्य से **20 चीते** प्रदान करेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

ध्वन्यास्त्र

सर्बियाई सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया कि पुलिस ने **ध्वन्यास्त्रों (Sonic Weapons)** का उपयोग कर सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया।

- ध्वन्यास्त्र ऐसे उपकरण हैं जो लंबी दूरी तक **अत्यधिक संकेंद्रित, प्रवर्धित ध्वनि** प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग सामन्यत: भीड़ को नियंत्रित करने के लिये किया जाता है।
- **वर्ष** 2004 में, **संयुक्त राज्य अमेरिका** ने पहली बार इराक में लंबी दूरी तक तीव्र ध्वनि प्रक्षेपित करने के लिये ऐसे विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह 3 प्रकार का होता है:
  - **लंबी दूरी की ध्वनिक डिवाइस (LRAD):** यह **160 डेसिबल** (dB) तक ध्वनि उत्पन्न करती है, जिससे **टिनिटस (रिंगिंग इअर्स)**, **श्रवण क्षमता में क्षय** और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- उड़ान के दौरान एक **जेट इंजन** 130-140 dB ध्वनि उत्पन्न करता है, और एक **बंदूक की गोली** लगभग 150 dB ध्वनि उत्पन्न करती है। **120 dB से अधिक ध्वनि** से स्थायी श्रुति-क्षय हो सकता है।
- **मॉस्किटो:** इससे **अत्यधिक तीव्र ध्वनि** उत्पन्न होती है जो केवल युवा लोगों (30 वर्ष से कम) के लिये कष्टदायक होती है।
- **इन्फ्रासोनिक वेपन:** इससे **निम्न आवृत्ति वाली, अश्रव्य ध्वनि** उत्पन्न होती है, जिससे दर्द और भटकाव होता है।
- **सर्बिया पूर्वी यूरोप** में एक **स्थलरुद्ध देश** है। **कोसोवो** ने वर्ष 2008 में सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन सर्बिया कोसोवो के राज्यपद को मान्यता नहीं देता है।

कैबिनेट द्वारा आर्थिक विकास के लिये बहु-क्षेत्रीय पैकेज को मंज़ूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **22,791 करोड़ रुपए के बहु-क्षेत्रीय पैकेज** को मंज़ूरी दी है, जिसमें **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)** प्रोत्साहन, असम में एक यूरिया संयंत्र, महाराष्ट्र में एक राजमार्ग परियोजना और संशोधित डेयरी विकास योजनाएँ शामिल हैं।

- **डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन:** डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये **ज़ीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट नीति** के तहत **कम मूल्य वाले UPI (व्यक्ति-से-व्यापारी) लेनदेन (वित्त वर्ष 25) को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन योजना** के लिये 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किये गए।
  - **2,000 रुपए से कम के लेनदेन** पर 0.15 % **प्रोत्साहन** दिया जाता है, जिससे **छोटे व्यापारियों (डिजिटल भुगतान < 50,000 रुपए/माह)** को लाभ मिलता है।
  - सरकार अधिग्रहण करने वाले बैंकों (व्यापारी बैंक) को प्रोत्साहन देती है, जिसे जारीकर्त्ता बैंक (ग्राहक बैंक), भुगतान सेवा प्रदाताओं और ऐप प्रदाताओं के साथ साझा किया जाता है।
- **महाराष्ट्र में राजमार्ग परियोजना: जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट** कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये **पीएम गति शक्ति** के तहत **चौक-पगोटे छह लेन राजमार्ग** को मंज़ूरी दी गई।
- **असम में उर्वरक संयंत्र: 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी** के तहत **नामरूप-IV यूरिया संयंत्र** के लिये 10,601 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए, जिससे पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की यूरिया आपूर्ति और **दक्षिण पूर्व एशिया** में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
- **संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम:** कुल परिव्यय को संशोधित कर 2,970 करोड़ रुपए किया गया, जिससे **10,000 डेयरी सहकारी समितियाँ** स्थापित की जाएंगी तथा मुख्य रूप से महिलाओं के लिये **3.2 लाख नौकरियाँ** सृजित होंगी।
- **उच्च उत्पादक वाली मवेशी नस्लों को बढ़ावा देने** के लिये **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (2021-26) का** कुल परिव्यय संशोधित कर 3,400 करोड़ रुपए किया गया।

GNSS-आधारित टोल संग्रह

भारत सरकार ने सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए टोल संग्रह हेतु ग्लोबल **नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS)** की शुरुआत को अभी स्थगित कर दिया है।

- सरकार GNSS के स्थान पर **स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरों और FASTag (फास्टैग)** का उपयोग करके बैरियर-लेस फ्री फ्लो टोलिंग को आगे बढ़ाएगी।
- **GNSS:** वाहनों द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर टोल निर्धारित करने के लिये **उपग्रहों और ऑनबोर्ड इकाइयों (OBUs)** का उपयोग करके टोल की गणना करता है।
- **हालाँकि, यह प्रणाली गैर-भारतीय उपग्रहों** पर निर्भरता के कारण **परिचालन नियंत्रण, डेटा गोपनीयता और संभावित उल्लंघनों** के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करती है।
- **ANPR FASTag प्रणाली (AFS):** यह वाहन नंबर प्लेटों को स्वचालित रूप से पहचानने के लिये कैमरों का उपयोग कर टोल कटौती के लिये उन्हें संबंधित फास्टैग अकाउंट से जोड़ती है।
- **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम** द्वारा जारी किया गया फास्टैग एक ऐसा उपकरण है जिसमे **रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक** का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा चलते हुए वाहन से सीधे टोल भुगतान किया जा सकता है।
  - वाहन के विंडस्क्रीन पर लगा फास्टैग (RFID Tag) लिंक किये गए बैंक खाते से स्वचालित टोल भुगतान को सक्षम बनाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

द्विअपवर्तन

अपवर्तन (Refraction) का आशय प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर **उसकी गति में परिवर्तन** के कारण होने वाले बंकन (मुड़ना) से है। हालाँकि, कुछ पदार्थों में **द्विअपवर्तन (दोहरा अपवर्तन)** नामक घटना भी होती है।

- **द्विअपवर्तन:** यह कुछ पदार्थों का **ऑप्टिकल गुण** है, जहाँ **आपतित प्रकाश 2 किरणों में विभाजित** हो जाता है, जिनमें से प्रत्येक **अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग अपवर्तनांक** के कारण **अलग-अलग गति से यात्रा** करती है। यह पदार्थों की **विषमतापूर्ण प्रकृति** के कारण उत्पन्न होता है।
  - अपवर्तनांक **निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में उसकी गति का अनुपात** है। **निर्वात का अपवर्तनांक 1** होता है। **उच्च अपवर्तनांक अधिक प्रकाशीय घनत्व** और **प्रकाश की निम्न गति** को दर्शाता है ।
- **द्विअपवर्तक पदार्थों के प्रकार:**
  - **प्राकृतिक:** कैल्साइट, क्वार्ट्ज, अभ्रक
  - **कृत्रिम:** बेरियम बोरेट, लिथियम नियोबेट
  - **अभिप्रेरित:** भौतिक तनाव, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र लागू करके बनाया जा सकता है।
- **अनुप्रयोग: LCD, माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल स्विच, वेवप्लेट्स, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स** और प्रकाश नियंत्रण के लिये लेजर में उपयोग किया जाता है।

आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक पदार्थ:

- **आइसोट्रोपिक पदार्थ:** एक समान संरचना वाले, **स्थिर कोण पर प्रकाश** को अपवर्तित करने वाले, तथा ध्रुवीकरण के बिना **इसे एक ही वेग से गुजरने** देने वाले पदार्थ। **उदाहरण: काँच,** टेबल साल्ट (NaCl)।
- **एनिसोट्रोपिक पदार्थ:** इनमें **अलग-अलग क्रिस्टल अक्ष होते हैं, जिससे प्रकाश विभिन्न वेग** और **लंबवत ध्रुवीकरण (द्विअपवर्तन) के साथ 2 किरणों** में विभाजित हो जाता है। **उदाहरण: कैल्साइट, क्वार्ट्ज, मीका, टूमलाइन।**

विश्व गौरैया दिवस

विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य **गौरैया की संख्या में होनी वाली कमी के प्रति जागरूकता बढ़ाना** है तथा इसके अंतर्गत **पारिस्थितिक संतुलन** के उद्देश्य से इन महत्त्वपूर्ण पक्षियों को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है।

- Few Common Species Habitat and Distribution in India:

Sparrow Species	Scientific Name	Habitat Preferences	Distribution in India
House Sparrow	*Passer domesticus*	Urban and rural areas	**Widely distributed across India**
Eurasian Tree Sparrow	*Passer montanus*	Woodlands, parks, and gardens	Found in various regions across India, less common than house sparrows
White-throated Sparrow	*Zonotrichia albicollis*	Northern regions, mountainous areas	Mainly in Jammu & Kashmir or Himachal Pradesh
Chestnut-shouldered Petronas	*Petronia xanthocollis*	Dry forests, scrublands	Inhabit regions like Rajasthan or Gujarat
Rufous Treepie	*Dendrocitta vagabunda*	Wet regions, forests	Prefers areas such as Assam or West Bengal
Baya Weaver	*Ploceus philippinus*	Coastal areas, wetlands	Commonly seen in coastal regions like Goa or Kerala

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **विश्व गौरैया दिवस:** इसकी शुरुआत **वर्ष 2010** में **"नेचर फॉरएवर"** (पक्षी संरक्षण संगठन) द्वारा की गई थी और यह 50 से अधिक देशों में मनाया जाता है।
  - **घरेलू गौरैया दिल्ली और बिहार** का राजकीय पक्षी है, जो इस आयोजन के वैश्विक महत्त्व को बढ़ाता है।
- **वर्ष 2025 का विषय:** *"ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मेसेंजर्स"*।
- **गौरैया संबंधी मुख्य तथ्य:** गौरैया बीजों का परिक्षेपण कर जैवविविधता में सहायता करती है, लेकिन **पर्यावास ह्रास, नगरीकरण और कृषि में बदलाव के कारण** उनकी संख्या घट रही है। इनके संरक्षण प्रयास **नगरीय हरियाली** और **कृषि संबंधी प्रथाओं** पर केंद्रित हैं।
  - हाउस स्पैरो (*Passer domesticus*), **पासरिफॉर्मेस ऑर्डर और पासरिडे कुल** का हिस्सा है, जिसे **IUCN रेड लिस्ट** में **अल्पतम चिंताजनक** के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह एक सामाजिक प्रजाति है, जो 8 से 10 के समूहों में पाई जाती है, जो एक दूसरे के साथ संपर्क करने के लिये चहचहाने और चीं चीं की आवाज़ का उपयोग करती है।

रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य

रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य में इंडियन लॉन्ग-बिल्ड वल्चर (Indian Vulture) का दुर्लभ दृश्य **संरक्षित क्षेत्र-आधारित संरक्षण प्रयासों** की सफलता को रेखांकित करता है।

Sr. No.	Name of the Vulture Species	IUCN status	Pictorial Representation
1.	Oriental White-backed Vulture (Gyps Bengalensis)	Critically Endangered	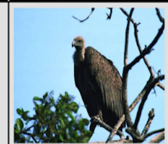
2.	Slender-billed Vulture (Gyps Tenuirostris)	Critically Endangered	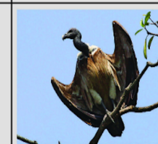
3.	Long-billed Vulture (Gyps Indicus)	Critically Endangered	
4.	Egyptian Vulture (Neophron Percnopterus)	Endangered	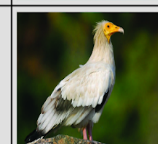
5.	Red-Headed Vulture (Sarcogyps Calvus)	Critically Endangered	
6.	Indian Griffon Vulture (Gyps Fulvus)	Least Concerned	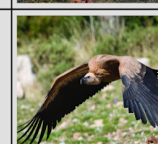
7.	Himalayan Griffon (Gyps Himalayensis)	Near Threatened	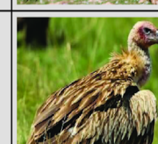
8.	Cinereous Vulture (Aegypius Monachus)	Near Threatened	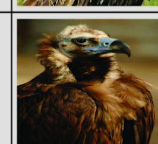
9.	Bearded Vulture or Lammergeier (Gypaetus Barbatus)	Near Threatened	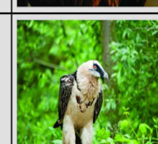

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य:

- यह कर्नाटक के **रामनगर** में **रामदेवरा बेट्टा हिल रेंज** में स्थित है।
- यह **भारत का पहला और एकमात्र गिद्ध अभयारण्य** है जिसकी स्थापना **वर्ष 2012** में हुई थी और लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों की सुरक्षा के लिये इसे वर्ष 2017 में **इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ)** के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- यह अभयारण्य भारत में पाई जाने वाली **नौ गिद्ध प्रजातियों में से तीन का आवास है- इंडियन लॉन्ग-बिल्ड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर** (*Neophron Percnopterus*) और **व्हाइट बैक्ड वल्चर** (*Gyps bengalensis*)।

इंडियन लॉन्ग-बिल्ड वल्चर (Gyps indicus):

- यह **मध्यम आकार** वाला पक्षी है, जो एशिया (भारत, पाकिस्तान और नेपाल) का स्थानिक है, तथा मुख्य रूप से मृत पशुओं से आहार ग्रहण करता है।
- वे **सवाना, गाँवों, शहरों और कृषि क्षेत्रों के पास खुले परिदृश्य** पसंद करते हैं।
- **डिक्लोफेनाक (Diclofenac)** नामक पशु चिकित्सा दवा के कारण उनकी जनसंख्या में **97-99% की गिरावट** आई है।
- **IUCN स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त**

फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति का ICC ट्रायल

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) द्वारा न्यायेतर हत्याओं (2011-2019) सहित मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिये **फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते** के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अंतर

	अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of justice-ICJ)	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court- ICC)
स्थापना	**वर्ष 1945**	**वर्ष 2002**
UN संबंध	संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक न्यायालय, जिसे आमतौर पर 'विश्व न्यायालय' के रूप में जाना जाता है।	स्वतंत्र रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से केस रेफरल प्राप्त कर सकता है।
मुख्यालय	**हेग (नीदरलैंड्स)**	**हेग (नीदरलैंड्स)**
मामलों के प्रकार	यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है।	व्यक्तियों का आपराधिक मुकदमा
विषय-वस्तु	संप्रभुता, सीमा और समुद्री जल विवाद, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन, मानव अधिकार, संधि उल्लंघन, संधि व्याख्या आदि	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सामान्यतः नर-संहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रमण का अपराध जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की जाँच करता है।
वित्तपोषण	संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्तपोषित	रोम संविधि के पक्षकारों द्वारा योगदान; संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वैच्छिक योगदान; विभिन्न देशों की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी व्यक्तियों और निगमों द्वारा स्वैच्छिक योगदान

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- दुतेर्ते ICC में आरोपों का सामना करने वाले **एशिया के पहले पूर्व राष्ट्राध्यक्ष** हैं।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC):

- **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC): वर्ष 1998 के रोम संविधि** के तहत स्थापित और वर्ष 2002 से कार्यरत, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) गंभीर अपराधों पर मुकदमा चलाने वाला पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसका मुख्यालय **हेग, नीदरलैंड** में है।
- **अधिकार क्षेत्र:** यह **1 जुलाई, 2002** को या उसके बाद किये गए **नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध तथा आक्रामकता के अपराधों** के लिये मुकदमा चलाता है।
- **प्रवर्तन एवं वारंट:** ICC के पास अपना स्वयं का **प्रवर्तन निकाय** नहीं है तथा गिरफ्तारी, स्थानांतरण, संपत्ति जब्त करने और सजा प्रवर्तन के लिये यह **वैश्विक सहयोग** पर निर्भर है।
  - इसके **वारंट सदस्य देशों के लिये बाध्यकारी हैं,** तथा गैर-अनुपालन की स्थिति में मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा जा सकता है, लेकिन **गैर-सदस्य देश** इसके लिये बाध्य नहीं हैं।
- **स्वतंत्रता:** यह एक अलग समझौते के तहत **संयुक्त राष्ट्र (UN)** से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
- **सदस्यता:** ICC के **125 सदस्य** देश हैं, **जिनमें भारत, अमेरिका, चीन, रूस और इज़रायल** जैसी प्रमुख शक्तियाँ गैर-सदस्य हैं।
- **संरचना:** इसमें **18 न्यायाधीश (9 वर्ष का कार्यकाल)**, एक **स्वतंत्र अभियोजक कार्यालय, तथा पीड़ितों के लिये** ट्रस्ट फंड, हिरासत केंद्र, तथा **राज्य दलों की सभा** जैसे प्रमुख निकाय शामिल हैं।

जालसाजी से निपटने के लिये उन्नत सुरक्षा स्याही

वैज्ञानिकों ने मुद्रा नोटों और संवेदनशील दस्तावेजों में **जालसाजी रोधी** उपायों को मजबूत करने के लिये **नैनोकण-आधारित सुरक्षा स्याही** विकसित की है।

नैनोकण-आधारित सुरक्षा स्याही:

- **संघटन:** यह स्याही Sr_2BiF_7 (स्ट्रोंटियम बिस्मथ फ्लोराइड) नैनोकणों से बनी है, जिसमें एर्बियम और यटरबियम आयनों को मिलाया गया है। इसे किफायती **सह-अवक्षेपण (coprecipitation) तकनीक** द्वारा संश्लेषित किया गया है।
- **निर्माण प्रक्रिया:** इसमें धातु लवणों को विगलन, अवक्षेपण एजेंट/अभिकर्मक (जैसे NaOH या अमोनिया) का मिश्रण, इसके बाद पृथक्करण, शुद्धिकरण तथा सुखाने की प्रक्रिया शामिल है ताकि समान नैनोकण सम्मिश्रण प्राप्त किया जा सके।
- **विशिष्ट गुण:** यह विभिन्न तरंगदैर्ध्य पर प्रतिदीप्ति (fluorescence) प्रदर्शित करती है—**नीला** (365 nm UV), **मैजेंटा** (395nm UV) तथा **नारंगी-लाल** (980 nm निकट-अवरक्त)- जिससे जालसाजी के विरुद्ध उच्च सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- **लाभ:** यह **किफायती, बड़े पैमाने पर उत्पादित करने योग्य (scalable) तथा पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय** है।
- **चुनौतियाँ तथा भविष्य की संभावनाएँ:** वर्तमान में इसका परीक्षण **स्क्रीन प्रिंटिंग** के लिये किया जा रहा है। बैंक नोटों और पासपोर्ट में सुरक्षा बढ़ाने हेतु **ऑफसेट प्रिंटिंग** पर अनुसंधान जारी है।

मुद्रा नोट मुद्रण:

भारत में **बैंक नोटों की छपाई** चार मुद्रा प्रेसों में की जाती है—**2 प्रेस भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निगम लिमिटेड (SPMCIL)** के तहत, **नासिक और देवास** में स्थित हैं तथा अन्य **2 प्रेस भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL)** के तहत, **मैसूर और सालबोनी** में स्थित हैं।

शहीद दिवस

शहीद दिवस (23 मार्च) पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों **भगत सिंह, राजगुरु** और **सुखदेव** को उनके सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि इसी दिन **वर्ष 1931 में लाहौर जेल** में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा उन्हें फाँसी दी गई थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भगत सिंह

शहीद-ए-आज़म (महान शहीद) के नाम से भी जाना जाता है

परिचय

- **जन्म:** 28 सितम्बर 1907, बंगा, पंजाब, ब्रिटिश भारत (वर्तमान पाकिस्तान में)
- **जलियाँवाला बाग हत्याकांड (वर्ष 1919):** इस नरसंहार के समय ये 12 वर्ष के थे; इससे उनके मन में देशभक्ति प्रज्वलित हुई
- **संगठन**
  - वर्ष **1924 -** हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल हुए
    - वर्ष 1928 में इसका नाम बदलकर **हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) कर दिया गया।**
    - **वर्ष 1926** - युवाओं को संगठित करने के लिये नौजवान भारत सभा की स्थापना।
- **प्रमुख साहित्यिक योगदान:**
  - "मैं नास्तिक क्यों हूँ (Why I am An Atheist)"
  - "जेल नोटबुक और अन्य लेखन (Jail Notebook and Other Writings)"

प्रमुख कार्यवाहियाँ

- **वर्ष 1928** - लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिये जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या (लाहौर षडयंत्र मामला)
- **वर्ष 1929** - केंद्रीय विधानसभा पर बम से हमला (बी.के. दत्त के साथ)

गिरफ्तारी और ट्रायल

- **वर्ष 1929 में** असेंबली बम विस्फोट में गिरफ्तार
- **मृत्युदंड की सजा** (लाहौर षडयंत्र मामला)
- **सुखदेव और राजगुरु के साथ फाँसी** (23 मार्च 1931)

23 मार्च – शहीद दिवस

भगत सिंह की विचारधाराओं की प्रासंगिकता

आदर्श	विवरण
विश्व बंधुत्व	शांति, समानता और वैश्विक एकता का समर्थन
सांप्रदायिक सौहार्द्र	धार्मिक संघर्षों और विभाजनों का कड़ा विरोध
युवा राजनीतिज्ञ	छात्रों को राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया
हाशिये पर पड़े लोगों का सशक्तीकरण	जातिगत पदानुक्रम को समाप्त करने का समर्थन किया
क्रांतिकारी भावना	उत्पीड़न को चुनौती देना - आधुनिक आंदोलनों के लिये प्रेरणा

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- तीनों को **वर्ष 1928 के लाहौर षडयंत्र मामले** में उनकी भूमिका के लिये दोषी ठहराया गया था, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी **जेपी सॉन्डर्स** की हत्या शामिल थी, गलती से उन्हें **अधीक्षक जेम्स स्कॉट** के रूप में पहचाना गया था, जिन्हें **साइमन कमीशन** के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान **लाला लाजपत राय** की मौत के लिये दोषी ठहराया गया था।
- इनमें से तीन लोग **हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA)** के सदस्य थे, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने क्रांतिकारी संघर्ष के लिये जाना जाता था।
- **शिवराम राजगुरु** का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र में हुआ था। उन्हें औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ उनके अडिग संकल्प के लिये जाना जाता है। वे सशस्त्र प्रतिरोध के प्रबल समर्थक थे।
- **सुखदेव थापर** का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब में हुआ था, वे स्वतंत्रता संग्राम के लिये युवाओं को संगठित करने के पीछे प्रेरक शक्ति थे।

डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने **23 मार्च** को **डॉ. राम मनोहर लोहिया** को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक दूरदर्शी नेता, प्रखर स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में उनका स्मरण किया।

- **राम मनोहर लोहिया** का जन्म वर्ष 1910 में हुआ और वह **भारत के समाजवादी आंदोलन** तथा स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थे।
- वह **वर्ष 1934** में **कॉन्ग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP)** में शामिल हुए और इसकी कार्यकारी समिति में भूमिका निभाई की तथा साथ ही इसकी पत्रिका का संपादन किया।
- लोहिया ने **द्वितीय विश्व युद्ध** में ब्रिटिश भागीदारी का विरोध किया और अपने उपनिवेशवाद विरोधी रुख के कारण कई बार, विशेष रूप से **भारत छोड़ो आंदोलन** के दौरान जेल जाना पड़ा।
- लोहिया ने वर्ष 1948 में कॉन्ग्रेस छोड़ दी और **प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (1952)** के सदस्य बन गए, और एक निश्चित अवधि तक कार्यभार ग्रहण करने के बाद **वर्ष 1955 में इस्तीफा** दे दिया।
- **वर्ष 1955** में समाजवादी **हैदराबाद** में एकत्र हुए और लोहिया की अध्यक्षता में एक नई सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। वर्ष 1964 के बाद यह **संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी** बन गई।
- वर्ष 1963 में लोहिया **लोकसभा** के सदस्य बने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करते हुए ***सप्त क्रांति*** का समर्थन किया तथा विकेंद्रित शासन के लिये ***चौखम्भा राज*** का प्रस्ताव रखा।

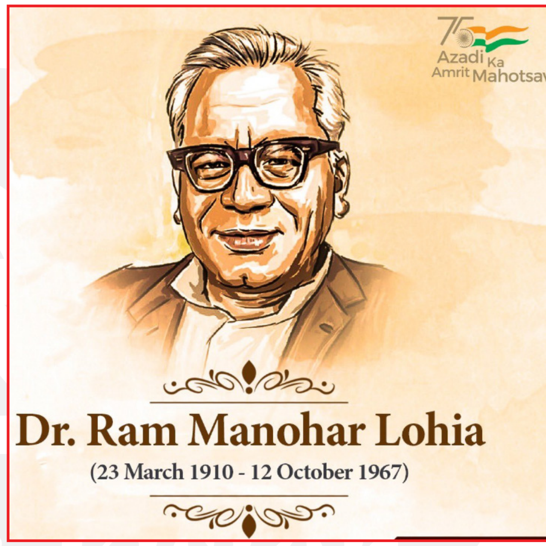

म्यूनिसिपल बॉण्ड

शहरी बुनियादी ढाँचे के लिये वित्तपोषण का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत, **म्यूनिसिपल बॉण्ड** को **भारत में ज़्यादा लोकप्रियता नहीं मिली** है।

- **बॉण्ड** ऋण उपकरण हैं जहाँ निवेशक आवधिक ब्याज और परिपक्वता पर मूलधन के पुनर्भुगतान के बदले जारीकर्त्ताओं को पैसा उधार देते हैं।
  - इसमें **ट्रेज़री, म्यूनिसिपल, कॉर्पोरेट, फ्लोटिंग रेट, ज़ीरो-कूपन, परिवर्तनीय, मुद्रास्फीति-संरक्षित बॉण्ड** आदि शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

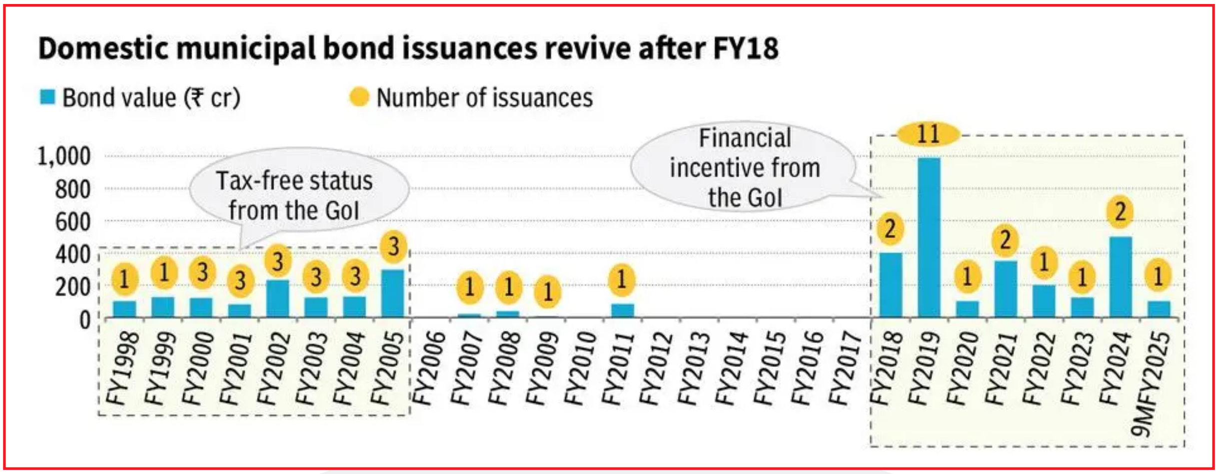

म्यूनिसिपल बॉण्ड: बुनियादी ढाँचे और विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये **शहरी स्थानीय निकायों (ULB)** द्वारा जारी किये गए ऋण उपकरण।

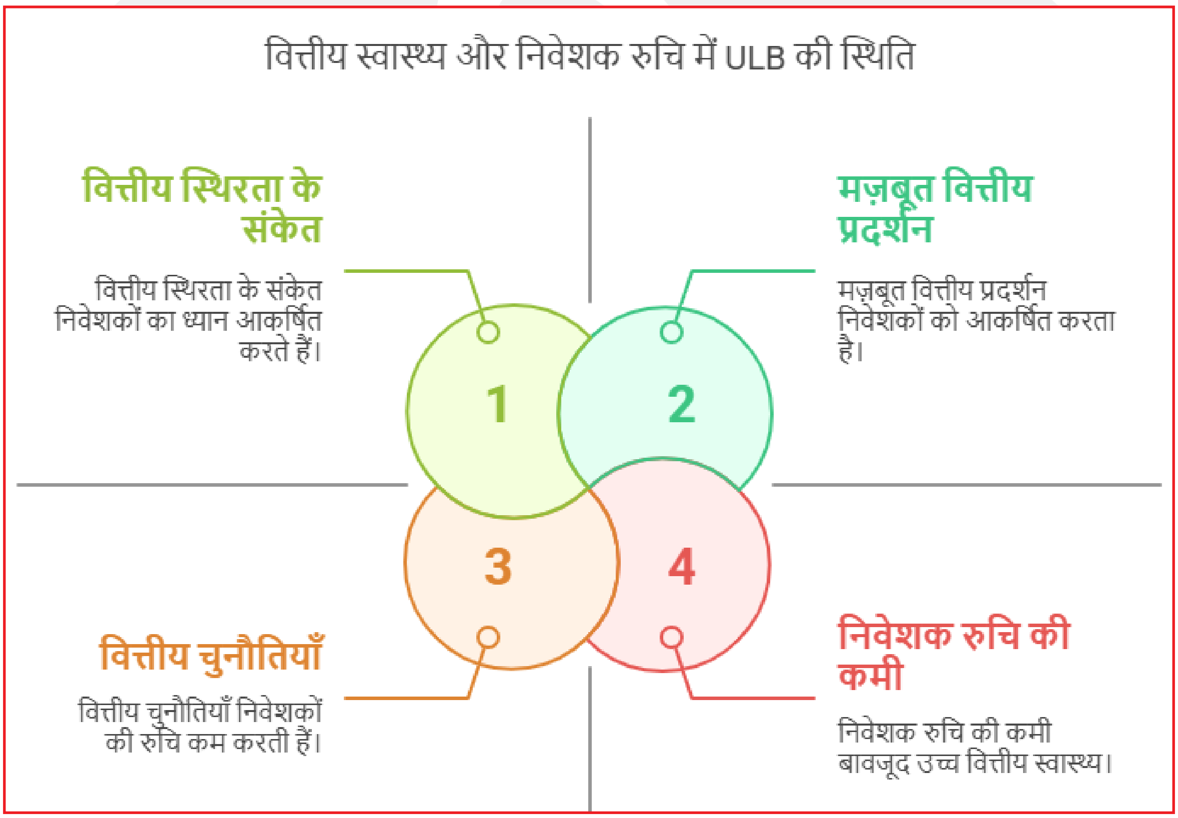

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

- **लाभ: सरकारी निधियों पर निर्भरता कम करना, वित्तीय स्वायत्तता** बढ़ाना, **निजी निवेश** आकर्षित करना तथा **दीर्घकालिक शहरी वित्तपोषण** को सक्षम करना।
- **चुनौतियाँ: राज्य अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता** के कारण **कम निर्गम (वित्त वर्ष 24 में राजस्व का 38%)। पुणे, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और लखनऊ** जैसे कुछ ही शहरों ने बॉण्ड जारी किये हैं।
- **व्यय पैटर्न (वित्त वर्ष 18-वित्त वर्ष 25): बॉण्ड के माध्यम से** नगरपालिकाओं द्वारा **संगृहीत अधिकांश धनराशि शहरी जलापूर्ति और सीवरेज** के लिये आवंटित की गई, उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा और नदी विकास के लिये आवंटित की गई।
- **शहरी स्थानीय निकायों के वित्त को सुदृढ़ बनाना, विनियमनों को सरल बनाना,** तथा **ऋण वृद्धि उपायों को लागू करना,** म्यूनिसिपल बॉण्ड को अपनाने को बढ़ावा दे सकता है, तथा **द्वितीयक बाज़ार का विकास करना तथा कर प्रोत्साहन प्रदान करना** निवेशकों को आकर्षित करेगा।

मोरान समुदाय के लिये PRC

असम सरकार ने **अरुणाचल प्रदेश** में रहने वाले **मोरान समुदाय** के सदस्यों को **स्थायी निवास प्रमाण पत्र (PRC)** देने का निर्णय लिया है।

- **मोरान के बारे में:** इसे असम की एक **मूल जनजाति** के रूप में मान्यता प्राप्त है, तथा इसकी एक छोटी आबादी **अरुणाचल प्रदेश** में भी रहती है। वे धर्म से **वैष्णव** हैं और **मोआमरिया संप्रदाय** से संबंधित हैं।
  - श्री शंकर देव के शिष्य **श्री अनिरुद्ध देव (1553-1624)** ने उन्हें **असम में नव-वैष्णववाद** से परिचित कराया।
  - असम के नव-वैष्णव धर्म में, **सत्र (मठ) और नामघर (ग्राम स्तर के प्रार्थना घर)** इस धर्म के स्तंभ हैं।
  - वे असम में **अनुसूचित जनजाति (ST)** का दर्जा देने की भी मांग कर रहे हैं।
- **PRC के बारे में:** यह किसी व्यक्ति के उस विशेष राज्य में **स्थायी निवास का प्रमाण** है।
  - **असम** में PRC उन भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है जिनके पूर्वज वहाँ **50 वर्षों से अधिक** समय से रह रहे हों और जो **कम से कम 20 वर्षों** से वहाँ रह रहे हों।
- **मोआमरिया विद्रोह (1769-1799): अनिरुद्ध देव की शिक्षाओं से प्रेरित होकर असम में निम्न जाति के किसानों** द्वारा किये गए इस विद्रोह ने अहोम सत्ता को चुनौती दी और राज्य को कमज़ोर कर दिया। अहोमों ने विद्रोह को दबाने के लिये ब्रिटिश मदद मांगी। यद्यपि विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन **प्रथम आंग्ल-बर्मी युद्ध (वर्ष 1824-26) के दौरान राज्य बर्मी लोगों के हाथों में चला गया** और अंततः ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया।

फोटो-असिस्टेड, स्व-चार्जिंग बैटरी

शोधकर्त्ताओं ने एक **फोटो-असिस्टेड, सेल्फ-चार्जेबल ऊर्जा भंडारण उपकरण** विकसित किया है जो **प्रकाश और वायुमंडलीय ऑक्सीजन** के उपयोग से चार्ज भंडारण क्षमता को बढ़ाता है।

फोटो-असिस्टेड, स्व-चार्जिंग ऊर्जा भंडारण उपकरण:

- **परिचय:** फोटो-असिस्टेड, **सेल्फ-चार्जिंग ऊर्जा भंडारण उपकरण** उन्नत ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ (बैटरी) हैं जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के उपयोग से **सौर ऊर्जा रूपांतरण** को **स्व-रिचार्जिंग क्षमताओं** के साथ एकीकृत करने पर आधारित है।
- **फोटो-असिस्टेड बैटरियों से भिन्नता: फोटो-असिस्टेड बैटरियाँ** ऐसी बैटरियाँ होती हैं जो **सौर ऊर्जा को संग्रहण** के साथ संयोजित करती हैं, जिससे **प्रत्यक्ष ऊर्जा रूपांतरण और अवधारण** संभव होता है, लेकिन अपूर्ण ऊर्जा संग्रहण, अल्प प्रकाश पर निर्भरता और सीमित चार्ज अवधारण के कारण इन्हें **बाह्य चार्जिंग की आवश्यकता** होती है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **दोहरी चार्जिंग प्रणाली: फोटो-असिस्टेड चार्जिंग** (सौर ऊर्जा) और **एयर-असिस्टेड चार्जिंग** (वायुमंडलीय ऑक्सीजन) दोनों का उपयोग करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

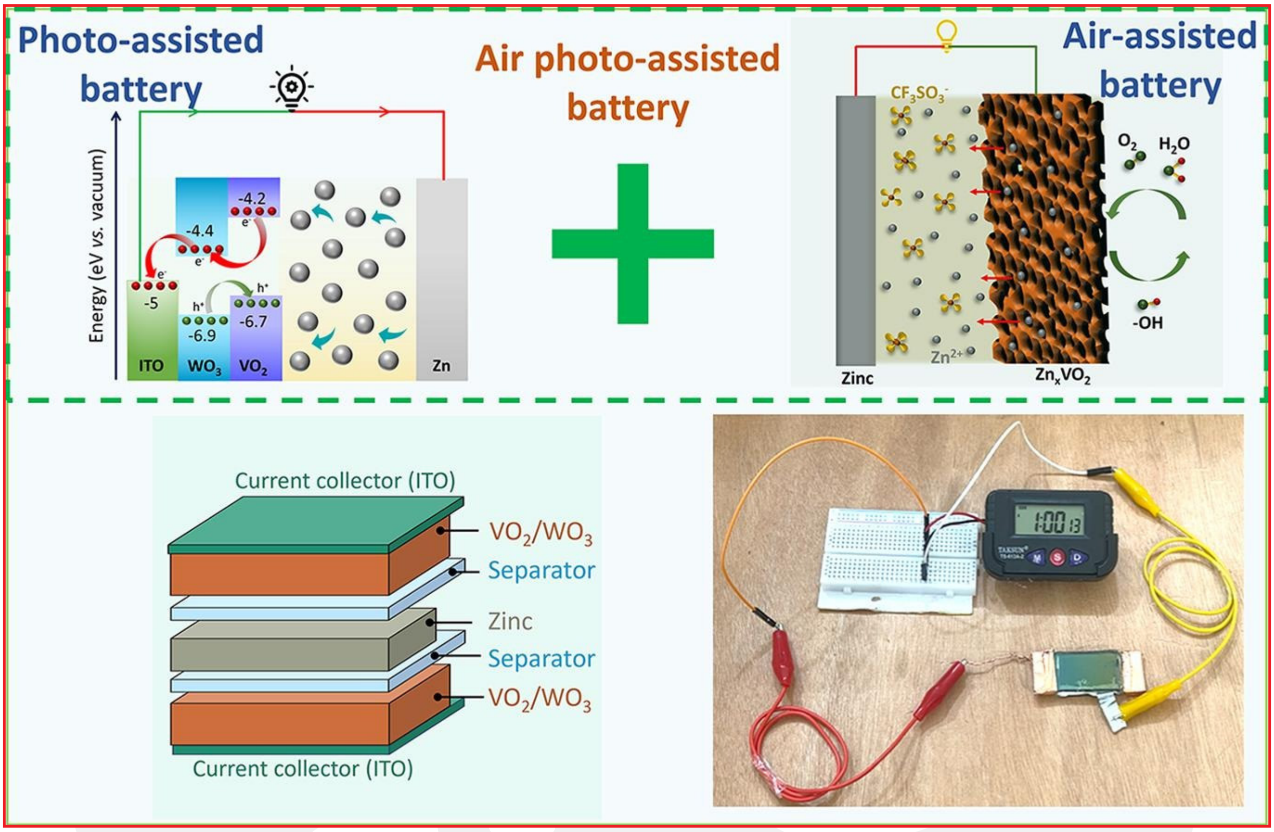

- वायु **कैथोड ऑक्सीजन-सहायता प्राप्त स्व-चार्जिंग** की सुविधा प्रदान करता है, जबकि **चार्ज-पृथक्करण परत प्रकाश अवशोषण और ऊर्जा भंडारण** को बढ़ाती है, जिससे कुशल दोहरी चार्जिंग और बेहतर ऊर्जा प्रतिधारण संभव होता है।

- **उच्च ऊर्जा भंडारण क्षमता:** यह उपकरण 0.02 mA/cm^2 पर प्रकाश के संपर्क में आने पर ऊर्जा भंडारण में 170% का वर्द्धन करता है, तथा 140 सेकंड में 0.9V **ओपन सर्किट पोटेंशियल (OCP)** तक हो जाता है, जिसका अधिकतम OCP 1V होता है।
- **संभावित अनुप्रयोग:** नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रिक वाहन और ऑफ-ग्रिड विद्युत समाधान में बृहद स्तर पर अनुप्रयोगों की संभावना।

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के **वेलबींग रिसर्च सेंटर** ने गैलप, **संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समाधान नेटवर्क (UNSDSN)** के साथ साझेदारी में **वर्ल्ड हैप्पीनेस डे (20 मार्च)** पर **वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (WHR) 2025** जारी की।

WHR 2025 की मुख्य विशेषताएँ:

- **सबसे खुशहाल देश: फिनलैंड** (लगातार **8वें वर्ष**), उसके बाद **डेनमार्क, आइसलैंड** और **स्वीडन**।
- **भारत की रैंकिंग: 118वीं (2025), वर्ष 2024 में 126वीं**।
  - **दक्षिण एशियाई देशों की रैंकिंग:** नेपाल (**92वाँ**), पाकिस्तान (**109वाँ**), म्याँमार (**126वाँ**), श्रीलंका (**133वाँ**), बांग्लादेश (134वाँ)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

- **सबसे निम्नतम प्रदर्शन: अफगानिस्तान (147वाँ) (लगातार चौथे वर्ष)**। अन्य में **सिएरा लियोन (146वाँ), लेबनान (145वाँ), मलावी (144वाँ)** और **ज़िम्बाब्वे (143वाँ)** शामिल हैं।

WHR की क्रियाविधि:

- यह **रैंकिंग** लोगों के **जीवन मूल्यांकन** के **3-वर्षीय औसत** पर आधारित है, जिसमें प्रतिक्रियादाता अपने वर्तमान जीवन को **0 से 10 के पैमाने** पर रेट करते हैं।
- इसके अंतर्गत हैप्पीनेस का स्कोर **6 प्रमुख संकेतकों** के आधार पर निर्धारित किया जाता है: **प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा**।
- **हैप्पीनेस के निर्धारक: विश्वास, सामाजिक संबंध, शेयर्ड मील और सामुदायिक दयालुता** जैसे कारकों की खुशी में अहम भूमिका है, जो सामान्यत: धन से भी अधिक महत्त्वपूर्ण होती है।

वर्ल्ड हैप्पीनेस डे:

- **शुरुआत और पहल:** इसकी पहल **भूटान** द्वारा की गई, जिसने 1970 के दशक से ही **ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस (GNH)** को **GDP** से अधिक प्राथमिकता दी है।
- **संयुक्त राष्ट्र मान्यता: जुलाई 2012** में **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा **20 मार्च** को **वर्ल्ड हैप्पीनेस डे** के रूप में मनाने का निर्णय अंगीकृत किया गया।
- **वर्ष 2025 थीम:** ***"केयरिंग एंड शेयरिंग"***

विश्व क्षय रोग दिवस 2025

विश्व क्षय रोग दिवस (24 मार्च) क्षय रोग (TB) के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।

- **इतिहास:** डॉ. **रॉबर्ट कोच** ने **24 मार्च 1882** को ***माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस*** की खोज की, जिसके परिणामस्वरूप विश्व TB दिवस की स्थापना हुई।
- **थीम 2025:** ***"हाँ, हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं: प्रतिबद्ध, निवेश और परिणाम।"***
- **भारत में TB:** भारत में **TB का सबसे बड़ा बोझ है (वैश्विक मामलों का 26%** और **वैश्विक TB से संबंधित मौतों का 29%)**। वर्ष 2023 में, 25.5 लाख TB मामले अधिसूचित किये गए।
    - TB के मामलों में **17.7%** की कमी आई (वर्ष 2015 में प्रति एक लाख पर 237 से वर्ष 2023 में 195 तक), जबकि TB से होने वाली मौतों में 21.4% की कमी आई (वर्ष 2015 में प्रति एक लाख पर 28 से वर्ष 2023 में 22 तक)।

विश्व तपेदिक दिवस

Drishti IAS

टीबी (ट्यूबरक्लोसिस)

- टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है।
- टीबी मनुष्यों में सर्वाधिक फेफड़ों (पल्मोनरी टीबी) को प्रभावित करता है, लेकिन यह अन्य अंगों (एक्स्ट्रा-पल्मोनरी टीबी) को भी प्रभावित कर सकता है।
- टीबी संक्रमण वायु के माध्यम से होता है।
- कुपोषण, एड्स, मधुमेह, शराब और धूम्रपान ऐसे कारक हैं जो टीबी से पीड़ित व्यक्ति को प्रभावित करते हैं।
- टीबी के सामान्य लक्षण बलगम और खून के साथ खाँसी, सीने में दर्द, कमज़ोरी, वज़न कम होना, बुखार और रात को पसीना आना हैं।
- टीबी एक इलाज योग्य बीमारी है। इसका इलाज रोगी को सूचना, पर्यवेक्षण और सहायता देने के साथ ही 4 रोगाणुरोधी दवाओं को मानक 6 महीने की समयावधि तक सेवन कराकर किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **भारत के प्रयास:** **राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP)** का लक्ष्य वैश्विक **2030 सतत् विकास लक्ष्यों** से पहले, वर्ष 2025 तक TB मुक्त भारत बनाना है ।
  - **प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान (वर्ष 2022)**, NTEP का एक मिशन मोड है, जो TB उन्मूलन में तेज़ी लाने के लिये सामुदायिक भागीदारी, उन्नत निदान, बेहतर उपचार और नवाचार को बढ़ावा देता है।
  - **नि-क्षय पोषण योजना** पोषण के लिये 1,000 रुपए प्रति माह प्रदान करती है। **विकसित भारत संकल्प यात्रा में 3.8 करोड़ लोगों** की TB की जाँच की गई।
  - **निक्षय मित्र** पहल TB रोगियों को पोषण, निदान और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है। 1.55 लाख निक्षय मित्र पंजीकृत हैं, जो 8.66 लाख TB रोगियों की सहायता करते हैं।

WEF अपलिंक वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट 2025

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की अपलिंक वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट 2025 में जलवायु कार्यवाही के लिये नवाचार को बढ़ावा देने में **WEF के अपलिंक प्लेटफॉर्म** के माध्यम से समर्थित स्टार्ट-अप्स के योगदान पर प्रकाश डाला गया है।

- **मुख्य निष्कर्ष:** वर्ष 2023-2024 में अपलिंक समर्थित उपक्रमों ने 142,400 टन **कार्बन उत्सर्जन** को कम किया है।
  - **140 मिलियन हेक्टेयर भूमि और जल पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षित (अमेज़ॉन वर्षावन** के आकार का लगभग पाँचवाँ हिस्सा)।
  - इसके अतिरिक्त, उन्होंने **2.5 बिलियन लीटर खतरनाक अपशिष्ट जल** का उपचार किया है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम हुआ है, तथा **28 मिलियन टन अपशिष्ट** का पता लगाया है, जिससे **अपशिष्ट प्रबंधन दक्षता में वृद्धि** हुई है।
  - **2.7** मिलियन लोगों को बेहतर जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य समाधान तक पहुँच प्राप्त हुई।
  - **भारतीय स्टार्ट-अप इंद्रा वाटर** ने वर्ष 2024 में 1.2 बिलियन लीटर अपशिष्ट जल संसाधित किया, जो वर्ष 2022 की तुलना में 243% अधिक है।
  - S4S (विज्ञान समाज के लिये) ने 60,000 टन खाद्यान्न की बर्बादी को कम किया, जो 2.7 मिलियन लोगों को एक महीने तक खिलाने के लिये पर्याप्त था।
- **अपलिंक प्लेटफॉर्म: डेलोइट और सेल्सफोर्स** के सहयोग से **वर्ष 2020 में दावोस में WEF** द्वारा लॉन्च किया गया, अपलिंक एक **खुला नवाचार मंच** है जो **संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDG)** को आगे बढ़ाने और प्रभावशाली समाधानों को आगे बढ़ाने के लिये **उद्यमियों और विशेषज्ञों** को जोड़ता है।

विश्व जल दिवस 2025

जल शक्ति मंत्रालय ने 22 **मार्च 2025 (विश्व जल दिवस)** को **जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान 2025** का **छठा संस्करण** लॉन्च किया है, जिसका विषय है: ***"जल संचय जन भागीदारी: जन जागरूकता की ओर"***।

- सरकार ने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के लिये समग्र भारत के **148 ज़िलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए "हर बूँद अनमोल"** के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- **"जल-जंगल-जन" अभियान** का शुभारंभ **वनों, नदियों और झरनों के पारिस्थितिक संबंधों को बहाल करने** पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से किया गया।

विश्व जल दिवस:

- **परिचय:** इसका उद्देश्य **जल संरक्षण** और इसके **संधारणीय प्रबंधन के बारे में जागरूकता** बढ़ाना है।
  - इसकी संकल्पना **वर्ष 1992 के रियो शिखर सम्मेलन** में की गई थी और **वर्ष 1993** में **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)** द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर प्रतिवर्ष मनाए जाने हेतु अभिहित किया गया था।
- **SDG के अनुरूप:** यह दिन **संयुक्त राष्ट्र SDG-6** के साथ संरेखित है, जो **वर्ष 2030 तक सभी के लिये जल और स्वच्छता सुनिश्चित करना** है।
- **थीम (2025):** *'हिमनद परिरक्षण'*

जल संरक्षण हेतु सरकारी योजनाएँ: जल शक्ति अभियान (JSA), अमृत 2.0, अटल भूजल योजना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

लाजवर्द

लाजवर्द (Lapis lazuli) एक **रूपांतरित शैल** और **उपरत्न** है, जो गहरे नीले रंग के लिये जाना जाता है, तथा प्राचीन सभ्यताओं के अनुसार धन, शक्ति और सामाजिक स्थिति का प्रतीक है।

- **व्युत्पत्ति:** यह नाम लैटिन ("लैपिस"= शैल) और फारसी ("लाजुली"= नीला) से उत्पन्न हुआ है।
- **संघटन:** इसका गाढ़ा नीला रंग **लाजुराइट (25-40%)** के कारण होता है, जो सल्फर की मात्रा से प्रभावित होता है। **कैल्साइट** की उपस्थिति से इसका नीलापन कम होता है, जबकि **पाइराइट्स** के कारण इसे एक स्वर्णिम चमक मिलती है।

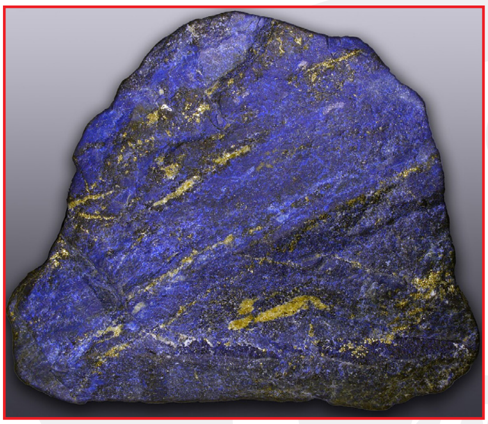

- **प्रमुख स्रोत:** हालाँकि यह चिली, रूस और अमेरिका जैसे कई देशों में पाया जाता है, लेकिन सबसे बेहतरीन लाजवर्द **अफगानिस्तान के बदख्शाँ प्रांत** से प्राप्त होता है, जहाँ 6,000 से अधिक वर्षों से इसका खनन किया जा रहा है।
- **भारत में महत्त्व:** भारत में व्यापारी 1000 ईसा पूर्व बदख्शाँ से लाजवर्द का आयात करते थे और लाजवर्द से बने आभूषण **मोहनजोदड़ो और हड़प्पा** जैसे **सिंधु घाटी स्थलों** में पाए गए हैं।
- **वैश्विक उपयोग:** प्राचीन मिस्र के लोग इसका उपयोग आभूषणों और सौंदर्य प्रसाधनों के लिये करते थे, जबकि **पुनर्जागरण काल** के कलाकार चित्रकारी में उपयोग में लाए जाने हेतु इसे अल्ट्रामरीन रंगद्रव्य में परिवर्तित करते थे।

मानव विकास पर नई अंतर्दृष्टि

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किये गए एक अध्ययन ने इस दीर्घकालिक मान्यता को चुनौती दी है कि **आधुनिक मानव (*Homo sapiens*) एक ही पूर्वज आबादी से विकसित** हुए हैं। इससे पता चलता है कि **दो अलग-अलग समूहों के सह-अस्तित्त्व से आधुनिक मानव का विकास** हुआ।

- अध्ययन ने जनसंख्या विभाजन और सम्मिलन का पता लगाने के लिये **आधुनिक मानव DNA** का विश्लेषण किया, जो प्राचीन जीवाश्मों के बजाय 1000 **जीनोम प्रोजेक्ट** के डेटा पर निर्भर था।
- **1000 जीनोम प्रोजेक्ट** एक वैश्विक पहल है जो **अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका** की आबादी से DNA को अनुक्रमित करती है।

मुख्य निष्कर्ष:

- **विविध वंशावली और विकास:** आधुनिक मानव (***होमो सेपियंस***) संभवत: 2 **पूर्वज समष्टियों** से विकसित हुए हैं, जिनमें से **एक बहुसंख्यक (~ 80%)** का पहले पतन हुआ और तत्पश्चात् पुन: उदय हुआ जबकि **अन्य अल्पसंख्यक (~ 20%)** का मस्तिष्क के कार्य और अनुभूति से संबद्ध जीन में योगदान रहा।
- अल्पसंख्यक समूह के कुछ जीनों का **शोधन चयन** किया गया, जो मानव विकास को आकार देने वाले **विकासमूलक प्रभावों** को दर्शाता है।
- इस आनुवंशिक विनिमय का **निएंडरथल-डेनिसोवन अंतर-प्रजनन (~ 50,000 वर्ष पूर्व) की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक द्रव्य का योगदान** था, जो **गैर-अफ्रीकी मानव DNA का केवल ~ 2% है।**
- **आनुवंशिक मिश्रण:** ये समष्टियाँ लगभग **1.5 मिलियन वर्ष** पूर्व अलग हो गईं और तत्पश्चात् लगभग **300,000 वर्ष पूर्व** इनका अंत:प्रजनन हुआ जिससे आधुनिक मानव का **आनुवंशिक आधार** तैयार हुआ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

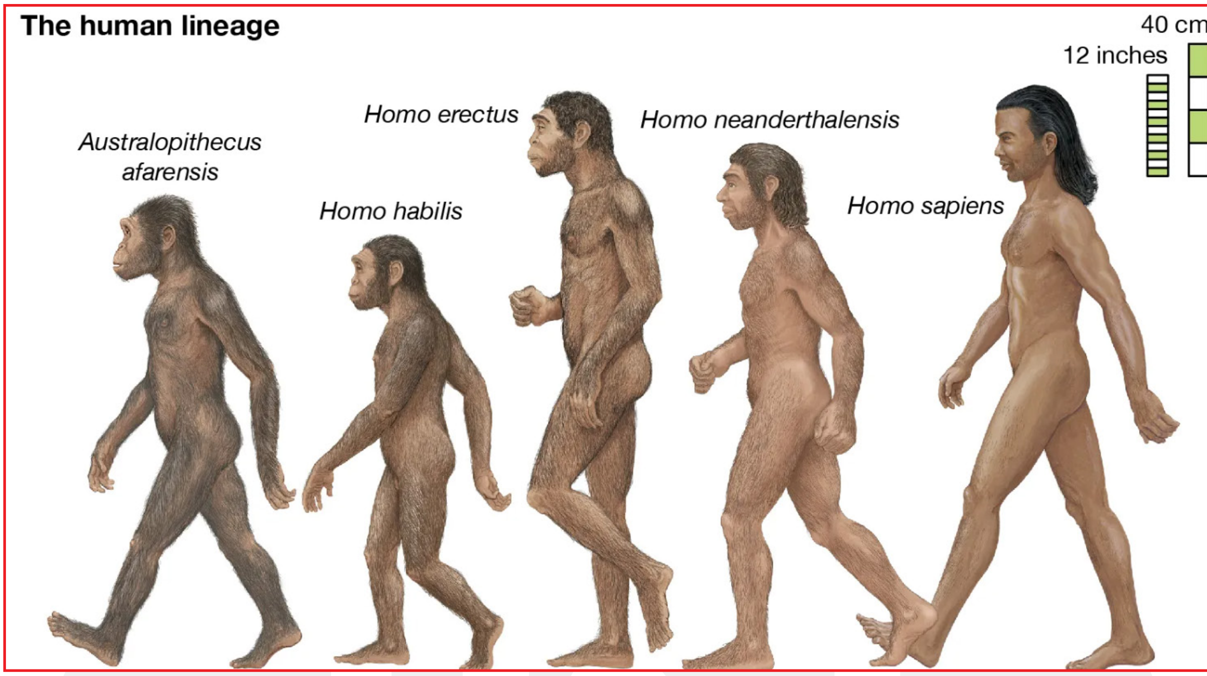

समकारी लेवी को समाप्त करने का प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने **समकारी लेवी (Equalisation Levy)** को **समाप्त** करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे गूगल, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और मेटा जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों पर विज्ञापनदाताओं को कर का बोझ कम होने से लाभ होगा।

समकारी लेवी (डिजिटल सेवा कर):

- **परिचय:** **वर्ष 2016** में शुरू की गई **समकारी लेवी,** भारत में **डिजिटल लेनदेन** से उत्पन्न आय पर कर लगाने के लिये **विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाताओं** पर लगाया गया एक **प्रत्यक्ष कर** है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **भारत में भौतिक उपस्थिति नहीं रखने** वाले **डिजिटल व्यवसायों** के लिये **उचित कराधान** सुनिश्चित करना है, जो **कर से बचने** पर अंकुश लगाने के लिये **BEPS (आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण) कार्य योजना** के साथ संरेखित है।
- **प्रयोज्यता:** यह सेवा प्राप्तकर्त्ता द्वारा भुगतान के समय आहरित किया जाता है यदि:
  - **भुगतान** एक **अनिवासी** सेवा प्रदाता को किया जाता है।
  - एक वित्तीय वर्ष में एकल प्रदाता को **वार्षिक भुगतान 1,00,000 रुपए से अधिक** है।
- **कवर की गई सेवाएँ और कर की दरें:** **समकारी लेवी** शुरू में **ऑनलाइन विज्ञापनों (6%)** पर लागू होती थी और इसे **वर्ष 2020 में डिजिटल सेवाओं और ई-कॉमर्स (2%)** को कवर करने के लिये विस्तारित किया गया था, जिसे **अगस्त 2024 में समाप्त** कर दिया गया।
- **छूट:** **यदि अनिवासी का भारत में स्थायी कार्यालय है, भुगतान 1 लाख रुपए से कम है,** या आय **दोहरे कराधान को रोकने के लिये धारा 10(50) के अंतर्गत** आती है तो यह लागू नहीं होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **तकनीकी सेवाओं के लिये रॉयल्टी या शुल्क** के रूप में कर योग्य आय को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

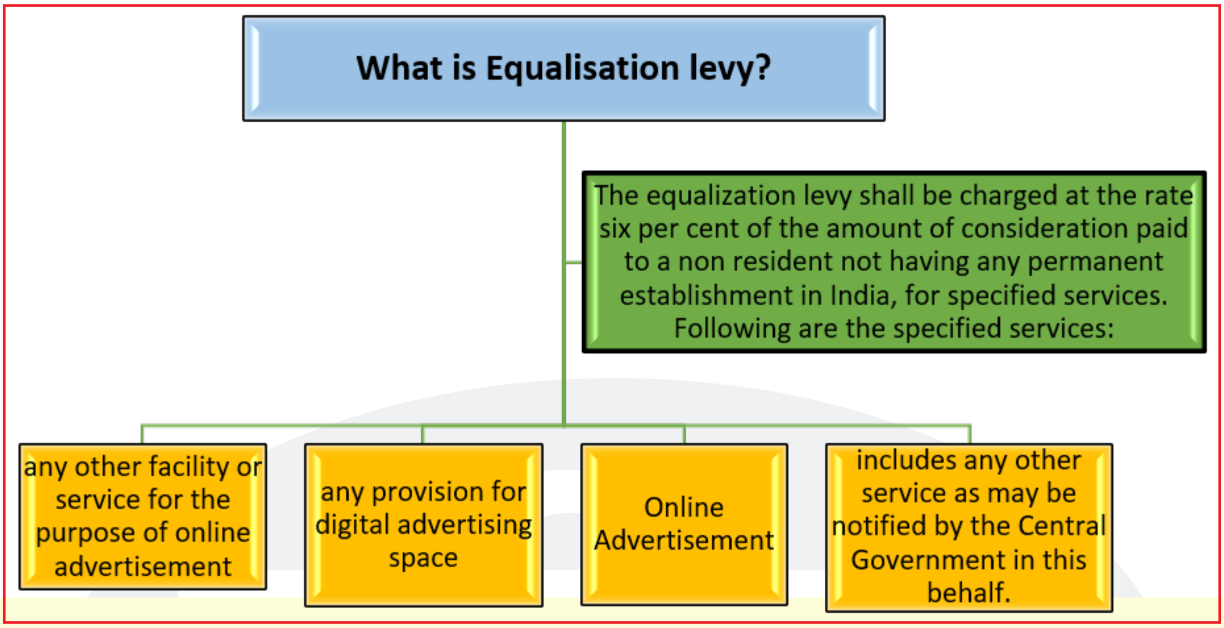

वैश्विक स्तर पर हिमनदों का तेज़ी से होता विगलन

प्रथम **विश्व ग्लेशियर दिवस (21 मार्च 2025)** पर, संयुक्त राष्ट्र (UN) की **विश्व जल विकास (WWD) रिपोर्ट 2025 में हिंदू कुश** हिमालय (HKH) में **हिमनदों** में होने वाले निवर्तन की गति **वर्ष 2011 से वर्ष 2020 की अवधि में 65% बढ़ने** का उल्लेख किया गया है।

- **संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 के मुख्य निष्कर्ष:** यदि वैश्विक तापमान 1.5°C-2°C तक बढ़ता है, तो HKH के हिमनदों में **वर्ष 2100** तक इनके कुल आयतन का **30-50% का ह्रास** हो सकता है, और यदि यह **2°C से अधिक** हो जाता है, तो लगभग **45%** (वर्ष 2020 के स्तर से) का ह्रास हो सकता है।
- **वर्ष 2100** तक समग्र विश्व के पर्वतीय हिमनदों के द्रव्यमान में **26-41% की कमी** हो सकती है, जिससे उच्च उन्नतांश क्षेत्रों में निवास करने वाले **1.1 बिलियन** लोग प्रभावित होंगे।
  - **ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF)** की घटनाएँ बढ़ रही हैं, जिससे **आकस्मिक बाढ़ और भूस्खलन** हो रहा है।
    - **विगत 200 वर्षों** में इनके कारण विश्व में 12,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, तथा **वर्ष 2100** तक GLOF का खतरा तीन गुना बढ़ सकता है।
- **विश्व ग्लेशियर दिवस:** संयुक्त राष्ट्र ने **वर्ष 2025** को **अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष (IYGP)** घोषित किया है।
  - यह **क्रायोस्फेरिक विज्ञान पर कार्रवाई दशक (2025-2034)** की शुरुआत का भी प्रतीक होगा, जिसका उद्देश्य ग्लेशियर संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **हिंदू कुश हिमालय (HKH):** HKH, जिसे **"एशिया का जल टॉवर"** कहा जाता है, भारत सहित 8 देशों में विस्तरित है, और इसमें **चार वैश्विक जैवविविधता हॉटस्पॉट** शामिल हैं- हिमालय, इंडो-बर्मा, दक्षिण-पश्चिम चीन और मध्य एशिया।

वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2024

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने **ऊर्जा मांग, आपूर्ति, प्रौद्योगिकी और CO_2 उत्सर्जन** के रुझानों का विश्लेषण करते हुए **वैश्विक ऊर्जा समीक्षा (GRE) 2024** जारी की।

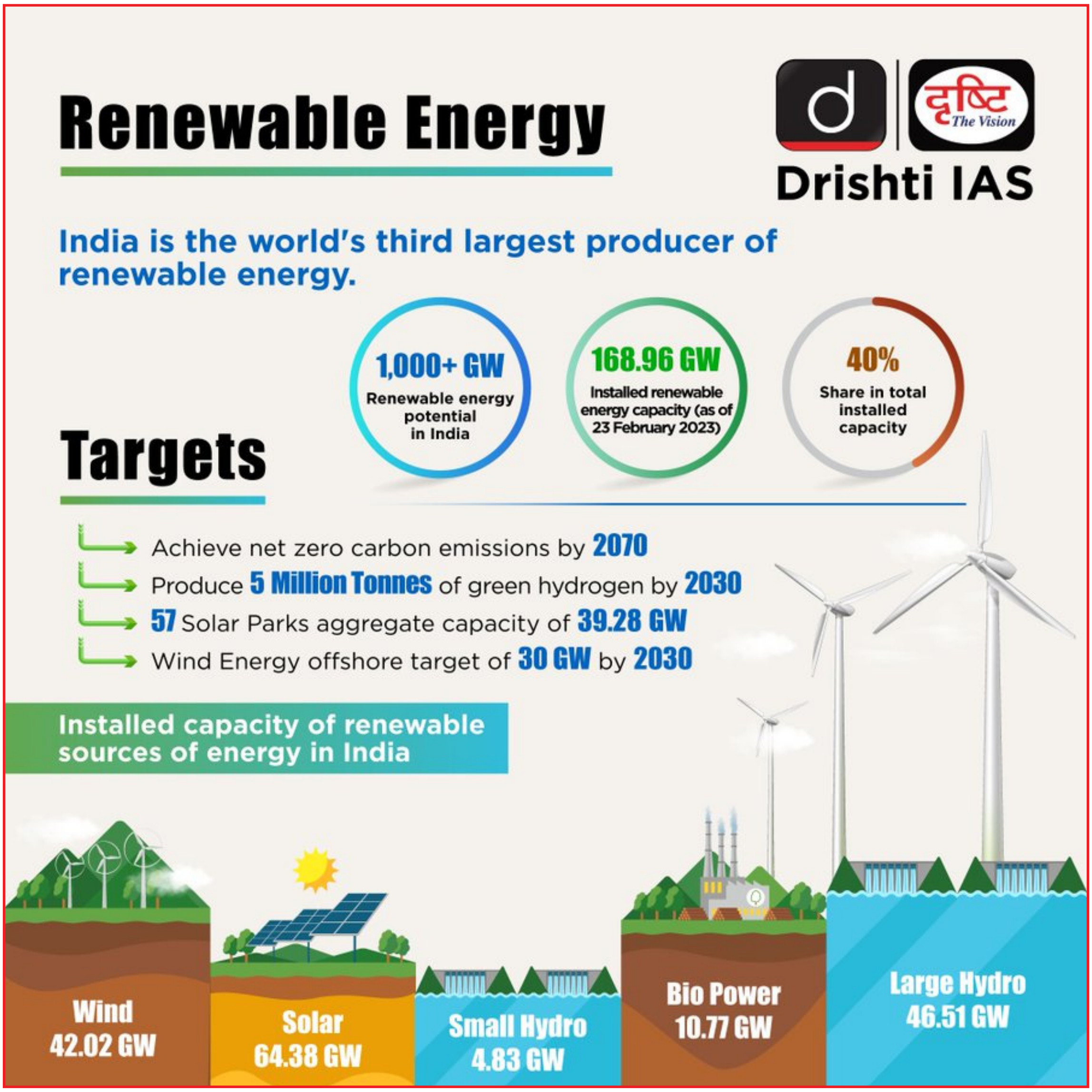

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

GRE 2024 की मुख्य विशेषताएँ:

- **वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि:** ऊर्जा मांग में 2.2% की वृद्धि हुई, जिसमें **उभरती अर्थव्यवस्थाओं** का योगदान 80% रहा।
- **अक्षय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस का उदय: 700 गीगावाट की रिकॉर्ड स्तर की क्षमता** के साथ अक्षय ऊर्जा का कुल वृद्धि में 38% का योगदान रहा। **चीन (340 गीगावाट सौर, 80 गीगावाट पवन)** और **भारत (30 गीगावाट सौर)** इसमें प्रमुख योगदानकर्त्ता थे।
  - **प्राकृतिक गैस की मांग में 2.7% की वृद्धि** हुई, जिसका प्रमुख कारण **चीन में LNG का बढ़ता उपयोग था**।
- **कोयले की मांग का रुझान:** वैश्विक स्तर पर **कोयले की मांग में 1% की वृद्धि** हुई, जिसमें **चीन (कोयले से 60% बिजली की आपूर्ति) और भारत (75%)** शीर्ष उपभोक्ता रहे।
  - वैश्विक विद्युत उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी घटकर 35% हो गई, जो **वर्ष 1974** से अभी तक का निम्नतम स्तर है।
- **कच्चे तेल की मंद मांग:** इसकी मांग में 0.8% **की मंद वृद्धि** हुई, जिसका मुख्य कारण **पेट्रोकेमिकल क्षेत्र** था, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन, **LNG ट्रक और हाई-स्पीड रेल** के माध्यम से परिवहन से संबंधित तेल की खपत में कमी हुई।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA):

- **स्थापना: वर्ष 1974** में OECD देशों द्वारा (**वर्ष 1973-74 में हुए तेल संकट** के कारण)।
- **मुख्यालय: पेरिस, फ्राँस**।
- **अधिदेश:** विश्लेषण, डेटा और नीतिगत अनुशंसाओं के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित करना।
- **सदस्य: 31 सदस्य देश, 13 संघ देश** (भारत सहित), और **4 अधिमेली देश। केवल OECD सदस्य ही IEA की सदस्यता हेतु पात्र** हैं।
- **प्रमुख रिपोर्टें:** वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी निवेश इन्वेस्टमेंट।

समर्थ इन्क्यूबेशन प्रोग्राम

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DoT) ने **स्टार्टअप सहयोग** और **निवेश आकर्षित करके दूरसंचार और IT सेक्टर** में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये **'समर्थ' इनक्यूबेशन प्रोग्राम** शुरू किया है।

- **समर्थ प्रोग्राम:** इसका उद्देश्य **दूरसंचार सॉफ्टवेयर**, साइबर सुरक्षा, 5G/6G, AI, IoT **और क्वांटम प्रौद्योगिकी** में **अगली पीढ़ी की तकनीक** विकसित करने वाले **DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप** का समर्थन करना है।
  - **यह धारणीय और स्केलेबल बिजनेस मॉडल, अत्याधुनिक संसाधन** उपलब्ध कराएगा और विचार से लेकर व्यावसायीकरण तक **स्टार्टअप के विकास में सहायता** करेगा।
- **कार्यान्वयन: MeitY** के तहत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया गया।
- **प्रस्तावित सहायता: यह कार्यक्रम दो छह महीने के समूहों में 36 स्टार्टअप** को सहायता प्रदान करता है, तथा दूरसंचार और IT में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये **हाइब्रिड लर्निंग, मेंटरशिप, बुनियादी ढाँचे और निवेशक पहुँच** प्रदान करता है।
  - स्टार्टअप्स को **5 लाख रुपए का अनुदान, 6 महीने के लिये C-DoT का कार्यालय स्थान और प्रयोगशाला सुविधाएँ और मार्गदर्शन** प्रदान किया जाता है।
  - सफल स्टार्टअप **C-DoT सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम** के तहत **भविष्य में सहयोग के अवसर** प्राप्त कर सकते हैं।
- **C-DoT:** C-DoT **दूरसंचार विभाग के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र है,** जिसकी **स्थापना वर्ष** 1984 में की गई थी, जो **आत्मनिर्भर भारत** का समर्थन करने के लिये 5G, IoT, AI आदि जैसे **स्वदेशी दूरसंचार नवाचारों** पर ध्यान केंद्रित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

CBDT ने सेफ हार्बर नियमों में किया विस्तार

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने **सेफ हार्बर प्रावधानों** के दायरे में विस्तार करने के उद्देश्य से **आयकर नियम, 1962** में संशोधन किया, जिसका उद्देश्य कर निश्चितता बढ़ाना और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अंतरण मूल्य निर्धारण से संबंधित विवादों को कम करना है।

- **संशोधन:** सेफ हार्बर के लाभ की सीमा 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दी गई है, जो **आकलन वर्ष 2025-26 और 2026-27** पर लागू होगा।
  - इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड वाहनों में प्रयुक्त लिथियम-आयन बैटरियाँ अब **सेफ हार्बर नियमों** के अंतर्गत पात्र **मुख्य ऑटो घटकों** का हिस्सा हैं।
- **उद्योग प्रभाव:** बड़ी कंपनियों के लिये, उच्च सीमाएँ स्थानांतरण मूल्य निर्धारण विवादों के विरुद्ध व्यापक सुरक्षा जाल प्रदान करती हैं।
  - EV उद्योग के लिये, ये परिवर्तन **भारतीय स्वच्छ गतिशीलता पारिस्थितिकी** तंत्र में निवेश और विनिर्माण को प्रोत्साहित करते हैं।
- **सेफ हार्बर:** उन परिस्थितियों को संदर्भित करता है जिसमें **आयकर प्राधिकारी** करदाता द्वारा घोषित **हस्तांतरण मूल्य** को स्वीकार करते हैं।
  - स्थानांतरण मूल्य, एक ही **बहुराष्ट्रीय उद्यम (MNE)** समूह के भाग वाली संबंधित संस्थाओं के बीच **लेनदेन में लिया जाने वाला वास्तविक मूल्य** है।
  - **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92CB के तहत सेफ हार्बर** नियमों को परिभाषित किया गया है, और **धारा 92C और 92CA** के तहत कंपनियाँ सेफ हार्बर सीमा के भीतर होने पर बिना किसी विवाद के **आर्म्स लेंथ प्राइस** (वह मूल्य जिस पर असंबंधित पक्ष खुले बाज़ार में व्यापार करेंगे) की घोषणा कर सकती हैं।

सहयोग पोर्टल

एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) ने भारत सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 की **धारा 79** और हाल ही में लॉन्च किये गए **सहयोग पोर्टल** के माध्यम से कथित **सेंसरशिप एवं कंटेंट विनियमन** को चुनौती दी गई है।

- एक्स ने तर्क दिया कि **कंटेंट विनियमन आदेश** केवल **IT अधिनियम, 2000 की धारा 69A** के तहत जारी किये जाने चाहिये।
- **सहयोग पोर्टल: सरल अनुपालन** और **सुरक्षित साइबरस्पेस** के लिये **सरकारी एजेंसियों और सोशल मीडिया मध्यस्थों** के बीच **सहयोग बढ़ाने** के लिये **गृह मंत्रालय (MHA)** द्वारा सहयोग पोर्टल लॉन्च किया गया है।
  - यह **विधिविरुद्ध कंटेंट की रिपोर्टिंग और निष्कासन** को सुव्यवस्थित करता है तथा **IT अधिनियम, 2000** के तहत कानून प्रवर्तन से डेटा अनुरोधों को सुविधाजनक बनाता है।
  - यह **अधिकृत एजेंसियों (जैसे पुलिस) और मध्यस्थों** को एक ही मंच पर एकीकृत करता है, जिससे **अवैध डिजिटल गतिविधियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही** सुनिश्चित होती है।
- **IT अधिनियम की धाराएँ:**
  - **धारा 69A:** यह **केंद्र** को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के लिये विशिष्ट परिस्थितियों में **ऑनलाइन कंटेंट तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध** करने का अधिकार देती है।
  - **धारा 79:** यह **ऑनलाइन मध्यस्थों** को **"सेफ हार्बर" संरक्षण** प्रदान करती है, तथा यदि वे तटस्थता से कार्य करते हैं तो उन्हें तीसरे पक्ष की विषय-वस्तु के लिये उत्तरदायित्व से संरक्षण प्रदान करती है।
    - **धारा 79(3)(b)** के तहत, यदि मध्यस्थ अनुचित कंटेंट से संबंधित नोटिस पर **शीघ्र कार्यवाही करने में विफल रहते हैं तो वे इस प्रतिरक्षा को खो देते हैं।**

BHIM 3.0

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की सहायक **NPCI BHIM सर्विसेज़ लिमिटेड (NBSL)** ने भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) **3.0 ऐप** लॉन्च किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली

डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का अर्थ है डिजिटल डिवाइस या चैनल (बैंक ट्रांसफर, मोबाइल मनी, क्यूआर कोड आदि) का उपयोग करके एक भुगतान खाते से दूसरे भुगतान खाते में धन स्थानांतरित करना।

NPCI द्वारा भुगतान प्रणाली

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) खुदरा भुगतान हेतु एक व्यापक इकाई है (भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007)।

तत्काल भुगतान सेवा (IMPS)

- खुदरा ग्राहकों के लिये
- **सीमा-** ₹1-5 लाख (शुल्क+जीएसटी)
- 24/7(तत्काल निपटान)
- **प्रदाता:** बैंक, पीपीआई, मोबाइल वॉलेट कंपनियाँ

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)

- IMPS आधारित डिजिटल भुगतान ऐप के लिये प्रौद्योगिकी
- पुश एवं पुल हस्तांतरण
- फ्राँस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर जैसे अन्य देशों द्वारा भी अपनाया गया
- **UPI-Lite+NFC:** ऑफलाइन भुगतान के लिये
- **BHIM-UPI:** धन हस्तांतरण ऐप

रुपे कार्ड पेमेंट गेटवे (RuPay)

- **3 चैनलों में काम करता है: -** एटीएम, प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस, ऑनलाइन पोर्टल
- PMJDY के साथ निशुल्क दिया जाता है
- विदेशों में भी अपनाया गया (जैसे मॉरीशस)

विभिन्न पहलें

- भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) और यूनिफाइड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम (UPMS)
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC)
- PAI चैटबॉट (एआई आधारित क्वेरी रिज़ॉल्यूशन)
- भारत QR
- ई-रूपी (e-RUPI)
- आधार पेमेंट ब्रिज (APB) प्रणाली
- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS)

RBI की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (CPS)

रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS)

- उच्च मूल्य के हस्तांतरण हेतु
- **निम्न सीमा:** ₹2 लाख (कोई ऊपरी सीमा नहीं) (कोई शुल्क नहीं)
- 24/7 (तत्काल निपटान)
- बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा उपलब्ध

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT)

- मध्यम-श्रेणी के हस्तांतरण हेतु
- RBI द्वारा कोई सीमा नहीं (कोई शुल्क नहीं)
- 24/7 (30 मिनट के अंतराल पर बैंकों के बीच सकल राशि का निपटान)
- बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा उपलब्ध

लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (LPSS)

- NEFT/RTGS के लिये RBI का आपातकालीन विकल्प
- अस्थायी, पोर्टेबल समाधान

Drishti IAS

डिजिटल भुगतान नियामक निकाय/सूचकांक

- डिजिटल हस्तांतरण लोकपाल
- भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS)

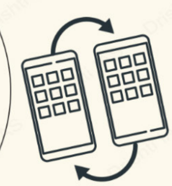

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- **BHIM 3.0:** यह **BHIM** का उन्नत संस्करण है।
  - **UPI तकनीक** का उपयोग करके कैशलेस भुगतान के लिये एक **सरल, द्रुत और सुरक्षित** तरीका प्रदान करने के लिये **BHIM यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI)** को **वर्ष 2016** में लॉन्च किया गया था।
  - इससे उपयोगकर्त्ताओं को अपने बैंक खातों का विवरण दिये बिना, मोबाइल फोन के माध्यम से **तत्काल धन भेजने और प्राप्त करने** की सुविधा प्राप्त हुई।
- **BHIM 3.0 की मुख्य विशेषताएँ:**
  - **BHIM 3.0 में 15 से अधिक भाषाओं की सुविधा, सुविधा अनुसार अनुकूलन करने हेतु अल्प इंटरनेट की आवश्यकता,** तथा सुरक्षित लेनदेन के लिये **बेहतर सुरक्षा सुविधाओं** के साथ इस ऐप की **सुलभता और सुरक्षा** को बढ़ाया गया है।
  - उपयोगकर्त्ताओं के लिये, इसमें बेहतर व्यय ट्रैकिंग और वित्तीय प्रबंधन के लिये **विभाजित व्यय, व्यय विश्लेषण** और एक **कार्रवाई आवश्यक सहायक** (लंबित बिलों के लिये अनुस्मारक) प्रदान किया गया है।
  - व्यापारियों के लिये, **BHIM वेगा** एक सहज **इन-ऐप भुगतान प्रणाली** प्रदान करता है, जिससे **दूसरे प्लेटफॉर्म का उपयोग किये बिना** सहज लेनदेन संभव होगा।
- **NPCI:** NPCI की स्थापना **वर्ष 2008** में **RBI** और **भारतीय बैंक संघ** द्वारा **संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के तहत भारत में **खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों** की निगरानी और प्रबंधन के लिये की गई थी।
  - **NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड** ने **UPI** का **भूटान, मॉरीशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और फ्राँस** सहित 7 देशों में विस्तार किया है, जिसमें **PhonePe, Paytm और गूगल पे** जैसे 20 ऐप के माध्यम से **अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन** किये जाने की सुविधा दी गई है।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (GMS) के कार्य-निष्पादन के आधार पर, केंद्र सरकार ने योजना के **मध्यावधि और दीर्घकालिक सरकारी जमा (MLTGD)** घटकों को बंद करने का निर्णय किया है। हालाँकि, बैंक अल्पकालिक बैंक जमा (STBD) की पेशकश जारी रख सकेंगे।

- इससे पहले सरकार ने **सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB)** को भी बंद कर दिया था।
- GMS: GMS, जिसमें पूर्ववर्ती 'स्वर्ण जमा योजना' और 'स्वर्ण धातु ऋण' योजना शामिल है, की घोषणा 15 सितंबर 2015 को की गई थी।
  - इसका उद्देश्य सोने के आयात पर देश की दीर्घकालिक निर्भरता को कम करना तथा औपचारिक अर्थव्यवस्था में परिवारों और संस्थानों द्वारा धारित सोने को जुटाना है।
- **GMS के घटक:**
  - अल्पावधि बैंक जमा (1-3 वर्ष) (परिवर्ती ब्याज दर)
  - मध्यावधि सरकारी जमा (5-7 वर्ष) (**2.25%** ब्याज दर)
  - दीर्घकालिक सरकारी जमा (12-15 वर्ष) (**2.5%** ब्याज दर)
- **GMS के अंतर्गत ब्याज दर:** MLTGD के लिये ब्याज दर केंद्र सरकार द्वारा **RBI** के परामर्श से निर्धारित की जाती है, जबकि अल्पावधि जमा के लिये ब्याज दर बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती है।
- **SGB:** SGB योजना वर्ष 2015 में वास्तविक सोने की मांग में कमी लाने और घरेलू बचत के एक हिस्से को वित्तीय बचत में रूपांतरित करने हेतु शुरू की गई थी, जिसका उपयोग अन्यथा सोना खरीदने के लिये किया जाता था।
  - इस योजना के अंतर्गत प्रारंभिक निवेश पर 2.5% की ब्याज दर प्रदान की जाती है, जो निवेशक के बैंक खाते में अर्द्ध-वार्षिक रूप से जमा कर दी जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भद्रा वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिज़र्व

कर्नाटक ने **हासन, चिकमंगलूर और कोडागु** ज़िलों में बढ़ते **मानव-हाथी संघर्ष** को प्रबंधित करने के लिये एक **"सॉफ्ट रिलीज़" स्ट्रैटजी** का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत पकड़े गए हाथियों को धीरे-धीरे **भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (BWS)** में पुनर्वासित किया जाएगा।

- **सॉफ्ट-रिलीज़ स्ट्रैटजी:** हाथियों को BWS में चार निर्दिष्ट स्थलों पर चरणबद्ध तरीके से छोड़े जाने से पूर्व, उन्हें **अनुकूलन और स्वास्थ्य जाँच** के लिये 20 वर्ग किलोमीटर के बाड़े में रखा जाएगा।
- **भद्रा वन्यजीव अभयारण्य:** भद्रा नदी के नाम पर बने इस अभयारण्य को मुथोडी वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है।
  - यह एक प्रोजेक्ट टाइगर रिज़र्व है, और इसमें विविध प्रकार के वन हैं, जिनमें दक्षिणी नम मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और शोला वन शामिल हैं।
    - इसमें कर्नाटक का सबसे बड़ा 400 वर्ष पुराना सागौन का वृक्ष, जगारा जायंट भी है।
  - BWS में बाघ, तेंदुए, ढोल, गौर, हिरण और हाथी सहित विविध जीव-जंतु पाए जाते हैं। यह 250 से अधिक पक्षी प्रजातियों का आश्रय स्थल है, जैसे हॉर्नबिल, मालाबार ट्रोगोन और हिल मैना, जिनमें से कई पश्चिमी घाट में स्थानिक हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- अभयारण्य वर्तमान में लगभग 450 हाथियों को आश्रय देता है, वन अधिकारियों का अनुमान है कि यह 200 और हाथियों को समायोजित कर सकता है।

मेघालय की रेल कनेक्टिविटी पर चिंता

खासी दबाव समूहों के वर्षों के विरोध के बाद (जिसमें यह चिंता व्यक्त की गई थी कि **रेल संपर्क** के कारण **मेघालय में बाहरी लोगों** का **अत्यधिक आवागमन** हो सकता है) **भारतीय रेलवे ने बर्नीहाट तथा शिलांग के लिये लंबित रेलवे परियोजनाओं को रद्द करने का निर्णय** लिया है।

- इसके साथ ही शिलांग **देश की एकमात्र ऐसी राज्य की राजधानी रह जाएगी जहाँ रेलवे संपर्क नहीं** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- मेघालय में **केवल एक रेलवे स्टेशन है (वर्ष 2014 में उद्घाटन)**, जो **नॉर्थ गारो हिल्स** के मेंदीपाथर में है।
- **इनर लाइन परमिट (ILP) की मांग:** दबाव समूह **बाहरी लोगों के आगमन को नियंत्रित करने** के लिये राज्य में ILP व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि **स्वदेशी जनजातीय आबादी** को हाशिये पर धकेले जाने का डर है।
  - **गारो** की जनसंख्या लगभग 10 लाख है, जबकि **खासी** की **जनसंख्या 13-14 लाख** के बीच है।
  - ILP भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित कुछ क्षेत्रों में आवागमन को विनियमित करने का एक प्रयास है। यह **अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर** में पहले से ही लागू है।
- **ILP के बारे में और इसकी उत्पत्ति:** यह एक **अनिवार्य आधिकारिक यात्रा दस्तावेज़** है जो किसी **भारतीय नागरिक को सीमित अवधि के लिये संरक्षित क्षेत्र में आंतरिक यात्रा की अनुमति देने** के लिये संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
  - **बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन अधिनियम,** 1873 के तहत, अंग्रेज़ों ने निर्दिष्ट क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने और उनके ठहराव को विनियमित करने के लिये नियम बनाए।
    - इसका उद्देश्य **"ब्रिटिश नागरिकों" (भारतीयों)** को इन क्षेत्रों में **व्यापार करने से रोककर क्राउन के अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा करना** था।
  - वर्ष 1950 में **भारत सरकार ने "ब्रिटिश नागरिक" शब्द के स्थान पर "भारत के नागरिक" से प्रतिस्थापित कर दिया।**

SEBI ने दोगुनी की FPI प्रकटीकरण सीमा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI)** के लिये **प्रकटीकरण सीमा** को **25,000 करोड़ रुपए** से बढ़ाकर **50,000 करोड़ रुपए** कर दिया है। इस प्रकार, इस सीमा को पार करने वाले FPI को अब लाभकारी स्वामित्व और अन्य प्रमुख निवेश विवरणों का खुलासा करना होगा।

FPI हेतु ग्रैन्युलर थ्रेशोल्ड में वृद्धि:

- **उद्देश्य: बाज़ार की संवृद्धि के साथ विनियमों को संरेखित करना** क्योंकि **वित्त वर्ष 2022-23** से **इक्विटी ट्रेडिंग** की मात्रा लगभग दोगुनी हो गई है।
  - इसका उद्देश्य व्यापार को सुकर बनाते हुए **पूंजी अंतर्वाह को बढ़ाना** और **मध्यम और लघु FPI** के लिये **अनुपालन को सरल** बनाना है।
- **FPI:** ये ऐसी संस्थाएँ हैं जो अपने पोर्टफोलियो को विविध बनाने और **प्रतिफल अर्जित करने के लिये विदेशी बाज़ारों** में **स्टॉक, बॉण्ड, म्यूचुअल फंड** और **एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF)** जैसी **प्रतिभूतियों और वित्तीय परिसंपत्तियों** में निवेश करती हैं।
  - भारत में FPI को **SEBI (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019** के तहत SEBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- **SEBI:** भारत का **प्रतिभूति बाज़ार नियामक,** 1988 में स्थापित किया गया था और **वर्ष 1992** में **SEBI अधिनियम,** 1992 के तहत इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया।
  - यह **स्टॉक एक्सचेंजों, बाज़ार मध्यस्थों** और **निवेशक संरक्षण** की देखरेख करता है, तथा **बाज़ार की पारदर्शिता और दक्षता** सुनिश्चित करता है।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024

संसद ने **आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024** पारित कर दिया है , जिसका उद्देश्य **आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005** में संशोधन करना है।

DM अधिनियम, 2005 के प्रमुख संशोधन:

- **आपदा प्रबंधन योजनाएँ: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** और **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)** अब राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारी समितियों के स्थान पर योजनाएँ तैयार करेंगे।
- **विस्तारित भूमिका:** इसमें जोखिम मूल्यांकन (जलवायु जोखिम), तकनीकी सहायता, राहत मानक निर्धारित करना और आपदा डेटाबेस का अनुरक्षण करना शामिल किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **NDMA को प्रदत्त विनियामक शक्तियाँ: NDMA** को पूर्व केंद्रीय अनुमोदन के साथ **अधिनियम के तहत विनियम बनाने, अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या और श्रेणियाँ निर्दिष्ट करने** का प्राधिकार दिया गया है।
- **आपदा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण:**
  - **आपदा डेटाबेस:** अनिवार्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस।
  - **नगरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMA):** राज्य अपनी राजधानियों और प्रमुख शहरों के लिये इनकी स्थापना कर सकते हैं।
  - **राज्य आपदा मोचन बल (SDRF):** राज्य SDRF का गठन कर सकते हैं और उनके कार्यों को निर्धारित कर सकते हैं।
- **प्रमुख समितियों को सांविधिक दर्जा:**
  - **राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC):** प्रमुख आपदाओं के लिये नोडल निकाय।
  - **उच्च स्तरीय समिति (HLC):** राज्यों को वित्तीय सहायता की देखरेख करने में सहायता।
- **NDMA नियुक्तियाँ:** केंद्रीय अनुमोदन से अधिकारियों, विशेषज्ञों और सलाहकारों की नियुक्ति की जा सकेगी।

अभ्यास प्रचंड प्रहार

भारतीय सेना ने **अरुणाचल प्रदेश** में पूर्वी कमान के अंतर्गत **त्रि-सेवा एकीकृत बहु-डोमेन युद्ध अभ्यास प्रचंड** प्रहार का आयोजन किया।

अभ्यास प्रचंड:

- यह अभ्यास **भारत-चीन सीमा** पर आयोजित **'पूर्वी प्रहार' (नवंबर 2024)** के बाद आयोजित हुआ, जिसमें विमानन परिसंपत्तियों के एकीकृत उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- इसका उद्देश्य आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में **अनुवीक्षण, कमान, नियंत्रण** और **सटीक मारक क्षमता** के लिये **एकीकृत दृष्टिकोण** को मान्य करते हुए **सेना, नौसेना और वायु सेना में परिचालन तत्परता** और एकीकरण को बढ़ाना है।
- इसमें **लंबी दूरी के टोही विमान, UAV, सशस्त्र हेलीकॉप्टर** और **अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों** सहित उन्नत प्लेटफॉर्म शामिल थे।
- वास्तविक युद्धक्षेत्र की परिस्थितियों को दोहराने के लिये **इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किये गए परिवेश में लड़ाकू विमानों, रॉकेट प्रणालियों, तोपखाने** और **कामिकेज़ ड्रोनों** (आत्मघाती ड्रोन या लोइटरिंग म्यूनिशन) के समन्वित हमलों के माध्यम से कृत्रिम लक्ष्यों को निष्प्रभावी कर दिया गया।

अन्य देशों के साथ भारत के सैन्याभ्यास

अभ्यास का नाम	देश
गरुड़ शक्ति	इंडोनेशिया
एकुवेरिन	मालदीव
हैंड-इन-हैंड	चीन
कुरुक्षेत्र	सिंगापुर
मित्र शक्ति	श्रीलंका
नोमेडिक एलीफैंट	मंगोलिया
शक्ति	फ्राँस
सूर्य किरण	नेपाल
युद्ध अभ्यास	संयुक्त राज्य अमेरिका

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :